(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 11वां दिवस [संख्या 9

बृहस्पतिवार,

दिनांक 27 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

[सिंचाई, वित्त, यातायात, शिक्षा, अकाल सहायता, खनिज, आयुर्वेद, योजना, गृह, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, विधि, जन स्वास्थ्य, पर्यटन एवं परिवहन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

राज्य योजना बोर्ड का गठन

181. **श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य योजना बोर्ड का गठन कब हुआ ? गठन के बाद इसकी कितनी बैठकें हुई ?

(2) इस बोर्ड का क्या कार्य है ?

योजना मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राज्य योजना बोर्ड का गठन राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 7 (6) ओ. एण्ड एम./खण्ड 5/73, दिनांक 6 फरवरी, 1973 के द्वारा हुआ। गठन के पश्चात् अभी तक बोर्ड की एक बैठक हुई है।

(2) बोर्ड का कार्य राज्य सरकार को आयोजना के निरूपण एवं क्रियान्वयन में सलाह देना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): गठन की कौनसी तारीख है ?

श्री चन्दनमल बैद : 7 फरवरी, 1973।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक ही बैठक हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद : डेढ़ साल में हुई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2 साल में एक ही मीटिंग बुलाई है। आपका जो पर्पज था, वह एक मीटिंग बुलाने से पूरा हो गया है ? दूसरा यह है कि क्या यह सही है कि अगर राजस्थान के अन्दर भारत सरकार के पैटर्न पर योजना बोर्ड का गठन करते हैं तो 3/4 खर्चा भारत सरकार का योजना बोर्ड देगा ? और क्या सरकार यह महसूस करती

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
है कि सरकारी अधिकारियों के जरिये से जो योजना है, उसके बारे में जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसको पूरा कर सकेंगे ? इस बारे में माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि बोर्ड की एक ही मीटिंग हुई है ? इसमें क्या-क्या सुझाव दिये हैं ? क्या उन सुझावों को राज्य सरकार को भेजा है और कितने सुझाव राज्य सरकार ने अमल में लिये हैं और, नहीं लिये तो क्यों ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या यह बोर्ड योजना के प्रारूप पर विचार करता है और जनप्रतिनिधियों को सम्पर्क और विश्वास में लेकर योजना को अन्तिम रूप देने की चेष्टा की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी पहले निवेदन कर चुका हूं। एक बैठक हुई है। 25 नवम्बर, 1973 को। यह राष्ट्रीय योजना, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन करने के लिए हुई थी। उसके बाद वह पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भारत सरकार को भेज दिया गया है। इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं हुई। एक जो गैर सरकारी सदस्यों में विधान सभा के माननीय सदस्य थे, वह मन्त्रिमण्डल के सदस्य हो गये। उनके स्थान पर भी सरकार दूसरे को लेने का विचार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि योजना बोर्ड की बैठक नहीं हो सकी है। मेरा सीधा सा प्रश्न था, क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि केन्द्र के समान ही राज्य में भी योजना बोर्ड का गठन किया जाये तो उसका 3/4 खर्चा भारत सरकार का योजना बोर्ड वहन करने के लिए तैयार है ? फिर इसके गठित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? आपके यहां होता क्या है जो आपके प्लानिंग सेक्रेटरी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी हैं ? वह योजना बना रहे हैं, उनसे कोई सफलता मिलने वाली है ? मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, योजना का जो प्रारूप तैयार किया है उस पर विचार करने के लिए योजना बोर्ड का गठन किया जाय तो केन्द्र खर्च वहन करने के लिए तैयार है, फिर क्यों नहीं गठन किया जा रहा है ?

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। क्या पंचायतों और जिला परिषदों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर उनसे चर्चा करना उचित समझते हैं या नहीं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने के लिए मीटिंग हुई है। मैं निवेदन करता हूं, जो योजना बोर्ड बना क्या वह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने के लिए बना ? आज जो शोषित वर्ग का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मदद करने के लिए भारत सरकार का योजना बोर्ड बनेगा या आगे जाकर यही रूप रहेगा ? अभी तक

Page No 3

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
एक मीटिंग हुई है, क्या इसी रूप में कार्य कर सकेंगे ? भारत सरकार उसके लिए 3/4 पैसा देती है। प्रधान मन्त्री उसकी अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से मुख्य मन्त्री को अध्यक्ष बनाकर राजस्थान का असन्तुलन मिटाने की योजना रखते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, केवल प्रारूप बनाने के लिए मीटिंग हुई जब कि उस योजना का पहला वर्ष समाप्ति पर आ गया है। उसको भारत सरकार को भेजने के बाद उसका इम्पलीमेन्टेशन किया है, वर्ष पूरा हो जाने के बाद क्या विचार करना आवश्यक नहीं था ? आपने अपने फाइनेंशियल सोर्सेज क्रियेट करने के लिए सन्तुलित बजट रखा था। फिर बजट सत्र के बाद वह बढ़ाया गया। 20 करोड़ के टैक्सेज लगा दिये। तो यह जो आपकी नीति आगे आ रही है, क्या यह उचित है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या केन्द्रीय सरकार की सलाह है कि जिस प्रकार से वहां बना हुआ है, उसी पैटर्न पर यहां भी योजना बोर्ड बनाया जाये ? क्या अन्य प्रान्तों में भी उसी पैटर्न पर बनाये जा रहे हैं ?

श्री केदारनाथ : उस बोर्ड के तहत कितने पैनल काम कर रहे हैं ? आपने जो पैनल क्रियेट किये हैं, उनका क्या कर रहे हैं ?

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उस बोर्ड में कोई महिला सदस्या है ?

एक माननीय सदस्य : महिला सदस्या !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मालूम होता है कि केवल महिलाएं ही हैं इसलिए मीटिंग नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मै निवेदन कर चुका हूं, उसकी एक बैठक हुई है। वह पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन करने के लिए बुलाई गई। वह प्रारूप भारत सरकार को भेज दिया गया था। उसके बाद भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने कोई प्रारूप निश्चित नहीं किया है सारे देश के लिए, इसलिए दुबारा बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। दूसरी बात यह है कि इसके जो एक सदस्य राधाकृष्ण ....(अश्रव्य) उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। जो गैर सरकारी सदस्य थे, वे मन्त्रिमण्डल के सदस्य बन गये हैं। ज्योंही बोर्ड का पुनर्गठन होगा, उसकी बैठक बुलाई जायेगी। एक सवाल यह उठाया गया है कि महिला सदस्या नहीं है तो इस विषय पर सोच लिया जायेगा।

तीसरी बात पूछी गई, भारत सरकार ने योजना आयोग बना कर रखा है उस आधार पर प्लानिंग बोर्ड यहां बनाने का विचार है। सरकार का ऐसा विचार नहीं है। भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन के आधार पर योजना बोर्ड बनाया जाय, जिस तरह भारत सरकार उससे सलाह मशविरा करती रही है उसी तरह योजना बोर्ड से सलाह मशविरा करती रहे—ऐसा सरकार का विचार नहीं है।

Page No 4

(५)

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): कहीं तो यूनिफॉर्मिटी हो ?

प्रश्न संख्या 182

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकिशन !

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह !

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की योजना

183. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार की प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के बारे में क्या योजना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ एवं व्यापक बनाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है । राज्य के 6 से 11 वर्ष की आयु के 54 पर्सेन्ट इस समय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में वित्तीय साधनों की उपलब्धि एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 64 पर्सेन्ट बालक-बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में विद्याध्ययन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। किन्तु राज्य सरकार की मन्शा इससे भी अधिक बालक-बालिकाओं को शिक्षा का लाभ देने की है। अत: इसी वर्ष से अनौपचारिक शिक्षा (नॉन फार्मल एजूकेशन) की भी व्यवस्था की गई है जिसका क्रमशः विस्तार किया जायेगा। इसके द्वारा वे बालक-बालिकायें भी जो दिन में अपने माता पिता के काम में सहयोग देते हैं सायंकाल अथवा अन्य सुविधा के समय शिक्षा लाभ कर सकेंगे और इस प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक करीब 70 पर्सेन्ट बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल पायेगी। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का कोई कानून राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बार बार आश्वासन दिया है कानून बनाया है कि हम शिक्षा को अनिवार्य बनायेंगे। प्राथमिक शिक्षा को उस नीति में से हटाने की वजह नहीं बताई गई है, न यह बताया गया कि कब तक अनिवार्य कर दी जायेगी ?

श्री खेतसिंह : मैंने प्रश्न के जवाब में बहुत विस्तार से जिक्र किया है, मेरे ख्याल में माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैंने निवेदन किया, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के एण्ड तक 70 पर्सेन्ट बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल जयेगी।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्ता !

श्री मोहरसिंह : क्या अजमेर में अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है, वहां उसका पालन हो रहा है ? जब सरकार ने कानून बनाया है और सरकार की नीति है तो उससे पीछे हटने का क्या कारण ? आगे कब लागू हो जायगा ? अन्धेरा है, घटाटोप बादल छा गए हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : संविधान के अन्दर जब अनिवार्य शिक्षा करने के लिए डाइरेक्शन दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी पांचवी पंचवर्षीय योजना के एण्ड तक 70 पर्सेन्ट को शिक्षा देंगे....

श्री केदारनाथ : मैन्डेटरी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो 30 पर्सेन्ट का क्या होगा ? क्या जवाब दिया गया है, उसके अनुसार राज्य सरकार का अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू करने का विचार नहीं रहा है ? दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित महिलाओं की गम्भीर स्थिति है इस सारे संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं, राज्य सरकार इस बारे में क्यों नहीं सक्रियता से कदम उठा रही है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैण्डेटरी कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोविजन के बावजूद पांचवीं पंचवर्षीय योजना के एण्ड में केवल 64 पर्सेन्ट को प्राईमरी एजूकेशन के लेवल तक पहुंचाने, शिक्षित करने की बात है, क्या यह शोभनीय है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या यह डिसिजन नहीं लिया था कि अनिवार्य शिक्षा प्राथमिकता के अनुसार अलग-अलग जिलों को पहले लेकर लागू करेंगे—ऐसा पहले भी सुझाव हुआ था और भाषणों में रिपार्ट हुआ था—यह प्रश्न है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन का फण्डामेंटल राइट है, डाईरेक्टिव प्रिन्सिपल में यह है, यह क्या यों ही रखा हुआ है ?

श्री शंकरसिंह रावत : आप प्राथमिक शालायें बनाते हैं, बच्चे उसमें भर्ती हो जाते हैं, अध्यापकों की नियुक्ति कर ली जाती है लेकिन कम्पलसरी एजूकेशन नहीं होने की वजह से बच्चे वापिस चले जाते हैं। अध्यापकों पर खर्चा होता है, बच्चे रहते नहीं हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम कम्पलसरी एजूकेशन होनी चाहिये ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्नकर्त्ता ने अजमेर के बारे में बात कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस वक्त अजमेर पार्ट सी स्टेट था, उन्होंने इस प्रकार का कानून बनाया हो तो मेरे ध्यान में नहीं है। अजमेर जब से राजस्थान का पार्ट है, वहां अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज कुल मिलाकर राजस्थान के अन्दर हम करीब 19 पर्सेन्ट पूरे बजट का शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : 19 पर्सेन्ट ही शिक्षित हैं।

श्री खेतसिंह : यह देखें, उत्तर प्रदेश सशक्त राज्य है, उससे ज्यादा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। अनिवार्य शिक्षा जब कर देंगे तो आप निश्चित मानिये, हमारे यहां कितने अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार की वित्तीय हालत है उसको देखते हुए हम अनिवार्य शिक्षा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम अनिवार्य शिक्षा कर दें तो राजस्थान का 63 करोड़ का बजट है वह 85 करोड़ पर पहुंच जायगा और वह हमारे लिए बहुत मुश्किलात की बात हो जायगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह जनतन्त्र की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : इस पर वित्त मंत्रीजी की तरफ से जवाब आ जाता तो अच्छा रहता।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : बजट कम है इसलिए कम्पलसरी एजूकेशन नहीं कर रहे हैं--यह बात है ?

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आप देखें और विभिन्न जिलों की विभिन्न परिस्थितियों को देखें, अगर अनिवार्य शिक्षा करें भी तो कई किसान भाई हैं, जिनके बच्चों को वे हर वक्त पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते, इसलिए नॉनफार्मल एजूकेशन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित तौर पर उन बच्चों को जो माता-पिता को किसी काम में मदद देते हैं या जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, साक्षर बना कर एजूकेशन की जो हमारी मन्शा है, साक्षरता का ज्ञान सबको दें, वह करके सबको शिक्षित करने की ओर बढ़ सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कुछ जिलों के बारे में बात है, उसका क्या हुआ ?

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं कर रहे हैं, पर कम से कम जो ग्राम इकाई है, उनके अन्दर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसे गांवों में व्यवस्था कर देंगे ताकि वहाँ तरक्की हो ?

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, राजस्थान में आज के दिन 19,381 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज एक भी रेवेन्यू विलेज नहीं है जिसमें हमने प्राथमिक शाला नहीं खोली हो....

श्री रामसिंह कुड़ी : गलत। गलत।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रेवेन्यू विलेज मे, अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकशाला नहीं है।

श्री खेतसिंह : रेवेन्यू विलेज से यह समझा नहीं जाय कि एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल रहे...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : तथ्य बताने चाहिए, गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : गलत नहीं कह रहा हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह बार-बार गलत कह रहे हैं। फिर भी आप गलत बात कहते जा रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य अनावश्यकरूप से उत्तेजित हो रहे हैं। राजस्थान के अन्दर 33 हजार गाँव हैं, और 19 हजार स्कूल हैं। उनका रेडिअस इतना है कि प्रत्येक गाँव के दो मील के फासले पर स्कूल हो, इससे ज्यादा फासले पर नहीं हो--यह रखा गया है। हर गांव में है—ऐसी बात नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक मील के रेडिअस पर नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : डेजर्ट एरिया में हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसहाय व्यास ।

जयपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना

184. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार जयपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो कब तक ?

(2) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के महत्त्व को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और किए गए हैं ?

(3) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयुर्वेद के महत्त्व को स्वीकार किया है ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेद के विकास हेतु क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और किए गए हैं ?

(4) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयुर्वेद के महत्त्व को स्वीकार किया है ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेद के विकास हेतु क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की सम्भावाना के बारे में राज्य सरकार अध्ययन कर रही है ।

(2) आयुर्वेद परामर्शदात्री मण्डल ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश की है । इस पर निर्णय लेने के लिए सिफारिश के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है ।

(3) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयुर्वेद के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

श्री हनुमानसहाय व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्णय किया गया है कि राजस्थान में आयुर्वेद का बहुत विकास है और राजस्थान में आयुर्वेद का प्रसार सारे संसार से अधिक है, इसलिए यहां पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है । यह प्रोसीडिंग्स धर्मयुग में छपी हैं । इस ओर मैंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया था । राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन करके विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना की जांच पड़ताल करवाई है, यह कब तक हो जायेगी और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक हो जायेगी ? मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि निश्चित समय बताने का कष्ट करें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रोसीडिंग्स का माननीय सदस्य संदर्भ दे रहे हैं, इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स धर्मयुग या अन्य पत्रिका में नहीं है, संदर्भ जरूर इस प्रकार का आया था कि इस प्रकार की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया कि एन्टीबायोटिक्स के मुकाबले में भारतीय चिकित्सा पद्धति ज्यादा कारगर हो सकती है । इतना उल्लेख था । क्या वास्तव में निर्णय था, क्या विचार विमर्श

Page No 8

(8)

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
हुआ, इसके लिए लिखा है और जानकारी आने के बाद इसके बारे में जानकारी दी जा सकेगी।

जहां तक विश्वविद्यालय की स्थापना का सम्बन्ध है, उसका पूर्व में उल्लेख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया !

विधायकों को यात्रा बिलों में रेल्वे टिकिट का नम्बर अंकित करने के आदेश

185. श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मंत्रीगण अपने यात्रा बिलों में रेल्वे टिकिट का नम्बर अंकित करते हैं ? यदि नहीं, तो फिर विधान सभा सदस्यों को ही यात्रा बिलों में नम्बर अंकित करने को क्यों बाध्य किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन : (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है, इसको स्थगित किया जाये।

श्री राजेन्द्र भारतीया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इतनी छोटी सी जानकारी करने में क्या राज्य सरकार को समय लग रहा है ? इतने दिन पहले प्रश्न दिया था फिर भी जानकारी नहीं मिल सकी। जयपुर में ही तो आपको जानकारी लेनी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसका उत्तर अगले टर्न पर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न में दे देंगे।

श्री राजेन्द्र भारतीया : ए. जी. से हमें जानकारी मिली है...... ...

श्री अध्यक्ष : जब अगले टर्न पर ही ले रहे हैं तो उस समय ही पूछ लें।

श्री राजेन्द्र भारतीया : अध्यक्ष महोदय, इस आदेश को पब्लिसिटी मिली है जिससे एम. एल. एज. की प्रतिष्ठा आम जनता में गिरी है। यह आदेश डिफेमेटरी है और माननीय सदस्यों पर डाइरेक्ट अटेक है, इसे वापिस लेना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या ऐसा आदेश विधान सभा से परामर्श करने के बाद जारी किया गया या पहले ? अगर बिना विधान सभा से परामर्श किये जारी किया गया तो क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न ही स्थगित किया गया तो आप उत्तर क्या ले रहे हैं ? प्रश्न सामने ही नहीं है।

प्रश्न संख्या 186

श्री शिवनारायण !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य !

राजस्थान में आये विदेशी पर्यटकों की संख्या

187. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार टूरिस्ट कार्पोरेशन बनाने की दिशा में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
चिन्तन कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) राजस्थान में सन् 1973 और सन् 1974 में कितने विदेशी पर्यटक आये ? कृपया प्रत्येक वर्ष की संख्या बताने का कष्ट करें।

(3) सन् 1973 के मुकाबले में सन् 1974 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारत और राजस्थान के स्तर पर किस अनुपात से वृद्धि हुई ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री जुझारसिंह): (1) जी हां, कार्पोरेशन बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) राजस्थान में सन् 1973 में लगभग 46,259 और सन् 1974 में लगभग 48,192 विदेशी पर्यटक आये।

(3) सन् 1973 के मुकाबले में सन् 1974 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारत स्तर पर 3.2 प्रतिशत और राजस्थान स्तर पर भी लगभग इसी तरह की वृद्धि हुई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी क्या कोई डाटा रखी जाती है कि कितने पर्यटक आये या आप अन्दाजे से ही बता रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : पूरी डिटेल्ड डाटा तो नहीं रखी जाती है। जो स्टार्ड होटेल्स हैं, रजिस्टर्ड होटल्स हैं, उनके यहां तो फिगर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत से पर्यटक ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी होटलों में ठहरते हैं या प्राइवेट तरीके से व्यवस्था कर ठहरते हैं, उनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते। जो फिगर मैंने बताई है उससे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। यह फिगर्स इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपीनियन, न्यू दिल्ली की किताब 'ए सर्वे ऑफ फॉरेन टूरिस्ट्स इन इंडिया, 1972-73' से लिये हुए हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अन्य प्रान्तों के मुकाबले में आपके यहां आये विदेशी पर्यटकों का क्या पर्सेन्टेज है ? क्या यह सही है कि राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या अन्य प्रान्तों के मुकाबले में लोएस्ट है ?

श्री जुझारसिंह : लोएस्ट तो नहीं है। दूसरों के मुकाबले में कितनी है, इस फिगर का तो पता नहीं, लेकिन भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से 11.31 प्रतिशत जयपुर में आये थे। यह अच्छे फिगर हैं और दूसरों के मुकाबले में लोएस्ट नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर सबसे आकर्षक केन्द्र है, जैसलमेर में जाने वाले पर्यटकों का क्या प्रतिशत है ? क्या वह जीरो है ? और अगर जीरो है तो पर्यटकों को जैसलमेर की तरफ अट्रेक्ट करने के लिये राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान के अन्दर टूरिस्ट कार्पोरेशन बनाने की दिशा में राज्य सरकार चिन्तनशील है। तो वह कब तक बन जायेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : और खासतौर से यह बतायें कि उसका चेयरमैन कौन बनेगा ?

Page No 10

(10)

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या राज्य सरकार मानती है कि और प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान इतनी फेसेलिटीज नहीं दे पाता, इसलिये पर्यटक कम आते हैं ?

श्री दीपंकर : मेरे एक प्रश्न का भी उत्तर दे दें। जो कुछ भी व्यवस्था की जा रही है, क्या उसमें श्री रामजी काक की सेवाएं काम में ली जायेंगी उनकी योग्यता को देखते हुए ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र भारतीया : भारत वर्ष में अन्य प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान का स्थान टूरिस्ट ट्रैफिक में कौनसा है ? क्या कम्पेरेटिव फिगर्स मंत्री महोदय के पास हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या उदयपुर जिले में हल्दीघाटी, जहां लड़ाई लड़ी गई थी, और चावण्ड, जहां पर कि माहाराणा प्रताप का समाधी स्थान है, पर यात्रियों के लिये कोई सुविधा है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा तो एक ही प्रश्न है। टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री जुझारसिंह : राजस्थान में टूरिज्म के लिये काफी प्रॉस्पेक्ट्स हैं और टूरिस्ट्स यहां पर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी जो फैसेलिटीज अवेलेबिल हैं उनसे टूरिस्ट सारी जगहों पर आसानी से नहीं पहुंच पाते। विदेशी टूरिस्ट बारह दिन का प्रोग्राम बनाकर आते हैं और उसी के अन्दर वह सभी जगहों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिये हमारे यहां ज्यादा टूरिस्ट्स की संख्या जयपुर तक ही आ पाती है क्योंकि जयपुर एयर लिंक्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर में भी एयरपोर्ट को ठीक कराया जाये। जैसलमेर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव प्लेस है, लेकिन कम्युनिकेशन्स की डिफीकल्टी की वजह से वहां पर फॉरेन टूरिस्ट्स नहीं पहुंच पाते, फिर भी दो सौ तीन सौ टूरिस्ट वहां आ जाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हैलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाये।

श्री जुझारसिंह : वह तो कार्पोरेशन बनने के बाद वे ही करेंगे। कोशिश यही की जा रही है कि जहां तक फॉरेन टूरिस्ट के लिये अच्छी व्यवस्था हो, वह की जाय और इसी विचार से यह उचित समझा गया कि कार्पोरेशन बनाया जाये जो यह सारी डिफीकल्टीज दूर कर सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा एक बुनियादी प्रश्न है। दूसरे जितने भी प्रान्त हैं वह टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिये सब जगह पब्लिसिटी करते हैं और फिल्म्स बनवाते हैं। राजस्थान में जो ऐतिहासिक और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेन्ट स्थान हैं, क्या आपने उनके बारे में अखिल भारतीय स्तर पर या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेण्डा के लिये कोई भी पिक्चर या पब्लिसिटी की है ? इस कारण से भी आपके यहां टूरिस्ट नहीं आते हैं।

श्री जुझारसिंह : पब्लिसिटी की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । भारत में अन्य प्रांतों के मुकाबले में राजस्थान का कौनसा स्थान है ? इसका स्पेसीफिक उत्तर दे दें । अगर फिगर्स नहीं हों तो कह दीजिये कि फिगर्स नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : खामोशी का मतलब जवाब नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकता कि कौनसे नम्बर पर है, लेकिन टूरिस्ट पॉइन्ट ऑफ व्यू से हमारी इम्पॉर्टेन्ट स्टेट है और काफी टूरिस्ट यहां आते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी झिझक से मालूम पड़ता है कि हालत खस्ता है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो बहुत से नहीं आये हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा जवाब आ जाये तो प्रश्न ही नहीं रहेंगे । कार्पोरेशन कब तक बन जायेगा ?

श्री जुझारसिंह : माननीय हांडा साहब ने कहा कि पब्लिसिटी नहीं होती है । तीन चार महीने पहले पुष्कर में जो मेला हुआ था वह बहुत से स्थानों पर टी. वी. पर दिखाया गया । इसी तरह दूसरी पब्लिसिटी की भी कोशिश करते हैं । पब्लिसिटी की वजह से ही राजस्थान में टूरिस्ट्स की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री श्रीराम गोटेवाला ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा

188. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) व श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले पांच वर्षों में राज्य में कितने हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए हैं और कहां कहां पर हुए हैं ? इन दंगों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ और मुस्लिम लीग की क्या-क्या भूमिका रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के समक्ष जलेब चौक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नियमित शाखा लगती है ? तथा उसमें राज्य सरकार के अधिकारी भी जाते हैं या शाखा को उनका संरक्षण प्राप्त है ?

(3) क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर नजर रखी है ? और उनकी कोई सूची बनाई है ? यदि हां, तो सूची स्पष्ट करें ।

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) पिछले पांच वर्षों में (1970-74) में 6 हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिनमें से एक-एक दंगा कोटा, डूंगरपुर, जोधपुर, नागौर में एवं दो दंगे टौंक में हुए थे । इन दंगों में किसी पार्टी का सीधा हाथ होना नहीं पाया गया ।

(2) जी हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई राज्य सरकार के अधिकारी इसमें नहीं आते हैं ।

(राज्य मंत्री, गृह)

(3) जी हां। ऐसे अधिकारियों पर जो साम्प्रदायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, निगरानी रखी जाती है। सूची देना जनहित में उचित नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जिन-जिन स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए हैं वहां पर मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ के लोगों का मुख्य हाथ था। और यह कहां-कहां हुए ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : और कम्यु-निस्ट पार्टी के लोगों का भी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह दगे जिन जिन स्थानों पर हुए हैं उसमें कोटा, डूंगरपुर, जोधपुर, नागौर में हुए हैं और दो दगे टोंक में हुए। और इन स्थानों में ऐसा मालूम हुआ है कि मुस्लिम लीग के कार्यालय जोधपुर और नागौर में हैं बाकी कहीं भी मुस्लिम लीग के कार्यालय नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जोधपुर में जो हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए उसमें मुस्लिम लीग और जनसंघ का हाथ था ?

श्री मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इन दगों में किसी खास संस्था का नाम तो नहीं आया लेकिन थोड़े बहुत तत्व उसमें हो सकते हैं। अब इसमें एक्सी-डेन्टली भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसको साम्प्रदायिकता का नाम किसी एक संस्था पर नहीं दे सकते। इसके अलावा सिर्फ कोई बोर्ड कहीं पर किसी संस्था के लग जाने से ही उस संस्था द्वारा हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मन्त्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है उसमें यह कहा गया है कि उन सरकारी अधिकारियों पर नियन्त्रण रखा जाता है। उसके लिये लिये मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कितने केसेज बनाये गये हैं और ऐसे अधिकारियों को क्या क्या सजा दी गई ? और उसमें राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारी जो कि जनसंघ में और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में रुचि रखते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी जो कि आनन्द मार्गी होते हुए भी सरकार के ऊंचे पदों पर आसीन हैं।

(व्यवधानः अश्रव्य)

श्री अध्यक्षः आॅर्डर ! आॅर्डर प्लीज !

श्री दीपंकरः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में है कि जोधपुर और नागौर में मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद वहां पर दंगे हुए हैं। अभी नागौर जिले में लाडनूं और डीडवाना में मुस्लिम लीग के प्रचार के कारण दंगा होते-होते बचा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों, जो कि मुस्लिम लीग और जनसंघ से एफीलियेटेड हैं, ने इन्दिरा गांधी को XXX कहा। और मुस्लिम लीग के लोगों ने लोगों को

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री दीपंकर)

भड़काया। वह तो, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी लोगों ने लड़ाई होते होते बचाई वरना वहां पर दंगे हो जाते। तो मेरा निवेदन है कि इन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ जैसी जो साम्प्रदायिक संस्थायें हैं इन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग सरकारी अधिकारी हैं इन सरकारी अधिकारियों के बच्चे उसमें भाग लेते हैं उस पर भी प्रतिबन्ध राज्य सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिये जिससे कि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं मिले।

श्री केदारनाथ: अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो इन्दिरा गांधी के लिये × × × शब्द का प्रयोग किया गया है उसको ऐसेम्बली की डिबेट से एक्सपन्ज किया जावे।

श्री अध्यक्ष: It should be expunged.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसी विधान सभा के नीचे जलेब चौक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखायें लगती हैं और उनको आपके कई पुलिस विभाग के कर्मचारियों का संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार कई सरकारी दफ्तरों के पास में इस प्रकार की शाखायें लगती हैं। उनमें आपके कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इनवोल्व्ड हैं। उसके लिये आपने क्या एक्शन लिया? दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलिज के एनोटोमी के प्रोफेसर श्री पाठक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा मेडिकल कॉलिज में चलवाते हैं ऐसे और भी कई सरकारी अधिकारी हैं जो इसमें इनवोल्व्ड हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया? उनके नाम बताये जायें। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। अगर नहीं लिया गया है तो। और इन मुस्लिम लीग, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी संस्थाओं पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। ऐसे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये जो कि उन्हें प्रोत्साहन देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ऐसे सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। लेकिन इस विषय में ज्यादा नहीं कहा जा सकता।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्त्ता हूं। मुझे सप्लीमेण्ट्री करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछते क्यों नहीं हैं? पूछिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने का मौका दूसरे माननीय सदस्य दें तभी तो पूछूं।

××× माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा पूछिये, अब पूछ लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक मिनट में ही समाप्त कर देता हूं। मेरा सवाल यह है कि यहां सदन मे एक प्रश्न पहले इस प्रकार का आया था कि आदर्श नगर में आदर्श विद्या मन्दिर, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ से चलायी जाती है, में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा भी लगती है तथा वहाँ पर हर विद्यार्थी के लिये यह जरूरी है कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा को जोइन करे। गवर्नमेन्ट ने इस बारे में एक सरक्यूलर भी निकाला था कि ऐसा नहीं होना चाहिये लेकिन आज भी वहां पर यह हो रहा है। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों का संरक्षण इस आदर्श विद्या मंदिर को प्राप्त है। राज्य सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ? यह बतावें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या आर. एस. एस. और मुस्लिम लीग तथा जनसंघ साम्प्रदायिकता फैलाते हैं ? और यह साम्प्रदायिक हैं, इसमें कोई मतभेद भी नहीं है। तो धर्म निरपेक्ष राज्य हमारा होने से इन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा ? अगर राज्य सरकार इन पर प्रतिबन्ध लगाती है तो क्या ऐतराज है ? यह मेरा एक कॉन्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : अध्यक्ष महोदय, कोटा में जो हिन्दू-मुस्लिम रॉइट हुये हैं और दूसरी जगह जो रॉइट हुये हैं उनका राजनैतिक स्तर पर सर्वे कराया जाय। इसके अलावा सांगोद, जहां से कि मन्त्री महोदय आते हैं, में जो झगड़े हुये थे उसमें किन-किन साम्प्रदायिक तत्वों का हाथ था ? इसकी सूचना राज्य सरकार को सदन में देनी चाहिये थी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में जो दंगे हुये वहां पर तो मोहनलालजी सुखाड़िया थे......

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो जोधपुर में दो और तीन अक्टूबर को दंगे हुए थे उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा।

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वाले दंगे करवाते हैं और जनसंघ का नाम बदनाम करते हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री राजेन्द्र भारतीया : अध्यक्ष महोदय, यह जितने भी साम्प्रदायिकता के हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हुये हैं वह सभी आर. एस. एस. और जनसंघ ने करवाये हैं और इससे बढ़ कर हिन्दुस्तान में कोई फासिस्ट पार्टी नहीं है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक-एक करके बोलें तो ठीक रहेगा, आप लोगों को उत्तर भी मिलेगा

(श्री अध्यक्ष)
और लिखने में भी सहूलियत रहेगी। मैं बार-बार एक बात कहता जा रहा हूं एक-एक माननीय सदस्य बोलें। आप लोग सुनते ही नहीं हैं। अव्वल तो आपको हर प्रश्न पर सप्लीमेन्ट्री पूछना ही नहीं चाहिये कोई महत्वपूर्ण जानकारी करनी हो तो माननीय सदस्यों को सप्लीमेन्ट्री करना चाहिये और यह जरूरी भी नहीं है कि हर सप्लीमेन्ट्री का जवाब दिया जावे। आपको हाउस में डेकोरम रखना चाहिये। आसन की तरफ से कोई आदेश आवे उसकी ओर ध्यान नहीं देना बेजा बात है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी !

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक तत्वों के कारण दंगे होते हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा ध्यान रखने पर इनको दूर किया जा सकता है। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर काफी विजीलेन्ट है। अब जब कभी कोई दंगा हो तो किस वक्त, किसने, कहां-कहां कौनसी साम्प्रदायिकता की भावना फ्लेयर्ड की यह उस वक्त पता लगाना कठिन होता है लेकिन इस बारे में राज्य सरकार काफी विजीलेन्ट रहती है। इसके अलावा गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया टाइम-टू-टाइम डाइरेक्शन्स देती रहती है स्टेट गवर्नमेन्ट को जिससे कि यह दंगे नहीं हों। चूंकि राज्य सरकार इस ओर काफी विजीलेन्ट है और उसी विजीलेन्ट होने के परिणामस्वरूप आज हमारे राजस्थान में दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा हिन्दू-मुस्लिम दंगे होने की स्थिति कम उभरती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मीठालाल !

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

इन्दिरा महाविद्यालय गंगापुर सिटी को मान्यता

189. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) स्थित इन्दिरा महाविद्यालय को मान्यता देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य विश्वविद्यालय का है। ने विश्वविद्यालय महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण इसे मान्यता नहीं दी है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी में महाविद्यालय के लिये जनता ने काफी पैसा इकट्ठा किया है। उस पैसे से कॉलेज चला। अब आप यह आदेश दे दीजिये की कॉलेज की कमी पूरी होने पर मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मान्यता देने का प्रश्न है युनिवर्सिटी से सम्बन्ध है। युनिवर्सिटी अपने इन्सपेक्टर्स भेजकर जांच करवाती है। हम तो रिकमण्ड करते हैं और इसको भी रिकमण्ड कर सकते हैं लेकिन उनका कहना है वे तनख्वाह नहीं चुका सकेंगे, उनके पास लाईब्रेरी नहीं

(शिक्षा मन्त्री)

है, उनके पास फर्नीचर नहीं है, उनके पास भवन नहीं है। ये सब चीजें नहीं हैं तो कैसे मान्यता दी जा सकती है। इन कमियों की पहले पूर्ति कीजिये और इसके बाद फिर से तशरीफ लाइये, मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं।

श्री मीठालाल : क्या अध्यक्ष महोदय, मान्यता का आश्वासन दे दिया गया था। मान्यता नहीं देने के कारण इतना झगड़ा हो रहा है कि भविष्य अन्धकारमय है। और इस कारण····

श्री चेतराम (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि कॉलेज को मान्यता देने के लिये राज्य सरकार ने पहले रिकमण्ड कर दिया था, राजस्थान युनिवर्सिटी ने अपने इन्सपेक्टर्स के द्वारा जांच करवाई थी और उसने अपनी रिपोर्ट पक्ष में दी थी लेकिन राज्य सरकार ने किन्हीं कारणों से उसकी सिफारिश को नहीं माना राज्य सरकार ने विथड्रा कर लिया ? मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय इसकी जांच करवायें। राज्य सरकार ने इसको विथड्रा किया है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसमें मेरा यही निवेदन है जब आप सारी कमियों की पूर्ति कर देंगे तो हम विश्वविद्यालय को रिकमण्ड कर देंगे और जैसा कि आपने कहा वहां का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है, यह नहीं रहेगा। आप कहते हैं जनता को विश्वास नहीं रहा तो असेम्बली की यह प्रोसीडिंग ले जाइये और उनको सुना दीजिये। जब वे चन्दा दे देंगे तो निश्चित रूप से अगले सत्र में फिर राज्य सरकार रिकमण्ड कर देगी और विश्वविद्यालय द्वारा जांच हो जायगी। जहां तक टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं इस बारे में निश्चित रूप से बात करूंगा। जो मेरे पास इनफॉर्मेशन है उसमें यही है कि हमने यहां से रिकमण्ड किया था लेकिन उन्होंने कहा इनके पास फर्नीचर नहीं है, उन्होंने कहा, लायब्रेरी नहीं है, उन्होंने कहा भवन उपयुक्त नहीं है। इसलिये इन्सपेक्टर की जांच के आधार पर मान्यता नहीं मिली है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, भवन उपयुक्त नहीं है, यह हम मानते हैं लेकिन शुरू-शुरू में चलाने के लिये जो फण्ड इकट्ठा किया था उसमें यह निश्चित रूप से आश्वासन दे चुके हैं कि हम भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भानुकुमार शास्त्री !

उदयपुर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए एकत्रित धनराशि

190. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाकिस्तान के आक्रमण के अवसर पर सन् 1965 में उदयपुर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये नागरिकों की एक समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(2) उक्त नागरिक समिति द्वारा या अन्य ऐजेन्सी द्वारा उदयपुर जिला राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कितनी धनराशि व कितना स्वर्ण एकत्रित किया गया ? इसका विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दाताओं से धन लेकर उन्हें जिलाधीश द्वारा हस्ताक्षरित रसीदें दी गईं तथा वह धनराशि राजकीय कोष में जमा नहीं है ? उन दाताओं की सूची मय उनके द्वारा दी गई राशि का विवरण दर्शाते हुये सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां, गठित समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(3) जी नहीं, रकम ली गई हो व राजकीय कोष में जमा नहीं कराई गई हो ऐसा कोई मामला नहीं पाया जाता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गई है और जो सूचना दी गई है, यह गलत है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका भी पूरा उत्तर नहीं है। प्रश्न दो में मैंने यह पूछा है, नागरिक समिति द्वारा या अन्य एजेन्सी द्वारा उदयपुर जिला राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कितनी धनराशि व कितना स्वर्ण एकत्रित किया गया ? तो जवाब मिला शून्य। मैं उदयपुर के कलेक्टर का पत्र आपके सामने रखना चाहता हूं वह है दो जून, 1965 कलेक्टर वी/यू. एन.डी.। ...

श्री अध्यक्ष : इसकी ओरीजनल कापी है क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : ओरीजनल।

श्री खेतसिंह : ओरीजनल आप कैसे ले आये ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : जहन्नुम से ले आया। इसकी आप जांच करिये।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आपने जहन्नुम में स्थान कहां से बनाया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जहन्नुम में माननीय मंत्री जी को पूछने गये थे वहां यह पत्र मिल गया।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : ....(अश्रव्य) .... लेकिन दो जून, 1965 का पत्र है। उसमें उन्होंने लिखा है, 2615 ग्राम सोना पाया गया। अब माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया शून्य नम्बर 1, दूसरी बात ओरीजनल कॉपी मेरे पास है जिसमें से मैं नाम पढ़ कर सुना सकता हूं। उन्होंने पैसे दिये हैं, रसीदें उनके पास हैं—कलेक्टर की दी हुई हैं और आप कहते हैं कि आपके पास पैसे जमा नहीं हैं। और इस प्रकार का प्रश्न सदन में रखा है इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा यह 5-7 लाख का घोटाला है

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
और राजकीय सुरक्षा कोष में गबन का मामला है। सोना भी जो कलेक्ट किया गया है वह ट्रेजरी में नहीं है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : फाइल भी कलेक्टर की है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : फाइल कलेक्टर की नहीं है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी....

श्री अध्यक्ष : हर एक को आज्ञा देना जरूरी नहीं है और न आपका लेना भी जरूरी है। हर एक प्रश्न के लिये इस प्रकार से आज्ञा मांगी जाय तो....

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह सुरक्षा कोष का झगड़ा है। नागौर जिले में लाडनूं में कई सरपंच सुरक्षा कोष की रकम खा गये हैं और अब उनसे रकम वसूल नहीं हो रही है। क्या यह मन्त्री महोदय के ध्यान में है ? अगर है, तो क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : अब उनको क्या मालूम ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने कहा, प्रश्न दो का पूरा उत्तर नहीं आया है तो इसमें मैंने यह कहा है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अगर आपको उपलब्ध नहीं हुई है तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। प्रश्न के तीसरे भाग में मैंने स्पष्ट लिखा है, रकम ली गई हो और राजकीय कोष में जमा नहीं कराई गई हो, ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया। अगर आप कोई स्पेसिफिक उदाहरण बता दें और रकम देने वाला कह दे कि रकम दे दी गई है, ऐसा कोई मामला है तो उसकी जांच करा ली जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में, सुरक्षा कोष के लिये जो राशि इकट्ठी की गई थी उसके लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने ही चन्दा एकत्रित करने का काम किया था और जिन्होंने आश्वासन दे दिया था कि इतना रुपया दे देंगे, उस आश्वासन के बदले रसीद दे दी गई थी किन्तु उसका रुपया अभी तक नहीं आ पाया है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कैसे समझा जाय जब कोई व्यक्ति रसीद काटकर देता है तो उसके बदले पैसा तो आता ही है। यह तो डिफेन्स वाला एक मामला बना लिया है ...

श्री हरिदेव जोशी : मै निवेदन कर दूं, पोजीशन यह है कि सारी चीजों का काफी डिटेल में एन्क्वायर किया है। पोजीशन यह है कि जो कलेक्शन के लिए निकले तो कई जगह रास्ते में लोग मिल गये और कह गये इतना रुपया दे देंगे, आश्वासन दे दिया। ऐसे 24 नाम हैं जिनमें 24 व्यक्तियों को रसीदें दे दी गई हैं लेकिन उनका पैसा अभी तक नहीं आया है। कलेक्टर के हस्ताक्षर से चन्दे की रसीदें उन्हें दे दी गई और उन लोगों ने पैसे अभी तक जमा नहीं कराये। जब विगत में गये तो मालूम पड़ा इतने पैसे लोगों में बकाया निकलते हैं। उनसे बार-बार कहा गया कि

(श्री हरिदेव जोशी)
सुरक्षा कोष के पैसे जमा करायें तो बाद में उन्होंने बताया कि हमको रसीदें दे गई थीं लेकिन अब हम पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं और उनसे इस प्रकार का लिखा भी लिया गया है। 24 लोगों की बात है। रसीद संख्या हैं, इन सारे लोगों में 25,877 रुपया होता है यह सारे लोग हैं जिनके नाम पर रसीदें काटी हुई हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तथ्यों से परे है कि आपने रसीद दे दी और उन्होंने पैसा नहीं दिया क्योंकि उन व्यक्तियों ने इन्कम टैक्स में अपने रिटर्न्स पेश करते हुए एग्जम्पशन लिया है और आप कहते हैं उन्होंने पेश नहीं किया। इतना कहना आपके लिए पर्याप्त हो जायेगा।

दूसरे यह है कि आपने कहा कि सदन के पटल पर हमने सूची रखी है तो क्या बलवन्तसिंह जी मेहता एक और दूसरी कमेटी जिसका आपने जिक्र ही नहीं किया उसके चेयरमैन थे। इसका आपने उल्लेख ही नहीं किया और श्री गिरधारीलाल जी उसके सेक्रेटरी थे। आपने एक कमेटी का उल्लेख करके सारे उद्धरण उसके दे दिये और जिस कमेटी के श्री बलवन्तसिंह जी मेहता चेयरमैन थे और भी उसके सदस्य थे उनका उल्लेख करने के अन्दर आप झिझक रहे हैं। उसमें से सोना गायब है। मेरा ऐसा विचार है कि उसकी आपके पास रिपोर्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसकी आप जांच करायें और इन्कम टैक्स के रिटर्न्स में लोगों ने शो किया है और एग्जम्पशन लिया है। आप तो 24 नामों की बात बता रहे हैं मैं मुख्य मन्त्री जी को चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि मैं उनको 30 के नाम बता दूं। आप 25 हजार बता दीजिए और मैं 26 हजार बता देता हूँ और उनके नाम हैं जिनको कलेक्टर के दस्तखत करके रसीद दी गई है।

श्री हरिदेव जोशी : अब आप मुझ से सुन लें तो निवेदन कर दूं। अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य मुझे दिये गये हैं वह इसलिए मैं इसे ही अधिकृत मानता हूँ क्योंकि जिलाधीश के द्वारा ही जाँच कराई गई है और उन्होंने ही कहा हैं। बलवन्तसिंह जी मेहता दिनांक 31-7-67 को हुई मीटिंग में उपस्थित थे जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बलवन्तसिंह जी मेहता इसी में थे और यदि किसी प्रकार से कोई दूसरी कमेटी कायम की गई हो और उसको कोई डिटेल हों तो मेरे पास जो डिटेल हैं उसी के आधार पर मैं सूचना दे रहा हूं। आप मेरे साथ बैठ जाइये और मैं इस सारी चीज को री-नोवो फिर से इन्क्वायर करा कर आपको दे सकता हूँ। There is nothing to hide.

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इन्कम टैक्स से एग्जम्पशन लिया है····

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह कमेटी सुखाड़िया जी के समय में बनी थी।····

श्री हरिदेव जोशी : जो आपने पाकिस्तान एग्रेशन की बात भी पूछी है और इसके अलावा है। मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि बलवन्तसिंह जी की कमेटी 1962 में बनी थी। इसमें कुछ वैरीएशन हो सकते हैं। फैक्ट्स बिल्कुल सामने आ सकते हैं। इस चीज को देख लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 1962 में कमेटी बनी थी और वही कमेटी 1965 में बनी।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने स्पष्ट पूछा है। मैंने 1965 का नाम लिया है और उसमें जो कमेटी बनी थी वह विद्यापीठ के अन्दर कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अन्दर हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे और श्री बलवन्तसिंह जी मेहता उसके चेयरमैन चुने गये थे और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेरे पास तथ्य हैं आप इन्क्वायरी नियुक्त कीजिए पैसों का गबन और घोटाला है। आप जांच करायें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि चाईनीज एग्रेशन के समय कई प्रकार की कमेटियां बनाई गई लेकिन उसके बाद में कई लोगों की शिकायतें आई इसलिए 1962-63 के अन्दर कमेटी बनाई गई थी और उसके चेयरमैन कलेक्टर थे उसमें अगर आपके पास में कोई तथ्य हों तो मैं इसके क्लोज नहीं मानता। आप मुझे तथ्य दे दीजिए मैं फिर से जांच करा लूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जिन 25 आदमियों ने पैसा नहीं दिया और उन्होंने अपने रिटर्न्स में इन्कम टैक्स से इसका एग्जम्पशन कराया है यदि एग्जम्पशन साबित होता है आपकी दृष्टि में तो इसकी इन्क्वायरी कराई जाये और उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का मूव आपकी ओर से होना चाहिए था।

श्री हरिदेव जोशी : वह मूव निश्चित है। जो उल्लेख दिया है उसमें साफ है कि उक्त रसीद के आधार पर उसकी कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है। यह टेस्टीफाई किया है गवर्नमेन्ट ने, और स्पष्ट है कि इसमें मिसयूज नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्य के पास 24 आदमियों में से जहां यह सर्टीफाई किया है कि उन्होंने पैसे नहीं दिये और इन्कम टैक्स में भी शो नहीं किया है और इस प्रकार की कोई चीज है तो सर्टीफिकेट देने वाला आदमी गुनहगार है और उसने गवर्नमेन्ट को चीट किया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप 24 नाम बता रहे हैं मैं तो आपको 30 नाम दे दूं। श्री गिरधारीलाल जी शर्मा जो कि कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं ...

श्री हरिदेव जोशी : वह कांग्रेस के सेक्रेटरी नहीं हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सुरक्षा कोष इकट्ठा करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके सेक्रेटरी थे।

श्री हरिदेव जोशी : अभी तो आप कांग्रेस के सेक्रेटरी कह रहे थे। मुझे जो तथ्य कहे हैं माननीय सदस्य ने उनको बतायें और गवर्नमेन्ट को लिखें तो गवर्नमेन्ट उनकी जांच करवा लेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं कहता हूं कि आप इन्क्वायरी कीजिए, कई मुद्दे आपके सामने आ जायेंगे। आप इन्क्वायरी करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जवाब भी शुरू हो गया है।

कोटपूतली में डिग्री कॉलेज

191. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार किन-किन डिग्री कॉलेजों को आगामी सत्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली डिग्री कॉलेज छात्र संख्या व अन्य बातों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमोन्नत के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) राज्य सरकार ने इस पर अभी निर्णय नहीं लिया है।

(2) यह सही नहीं है। वैसे भी केवल छात्र संख्या की दृष्टि से कोटपूतली डिग्री कॉलेज का दूसरा स्थान है। क्रमोन्नत करते समय केवल छात्र संख्या ही नहीं देखी जाती वरन् अन्य बातें भी देखी जाती हैं जैसे आस-पास के विद्यालयों की संख्या, अन्य कॉलेज की दूरी, भवन की व्यवस्था, स्थानीय आबादी जिले में अन्य शैक्षणिक सुविधायें आदि को भी ध्यान में रखा जाता है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : यह जो सारी सुविधायें हैं यह सब कोटपूतली में मौजूद हैं और क्या यह सही है कि पिछले शिक्षा मंत्री जी आये तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भी कोई कॉलेज क्रमोन्नत किया जायेगा तो कोटपूतली को सबसे पहले लिया जायेगा ? आपने तो बिल्कुल ही जवाब बदल दिया।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य आश्वासन एक्सट्रेक्ट करने की कोशिश नहीं करें क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है क्रमोन्नत करने की।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : जब भी क्रमोन्नत किये जायें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन यह है कि वह समय नहीं आया है। अभी आश्वासन देना ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: समय पर याद दिलाइयेगा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : हर कॉलेज के मामले में स्वीकृति दे देते हैं लेकिन इस कॉलेज के लिए नहीं देते हैं।...

श्री अध्यक्ष : कह दिया कि वक्त पर याद दिलाइयेगा।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजगढ़ (अलवर) में मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज का स्कोप

182. श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में सबसे अधिक खनिज सम्पदा तहसील राजगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में निकाली जाती है ?

(श्री हरिकिशन)

(2) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग द्वारा भेजी गई सर्वेक्षण टीम की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कस्बा राजगढ़ में मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज (उद्योग) लगाये जाने का काफी स्कोप है ?

(3) क्या यह सही है कि राजगढ़ कस्बे में सर्वेक्षण रिपोर्ट में जनता की मांग पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो सरकार कब तक औद्योगिक क्षेत्र कायम करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

कोटा जिले में नये थाने

186. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिले में नये थाने खोलने के लिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान पुलिस ढांचे, में जिसमें पुलिस स्टेशन भी शामिल है, में सुधार करने हेतु गठित कमेटी की सिफारिशों को गत वर्ष सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। कोटा जिले में निम्न थाने सृजित करने हेतु कमेटी ने सिफारिश की है.—

(1) थाना कैथूनी पोल

(2) थाना सीसवाली

(3) थाना मोड़क

(4) थाना कवाई

(5) थाना कुनाड़ी

(6) थाना केलवाड़ा

(7) थाना उद्योग नगर

थाना उद्योग नगर गत वर्ष स्थापित किया जा चुका है। पुलिस चौकियां कैथूनी पोल, सीसवाली, मोड़क तथा कवाई को पुलिस थानों में परिवर्तित करने तथा कुनाड़ी एवं केलवाड़ा में नये थाने सृजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

88. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में पिछले 5 सालों में कितने मुकदमें (1) दीवानी, (2) फौजदारी, (3) विविध दर्ज हुए हैं ? आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ जयपुर में

(श्री चेतराम)
स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

	1970	1971	1972	1973	1974
(1)					
दीवानी	4197	4842	4844	4306	6747
फौजदारी	1969	2538	1996	1775	7079
विविध	4195	4615	4638	3991	6448

(2) यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

89. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां किन-किन श्रेणी के शिक्षकों की जिलेवार हैं एवं किन-किन श्रेणियों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां पूरे राज्य की हैं ?

(2) सैकेण्डरी स्कूलों, हायर सैकेण्डरी स्कूलों, शिक्षा निरीक्षकों की क्या वरिष्ठता सूचियां बन चुकी हैं ? यदि हां, तो इन सूचियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) शिक्षा विभाग में शिक्षा निरीक्षकों से ऊपर के दर्जे के कितने अधिकारी हैं ? उनकी सूची वरिष्ठता के आधार पर बना कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर का आमद खर्च का हिसाब

90. श्री निरञ्जननाथ आचार्य (मावली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर ने दिसम्बर, 1966 से दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्षों की अवधि में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आमद खर्चे के हिसाब से कन्ट्रीब्यूशन आर्गेनाइजेशन फण्ड एवं 2 अक्टूबर सेलीब्रेशन्स के अलग-अलग मदों पर कितना खर्च होना अंकित किया गया है ?

कृपया प्रत्येक वर्ष के खर्चे की विगत एवं उसके सपोटिंग वाउचर्स सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें :

(स्थगित किया गया)

राज्य परिवहन की बसें

91. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य परिवहन की बसें अस्सी प्रतिशत के करीब समय पर नहीं चलती हैं ? यदि नहीं, तो बीकानेर से जयपुर, जयपुर से बीकानेर तथा बीकानेर से चूरू व चुरू से बीकानेर तथा बीकानेर से सीकर व सीकर से बीकानेर व बीकानेर से रतनगढ़ तथा रतनगढ़ से बीकानेर व बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ व डूंगरगढ़ से बीकानेर चलने वाली बसों का 1 जुलाई,

Page No 24

(२५)

(श्री लूणाराम)
2 अगस्त, 3 सितम्बर, 4 अक्टूबर, 5 नवम्बर, 6 दिसम्बर व 7 जनवरी को कहां-कहां से किस-किस समय रवाना होकर कहां-कहां किस-किस समय पहुंचना था और किस-किस समय पहुंची ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

औषधालय खोलने का आधार

92. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1973-1974 एवं 1974-1975 वर्ष में विभिन्न जिलों में कितने औषधालय किस आधार पर खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या औषधालय खोलने में रेगिस्तानी पिछड़े और बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर जिलों का विशेष ध्यान रखा जाता है ?

उत्तर

वर्ष 1973-1974 में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया है।

वर्ष 1974-1975 में 23 नवीन औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। सूची संलग्न है। औषधालय खोलने का आधार सामान्यतः उपयुक्त भवन बनवाना, जन संख्या अन्य चिकित्सा सुविधा से दूरी आदि है।

जी हां। वर्ष 1974-1975 में बीकानेर, गंगानगर व बाड़मेर में औषधालय खोले गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

ग्राम बनेटी जल प्रदाय योजना

93. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील की बनेटी ग्राम की जल प्रदाय योजना का कार्य कब शुरू किया गया था ? क्या यह योजना पूरी हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में लगा हुआ डीजल इन्जिन काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से कार्य पूरा होने के बावजूद पानी नहीं दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील की बनेटी ग्राम की जल प्रदाय योजना का कार्य जून, 1971 में शुरू किया गया था एवं इस योजना पर दिनांक 7-1-1975 से जल वितरण चालू कर दिया गया था।

लेकिन दिनांक 12-1-1975 को पम्प का बियरिंग टूट जाने के कारण बीच में बन्द हो गई, अब पम्प ठीक कर दिया गया है तथा योजना से पानी वितरण दिनांक 16-2-1975 से सार्वजनिक नलों द्वारा पुनः शुरू कर दिया गया है।

(2) डीजल एंजिन सही कार्य कर रहा है लेकिन पम्प को पूरी ताकत से चलाने के लिए गीयर हैड ड्राइव की आवश्यकता है जिसे खरीदने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

Page No 25

(25)

टाटगढ़ एवं जवाजा में पेयजल की व्यवस्था

94. श्री केसरीमल (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जवाजा में सिर्फ दो स्थानों पर टाटगढ़ एवं जवाजा में पेय जल वितरण की व्यवस्था पंचायत द्वारा की गई है ? क्या इन दोनों ही स्थानों पर जल वितरण योजना ठीक प्रकार से कार्य कर रही है ? यदि नहीं तो राज्य सरकार ने व्यवस्था सुधारने के लिये क्या किया ?

(2) क्या जन स्वास्थ्य विभाग इन दोनों ही जल वितरण योजनाओं को अपने विभागाधीन लेने जा रही है जिसके लिए जनता बार-बार मांग कर रही है ? यदि हां तो कब से इन योजनाओं को विभाग अपने अधीन ले लेगा।

उत्तर

(1) यह सही है कि पंचायत समिति, जवाजा में दो स्थानों टाटगढ़ एवं जवाजा में पेय जल वितरण व्यवस्था पंचायत के पास है। जवाजा पेय जल वितरण व्यवस्था स्थानीय पंचायत द्वारा काफी लम्बे समय से बन्द पड़ी है। टाटगढ़ में स्थानीय पंचायत द्वारा पेय जल वितरण वर्तमान में भी किया जा रहा है किन्तु यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं है जैसा कि सरपंच, ग्राम पंचायत ने इस विभाग की जल वितरण व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिये निवेदन करते हुये सूचित किया है।

(2) यह सही है उपरोक्त दोनों स्थानों की जल वितरण की योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा अधिग्रहण करने हेतु स्थानीय पंचायत ने निवेदन किया है एवं यह मामला विचाराधीन है।

जसरासर की जल प्रदाय योजना

95. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू तहसील में जसरासर जल-योजना में क्या प्रगति हुई है ?

(2) यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जसरासर के अन्तर्गत 12, भूतल पर जलाशय बनाये गये हैं व कुछ पाइप प्राप्त किये गये हैं। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के लिए जल स्रोत तय न होने के कारण कार्य की प्रगति रुकी हुई है।

(2) योजना के लिये उचित जल स्रोत मिलने के उपरान्त ही योजना पूरी की जा सकेगी।

जिला झालावाड़ की सड़कों के लिए स्वीकृत धनराशि

96. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ की सड़कों की मेंटीनेंस आदि हेतु वर्ष 1973-74

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
और 1974-75 में कितनी कितनी रकम दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि 1974-75 वर्ष के फ्लड के कारण झालावाड़ की सड़कें और पुल आदि क्षतिग्रस्त हुई फिर भी मरम्मत हेतु कोई धन राशि नहीं दी गई ? जब कि ऐसी ही स्थिति में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर. जिलों को रकम दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि बून्दी में सड़कें 350 किलो मीटर व झालावाड़ में 750 किलो मीटर सड़कें हैं ? फिर भी बून्दी को अभी सड़कों की मरम्मत हेतु मेंटीनेंस के अलावा धनराशि आवन्टित की गई जबकि झालावाड़ को कुछ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो झालावाड़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि अधीक्षक अभियन्ता कोटा, द्वारा उपरोक्त अतिरिक्त धनराशि अपनी मरजी से जहां चाहे वहां दी गई है ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ की सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 1973-74 में 18 लाख तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलों के लिए 25 लाख तथा वर्ष 1974-75 में मरम्मत धनराशि 18 लाख तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 10 लाख रुपया दिया गया है ।

(2) सन् 1974-75 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत हेतु 10 लाख रुपया आवण्टित किया गया है ।

(3) बून्दी जिले में सड़कों की लंबाई 429 किलोमीटर और झालावाड़ जिले में 725 किलोमीटर है । बून्दी जिले को मरम्मत के अतिरिक्त अन्य मद से मरम्मत हेतु धनराशि नहीं दी गई हैं, जबकि झालावाड़ जिले को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु 10 लाख रुपया दिया गया हैं ।

(4) अधीक्षण अभियन्ता, कोटा ने मरम्मत धनराशि का वितरण सड़कों की दशा एवम् आवश्यकतानुसार किया है ।

छीतोली बांध से सिंचाई

97. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विराटनगर के छीतोली बांध से कोटपूतली तहसील के ठीकरिया तुलसीपुरा ग्राम की जमीन की सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नहर के रेतीली होने के कारण काफी पानी खराब हो जाता है और पानी का झगड़ा रहता है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त नहर को पक्की करने की योजना विभाग ने बनाई है ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्चा किया जावेगा और उस पर कब तक काम शुरू किया जावेगा ?

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि इस नहर पर ठीकरिया के पास एक पुल बनाया गया था ? यदि हां, तो यह पुल किस साल बनाया गया और इस पर क्या खर्चा किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि इस पुल का ठेका विभाग में काम करने वाले कर्मचारी के रिश्तेदार को दिया गया था और पुल बनने के कुछ माह बाद ही टूट गया ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई और पुल कब तक बनाया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। रेतीली मिट्टी में से होकर गुजरने के कारण पानी का काफी नुकसान होता है और सिंचाई के वितरण में भी दिक्कत आती है।

(3) जी हां। इस नहर को कवर्ड लाईनिंग कराने का एक तखमीना रुपये 2.00 लाख का बनाया गया है वर्ष 1975-76 में राशि उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ कराया जा सकेगा।

(4) जी हां। छोटा एक्वाडक्ट सन् 58-59 में बनाया गया था जिसकी लागत करीब 12,000/- रुपये थी।

(5) जी नहीं, इस पुराने कार्य के ठेकेदार का किसी सिंचाई विभाग के कर्मचारी से सम्बन्ध का अब पता लगाना सम्भव नहीं है। एक्वाडक्ट बनने के बाद सन् 1970-71 व 1972-73 में क्षतिग्रस्त हुआ इसकी मरम्मत अगले वित्तीय वर्ष में कर दी जायेगी।

राजस्थान नहर परियोजना पर पानी की सप्लाई के ठेके

98. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर परियोजना एवं लिफ्ट परियोजना में 1 अप्रेल, 70 से 31 मार्च, 1974 तक पानी सप्लाई के ठेके दिये गये थे ? यदि हां, तो कब 2, किस 2 को, किन 2 दरों में कितनी 2 सप्लाई के लिए ? सूची राजस्थान नहर परियोजना एवं लिफ्ट की अलग 2 सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उपरोक्त अवधि में पानी के ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले पानी का पूरा चुकारा कर दिया गया है या कोई बकाया भी शेष है ? नामों व बकाया रकम तथा कार्य किये जाने की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या सरकार पानी की सप्लाई जो 1 अप्रेल, 70 से 31 मार्च, 74 तक की अवधि में की जाने में किसी ठेकेदार को दोषी भी मानती है ? यदि हां, तो किस किस को किन किन कार्यों के अभाव में क्यों और किसलिए ? सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां, 1 अप्रेल, 1970 से 31 मार्च 1974 तक दिये गये पानी के ठेकों की राजस्थान नहर परियोजना एवं लिफ्ट परियोजना की अलग 2 सूची संलग्न है।

Page No 28

(58)

(सिंचाई मन्त्री)

(2) जी हां, कुछ ठेकेदारों का बकाया शेष है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां, दोषी ठेकेदारों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला झालावाड़ में सिंचाई योजना के अधूरे कार्य

99. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के ग्राम राजपुरा (पं.स., बकानी) व सामरिया (पं. स., पिडावा व असनावर) के अलावा (पं सं. झालरापाटन) की लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो कब से ? इन योजनाओं पर अलग अलग विभाग द्वारा कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ? सूची देने का कष्ट करें।

(2) अब उक्त कार्यों को पूरा कराने में कितना रुपया और खर्च होगा ? कृपया सूची देने की कृपा करें।

(3) उक्त योजनाओं के कार्य चालू हो जाने पर कितनी कितनी जमीनों की सिंचाई हो सकेगी ? कृपया सूची देने का कष्ट करें।

(4) उक्त कार्यों को कब तक पूरा कराने का राज्य सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) राजपुरा तथा सामरिया लिफ्ट सिंचाई योजना, सन् 1972 से अपूर्ण स्थिति में है जिन पर क्रमशः 0.25 तथा 1.31 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। असनावर नाम की कोई लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ नहीं हुई है।

(2) राजपुरा तथा सामरिया लिफ्ट योजना से क्रमशः 320 तथा 412 एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी।

(3) राजपुरा तथा सामरिया लिफ्ट योजना को पूरा करने के लिये क्रमशः 4.18 तथा 2-20 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी।

(4) उक्त दोनों अधूरी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को लिफ्ट सहकारी समितियों के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

100. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य के आई.ए.एस., आर.ए.एस., आर.एसी.एस., आई.पी.एस. आर. पी. एस. व अन्य विभागों के अधिकारियों की वरिष्ठता सूचियां तारीख 1-1-75 की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान राज्य में रिटायरमेन्ट एज प्राप्त कितने आई.ए.एस., आर.ए.एस. आई. पी.एस. आर. पी. एस., और आर. एसी. एस., अधिकारी राज्य सरकार की

(श्री रामसिंह कुड़ी)

या राज्य सरकार कार्पोरेशन आदि संस्थानों में ता. 1-1-74 से या उसके बाद में पुन: नौकरी पर लगाये गये हैं ? अधिकारियों के नाम एवं पद व मौजूदा वेतन के विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के आई.ए.एस., आर.ए.एस., आर.एसी.एस., आई.पी.एस., आर.पी.एस. के अधिकारियों की उपलब्ध वरिष्ठता सूचियां संलग्न हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे एक आई.पी.एस. अधिकारी थे। तालिका संलग्न है जो सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड में औद्योगिक प्रोजेक्ट

101. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ में औद्योगिक प्रोजेक्ट खोला गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) इस क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा कितनी धनराशि खर्च करने की योजना है और कितने साल में ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मामले में अभी तक कोई प्रगति नजर नहीं आती ?

(4) डिप्टी डाइरेक्टर्स के कार्यालय खुलने के बाद—

1. कितने उद्योग किन किन के पंजीकृत किये गये ?

2. कितने और किन किन को कितना कितना लोन दिया गया ?

3. इस वक्त कितने और किस किस के केस उद्योग खोलने हेतु पैंडिंग हैं। कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1973-74 में।

(2) व (3) यह केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना है जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए स्वीकृत की गई है। इस वित्तीय वर्ष में 1,91,350 रुपये का प्रावधान है। भविष्य में कितना प्रावधान रखा जायगा यह भारत सरकार पर निर्भर है जिसकी जानकारी इस समय देना संभव नहीं है। जी नहीं। योजना के प्रथम वर्ष में सर्वेक्षण का प्रावधान था और परियोजना द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(4) 1. 138 उद्योग पंजीकृत किये गये जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. ऋण वितरण करने की स्वीकृति जनवरी में हुई है और अब इसके वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

(उद्योग मन्त्री)

3. इस समय उद्योग खोलने के संवन्ध में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रसारित आदेश

102. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अधीन राज्य सरकार ने अब तक किन किन वस्तुओं के संबंध में कब कब कौन कौनसे आदेश अथवा आज्ञा प्रसारित की है ? इसकी एक विवरण तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें--तथा गत 2 साल की इन आदेशों एवं आज्ञाओं की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से गांव शिवपुरी तहसील विजयनगर में धन्ना भील व उसकी पत्नी के भूख से मर जाने के विषय में। इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा,

2. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान मुख्य नहर से घग्घर की 18 झीलों में पानी छोड़े जाने से करीब 18 हजार एकड़ भूमि पानी में डूब जाने के विषय में,

3. सर्वश्री भोमाराम चौधरी, मूलचन्द सामरिया, रामसिंह कुड़ी, लक्ष्मीनारायण व प्रतापसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य में विशेष तौर पर नांवा तहसील कुचामन सिटी तथा नांवा के पांचवे सर्किल में गत 15 रोज से बिजली नहीं आ रही है, इस विषय में,

4. श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा को ओर से ग्राम डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में सेकेन्डरी स्कूल के विद्यार्थियों की गत 4 दिनों से हो रही हड़ताल के विषय में,

5. श्री मालाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सब-डिवीजन नीम-का-थाना सीकर में कुओं पर बिजली लगाने के लिये तहसीलदार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी न करने के विषय में,

6. श्री बेगाराम चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील रायसिंहनगर और पदमपुर में ट्यूब वैल और हरिजन बस्तियों को कनेक्शन देने के विषय में,

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के उपभोक्ताओं को फरवरी माह की चीनी न मिलने के विषय में।

ये सब स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय बांसवाड़ा के सात व्यक्तियों के भूख से मरने का मामला रखा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में समाचार दिये जाने के बाद में और राजस्थान के अन्दर अकाल के कारणों से भूख से त्राहि-त्राहि करके लोग मर रहे थे उसके बाद भी लोगों को अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। मुख्य मन्त्री जी ने उनके लिये संवेदना भी प्रगट नहीं की और न ही उन्होंने यह कहा कि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आयेगी। इन सात मौतों के बाद में विजयनगर तहसील के शिवपुरी गांव में धन्ना भील और उसकी पत्नि ने इस माह के अन्दर भूख से तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने के बाद उनके घर की तलाशी ली गई तो न तो धान ही मिला और न आटा और न कोई और चीज ही प्राप्त हुई। मरने से पहले पटवारी को इसकी सूचना दी गई कि अकाल राहत के कार्य चालू किये जायं, नहीं तो गांव में भुखमरी फैल जायगी। गांव वालों ने गांव के अन्दर कुछ धन इकट्ठा करने पन्द्रह-बीस रोज तक उनका भरण-पोषण किया और उसके बाद भिक्षा लेने की स्थिति आ गई। कुछ दिनों के बाद गांव वाले जब उनको भिक्षा भी नहीं दे सके तो उन्होंने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। धन्ना भील पहले मरा और कुछ दिन बाद उसकी पत्नि मर गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हन्गर डेथ्स एक के बाद एक होती जा रही हैं और राज्य सरकार की ओर से न तो इस ओर कोई ध्यान दिया गया है और न प्रबन्ध ही किया गया है। यह कितनी शोचनीय दशा है। अध्यक्ष महोदय, आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है वह जानकारी आ जायगी। परन्तु इसके लिये सत्ता पक्ष की ओर से जल्दी से जल्दी उपाय किये जाने चाहियें। वह क्या उपाय करने जा रही है। पहले जब इस प्रकार की घटना होती थी तो उसी समय कोग्नीजेन्स लिया जाता था और एक बार तो राज्यपाल महोदय भी वहां गये थे, और उन्होंने वहां जाकर रिपोर्ट भी दी थी। और उस पर पिछले सत्र में विचार भी किया गया था। सत्तारूढ़ दल की ओर से कम से कम इतना तो कहा जाना चाहिए कि अब किसी को भूख से नहीं मरने दिया जायगा। पहले ऐसा कहा गया था और उसके बाद भी आज भूख से तड़प-तड़प कर लोग मर रहे हैं और इस विषय में मुख्य मन्त्री जी किसी प्रकार का आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं कि किसी को भूख से नहीं मरने दिया जायगा। इस प्रकार की राज्य की यह कुव्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई इन्तजाम नहीं है, और राहत कार्य क्यों नहीं चालू किये गये, कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि विजयनगर तहसील के गांव शिवपुरी में धन्ना भील और उसकी पत्नि के जो भूख से मरने के समाचार मिले हैं, इन स्टार्वेशन डेथ्स को जो फेमिन रिलीफ मिनिस्टर हैं, जो फूड मिनिस्टर हैं उनको इमीजियेट कार्यवाही करनी चाहिए थी और कम से कम यह कहना चाहिए था कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और वह अगर इस तरह का आश्वासन देने में असमर्थ हैं तो इस पोर्टफोलियो को छोड़ कर वह त्यागपत्र दे दें और यह पोर्टफोलियो ऐसे किसी व्यक्ति को दें जिससे हन्गर डेथ्स का रिपीटीशन न होवे।

श्री मालाराम (नीम-का-थाना) : अध्यक्ष महोदय, 1954 में जागीरदारी खतम

(श्री मालाराम)
हो गई उस समय एक सौ बीघा जमीन पर एक काश्तकार खेती कर रहा था। वहां पर एक कुआ है उसमें बिजली लगानी है जिसके लिये वहां का तहसीलदार प्रमाण-पत्र नहीं दे रहा है। उससे जनता में भारी असन्तोष है। इसके वास्ते राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिया जावे कि सन् 1954 से जिसका कब्जा है उस जमीन के ऊपर और वहां कुआ था, वह कुआ तो जागीरदार का है और जमीन काश्त की है काश्तकार ने। लगान ले रही है गवर्नमेन्ट और कुआ जागीरदार का है। तो इसके लिये सरकार आदेश देवे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : मैंने जो घटना रखी है, अध्यक्ष महोदय, वह अपने आपके अन्दर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। एक ओर तो पानी की ज्यादती से राजस्थान नहर के बहुत से क्षेत्र पानी से डूब रहे हैं, फसलें तहस-नहस हो गई हैं और दूसरी ओर पानी के अभाव में उसी राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर बहुत सी फसलें सिसक-सिसक कर मर रही हैं। राजस्थान नहर की आर. डी. 196 से हजारों क्यूसेक पानी 18 झीलों में छोड़ा जाता है और बहुत सी फसल वेस्ट जाती है। इस समय उन 18 झीलों में 50 फीट पानी खड़ा हुआ है। घग्घर के पेटे में पांच हजार से अधिक क्यूसेक पानी खड़ा हो गया है और पौंग डेम में टी-2 का 17 हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान को जाता रहा है। दूसरी ओर 14 से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता है।

इनके पास के जो चक हैं उनका यह हाल हो रहा है। यह स्थिति आ गई है कि दंगा फसाद हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनके अन्दर पानी इतना अधिक है कि एक गांव के अन्दर तो गांव में पानी ही पानी है, पानी से डूब रहा है और उसके पड़ौस में 15 बी. एल. डी. पानी से डूब रहा है और 16 बी. एल. डी. में पानी की बूंद नहीं है। 17 बी. एल. डी. में पानी की बूंद नहीं है। 11 तारीख को, अध्यक्ष महोदय, पांच हजार किसानों ने एक्स. ई. एन., बी. एल. जैन का विजयनगर मण्डी के अन्दर घेराव किया और उससे यह मांग की कि आप अच्छी तरह से पानी का वितरण भी नहीं कर सकते हैं। दो आर. पी. एन. और तीन आर. पी. एन. में नहर नहीं खुद सकती क्योंकि उनके पास सैंक्शन नहीं है। उनको स्पेशल सैंक्शन चाहिए......

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: उसके अन्दर फिशिंग हो रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह 180 क्यूसेक की नहर में कमी, 150 से अधिक क्यूसेक पानी चला नहीं और उस नहर से दूसरी नहरों को पानी दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि इधर आप अभाव और अकाल की बात करते हैं और सारे राजस्थान के अन्दर आप अपनी मशीनरी को रीजनरेट करें।........

श्री अध्यक्ष: बहुत हो गया, अब समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: मैं मन्त्री महोदय को कहता हूं कि आज वहां पर हालत यह है कि एक आउटलेट लगाने की फीस दस हजार रुपये तक पहुंच चुकी है। मन्त्री महोदय आज एक-एक एक्स. ई. एन.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और एक-एक एस. डी. ओ. और उनके ओवरसियर किसानों से दस दस हजार रुपया चार्ज करते हैं। आउटलेट दस-दस फिट ऊंचा लगा देंगे और दो सौ, पांच सौ देने के ऊपर नीचे उतारते हैं। आखिर उनका विभाग एक राष्ट्रीय प्रश्न से जुड़ा हुआ विभाग है। ....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: अध्यक्ष महोदय, सारी का सारा राजस्थान केनाल के वाटर वितरण की व्यवस्था जिसमें लाखों आदमी इन्वोल्व्ड हैं जिसको आप ठीक नहीं रख सकते। मैं समझता हूं कि इसकी प्रोब की जावे, जांच करवाई जाय और जो अफसर पानी नहीं देने के लिए जिम्मेदार हों उनको इमीजियेटली सस्पेंड किया जाकर उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन किया जावे।

श्री केदारनाथ: मान्यवर, इस सम्बन्ध में ... ...

श्री बेगाराम (रायसिंह नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा मन्त्री महोदय को कि घग्घर में अनाप शनाप पानी पड़ा है और वहां के हरिजनों की जमीनें डूब गई हैं......

श्री अध्यक्ष : आपका मोशन है इस बारे में ?

श्री बेगाराम: इस विषय में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपने विषय में कहें।

श्री बेगाराम: इस विषय में दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कहिए।

श्री बेगाराम: तो मैं यह कह रहा था और मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हरिजनों की जमीनें घग्घर फ्लड में हजारों बीघा डूब गई और उनकी ट्रांसफर में जमीन, नहीं मिली हरिजन जिससे इधर-उधर भटक रहे हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेन केनाल में और सूरतगढ़ बेराज में जो हरिजनों को जमीनें दी गई हैं उनमें पांच-पांच साल हो गया अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। इस विषय में मैंने स्थगन प्रस्ताव भी रखा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जब घग्घर फ्लड में हरिजनों की जमीनें उजड़ गई, और हरिजनों को बेदखल कर दिया और न उनको जमीनें मिली और न उनका ट्रांसफर हुआ। मेन केनाल और सूरतगढ़ बेराज में हरिजनों को अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। पांच साल हो गए हैं हरिजन आखिर कहां बसेंगे। यह मैं अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हरिजनों के यहां जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ: इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता था......

श्री भोमाराम (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिजली की धांधली चल रही है, जो बिजली की लाइन जाती है, कुचामन से नांवा, नांवा से कुचेरा, हिरणा, भांवता व पलाना लेन उसमें जो लाईन जाती है उसमें 24-24 घण्टे कटौती करते हैं। आठ-आठ घण्टे तक उनको बिजली नहीं मिलती है।

Page No 34

(34)

(श्री भोमाराम)

उनको जो 16 घण्टे बिजली देनी चाहिए उसमें से करीब 3-3 घण्टे 2-2 घण्टे ही बिजली देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ की जमीन ऐसी है जिसमें छोटी 2 प्लॉट में बुवाई की जाती है। वहां पर टीबे हैं। समतल भी कुछ है लेकिन ज्यादातर धूला है। ज्योंहि पानी पहुंच जाता है पीछे से लाईन काट देते हैं फिर रात में पानी नहीं पहुँचता। हालांकि रात में पानी आने से दिक्कत होती है लेकिन हम तो यह भी कहते हैं कि अगर आपको रात को बिजली देनी है तो रात को ही देदें। रात में खड़े रह कर फसल को पानी पिला सकते हैं। लेकिन रात को भी यह हालत है कि कभी ढाई दिन, कभी पांच दिन बिजली नहीं मिलती। पेच उल्टे जोड़ दिये जाते हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि इसी फसल में 60 मोटरें किसानों की जल चुकी हैं जो कुचामन के कारखानों में सुधरने के लिए पड़ी हैं। साठ मोटरें बन्द हैं और पानी नहीं मिलने से काश्त बिल्कुल उजड़ रही है और जो लोग मनमानी करना चाहते हैं, यह मनमानी हर साल इसी फसल के मौके पर होती है। ज्योंहि फसल पकने लगती है और पानी की जरूरत होती है इस प्रकार की परेशानी हो जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके पीछे अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में खत्म करता हूं। मैंने तारीख 20 को भीलवाड़ा तहसील का पूर्ण विवरण भी रखा था और बताया था कि किस प्रकार से काश्तकारों की फसलें नष्ट हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, काश्तकार का एक इस किस्म का धन्धा है जो उधारी धन्धा है। एक ओर तो भगवान के भरोसे धन्धा करते हैं और अब दूसरा भगवान यह बिजली हो गया है। पिछले तीन साल से लगातार फसल नष्ट हो रही है और अब इस साल जब फसल होने का समय आया तो बिजली देते नहीं हैं। बिजली नहीं देने से फसल नष्ट हो रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस साल तो कम से कम हमें बिजली दे दें अगली साल हम आपके पास नहीं आयेंगे कि हमें पूरी बिजली दी जाय। जिस काश्तकार ने इस साल में बीस बीघा खेत बोया है हम अगले साल दस बीघा या पांच बीघा में ही काश्त करके अपना पेट भरेंगे। एक बीघा में, अध्यक्ष महोदय, एक मण बीज डाला जाता है और एक बीघा को, अध्यक्ष महोदय, नौ बार पानी दिया जाता है, चार बार जुताई की जाती है और जब जाकर कहीं सात आठ मण पर बीघा फसल होती है, यह ऐवरेज होता है। जिसमें एक बीघा में ज्यादा से ज्यादा कम से कम पानी से काम चलाते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, काफी हो गया है।

श्री भोमाराम : एक मिनिट, अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक मण बीघा का बीज पड़ता हो यह कभी सुना नहीं दुनियां में यह कौन सा बीज है।

श्री भोमाराम : हमारे कुचामन का 28 का तोल है आप गंगानगर की बात कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब समझ में आ गया।

श्री भोमाराम : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में पानी नहर से दिया जाता है, बड़े बड़े पम्प हैं, पाइप लाइन है हमारे यहां पर यह नहीं है। 10 इंच से ज्यादा पानी नहीं दिया जाता है और छोटे 2 काश्तकार दस दस बीघा में खेती करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

तो अध्यक्ष महोदय, काश्त बर्बाद होने का सवाल तो है लेकिन उनके साथ साथ हमारे जितने भी काश्तकार हैं वे कर्जदार हैं, उन्होंने वायदे कर रखे हैं कि फसल आएगी तो चुकायेंगे (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत देवपुराजी से, मैंने पहले भी उनसे अर्ज किया है और काश्तकारों का डेपुटेशन भी आया था और फिर मैं उनके बंगले पर जाकर उनसे निवेदन किया था और उन्होंने कहा था कि तुरन्त इन्तजाम कराऊंगा। आज हमारे यहां के कुचामन के काश्तकार आए हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यहां बिजली की व्यवस्था ठीक करवा दी जावे ...

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बी तकरीर हो गई।

श्री भोमाराम : एक मिनिट में खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका एक मिनिट कभी खत्म नहीं होगा। चार बार तो एक एक मिनिट कर बोल चुके हैं।

श्री भोमाराम : अध्यक्ष महोदय, यह अन्न का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। मैंने नया समझ कर ही आपको ज्यादा मौका दिया था।

श्री भोमाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कदै कदै ही बोला करूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो अन्न का सवाल है। एक तरफ तो अकाल पड़ रहा है, एक तरफ तो दुनियां भूखों मर रही है और हमारे कर्मचारी इस तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहां काश्तकार पड़ौसी मिलकर जमीन जोतते हैं। चार आदमी मिलकर खाद डालते हैं और फिर चार भाइयों और आदमियों के बीच में एक बेरा होता है उससे सिंचाई करते हैं। मैं हमारे यहां की काश्तकारी की जो प्रक्रिया आपको बता रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : जो मुद्दे की बात हो उसको ही कहें।

श्री भोमाराम : हम रात को पानी पिलाते हैं और यहां (सिर) से पसीना बहता है वह एड़ी तक जाता है, लेकिन बिजली वाले काश्तकारों की फसलों को जलाना चाहते हैं। मैंने सारे उच्च अधिकारियों से, सारे मिनिस्टरों से निवेदन किया है और मिला हूं। मैं यह समझता हूं कि आपके उच्च अधिकारी आपके कानून कायदों को ताक में रखते हैं। मैं यह समझता हूं कि राजस्थान सरकार के हुकुम को गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं मानते हैं और जानबूझ कर काश्तकारों को पीसना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भोमाराम।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष जी, इस मामले में मुझे भी एक मिनिट के लिए कहना है।

श्री अध्यक्ष : अजीतसिंह।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष श्री अजीतसिंह।

श्री रामेश्वरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का यह मामला है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक): अध्यक्ष महोदय, डिग्गी हायर सैकेण्डरी स्कूल के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था। मान्यवर, वहां पर आपस में लड़कों और मास्टरों में काफी विवाद खड़ा हो गया है। वहाँ के हैडमास्टर ने वहां पर लड़कों का दमन करना शुरू कर दिया है। वहां के गेम्स फण्ड और गेम्स के सामान व दूसरी चीजों के सम्बन्ध में वहां की यूनियन में खासतौर से झगड़ा पैदा हुआ है। पुलिस जाकर वहां पर हस्तक्षेप करेगी तो और स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए मैंने यह उचित समझा है कि उनकी समस्या को शांति से निपटाया जाय और मंत्रीजी से प्रार्थना है कि वह हस्तक्षेप करें। हैडमास्टर ने उन लडकों की गैरहाजरी शुरू करदी है, एडवांस में गैरहाजरी शुरू कर दी है। इन्सपेक्टर ने चैक किया है, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। पुलिस दखल न करे तो उससे पहले ही मामले को सुलझा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भार्गव।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ····

श्री अध्यक्ष : मै दूंगा समय आपको लेकिन अपने हिसाब से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : (श्री पूनमचन्द विश्नोई से) समय की बात है। कभी आप समय देते थे और आज समय आपको नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आगे भी मिल सकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 'तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान।' कभी आप समय देते थे और आज आपको समय नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपके दल के लोग बोल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे समय बहुत मिला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : निगाहें मर्द मोमिन की बदल देती है तकदीर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बड़े महत्व का स्थगन प्रस्ताव है। वह इस मायने में है कि जयपुर शहर की 8 लाख जनता, राजस्थान विधान सभा के सम्मानीय विधायकगण और राजस्थान के मंत्रीगण के, मेरी जानकारी के अनुसार, राशनकार्ड जयपुर नगर में बने हुए होंगे नियमानुसार और दूसरे स्थानों पर नहीं, उनको जो कठिनाइयां

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
हैं उनकी ओर मैं इस स्थगन प्रस्ताव के मार्फत ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर शहर में ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान में राशनिंग की व्यवस्था की है। इस वक्त 27 तारीख है और कल इस माह की अन्तिम तिथि है। प्रति राशन कार्ड पर लोगों ने 15-20 रुपया खर्च कर दिया लेकिन दो-दो महीने तक चक्कर खाने के बावजूद भी लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं। दूसरे राशन कार्डों पर तीन किलो अनाज भी लोगों को भली प्रकार से समय पर नहीं मिलता है। आज आधे से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड चैकिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं, अगर कोई इन्सपेक्टर नहीं गया और दुकानदार उनको गेहूं का कोटा नहीं दे रहा है। कहीं पर गये तो कोई व्यक्ति नहीं मिला तो उसका नाम काट दिया····

श्री अध्यक्ष : अनाज पर तो है नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आगे मैं आ रहा हूं उस पर।

श्री अध्यक्ष : उसी पर बोलिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना करता हूं कि एक ही एरिया है उसमें उस व्यक्ति ने घर बदल लिया तो उसको कहा जाता है नया राशन कार्ड बनवा कर लाओ। नया राशन कार्ड मिलता नहीं। राशन कार्डों के चैकिंग के अभाव में जयपुर शहर के आधे से ज्यादा लोग इस माह तीन किलो नाज से वंचित रहे····

श्री अध्यक्ष : Confine to your subject.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह निवेदन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 300 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से राजस्थान सरकार ने देने की घोषणा की। खेद का विषय है कि आज महीना समाप्त होने जा रहा है लेकिन जयपुर के अन्दर 300 ग्राम चीनी एक भी व्यक्ति को वितरित नहीं की गई। बाजार में चीनी के भाव 5 रुपये किलो के हिसाब से है, और आपके यहां 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से है। दो प्रकार की चीनी मिल रही हैं, एक सरकारी चीनी और एक गुलाम चीनी। सरकारी चीनी 5 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है और यह गुलाम चीनी 2 रु. 10 पैसे के हिसाब से है। यह गुलाम चीनी जयपुर के लोगों को नसीब नहीं हो रही है जिसमें आप शामिल हैं। आपके घर में भी यह प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि इस महीने की चीनी नहीं आई है। इसलिए विधायकों की भावनाओं को देख कर, आपकी भावनाओं को देखकर, मंत्रियों की भावनाओं को देखकर ··

श्री अध्यक्ष : Thank you!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, आप भी शामिल हैं।

लोगों को नाज मिले नहीं, राशन कार्ड नहीं मिले, सरकार यह घोषणा करे कि चीनी कल जनता को मुहैया हो जाएगी। अगर चीनी कल तक उपलब्ध नहीं होती है किसी प्रकार का कोई कारण हो तो आगामी आने वाले मास में मार्च के महीने के साथ में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
फरवरी की चीनी, जो लोगों की डूब रही है, वह मिल जाय। सारे सदन में इस संबंध में चर्चा चल रही है। विधायक कक्ष, मंत्री कक्ष, आपके कक्ष, पत्रकारों के कक्ष और सब कक्ष वाले लोगों की भावनाओं को मैंने सदन में रखा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इन भावनाओं की कद्र करके इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, नावां तहसील के करीब 200 किसान यहां पर आये हुए हैं। उनकी यह शिकायत थी कि बिजली 16 घन्टे मिलती है। मैंने कहा कि 16 घन्टे मिलती है तो बहुत है। लेकिन उनकी खास शिकायत यह है कि बीच बीच में बिजली में जो ट्रिपिंग होता है उसके कारण से उनके इन्जिन जल गये हैं और उनकी फसलें भी जल गई हैं। आप जानते हैं कि खेती अपने देश की बुनियाद है और इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। खास तौर से फसल पकने पर आ गई हैं और किसी की लापरवाही से काश्तकार की फसल जल जाय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, खासतौर से तब जब कि हमारे यहां पर अनाज की कमी है। 6-7 रोज से वह काश्तकार घूम रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर विराजमान हैं। आप उनको सुनकर अधिकारियों को आदेश दें। कटौती हो और कुछ कम मिले तो हर्ज नहीं लेकिन जो बिजली मिले वह ठीक तरह से मिले।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां से बाहर गया हुआ था और मेरे पीछे से वहां के मेरे क्षेत्र के काश्तकार बिजली की परेशानियों के लिए यहां पर आये थे तो माननीय सदस्य ने उनको समझा और उनकी हमदर्दी समझ उनसे मिल कर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उसके लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं।

मुझे एक बात आप तक पहुँचानी थी कि जो बिजली की कमी है वह किस वजह से है। वह मैं आपको पूरे डिटेल में बता दूं कि हमारे यहां पर फुलेरा ग्रिड स्टेशन है और फुलेरा ग्रिड स्टेशन की जो 10 साल पहले जितनी क्षमता थी आज भी वही है जबकि एग्रीकल्चर और इण्डस्ट्री के अन्दर मकराना में करीब 7 हजार किलोवाट की खपत चालू है अभी जब कि 5 हजार किलोवाट का वहां पर ट्रान्सफार्मर है। ऐसी ही हालत में 3 हजार हमारे कुचामन में एग्रीकल्चर का लोड है जब कि 5½ व 6 हजार किलोवाट एग्रीकल्चर की खपत है और 3 हजार किलोवाट का ट्रांसफार्मर है। यही हालात नावां की है जबकि 1½ हजार किलोवाट का वहां पर ट्रांसफार्मर है। जो फुलेरा का ग्रिड स्टेशन है वहां पर ट्रान्सफार्मर ऊंची क्षमता का नहीं रखेंगे तो यह हालत हमारी जैसी की जैसी रहेगी।

8-8 घण्टे बिजली की कटौती होती है इससे फसलों के पकने के टाइम पर बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी फसल नहीं होगी फिर सरकार लेवी लगायेगी और वह कहेगी कि तुमने इतने बीघा में खेती की है। आज काश्तकार बिल्कुल परेशान है और परेशानी

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आगे आयेगी मैं निवेदन कर दूं कि मैं यह दो फ्यूज वायर लाया हूं। इनमें एक यह

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)
मोटा है। और दूसरा पतला है। यह दो, तीन या 5 मिनट में जल जाते हैं। पानी बीच में खत्म हो जाता है। हमारा काम बराबर होता नहीं है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी: मैं निवेदन करूं कि यह फ्यूज वायर की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर एक महीने के लिए भी दूसरा जोड़ बन्द कर दिया जायेगा तो फसल पक जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं जो हांडा साहब ने प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्षः दो ही मिनट में कह दें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : दो ही मिनट में कह दूंगा।

गंग कैनाल में टर्न बाई टर्न कमियां आ रही हैं। टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं यह राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा। आप अभी तक मोतीराम रिपोर्ट तक को भी नहीं लागू करा सके। वहां पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से नहीं होता है। किसी को मिलता नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ध्यान दें। ताकि शीघ्र से शीघ्र पानी का इन्तजाम हो सके और मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट लागू हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री बैगाराम : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं। आपने कहा था लेकिन कम कहा था।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय, बिजली हर समय एक समस्या का रूप बन गई है। टाइम पर चलती नहीं है। डे टाइम में भी बिजली नहीं मिल रही है। बार बार बिजली जाती है। बैंक से ऋण लेकर खेतों में पम्प लगे हुये हैं उनको बिजेली के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। लॉ वोल्टेज के कारण बिजली नहीं मिल रही है। और बिजली अधिकारियों की धांधली के कारण किसानों को परेशानी होती है। दौसा क्षेत्र में 18,080 का बिल दिया गया। जो जमा नहीं करा सकेगा उसका कनेक्शन काट दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि हजारों आदमियों को परेशान किया जा रहा है। यह फसल का टाइम है इसलिए किसी भी तरह से एक महीने पूरे तौर से बिजली देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। ऐसे समय में जबकि अकाल की वजह से भूख से मौतें हो रही हैं अगर ऐसा ही हुआ तो फिर आइन्दा सरकार को बिजली देने जरूरत नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह नावां तहसील की ही बात नहीं है। हमारी तहसील में भी यही स्थिति है। इस सम्बन्ध में जितनी बातें कही गई हैं, सभी सही हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, कि जो काश्तकारों की आज की हालत है, उसको दृष्टिगत रखते हुये, अवश्य ही शीघ्र से शीघ्र निर्णय करना चाहिए। काश्तकार को किल्लत उठानी पड़ती है। काश्तकार के मीटर जल जाते हैं। उनको अगर

(श्री प्रतापसिंह)
मुआवजा दे दिया जायेगा तो संकट के समय में उनको मदद होगी। जो समस्या आज काश्तकार के सामने खड़ी है, उसके बारे में वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा। ग्राम सूजी के काश्तकार आपके पास गये थे। आप से मिले थे। आपने आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते में समस्या को सुलझा देंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वह समस्या उनके सामने ज्यों की त्यों खड़ी हुई है।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री नरपतसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अब समय नहीं है। फिर कभी दुगना समय दे दूंगा।

विधेयकों का पुरस्थापन।

(अल्प विराम)

विधेयक का पुरःस्थापन

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबंध) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 30, सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975।

परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[श्री गिरधारीलाल भार्गव ने निम्न परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 50, सन् 1975) को अस्वीकार करता है।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जैसा दिन""

श्री हरिदेव जोशी : कैसा मानते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अच्छा हो, आप नहीं पढ़ें। मैं कह रहा हूं, आप न रखें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज के दिन का गुण्डा दिवस नाम रख दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप नहीं पढ़ें—मेरी नेक सलाह यह है।

श्री खेतसिंह : ठीक है, मान गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ठीक है। धन्यवाद !

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको एक तरफ रहने दीजिये गुण्डे को।

श्री हरिदेव जोशी : एक तरफ रहने देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी प्रार्थना यह है, राजस्थान की विधान सभा के प्रांगण पर कभी कोई ऐसा दिन आयेगा कि इस प्रकार का कोई नाम दिया हुआ बिल या अध्यादेश यहां पर रखा जायगा—इसके बारे में जो भी आदमी साधारणतः सड़क पर यदि सुनेगा और आगे बराबर इसका जिक्र होगा, जिनको संस्कारों से बचाना चाहते हैं, उनका जिक्र होगा तो मैं समझता हूं कि बार बार नाम लेने से कुछ संस्कार भी आयेंगे। इसका नाम रखा है, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश गुण्डा शब्द माननीय मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा, यदि इस अध्यादेश का नाम असामाजिक तत्वों का नियन्त्रण करने का अध्यादेश हो जाता, समाज विरोधी या अराष्ट्रीय तत्वों का नियन्त्रण हो जाता, तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया होता। मूलतः नाम इतना गलत है, इसका रेडियो पर प्रचार होगा, राजस्थान विधान सभा ने बैठकर राजस्थान गुण्डा बिल पास किया

श्री हरिदेव जोशी : गुण्डा नियन्त्रण !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गुण्डा नियन्त्रण। माननीय मुख्य मन्त्री उस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे, आप हमारे मुख्य मन्त्री हैं, आपके नाम से रेडियो पर, अखबार में खुले रूप में प्रचार आये—यह अच्छा नहीं है।

श्री खेतसिंह : आप बिराजे हुए हैं, इनके नाम पर कैसे होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, इस तरह राजा महाराजा के समय में लोगों को गांव से निकाल दिया करते थे, और अंग्रेजों के समय में देश निकाला, यानि कालापानी हुआ करता था। अब यह प्रजातन्त्र है, और सत्ताईस वर्ष का समय निकला, हम बहुत आगे बढ़ गये, चन्द्रलोक में पहुंच गये हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब चन्द्रलोक में पहुंच गये और भारतवर्ष को बड़ा प्रगतिशील देश कहते हैं, उस प्रगतिशील देश में राजस्थान विधान सभा में ऐसे नाम का कानून आयेगा—मैं समझता हूं, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने उसमें कहा है गुण्डो, तुम्हारे कार्यकलाप चारों तरफ फैल गये थे, जो राजस्थान विशेष के लिए कम्प्लीट आशंका बन गये थे, तो मेरा निवेदन करना यह है कि राज्य का प्रशासन क्या हुआ मूलतः मुख्य मन्त्री होने के नाते भी और होम विभाग आपके पास है, वह क्या इतना अकर्मण्य हो गया है, इस प्रकार की कण्डीशन है उसको आप कन्ट्रोल में नहीं कर पायेंगे,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
उन नियमों के आधार पर उसे कन्ट्रोल में नहीं कर सकते.... ..

श्री अध्यक्ष : बीच में निवेदन करना चाहता हूं, बोलने वाले काफी हैं इसलिए समय निर्धारित करके बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा, आपकी आज्ञा से।

श्री अध्यक्ष : सभी के लिए कहा है, आपके लिए ही नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मेरे ऊपर लागू कर लूंगा..... ..

श्री खेतसिंह : आप नियन्त्रित हो जाइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं नियन्त्रित हो जाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। आप बिल लाये हैं।

ऐसा मालूम पड़ता है, प्रशासन विफल हो गया है और प्रशासन अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए यह अध्यादेश यहां पर लाया है। मैं निवेदन करूं कि जाब्ता फौजदारी की धारा 109, 110 और 106 ... ...

श्री मूलचन्द सामरिया : 107।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कह रहे हैं, 107।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 151।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है, आपने आदतन अपराध में लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ की बात कही है। चोरी और डकैती करने वाले व्यक्ति के लिए आलरेडी प्रावधान है, आप उसके अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं, कर रहे हैं, और यही नहीं, कानून में भी जो लोग इस प्रकार के हेबिचुअल ऑफेन्डर्स हैं, आदतन दोषी हैं, उनकी फोटो वहां पर थाने में लगी हुई है। और बराबर जब कभी इस प्रकार की बात हो जाय, तो उनको पकड़ कर थाने पर बुला लिया जाता है

(12.45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

यही नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था है, आदतन अपराध है, उसमें यह भी व्यवस्था है, पुरानी भी व्यवस्था है, वह आज भी प्रचलित है, पुलिस के लोग रात को ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर आवाज देते हैं, है या नहीं। वह घर से, ऊपर से नीचे आता है और कहता है, मैं यहां पर मौजूद हूं। इस प्रकार की सारी व्यवस्थायें मौजूद हैं तो मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार का कानून जिसका इस प्रकार का नाम है, मैं तो इसका नाम भी नहीं लूंगा, लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और हुआ यह है कि कई पुलिस के अधिकारियों ने इस एक्ट के लागू होने से पहले ही, जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था, केवल नाम नाम अखबारों में आ रहा था, कई लोगों को इस कानून के तहत पकड़ लिया। जयपुर में श्री गोविन्द, इब्राहिम, पहलवान कल्लू, लल्लू—इन्हें पकड़ कर गुण्डा एक्ट के तहत बन्द कर दिया और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री शंकरसिंह रावत : गुण्डा नाम ले लिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गुण्डा नाम नहीं लूंगा, ध्यान रखूंगा।

जब मालूम पड़ा सिपाहियों को, यह कानून लागू नहीं हुआ है तो उन्होंने धारा 25, 26, 27, जो आर्म्स एक्ट की हैं, के तहत उनको न्यायालय के सामने पकड़ कर लाकर बैठा दिया। आपने देखा है, जब लागू नहीं हुआ तो भी इसका दुरुपयोग होने लग गया।

अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, इस मूल एक्ट के अन्दर आपने नौ प्रकार के रत्न रखे हैं नौरत्न। लोग कहते हैं अकबर नौरत्न रखता था। यह नौरत्न रखे गये हैं, इनमें सबसे पहला रत्न रखा है "स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में" मुख्य मंत्री जी, बड़ा गम्भीर विषय है, क्षमा करना, आप पहले नेता हैं····

एक माननीय सदस्य : 184 के।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आजादी के वक्त लोग नेता को बहुत श्रद्धा से देखते थे।

श्री शंकरसिंह रावत : वहां जाकर कहते हैं, नेतागिरी क्यों कर रहे हो, स्टेशन पर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जाते हैं····

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : माननीय सदस्य, नेता का मतलब पेशेवर नेता से है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है, राजनेता न मान कर पेशेवर नेता मानें, यह सही है। मैं निवेदन करने जा रहा हूं, पहले नेता को लोग श्रद्धा से देखते थे। अब नेताजी में परिवर्तन आ रहा है, पदोन्नति हो गई है। पहले आदर की दृष्टि से देखते थे, आपको डयू रेस्पेक्ट देते थे। आज सड़क पर कहते हैं, नेताजी आ गये हैं। इसे भयंकर गन्दी गाली समझते हैं। अगर कोई काम नहीं किया तो मजाक बना कर कहते हैं····

श्री रामसिंह कुड़ी : हमारे नेता इसमें शुमार होंगे क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। एक्ट में जो लिखा है, उसके शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जो शब्द का प्रयोग किया है, नेता शब्द का, आजादी के वक्त के नेता, आज के नेता में परिवर्तन आ गया है, यह नेता शब्द है यह मजाक बन चुका है। अध्यादेश के मार्फत यह नेता शब्द और जोड़ देंगे तो मैं समझता हूं, नेता की ओर मिट्टी पलीद हो गई। फिर लोग समझने लगेंगे, नेता का मतलब है बदमाश गुण्डों के गिरोह का दादा, दादा का मतलब है नेता। दूसरे में आपने लिखा है "सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमेन एण्ड गर्ल्स अधिनियम।" तीसरा है "आबकारी" आबकारी का मतलब है यहां पर शराब, शराब के लिए जब कहा जाय, राजस्थान में शराब बन्दी करो, जिलों में शराबबन्दी करो, स्कूल, कॉलेज धर्मशाला, मन्दिर के पास शराबखोरी खुली है, उसको बन्द करो। मैं समझता हूं लोग पीयें—इसकी छूट दें, पिलाने की छूट दें, और, मुझे क्षमा करना, चुनाव के दिनों में वोट प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल के लोग लोगों को शराब पिलायें, पिलाने के बाद उनको पकड़ लें शराब पीये हुए हों, वोट दोगे या नहीं और और जो ना कहेगा, उसको गुण्डा नियंत्रण

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

एक्ट के तहत पकड़ा देंगे। आप शराब बन्दी करो नहीं, लोगों को शराब पिलाओ, फिर आदत डालो और फिर पकड़ लो। चौथे में है "ओपियम" अफीम, गांजा, भांग, चरस, यह भी चालू है। दुकानें स्थान स्थान पर खुली हुई हैं। भांग, चरस, गांजे के लाइसेन्स आप लोगों को दे रहे हैं। शराब बनाने का लाईसेन्स दे रहे हैं। उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। आपने यहां तक कहा है, जयपुर शहर में आठ ठेके हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर जयपुर के ठेकेदार ठेका नहीं लेंगे तो और प्रदेशों के ठेकेदारों को बुलाया जायगा। वह भी योजना फेल हो गई तो यह तय किया गया कि राज्य सरकार स्वयं शराब की दुकान खोलेगी इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं शराब की दुकानें खोल रहे हैं और आप कहते हैं कि शराब पीओ, बिक्री होगी तो आय बढ़ेगी, बिक्री नहीं होगी तो राजस्व की आय नहीं होगी। इसलिए आओ शराब पीओ। रैगरों की कोठी पर 13 आदमी मर गए, 8 अंधे हो गए, उसके बावजूद आपने स्वयं ने रेगरों की कोठी पर आपके द्वारा संचालित दुकान खोली। जयपुर शहर में स्थान स्थान पर दुकानें खोली जायेंगी, राज्य सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानें। कितनी अपमानजनक बात है। किसी बस स्टैंड पर जायेंगे हर जगह आपको शराब की दुकान मिलेगी, पुलिस चौकी पर शायद न भी मिले। आप लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं, शराब बंदी नहीं करते।

चौथा रत्न है ओपियम गांजा। आप अफीम, गांजे की दुकान का लाइसेंस देते हैं, आप बुला बुला कर कहते हैं आओ अफीम खाओ, गांजा पीओ, फिर आप उसे गुंडा कहोगे। दो बातें परस्पर विरोधी हैं यह नहीं चलने वाली हैं।

पांचवां रत्न है "राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश"। अब लाटरी सिस्टम किया है? गैम्बलिंग नहीं है? आप स्वयं इसको चलाते हैं। राजस्थान स्टेट लाटरी के नाम पर चलाते हैं। यह जो जयपुर में प्रदर्शनी लगी हुई है, अब किसके प्रभाव में लगी, यह आपके प्रभाव में है या नहीं? मैं आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाता पर मनोरंजन कर नहीं लगाया गया देखने वालों पर प्रदर्शनी में झनक झनक पायल दिखाते हैं, लड़कियों की डांस दिखाते हैं उस पर मनोरंजन कर नहीं। एक जगह जुआ हो रहा है उस पर भी मनोरंजन कर नहीं। आप इसको रोक नहीं सकते, और यदि एक दूसरा आदमी प्रदर्शनी लगाये, चाहे गणतंत्र मेला हो, तो आप कहेंगे कि परमिशन नहीं। लेकिन वहां आपने परमिशन क्यों दी? कोई आदमी अगर प्रदर्शनी में जुआ खेलता हुआ मिल जाए तो? तो यह पांचवा रत्न है। वह गुण्डा एक्ट में आएगा आप स्वयं परमिशन दें, स्वयं लोगों को अट्रैक्ट करें आने के लिए। कितने महारथी हैं एग्जिबिशन में, लोगों के नाम लेते हुए शर्म आती है। कहते हैं कि आओ पायल डांस देखो और जुआ खेलो लाटरी भी इसी प्रकार की बात है।

इसमें छठा है 'महिलाओं या लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पण करता या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो'। यह बहुत बड़ी बात है। ये जो पोस्टर्स महारानी कॉलेज के सामने अस्पताल रोड पर जगह जगह लगे हुए हैं जिसमें लड़की है, खड़ी है उसकी चुनरी खींच रहा है लड़का, इस तरह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
से गंदे पोस्टर्स लगे हुए हैं। आपने कई स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए जगह जगह क्लब खोल रखे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ किसी भी नाम से, लोग जाते हैं 12 बजे पकड़ लेंगे किसी को कि यह गुन्डा है इससे शरीफ लोग पकड़ में आ जायेंगे। जहां सिनेमा के गंदे पोस्टर्स लगे हुए हों वहां आपने लिखा है कि ताना मारना भी जुर्म है। लेकिन सिनेमा का गाना है 'मेरे सामने वाली खिड़की में' उसके आगे की पक्ति मैं भूल गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भूल गए या नखरा कर रहे हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब गाना इस प्रकार का है तो कोई व्यक्ति जब गा रहा है, लड़की जा रही है, आप कहेंगे कि यह लड़की को छेड़ना है, लड़की से कहता है कि मेरे सामने वाली खिड़की पर आ जाओ। कुआरा बाप को लीजिए। क्या तरीका है? ऐसे निक्कमे गाने, अश्लील गाने? ऐसा गाना हर गुजरने वाली लड़की पर लागू हो जाएगा। तो यह रत्न भी गलत है।

सातवां रत्न है 'हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधि-पालक लोगों को अभित्रासित करने का अभ्यासी पाया गया हो''। इसका मतलब सारे अखाड़े बंद हो जायेंगे। हांडाजी ने गत वर्ष कहा था विधान सभा में कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा लग गई है। भारत माता की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय गीत गायें ताकि देश में ईमानदार लोग पैदा हों। आपने कहा कि विधान सभा में आर. एस. एस. की शाखा लगाई तो कितना झगड़ा हुआ विधान सभा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है यहां गुण्डों से डरते हो या मुझसे डरते हो। यह बल प्रयोग मुझ पर नहीं कर रहे हो क्या? इस पूरे बजट सत्र में बल प्रयोग कर रहे हो। तो बल प्रयोग वाली बात है वाजिब नहीं।

साधारणतः झगड़ालू हो तो फिर हांडा जी को भी गिरफ्तार करें, प्रोफेसर केदार को भी गिरफ्तार करें, गफ्फार अली को भी करें। मैं किनकी बात कहूँ? सब लोग— गुमानमलजी, भानुकुमारजी ... ..

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो मिली भगत हो।

इनको पकड़ कर सबको रख देंगे। हांडा जी बोलते हैं तो बहुत झगड़ालू हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो चाहे घोटाला करें, आपका राज है, आपको कुछ नहीं होगा आप तो डिफेक्टो मंत्री हैं, मंत्रियों की गाड़ियों में जाते हैं। हर जगह श्री गोटेवाला मुख्य अतिथि हैं, गटर लाइन का उद्‌घाटन होगा तो भी श्री गोटेवाला।

नवां रत्न है "जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति-भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या बलपूर्वक चंदे का संग्रहण करने का या जो अपने या अन्य के अवैध आर्थिक फायदे के लिए लोगों को धमकी देने का अभ्यासी हो।" माफ करना मुख्य मन्त्री जी, मैं समझता हूं, मैं आपकी मनःस्थिति

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जानता हूं। मैं सामने नहीं कह रहा हूं, आपके पीछे भी आपकी प्रशंसा करता हूं। कांग्रेस के कई लोग चंदा लेते हैं, चिट्ठा लेते हैं, लेने के बाद कहते हैं कि खबरदार भार्गव साहब का साथ दिया तो तुमको सजा दे देंगें, तुम्हारा मकान तुड़वाया जाएगा, हमको चिट्ठा दो। तो हमारे साथ कौन जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्तारूढ़ दल के लोग हैं जो कि लोगों से चन्दा लेते हैं, चिट्ठे लेते हैं वही यह सभी कार्य करते हैं। क्योंकि लोगों को अपना काम राज्य सरकार से करवाना होता है इसलिये लोग कांग्रेसी लोगों को चन्दा देते हैं। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेसी लोग यह और कहते हैं कि जनसंघ वालों को चन्दा मत दो। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो लोग जनसंघ वालों को कांग्रेस के डर के मारे चन्दा देते नहीं हैं और अब इस अध्यादेश के जरिये जो लोग कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी को चन्दा देंगे तो आप इस अध्यादेश का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार आप इस अध्यादेश के जरिये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिलाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रकार का काला कानून नहीं बनाए। आज आप इस अध्यादेश के कारण कानून बनायेंगे वह हमारे यहां भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा देगा ही उसके साथ-साथ छूआछूत की भावना भी फैलायेगा। अब जब आप इस कानून के माध्यम से हमें चन्दा देने वालों की पकड़-धकड़ करेंगे तो वह हमें चन्दा क्यों देंगे?

मैं इस अध्यादेश का विरोध सिद्धान्त के ऊपर कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस गुण्डा एक्ट को बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पहले ही अपने देश में जाब्ता फौजदारी, इण्डियन पीनल कोड वगैरह ऐसे सक्षम कानून बने हुए हैं जो कि गुण्डा तत्वों को समाप्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो राजस्थान सरकार अपने आपको बहुत ही प्रगतिशील कहती है और दूसरी तरफ इस तरह के निकम्मे और काले कानून बनाती है। ऐसे कानून तो पहले अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं बनाये गये थे और न ही राजा-महाराजाओं के जमाने में बनाये गये, और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के काले कानून बनाने से जनता आप पर हंसेगी। कल आप हम जब अखबारों में पढ़ेंगे कि राजस्थान सरकार ने विधान सभा में गुण्डा एक्ट पास किया तो दुनिया हम पर हंसेगी और लोग कहेंगे कि राजस्थान विधान सभा में क्या हो रहा है? यह क्या बिल लाये हैं। इसलिये मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ऐसे काले कानून को पास नहीं कराएं और इसे आज ही अभी वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ!

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, राज्य सरकार ऑर्डिनेन्स के जरिये यह बिल हाउस में लाई, इसका लीगल आस्पेक्ट चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो लेकिन सोशल और पॉलीटिकल आस्पेक्ट अच्छा नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल हाउस पास कर देगा तो लोगों को ताज्जुब होगा क्योंकि इस बिल को मैं अच्छा नहीं समझता हूं। मान्यवर, इससे भी बड़ा ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि ऐसे बिल को पायलट करने के लिये मुख्य

(श्री केदारनाथ)

मन्त्री जी स्वयं आये हैं। मान्यवर, कानून तो राजा-महाराजाओं के जमाने में भी थे उस समय भी आन्दोलन होते थे और ऐसे एजीटेशन्स में हमने और मुख्य मन्त्री जी ने पार्टीसिपेट किया है पर उस वक्त ऐसे कोई कानून नहीं थे। उस समय जो राजा-महाराजाओं के खिलाफ आन्दोलन करते थे उनके लिये अलग कानून नहीं बनाया गया था। उस वक्त हिस्ट्रीशीट जरूर बनायी जाती थी। आप चाहे तो देख लें आज से 30-35 साल पहले पॉलिटिकल लीडर्स की, जो चाहे अन्डरग्राउन्ड वर्क करते थे, चाहे खुले एजीटेशन करते थे, जो कि गवर्नमेन्ट के खिलाफ में आन्दोलन करते थे, जेल जाते थे, हिस्ट्रीशीट बनायी जाती थी उनकी। वह तो आपको आज हमारी और मुख्य मन्त्री जी की भी उस जमाने की हिस्ट्रीशीट मिल सकती है। लेकिन उस पर इस शब्द 'गुण्डा' का प्रयोग नहीं किया जाता था। रूलर्स चाहे कितने भी टायरेन्ट्स होते थे, चाहे कितने ऑटोक्रेट्स होते थे उन्होंने भी अपने खिलाफ एजीटेशन करने वालों के लिए 'गुण्डा' शब्द का प्रयोग नहीं किया। उस जमाने में पॉलीटिकल वर्कर्स, जो कोई राजा के खिलाफ में काम करता, तो उसके लिये कानून बने हुए थे जैसे कि 12 डी। उसके अन्तर्गत उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। फिर भी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाइयां लड़ीं जिसके कारण आज आप मुख्य मन्त्री हैं और हम यहां पर विधायक बने हुए हाउस में बैठे हैं। जिन्होंने इतने जुल्म और अत्याचार किये उन्होंने भी 'गुण्डा एक्ट' नहीं बनाया। मान्यवर, गुण्डा एक्ट बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान में आलरेडी एक्ट्स बने हुए हैं जैसे डी. आई. आर., सिविल प्रोसीजर कोड, इन्डियन पीनल कोड, मीसा वगैरह जिनमें एन्टी सोशल और एन्टी गवर्नमेन्ट एक्टीविटीज कवर हो जाती हैं। ऐसे सैक्शन्स हैं जो कि आलरेडी उन्हें कवर कर लेते हैं। जिस तरह के प्रोवीजन इसमें दिये गये हैं उनको अगर लिट्रेली लिया जाय तो जैसे कि किसी ने हाका कर दिया, गाली गलोच कर दी, हुल्लड़ कर दिया तो आप उसे गुण्डा एक्ट में अन्दर रख देंगे तो मान्यवर, यह तो गलत है।

इसके अलावा मान्यवर अभी कांग्रेस ने एक कैम्प नरोरा में लगाया जिसमें यह फैसला किया गया कि देश में जो जयप्रकाश आन्दोलन हो रहा है और जो कांग्रेस का विरोध हो रहा है उसको मीट करने के लिये पॉलिटिकल लेवल पर साढ़े पांच लाख वालन्टियर्स तैयार किये जायं। यह डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में एक अच्छा प्रयास है। उसका हम विरोध नहीं करते। लेकिन क्या किसी पर्टीक्यूलर प्लेस पर कौन न्यूसेन्स क्रियेट कर रहा है उसका पता पुलिस को नहीं है, क्या थानेदार को पता नहीं है कि उसके क्षेत्र में कितने जेबकतरे हैं, कितने नकबजनी करने वाले हेबीचुअल ऑफेन्डर्स हैं, कितने पेशेवर बदमाश हैं। मैं समझता हूं कि उनके नोटिस में सभी हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी आप पॉवर्स और पुलिस को देना चाहते हैं। इसमें तो पुलिस हर शरीफ आदमी को बदमाश करार करके उसे अन्दर रख देगी। मान्यवर, हमारे यहां पर इनको मीट करने के लिये आलरेडी कानून बने हुए हैं। मान्यवर, हमने यहां पर काफी समय पहले एक नॉइज कन्ट्रोल एक्ट बनाया था वह इसलिये कि परीक्षा के दिनों में नॉइज करना जुर्म है क्योंकि उस वक्त बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। अब जब, मान्यवर,

(श्री केदारनाथ)

सभी लॉज बने हुए हैं फिर इसकी क्या जरूरत थी ? मान्यवर, आज जो भी गुन्डागर्दी फैली हुई है वह सभी आपकी इस ब्यूरोक्रेसी की देन है और उसी ब्यूरोक्रेसी को आप और मोर पॉवरफुल करने जा रहे हैं। इसका असर पोलिटिकल लेवल पर बहुत पड़ेगा। हमने तो सोचा कि आप कोई ऐसा लॉ बनायेंगे जिससे कि ब्यूरोक्रेसी की समाप्ति हो और देश में प्रोग्रेस हो। मान्यवर, आज देश में जितनी भी यह विकृतियां पैदा हो रही हैं और हुई हैं उनके लिये ब्यूरोक्रेसी रेस्पोन्सिबल है। अगर आप देश में किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको ब्यूरोक्रेसी को कर्ब करना पड़ेगा और जब ब्यूरोक्रेसी कर्ब होगी तो अपने आप सभी परिस्थितियां ठीक हो जायेंगी। मैं तो, मान्यवर मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि एन्टी सोशल एलीमेन्ट्स को आप अगर मीट करना चाहते हैं तो जिस प्रकार नरोरा में जयप्रकाश के आन्दोलन को मीट करने के लिए आपने ऐसी फोर्सेज क्रियेट करने की घोषणायें की कीं इसी लेवल पर आपको इन गुण्डों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी। इसमें कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी जबकि वैसे कई कानून बने हुए हैं।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गुण्डा कन्ट्रोल बिल में जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये गये हैं उसमें है:—

"There has been a considerable increase in the activities of anti-social elements, which posed a serious threat to the maintenance of law and order. It also appears that the existing penal laws have not proved deterrent to such anti-social elements. Therefore, such habitual offenders, or wrong-doers, whose movements or acts are causing or are calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property are to be effectively controlled and their malactivities are to be suppressed with a view to the maintenance of public order."

मान्यवर, छात्रों का मैं मानता हूं, बहुत सीमित क्षेत्र है। बहुत सीमित क्षेत्र में राजस्थान में झगड़ा हुआ यूनिवर्सिटी केम्पस में झगड़ा हुआ और यूनिवर्सिटी केम्पस का घेराव किया गया, कब्जा भी किया गया। मै इस स्टेन्ट को अच्छा नहीं मानता हूं। हम ईमानदारी से सोचें, ऐसे व्यक्ति 5-10 इधर हो सकते हैं और 5-10 उधर भी हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेन्ट्स बड़े पीसफुल हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं। अब वे व्यक्ति लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ करें या लोगों के साथ झगड़ा करें, शराब पीकर झगड़ा करें तो क्या केवल उनके लिए ही इस प्रकार का प्रोवीजन करना चाहते हैं ? मैं यह मानकर चलता हूं, मौजूदा एटमॉसफियर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का चल रहा है। आपने खुदने पर्सनल एफर्ट्स करके दोनों ग्रुपों में शान्ति कायम कर दी, मैं इसे अच्छा काम मानता हूं कि आपने यह काम किया। लेकिन इस एक्ट के मार्फत ऐसी चीजें न अपनायें जिससे लोगों में झगड़ा बढ़ जाय।

(श्री केदारनाथ)

मान्यवर, मैं ज्यादा न बोलता हुआ यही कहना चाहता हूं कि सारी की सारी बातें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकालें। दो-तीन साल की कैद, मान्यवर, अगर न्यूसेन्स के साथ में जोडी जाय तो आपके पीनल कोड में केवल 200 रु. जुर्माना है और तीन साल की कैद रखी है यदि किसी ने कहीं पेशाब कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। इसके अलावा, मान्यवर, चन्दा इकट्ठा करना, फोर्स से चन्दा इकट्ठा करना होता है, जब आप चन्दा करते हैं तो यही होता है। दिल्ली की रैली में शराफत से कोई चन्दा देता नहीं है। व्यक्तिगत इन्फ्लूएन्स डालना पड़ता है। उसको भी आप इसमें ले लें। जितने मूवमेंट चलेंगे वे भी इसमें आ गये। इससे तो ऑफिसर्स को मौका मिलेगा। वे इसमें बदला लेने की भावना से चूकेंगे नहीं। हाण्डा जी जोर से बोलें जैसे यहां आदत पड़ गई है तो कलेक्टर साहब इनसे नाराज हो जायेंगे और हाण्डा जी को उस कानून की गिरफ्त में ले लेंगे। इसलिए मैं समझता हूं इतनी पॉवर्स मत दीजिए। गलत काम के लिए यह बिल मत लाइये, मूवमेंट के खिलाफ इस बिल का प्रयोग न करें। कलेक्टर साहब आपसे इस सम्बन्ध में पूछेंगे और फौरन कैद में धर देंगे। छोटे भाई और बड़े भाई हैं कोई फर्क नहीं हैं—दोनों एक हैं इसलिए इसका रास्ता सोचिये। इस ऑर्डिनेन्स को वापिस लें। अगर बिल लाना है तो गलत एलीमेंट को खतम करने के लिए जो समाज में उपद्रव करते हैं, समाज में झगड़ा पैदा करते हैं उनके लिए लाइये, हम आपका साथ देंगे। लेकिन उसकी डैफिनेशन और होगी, उसकी पावर्स और होंगी। इतना कहते हुए कि इस बिल को वापिस लीजिए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शायद राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में ऐसा खराब बिल जो आज लाया जा रहा है, कभी नहीं आया है। मैंने इसमें अनेक संशोधन दिए थे पर बदकिस्मती से वह कानूनन नहीं लाये जा सकते थे इसलिए यह संकट पैदा हुआ, चूंकि आप जुडिशियरी का, जुरिसडिक्शन देना चाहते हैं और यह एक्जीक्यूटिव का है इसलिए यह अमेण्डमेंट इसमें नहीं लाया जा सकता है। अमेण्डमेंट एक दो आये हैं तो आये हैं, उन पर बोलूंगा पर मैं निवेदन किया चाहता हूं कि इस सदन के शुरू में ही और इसके प्रारम्भ में ही जो बात सदन के समक्ष आई वह पुलिस की दमन की नीतियों और पुलिस की अराजकता करने की शक्ति की आई, इससे हमारा यह सदन शुरू हुआ था और आज जब मैं यह देख रहा हूं कि आप इस किस्म का एक्ट लाना चाहते हैं जिसमें एक्जीक्यूटिव को अनब्रिडल्ड पॉवर्स देने जा रहे हैं तो मैं नहीं समझा हूं कि उसका उद्देश्य क्या है? क्या राजस्थान के अन्दर पुलिस राज्य कायम करने की स्कीम है, उसका कोई प्लान है और यह उसके सिलसिले में है? ये सब चीजें तय की जा रही हैं। आप खुद भी एक काबिल वकील हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून के अगर कुछ मुद्दे आपके सामने रखूं तो मैं समझता हूं वह अनुचित नहीं होगा। आपने मुलाहिजा फर्माया होगा कि "गुण्डा एक्ट" में जो सैक्शन्स और चैप्टर शामिल किए गए हैं, जितने भी ऑफेन्स

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

पर्सन के प्रति किए जायं और जितने भी ऑफेन्स प्रॉपर्टी के खिलाफ किए जायं वे सब इनसे कवर हो जाते हैं और उन सबकी भी पैनल कोड में सजा दी जा सकती है। अब मेरी समझ में नहीं आता है जब उन ऑफेन्स के मातहत सजा दे दी जाय तो उसके बाद 6 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट निकाला जाए, और जब पुलिस चालान नहीं करेगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अख्तियार होगा कि 6 महीने के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया जाए। तो सबसे पहले आपत्ति यह है कि इस कानून से यह स्पष्ट नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन रखा था, गुण्डा एक्ट में (बी) में (1) है उसको डिलीट कर दिया जाय लेकिन वह डिलीट नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं एक्जीक्यूटिव के लिए दिक्कत होगी। 290 से 294 तक तथा 16, 17 और 22 चैप्टर इसमें वे ऑफेन्स आते हैं जिसमें 302 से लेकर मिस यूज के हैं और प्रॉपर्टी के सब केसेज आते हैं जिसमें थेफ्ट के भी हैं उन सब में पैनल कोड के मातहत सजा दी जा सकती है और दुबारा आए तो एनहान्स सजा दी जा सकती हैं तो मेरी समझ में नहीं आता 6 महीने की यह जो सजा रखी है वह कैसे रखी है? सी आर. पी. सी. के अन्दर इस प्रकार के सेक्शन 106, 109 मौजूद हैं। अगर कोई शख्स अपनी बात छिपाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पाबन्द किया जा सकता है साल भर के लिए, 6 महीने के लिए और अगर जमानत व मुचलके न दें तो जेल में भी रखा जा सकता है। फिर मेरी समझ में नहीं आया जो प्रोवीजन्स रखे गये हैं वे किसलिए रखे गए हैं? सजा पाने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अख्तियार है कि तुम सजा पा चुके हो इसलिए तुमको 6 महीने के लिए बाहर भेज देते हैं। कोई ओपियम एक्ट का है, कोई एक्साइज एक्ट का है, कोई गैम्बलिंग एक्ट का है, पहले ही कई लॉ हैं। अगर आप यह समझते हैं कि सजायें कम हैं तो उनमें आपको अमेन्डमैंट करना चाहिए था। यह कानून किस उद्देश्य से लाया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

अब जो ऑफेन्स इस तरह के हैं जैसे कोई इनडिसेन्ट रिमार्क्स पास होते हैं, राऊडिज्म है, हैबीचुअल ऑफेन्डर हैं तो ये भी ऑफेन्स पीनल कोड में कवर होते हैं और दूसरे ऑफेन्सेज भी पीनल कोड के मार्फत कवर होते हैं। छोटे मोटे बच्चे हैं आपके और मेरे बच्चे हैं वे कभी छेड़खानी कर देते हैं, किसी बच्ची को रिमार्क कस देते हैं तो क्या आप उनके खिलाफ कदम उठाने की शक्ति रखते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं इस तरह के वे ही लोग हैं जो हाई सोसायटी के हैं और मैं उसे कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं मानता हूं। बच्चों की यह एक प्रवृत्ति होती है। जो गुण्डे हैं, उनको क्रश करने में आप, आपकी पुलिस, आपकी एक्जीक्यूटिव नाकारा है। 110 में और 117 में आप उनको पकड़ कर रख देते हैं, मेन्टीनेन्स ऑफ सिक्योरिटी एक्ट में डाल देते हैं। तो उनको तो आप फायदा नहीं पहुंचा सकते, उनको आप करेक्ट नहीं कर सकते इस कानून से। फिर आप यह कानून शरीफों के लिए लाना चाहते हैं? आप उन लोगों

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

के लिए लाना चाहते हैं जो कि राजनैतिक दृष्टि से कुछ काम करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश किया चाहता हूं कि यह बहुत संजीदगी का मामला है और आपस में कानाफूसी करें वह अच्छा नहीं मालूम होता। मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो आपने प्रोवीजन रखा है कि जो इस किस्म के लोग होंगे उनको एक डिस्ट्रक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जायेगा। आप बताइये यह कितनी बड़ी बात है कि कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में जुर्म करे तो आप उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दें ताकि वह दूसरी जगह पर भी अपना मैदान बना ले और 6 महीने के अन्दर ही जुर्म करना फिर शुरू कर दे। अगर आप किसी को यहां से दूसरी जगह किसी गांव में भेजते हैं तो वह जितनी गांव की लड़कियां हैं उन सबको गुमराह कर दे और गलत रास्ते पर डाल दे। तो क्या यही आपका उद्देश्य है कि आप अपनी बुराइयां दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डालना चाहते हैं? अगर आपको अख्तियार होता कि आप इस किस्म के आदमी को, जिसे काले पानी की सजा दी जाती थी, किसी आइलैंड में भेज देते तो यह बात समझ में आती थी लेकिन एक जगह से दूसरी जगह भेज कर वहां के लोगों को भी खराब करने की नीति आप अपना रहे हैं। उसको करेक्ट करने की बात कोई आती तो वह समझ में आती थी लेकिन आप यह करते हैं कि आप उसको नोटिस देंगे और उसको 6 महीने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे। फर्ज कीजिए कि वह हैबीचुअल आॅफेन्डर है और आपने उसको निकाल दिया तो आप क्या समझते हैं कि उस वातावरण से वह अलग होकर सुधर जायेगा? मेरा ख्याल यह है कि वह सुधरेगा नहीं बल्कि वहां जाकर वह अपना मैदान तैयार करेगा और वहां जाकर वह आॅफेन्स उसी तरह करना शुरू करेगा। शायद फिर आप उसको शहर में लाना चाहेंगे जहां उसकी गतिविधियां जानी बूझी थीं और वह वहां आना पसन्द भी नहीं करे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस काले कानून का उद्देश्य क्या है। किस तरह से आप उनकी गतिविधियों पर काबू पाना चाहते हैं जो कि जरायम करते हैं?

इसी तरह से पुलिस। इसमें जैसा कि अभी माननीय सदस्य प्रोफेसर केदार जी ने कहा कि बहुत सी राजनातियां चलती हैं, राजनैतिक पार्टियां अपना प्रोपेगण्डा भी करती हैं और चन्दा भी जमा करती हैं और अक्सर बच्चे जो चन्दा जमा करते हैं वह यह कह कर चन्दा इकट्ठा करते हैं कि तुम चन्दा नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान लूट लेंगे। हालांकि उनका ऐसा उद्देश्य नहीं होता और उनका उद्देश्य यह होता है कि दुकानदार उनको दो, चार रुपया चन्दे का दे दे। तो क्या आपका मकसद यह है कि उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाये? इस एक्ट से आप किसको कन्ट्रोल करना चाहते हैं? अपोजीशन के जो काम करने वाले हैं, पाॅलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनकी गतिविधियों को क्रश करना चाहते हैं तो फिर यह बिल किसी और नाम से आना चाहिए और यह गुण्डा एक्ट के नाम से नहीं आना चाहिए।

श्री मोहरसिंह : वह नाम भी आप बता दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह बता दूंगा। हिटलर ने बताया, मुसोलिनी ने बताया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वह जयप्रकाश जी से सीखिये। यहां भी सब उस्ताद मौजूद हैं जो दुनिया के इतिहास ने पैदा किये हैं। वह हिन्दुस्तान की सर जमीन में भी पैदा हो सकते हैं उसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है।

पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज किया चाहता हूं कि गुण्डा एक्ट के मातहत कोई ऐसा कानून नहीं है जो अब तक बना न हो। कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा कानूनों के मातहत आता नहीं हो। एक आॅफिशियल सिक्योरिटी एक्ट है, मेन्टीनेन्स आॅफ सिक्योरिटी एक्ट है और ऐसा कानून भी है कि बर्डन मुलजिम के ऊपर होगा। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए और आपकी सिक्योरिटी के लिए हर किस्म का कानून आपने बना रखा है तो फिर इस पर्टीकूलर कानून की जरूरत क्या हो गयी ?

दूसरी चीज जो इस स्टेज पर मैं गुजारिश किया चाहता हूं वह यह है कि जिन आॅफेन्सेस पर 200 रुपया जुर्माना आपने लेने का प्रावधान किया है और 6 महीने शहरबदल सजा देने का है तो बादशाह के जमाने में, राजाओं के जमाने में, शहरबदल करने की सजा बहुत संगीन सजा होती थी और जब टोंक के नवाब सख्त नाराज होते थे तो कहते थे कि टोंक की रियासत छोड़कर चले जाओ और इसको बहुत संगीन सजा मानी जाती थी। आप शहर बदल करने की सजा हर उस आदमी को देना चाहते हैं जिसके ऊपर आप 200 रुपया जुर्माना करते हैं। उसको आप 6 महीने के लिए शहरबदल कर सकते हैं। यह गैर मामूली ताकत आप किसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरा छोटा सा निवेदन जो मैं किया चाहता था वह करके अभी समाप्त करता हूं।

वह अर्ज यह है कि आप अगर इस चीज को पुलिस की तहकीकात को जैसा मैंने अपना सुझाव रखा था कि अगर इस एक्ट को आप बनाना चाहते थे। चूंकि आप गैर मामूली जूरिस्डिक्शन, गैर मामूली अख्तियार अपने हाथ में ले रहे हैं इसलिए आपका कर्त्तव्य था कि किसी इन्नोसेन्ट आदमी को सजा नहीं हो तो। आपको इसमें एग्जीक्यूटिव की परव्यू से लेना चाहते थे और मैंने सुझाव रखा था कि जहां आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जूरिस्डिक्शन देते हैं वहां चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट को दे दें और जहां अपील के जूरिस्डिक्शन होम कमिश्नर को आप देते हैं वहां आप सेशन्स जज को दे दें। आज एक होम कमिश्नर सही सोचने वाला आदमी है तो यह जरूरी नहीं है कि कल उसी किस्म का होम कमिश्नर आये। तो यह किसी शखसियत के साथ मत दीजिए। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सही हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जिसके ऊपर कई तरह के आरोप हों जैसे चूरू के सिलसिले में आरोप लगाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप यह पावर्स दे रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और इन्सानियत के नाते अपील करूंगा कि इसमें आप परिवर्तन कीजिए। इसमें यह परिवर्तन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कीजिए कि पुलिस किस के मुताबिक सोचती है कि वह गुण्डा है तो वह अपनी रिपोर्ट चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे ताकि जिसके खिलाफ रिपोर्ट पेश की जाये तो उसे यह तो भरोसा हो कि मेरे साथ जस्टिस होगा। जस्टिस जुडीशरी में होता हो ऐसी मेरी मान्यता नहीं है लेकिन फिर भी हमारी परम्परा है कि हमारी जुडीशरी आम तौर से इन्डीपेन्डेन्ट रही है। हमारे हिन्दुस्तान की जुडीशरी ने बड़े बड़े काम किये हैं यह आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों की जो नोबल और सही विरासत और अच्छी विरासत जो हमको मिली है वह इन्डीपेन्डेन्ट जुडीशरी की मिली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन किया चाहूंगा कि आप इन पावर्स को लेना ही चाहते हैं और आप समझते हैं कि इससे कोई चीज समाप्त की जा सकती है तो जहां आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर्स दी हैं वहां आप चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट को दें। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय कि जयपुर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 25-30 कमेटियों की अध्यक्षता करनी पड़ती है। दुनियां का कोई काम नहीं है जो वह नहीं करता हो। उसके जिम्मे आप यह काम और लगाना चाहते हैं और पुलिस किसी के खिलाफ भी रखेगी तो वह पढ़ेगा भी नहीं और दस्तखत कर देगा। अभी एक केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कम्पलेन्ट किया और पता लगा कि उसमें न तो कानून था और न शहादत थी और वह पेश हो गयी। इसलिए उसमें मैं किसी को दोषी नहीं मानता। मैं दोषी आपके एडमिनिस्ट्रेशन को मानता हूं कि जो इतना बर्डन डालते हैं। उसके पास बीस बीस कागज आयेंगे वह हर्गिज नहीं पढ़ेंगे और उसके पास पुलिस की रिपोर्ट आएगी उस पर वह कोई माइण्ड एप्लाई करने वाले नहीं हैं तो कम से कम मैं यह निवेदन किया चाहूंगा कि कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो आप दीजिए कि वह उस पर अपना माइण्ड एप्लाई कर सकता हो, जिसको फुरसत हो। जो यह देखे कि किसको गुण्डा करार दिया जा सकता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुलिस ने गुण्डा एक्ट के अन्दर मुझको पकड़ लिया तो इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि मैं तो अन्दर चला जाऊंगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर दस्तखत कर देंगे। मैं आपको बताऊं कि फ्रीडम फाइट के वक्त मैं और राधावल्लभ हम जा रहे थे, हम प्रजामण्डल के प्रोमीनेन्ट कार्यकर्ता थे, हमको पकड़ कर कोतवाली में रख दिया। सब जानने वालों को सुबह तक खबर ही नहीं हुई और पुलिस ने जुर्म लगा दिया कि डाक के बॉक्स के अन्दर तेजाब डालना चाहते थे। न वहां पर डाकघर था न कोई बक्स था जिसमें तेजाब डालते लेकिन पकड़ लिया। तो वह एक आतंक का जमाना था। आज जम्हूरियत का जमाना है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह निवेदन किया चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप ज्यूडिशियल पावर दीजिए ताकि वह लोग सही तरीके से इसका उपयोग कर सकें और लोगों को यह संतोष हो सके कि उनके साथ इंसाफ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने यह जो अध्यादेश को निरस्त करने का प्रपोजल रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा!

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कण्ट्रोल ऑफ गुंडा बिल सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर विचार चल रहा है अभी तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : संकल्प को विचारार्थ लिया जावे.........

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यादेश को निरस्त किया जावे यह है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : विचार चल रहा है कि इस अध्यादेश को विलोपित किया जावे। और इसको सदन के विचारार्थ ही न लिया जावे। मैं समझता हूं कि इस सदन के इतिहास में इस प्रकार का काला बिल, जिससे कि कालिख भी कलंकित हो, इससे पहले प्रस्तुत नहीं हुआ। इसका नाम अगर आप राजस्थान कण्ट्रोल ऑफ गुंडा बिल की जगह राजस्थान एक्सचेंज ऑफ गुण्डा बिल रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके राजस्थान के 26 जिलों में कोई व्यक्ति आपके द्वारा इस बिल में दी हुई 15-20 धाराओं के बाद गुंडा घोषित हो जाता है, मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत हो जाता है, छः महीने के लिए उसे जिले से निकाल दिया जाता है तो वह दूसरे जिले में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसा तो कहीं बिल में है नहीं, केवल जिलावतनी की बात है। यह हो भी नहीं सकता, न वह आपके अधिकार की बात है। इसलिए आपके इस 17 आइटम के अनुसार घोषित गुण्डे राजस्थान के एक जिले से दूसरे जिले में और दूसरे जिले से तीसरे जिले में आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। गंगानगर में गुण्डा घोषित हो गया उसको आपने बीकानेर में भेज दिया और बीकानेर में जो गुण्डा घोषित हो गया उसको आपने गंगानगर में भेज दिया, सिफारिश हो गई तो वही गुण्डा बीकानेर से नागौर आ गया, नागौर से आगे बढ़ता हुआ जोधपुर पहुंच गया और फिर बांसवाड़ा तक पहुंच गया। आप उसको एक्सचेंज करते ही जायेंगे। आखिर क्या आप इस बिल से ओबटेन करना चाहते हैं ? क्या किसी जगह की आबोहवा बदल जाने से उस आदमी का चरित्र बदल जाएगा, उस आदमी का स्वभाव बदल जाएगा या उस आदमी की आदतें बदल जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त की बात है। अच्छे से अच्छे कानून पास हुये हैं इस देश में, लेकिन लागू नहीं हुए। शारदा एक्ट कानून है लेकिन आज भी बच्चियों के विवाह होते हैं। मृत्यु भोज के ऊपर कानून है, सजा है, लेकिन इसी सदन के अन्दर श्री मानसिंह का ने 20 हजार आदमियों को मृत्यु भोज दिया....

श्री मूलचन्द सामरिया : इसी सदन में ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने इसी सदन में उस घटना को रखा और उसके बाद माननीय खाद्य मन्त्री ने इस सदन में घोषणा की कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। काफी समय गुजर गया लेकिन मानसिंहका के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं। आपने हरिजनों को, एग्रीकल्चर लेबर को पट्टा देने का कानून बना दिया। क्या आज सबको पट्टे मिल गए ? और सख्त से सख्त पैनल्टी आइटम के कानून बनते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहां लागू होते हैं ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कोई कानून बनने से समाज सुधर जाता है, ऐसा नहीं होता। समाज को सुधारने के लिए सिद्धान्त चाहिए और उस सिद्धान्त की पार्टी का संगठन चाहिए। जो कानून आप यहां बनाते हैं वह आपके दफ्तरों में रह जाते हैं वह गरीबों की झोंपड़ी तक नहीं पहुंच पाते। जब तक उसको पहुंचाने की सैद्धान्तिक भावना से लैस न हों, दृढ निश्चय, राजनैतिक विचारधारा, क्रियाशीलता न हो, वह कानून इन महलों के अन्दर तड़फते रहते हैं, गरीब की झोंपड़ी तक नहीं पहुंचते।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने गुण्डा घोषित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के आइटम्स यहां रख लिये और मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो आई. पी. सी., सी. आर. पी. सी. उनके लिए सजा नहीं देता है। कोई भी आइटम ऐसा नहीं है। अब आपका आइटम नं. 1 ही ले लीजए कि 290 से 294 तक आई. पी. सी. धाराओं के अन्तर्गत अधिकार देते हैं आप उसको गुण्डा एक्ट के तहत लेते हैं। आई. पी. सी. की धारा 290 से लेकर, पब्लिक न्यूसेंस से लेकर और सेल ऑफ ओब्सीन बुक्स वगैरा और उसके ओब्सीन एक्ट एण्ड सोंग्स, 254 आई. पी. सी. इसमें सारा फाहिश लिट्रेचर। फाहिश किस्म के गीतों के साथ साथ फाहिश किस्म की सारी चीजें और उसके उपर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सैंकड़ों रूलिंग हैं। फाहिश क्या है? अभी खोसला कमेटी बनी थी फिल्मों के सम्बन्ध में जिसने इसका बड़ा भारी अध्ययन किया कि अश्लील क्या है। अश्लील साहित्य क्या है और फिल्म्स अश्लील क्या हैं। अभी सैंसर की कैंची से निकली जो फिल्में, जो चित्र खुलेआम बाजारों में दिखते हैं, उनको आप अपनी बेटी और बहन के साथ बैठ कर नहीं देख सकते। उनका एक इम्पेक्ट है। जो हालिवुडियन करेक्टर के आपके चित्र आज समाज के अन्दर प्रदर्शित किए जाते हैं, जो आपको सिद्धान्तहीन रास्ते पर ले जाते हैं, जो कि उस मजदूर को एक परवर्शन देता है, डाईवर्शन देता है सिर्फ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय सदस्य शायद इसको समझे नहीं हैं, गलत कोट कर रहे हैं। ऑफेन्सेज अगेंस्ट पर्सन एण्ड ऑफेन्सेज अगेंस्ट प्रोपर्टी, 254 इसमें नहीं आता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 290 आता है माननीय विश्नोई सहाब !

श्री गुमानमल लोढ़ा : 290 है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "Goonda means a person who under Chap. 16, Chap. 17, 22 I.P.C. 1860 under see. 292 and 294" यह इण्डियन पीनल कोड मेरे पास मौजूद है, मैं सारी धारायें पढ़ कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। फिर साहित्य, कौन नहीं जानता कि निकृष्टतम साहित्य बिकता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री को कहना चाहूंगा कि कितने निकृष्ट साहित्य बेचने वालों को आपने राजस्थान में पकड़ा है। अभी चलिये यहां से, मेरे साथ चलिए, चौड़े रास्ते की बुक स्टाल्स पर, प्रेम प्रकाश के बाहर फुटपाथ पर, आजाद लोक और दूसरे अखबारों के नीचे निकृष्टतम साहित्य

Page No 56

56

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
बिकता है, फुटपाथ पर कोक शास्त्र, घटिया से घटिया किस्म का और अश्लील से अश्लील साहित्य फुटपाथ पर बिक रहा है। आप कितने लोगों पर इम्पेक्ट डाल सकते हैं, कितने लोगों को आपने आई. पी. सी. के अन्दर अरेस्ट किया है मुझे बताइये। और तो और, आपकी इण्डियन क्राफ्ट एक्जीबीशन के अन्दर "पायल" में हो रहे डांसों को देखिए। पच्चीस मिनिट का डांस, एक रुपये का टिकट, और जिस प्रकार का निकृष्टतम प्रदर्शन और जिस प्रकार का अश्लील प्रदर्शन उस एग्जीबीशन में होता है, कोई भी शरीफ आदमी देख नहीं सकता, जो कालिख को भी कलंकित करता है। आप कहते हैं गैम्बलर एक्ट के तहत जो गैम्बलिंग करते हैं और जो गैम्बलर एक्ट के अन्दर बाउण्ड हुए हैं और जिसको आपने दो बार पकड़ा है, "has been found habitually passing indecent remarks to or teasing women or girls, or"

मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि गैम्बलिंग से आपका तात्पर्य क्या है ? It is a game of skill. जहां गेम ऑफ स्किल का प्रश्न आ जाता है वहां गैम्बलिंग नहीं होता। लॉ के अन्दर इलास्टिसिटी चाहिए कि that is game of skill. इण्डियन क्राफ्ट्स एग्जीविशन में आज हजारों रुपयों का वारा-न्यारा हो रहा है। ताश में आपके रमी और पल्लू क्या है ? गेम्बलिंग एक्ट के तहत अगर कोई गरीब कोड़ियां खेल लेता है तो वह गेम्बलर है, उसको आप देश निकाला दे देंगे और उसको गुण्डा घोषित कर देंगे। अगर कोई प्रलोकतान्त्रिक काम कर रहा हो और आप एक्ट की बात कहते, तो ठीक था। आखिर आप समाजवादी लोग हैं, आपका लोकहितकारी राज्य है। और इतना ही नहीं है, इसके अतिरिक्त इसमें है : "Has been convicted not less than twice under the Opium Act, 1878, and has been convicted not less than twice under Raj. Excise Act, 1950" ओपियम एक्ट के तहत वह भी ठीक है। एक्साइज एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि रनिंग ऑपियम पकड़ा जाय तो वह लीगल है। एक्साइज एक्ट के तहत गुण्डे अगर आप निकालना शुरू करें तो राजस्थान भर में आपको इतने गुण्डे मिलेंगे, जयपुर के अन्दर हो इल्लिसिट लिकर बनती है, हजारों सिन्धी मोस्ट पोइजनस वाइन बनाते हैं, जयपुर स्पेशल सेन्टर है लिकर का राजस्थान में। अखबारों में भी यह बात कई बार आई है और सदन के सारे माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हजारों लीटर इल्लिसिट लिकर, जो आदमी को किल करती है, यहां बेची जाती है। आपके मौजूदा कानून में, मैं राज्य मंत्री महोदय से, गृह मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्योंकि मुख्य मंत्रीजी तो मुंह छुपा कर चले गये है, कि कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया। आपका एक्ट मौजूद है, कई व्यक्तियों के खिलाफ,-मुन्नालाल आर्य हैं, उनके खिलाफ कान्करीट चार्जेज इस सदन में आये हैं, आपने क्या एक्शन लिया ? आपने कितने प्रावधान यूज किये हैं उनको पकड़ने के लिये ? उनको क्या आप गिरफ्तार करेंगे? क्या उनको वतन निकाली देंगे ? "has been found habitual in intimidation of law-abiding people by acts of

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

violence or by show of force; or''. अब इन्टिमिडेशन को ले लीजिए। इसका क्या अर्थ होता है? आज आप कितने ही लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी पुलिस कितने ही लोगों को प्रोटेक्शन देती है और कितने ही लोगों का इन्टिमिडेशन होता है। मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। आपके दूलाराम ने हरिजन औरत के साथ रात्रि के दो बजे बलात्कार किया। अबला औरत बेचारी रोती रही। वहां सबको थ्रेटन किया गया है। थानेदार साहब ने हजारों रुपये की ब्राइब खाली उस केस के अन्दर। मैडिकल रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें मौजूद हैं। सारे गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर, एकमत होकर उस अबला स्त्री का केस फाइट किया। मजिस्ट्रेट साहब ने नोन-बेलेबल वारन्ट भी जारी किया और फिर सेशन जज ने स्टे दे दिया। वह लीगल स्टेण्ड भी था क्योंकि पुलिस ने, थानेदार ने एफ. आई. आर. नहीं लगाई कि तब तक के लिये वारन्ट स्टेन्ड किये जाते हैं। डूंगरगढ़ के अकालग्रस्त क्षेत्र की एक महिला के साथ, जो गंगानगर के अन्दर मिट्टी डालने आई थी, उसी दिन वहां के एक भूपति श्री सोनसिंह के लड़के राजेन्द्रसिंह ने बलात्कार किया। थानेदार साहब उसे रफादफा करने गये। रिश्वत खा गये और केस दफना दिया। आज आपको बहुत चिन्ता हो गई है गुण्डा एक्ट की। आप लाते 'राजस्थान कन्ट्रोल ऑफ पुलिस गुण्डा एक्ट' तो मैं आपका कल्याणकारी राज्य मानता।' मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सत्र विधान सभा का आरम्भ हुआ है, हरिजनों के झगड़ों की, उदयपुर के बोहरों के साथ किये गये अत्याचारों की घटनाएं सदन के सामने आईं। इसके साथ ही जावर माइन्स के मजदूर मारे गये, टोंक के गरीब हरिजनों के साथ पुलिस द्वारा अत्याचार किये गये। तो क्या यह इन्टिमिडेशन नहीं है? आप 'पुलिस गुण्डाज बिल' इस सदन में रखते तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को उसके लिए बधाई देता। लेकिन आपने कल्पना भी नहीं की इस तरह के बिल की।

बहुत अधिक समय तो तब लूंगा जब मैं दफाओं के बारे में बोलूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या हाल हो गया है आज देश का। एक तरफ आपने ज्युडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया है और दूसरी तरफ होम कमिश्नर को ज्युडिशियल पावर दे रहे हैं—They will act as judicial officers. एक ओर तो सेपरेशन में इतनी डिले की और अब आप रिटर्न ऑफ ज्युडिशियरी कर रहे हैं। परन्तु ब्यूरोक्रेट्स तो वैसे ही एन्टी-पीपुल व्यू लेते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स से जनता को क्या फायदा होने वाला है। मिनिस्टर लोग दौरे पर जाते हैं, ऑफिसर्स उनके लिये चन्दे इकट्ठा करते हैं। अभी माननीय मन्त्री जी 10 तारीख को गंगानगर में पधारे तो उनके लिये कितने ही लाख का चन्दा इकट्ठा किया गया, यह कलेक्टर ने, एस. डी. एम. ने वहां के थानेदारों ने, आपकी ऑथोरिटीज, ने कलेक्ट किया।

क्या यह जनता ने भय की वजह से, ऑथोरिटीज के प्रेशर्स की वजह से नहीं किया? मुझे मालूम है कि रायसिंह नगर के अन्दर लोगों के लाइसेन्स बन्द कर दिये। खाण्ड के लाइसेन्स कैन्सिल कर दिये और उनका खाण्ड का कोटा बन्द कर दिया। उनसे कह

(58)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दिया कि चन्दा अगर 200 रुपया नहीं देते हैं तो तमाम लाइसेन्सों को कैन्सिल कर देंगे। जो ब्लेक में चीनी बेचता है वह 200 रुपया चन्दा इजीली दे देगा। सदन में आप मुझे बताइये कि कितना चन्दा आपके यहां जनता के द्वारा स्वतः वसूल हुआ है और इकट्ठा हुआ है और कितना चन्दा आप ऑथोरिटीज के मार्फत कराते हैं। जो ऑथोरिटीज द्वारा लिया गया चन्दा है वह कोई आदमी प्यार से देता है ? वह मोहब्बत से देता है ? क्या वह सिद्धान्त में आकर देता है ? ऑथोरिटीज के प्रेशर में आकर चन्दा देती है जनता तो। It is worst form of chanda. आपने लोक कल्याणकारी राज्य में जनता से स्वतः चन्दा इकट्ठा करने की चेष्टा की है। अगर मुख्य मंत्री महोदय गंगानगर के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं से कहते कि राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है और अकाल की अवस्था चल रही है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता अकाल के लिए झोली फैलाकर 1-1 और दो-दो रुपया चन्दा एकत्रित करें तो मैं मानता कि आप सही दिशा पर हैं। वह लोग जो एक-एक, दो-दो रुपया चन्दा इकट्ठा करते हैं, जो लोग आपकी नीतियों के विरुद्ध लड़ते हैं, जो आपकी पूंजीवादी नीतियों के विरुद्ध लड़ते हैं उनके खिलाफ यह गुण्डा एक्ट लाकर उनके कार्य-कलापों को बन्द करना चाहते हैं। प्रोफेसर केदारनाथ बैठे हैं, मैं हूं, उनके खिलाफ सन् 1950 से 75 तक 100 केसेज बने हैं। सी. आर. पी. सी. का कोई आइटम नहीं है जो कि हम पर लागू नहीं किया गया हो सिवाय मोरल टर्पीट्यूड के। 307 में मुल्जिम पाये गये, 302 में पकड़े गये, 326 में भी मुल्जिम करार किये गये हैं, 458 में मुल्जिम पाये गये उसमें भी मुल्जिम रहे हैं। ऐसा कौनसा सेक्शन है जो हमारे और प्रोफेसर केदार के खिलाफ जन आन्दोलनों के दौरान नहीं लगाया गया है। 107 और 151 फॉर परफोर्मेंस ऑफ पोलिटिकल वर्क लागू किये गये हैं। आपने स्वतन्त्रता संग्राम के अन्दर संघर्ष किया है, बिश्नोईजी, गुलाबसिंह जी, आपको तो मालूम होगा कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर और साम्राज्यवादी आपको स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्डिस्क्रिमिनेटली आई. पी. सी. का पोलिटिकल वर्कर्स को क्रश करने के लिए यूज करते रहे हैं। आज जो लोग अपने आपको स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी समझते हैं, मैं उन मुख्य मंत्री महोदय से, जो कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, कहना चाहता हूं कि उनके राज्य के अन्दर गुण्डा बिल यहां पर आज एक्ट बनने के लिए आया है, इसको ऑर्डिनेन्स के रूप में भी नहीं लाना चाहिए था। यह अपवित्र ऑर्डिनेन्स है और इस ऑर्डिनेन्स को इस सदन के अन्दर पारित करवाना चाहते हैं तो यह आपके माथे पर कलंक लग जायेगा। आपको सिद्धान्तों के ऊपर चलकर नई दिशा देनी चाहिए थी। लेकिन आप एक्ट इस प्रकार का लाते हैं तो इससे बड़ी कलंक की बात कोई और नहीं हो सकती है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक नहीं......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अन्त में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल के ऊपर तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विचार का प्रश्न ही नहीं है, इसको बिल की स्थिति तक भी नहीं आने देना चाहिए था। आज जो ऑर्डिनेन्स बिल के रूप में कन्वर्ट होकर प्रस्तुत हुआ है इसको आर्डिनेन्स की स्टेज पर ही खत्म कर दिया जाय। और इसको रिजेक्ट करें, चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों। यह लोकतन्त्र की झूठी परम्परा में बन्ध रहे हैं तो उस झूठी परम्परा का पालन नहीं करना चाहिए इस सदन के नाम पर। उसके लिए आपको जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। वह दिन दूर नहीं है जबकि जनता अपने एक्ट बनायेगी और अपनी अदालतों में आपको खड़ा करेगी अगर इस प्रकार के बिल आज देश की स्थिति में आप पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय लोकसभा में प्रिवेंटिव डिटेन्शन एक्ट के बारे में बहस हो रही थी तो उस समय हमारे देश के एक महान नेता डॉ. मुकर्जी ने कहा था कि It is law less law. उस समय लोक सभा में यह कहा गया था कि ऐसी परिस्थितयां पैदा हो गई हैं देश के अन्दर कि जिसके कारण से कुछ समय के लिए इस कानून की आवश्यकता है। और उस कानून को उतने ही समय तक रखा जायेगा जब तक वह आवश्यक होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि केवल प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट ही नहीं, डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्दर रूल्स और डी. आई. आर. के प्रॉवीजन्स लगभग हमारे देश में स्थाई तौर से हमेशा के लिए परमानेन्ट रूप में लागू हो गये हैं, और आज तक चालू हैं। इसके बाद मेन्टीनेन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) आया। जिस समय संसद में इस पर विवाद हो रहा था और सब विपक्षी दल के नेताओं ने कहा था, पुरजोर शब्दों में कहा था, कि यह राजनैतिक दुर्भावना से लाया गया है और अपने विपक्षी दल के राजनेताओं का दमन करने के लिए, जन आन्दोलनों को कुचलने के लिए, आप बना रहे हैं, लेकिन उस समय भी यह कहा गया कि यह केवल चन्द तस्करियों या ऐसे देश-द्रोहियों के लिए काम में लाया जायगा, इसका किसी प्रकार के आन्दोलन या राजनीति से सम्बन्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही समय बाद भारतीय जनसंघ के महान् नेता अटलबिहारी वाजपेयी जी बिहार के अन्दर जयप्रकाशजी के आन्दोलन के समर्थन में दौरे पर जा रहे थे तो उनको मीसा में गिरफ्तार किया गया। संसद में इस बात का आश्वासन दे रखा था कि इस कानून को कभी भी किसी राजनेता के, किसी जन नेता के, खिलाफ किसी जन-आन्दोलन में कभी भी काम में नहीं लिया जायगा। लेकिन उस आश्वासन के बावजूद कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। एक नहीं, अनेक, उपाध्यक्ष महोदय, एडवोकेटों को मीसा में इसलिए गिरफ्तार किया गया और यह कारण दिया गया कि श्री प्रसाद ने मीसा में गिरफ्तार श्री सोहन के मुकद्दमे की हाई कोर्ट में पैरवी की जिससे राज्य की असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई थी इसलिए उनको मीसा के अन्दर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह से कई एडवोकेटों को गिरफ्तार किया गया। विद्यार्थियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मीसा का दिन-दहाड़े दुरुपयोग किया गया। बिहार में ही नहीं, अब तो सारे देश

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
के अन्दर राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को दबाने के लिए मीसा एक अमोघ अस्त्र के रूप में राज्य सरकारें काम में ले रही है। प्रिवेंटिव डिटेन्शन एक्ट, डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स, मैन्टीनेन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट, इण्डियन पीनल कोड की विभिन्न धारायें, 107, 151, आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के सैक्शन 109, 144, इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार से सब प्रकार की कार्यवाही करने के लिए साधन-सम्पन्न होते हुए भी, सब प्रकार से काबिल होते हुए भी, आज इस गुण्डा ऑर्डिनेन्स को यहां पर सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया है और गुण्डा बिल लाया जाने वाला है तो उसका विरोध करने के लिए हमने प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान के लिए आज यह गुण्डा दिवस है। गुण्डा दिवस इसलिए है कि सदन के अन्दर अपने दकियानूसी बहुमत के आधार पर कांग्रेस पार्टी के लोग येनकेन प्रकारेण आज इस काले कानून को इस पवित्र सदन के द्वारा हर प्रकार से पारित करवाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। इस ओर के और उस ओर के जो माननीय सदस्य हैं उनके हृदय की विचार-धारा को समाप्त करके अपने आपको वह इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं कि इस काले कानून को पारित कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस काले कानून, और आज इस गुण्डा दिवस में राजस्थान में गुण्डा कानून पास किया जा रहा है, उसकी मैं पुरजोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने स्पष्ट कल्पना है कि यह गुण्डा कानून गुण्डों को दबाने के लिए, जो कि सड़कों पर और कॉलेजों के आस-पास हमारी बहनों के साथ में दुष्ट व्यवहार करते हैं, या जो व्यक्ति जरायाम पेशा के तौर पर पिक-पाकेटिंग करते हैं या अन्य प्रकार से व्यवहार करते हैं, दबाने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए नहीं है। यदि इसका प्रयोग उनके खिलाफ करना है तो मुख्य मन्त्री महोदय या राजस्थान के मुख्य सचिव बतायें कि 28 जनवरी, 75 को यह ऑर्डिनेन्स आया, उसके बाद क्या नियम बनाने का भी कष्ट किया। जिस ढंग से ऑर्डिनेन्स लाकर 213 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को बाध्य किया हस्ताक्षर करने के लिए....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका दुरुपयोग करने की मन्शा नहीं है। डरा दिया है ऐसा कानून लाकर, इसलिए लोग चुपचाप हो गये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाने वाला है। मुख्य मन्त्री जी के पास ऐसा पत्र आया था, मेरे पास भी आया है, जिस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का चार्ज लगाया गया था, नरपतसिंह वल्द बलदेवराम जी सा. मंगलपुरा तहसील लाडनूं। उन्होंने लिखा है "हमारी हालत एम.एल.ए. साहब लाडनूं द्वारा जैसी चेताराम ने खादू में की थी वैसी की वैसी कर दी है। उपरोक्त तथ्य बिल्कुल सही है। कृपया विधान सभा में प्रश्न उठाकर मुख्य मन्त्री जी को व अन्यों को मौके पर लाने की कृपा करें। करीबन तीन लाख के हमारे कृषि फार्म को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
हम सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं। कृपया राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट होने से बचा लीजिये।"

उन्होंने लिखा है "12-2-1975 की रात को करीब 12 बजे हमारे गांव के करीबन 100-125 व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से मेरे कृषि फार्म की 250 फीट लम्बी व 10 फीट ऊंची दीवारें व मकानात, तारबन्दी बाड़े आदि स्थानीय विधायक श्री सुखदेव जी दीपंकर द्वारा नष्ट कर दिए गए व सारा मलबा उठाकर ले गए।"

(व्यवधान)

श्री दीपंकर : इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दीजिये....

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : "जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना, लाडनूं में की व तारीख 13-2-75 को व तारीख 13-2-75 को ही एस. पी. साहब व जिलाधीश महोदय के समक्ष पेश होकर सारा किस्सा बताया तथा दिनांक 14-2-75 को मेरे पिताजी व मेरे फार्म पर काम करने वालों को खूब पीटा गया जिसकी भी रिपोर्ट उसी वक्त थाने में की तथा घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने विधायक साहब के कहे अनुसार पुलिस वालों को भी खूब पीटा जो लाडनूं अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जान माल व कृषि फार्म पूर्ण खतरे में है।" यह रिपोर्ट माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेजी है, मेरे पास एक प्रतिलिपि भेजी गई है।

(व्यवधान)

श्री दीपंकर : यह बिल्कुल असत्य है। मैं चैलेन्ज करता हूं। सुनिये ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम दे सकता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप बाद में बोल लेना, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वह मैंने आपको बताई।

व्यवस्था का प्रश्न

उल्लिखित पत्र की प्रति सदन पटल पर रखने सम्बन्धी

श्री राजेन्द्र भारतीया : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। क्या ओरिजिनल सदन के पटल पर रखा गया है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : दस्तखत शुदा दरख्वास्त है, मुख्य मन्त्री जी को भेजी गई थी, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी भेजी गई है।

श्री केदारनाथ : अथोरिटी चाहिये ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से ही मैं इसको सदन के पटल पर रखूंगा। इन्होंने प्रतिलिपि जिलाधीश, नागौर, डी. आई. जी., आई. जी पी., मुख्य मन्त्री जी, विजिलेन्स कमिश्नर, प्रधान मन्त्री, भारत सरकार, सब को भेजी है। मुझे भी एक प्रतिलिपि भेजी गई है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। विधेयक के खिलाफ कोई पत्र रखने से पहले चेयर से परमिशन ली जानी चाहिये थी जो ली नहीं गई, यह एक बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है। इसलिए इस पर आपको सीरियस एक्शन लेना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था, यह तो एक उदाहरण दिया था। बीच बीच में टोका टाकी की तो मैंने उनको बताया कि यह मेरे पास पत्र आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे ऑर्डिनेन्स लाने के बाद में, जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान राज-पत्र में इसके सम्बन्ध में कोई नियम प्रकाशित नहीं हुये हैं, और यदि हो गए हैं तो I am subject to correction. 213 के नीचे ऑर्डिनेन्स लाये। राष्ट्रपति की स्वीकृति ली। इसमें लिखा हुआ है "राज्यपाल द्वारा 28 जनवरी, 1975 को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अध्यादेश, 1975 बनाया एवं प्रख्यापित किया गया था।" ऐसा क्या विस्फोट होने वाला था? क्या चीन और पाकिस्तान का हमला होने वाला था? क्या इमरजेन्सी ऐसी आ गई थी? इस बिल को लाना ही था तो बिल को बिल के तरीके से लाया जाता। फ़ेट अकम्पली के नाते रख दिया।

श्री राजेन्द्र भारतीया : मैंने पाइन्ट ऑफ आर्डर पेश किया था, उसका क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर?

श्री राजेन्द्र भारतीया : अभी मैंने उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उसकी इजाजत नहीं दी।

श्री राजेन्द्र भारतीया : सदन में डाक्युमेन्ट्स आ जायें, पढ़े भी जायें, और सदन की कार्यवाही में रहे बिना आज्ञा के that should be taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक किसी डाक्यूमेन्ट को पेश करने का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को अधिकार है कि वे पेश करें या न करें। मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। जहां तक आरोप लगाने का सवाल है, जिन माननीय मंत्री महोदय, अथवा विधायक महोदय के खिलाफ लगाया जाता है तो उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है, उसके लिये मैंने पहले ही निवेदन कर दिया।

श्री दीपंकर : इसके लिये मुझे समय दिया जाय।

परिनियत संकल्प पर अग्रेतर विचार

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 9 किस्म के गुण्डे मोटे तौर पर बताये गये हैं। बारीकी से इसका विश्लेषण किया जाय, जैसा मैंने किया है, तो 15 किस्म के गुण्डे राजस्थान में हैं। यह दुर्भाग्य या सौभाग्य या किसी प्रकार का कोइन्सीडेन्स है कि हमारे राजस्थान मंत्रिमंडल का नम्बर भी 15 है और बड़े तौर पर इसमें नौ क्लॉजेज हैं जिसको बारीकी से देखने से वह नम्बर भी 15 के करीब जाता है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक 7 क्लॉजेज का प्रश्न है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं, एडवोकेट हैं सीनियर, मंत्रियों के लिये गुण्डा शब्द का प्रयोग किया, यह तो उचित नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने तो नहीं किया, आप करवाना चाहते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कुल मिलाकर असर इस पर है। शब्द जाल में बचना चाहते हैं, खुद वकील हैं.......

श्री दीपंकर : उद्देश्य भी आपका यह है कि सब को गुण्डे बनायें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक्सप्रेशन करके, साइन करके कहें ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुना नहीं क्या कहा ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं फिर निवेदन कर दूं। भूतपूर्व मंत्री महोदय की यह मंशा है कि मंत्रियों के बारे में जो वे कहलवाना चाहते हैं वह मैं कहूं लेकिन मैं उनकी इस मंशा की पूर्ति नहीं कर सकता। वे सदन के अन्दर आरोप लगा सकते हैं कि सौ करोड़ का घोटाला किया सड़कों के अन्दर। यह उनकी आदत है, उनके माध्यम से मैं कहूं, उनकी परिभाषा में वे भी आ जावेंगे। लेकिन मैं नहीं कहूंगा जो वे मुझ से कहलवाना चाहते हैं। मैंने यह कहा था कि यह दुर्भाग्य या सौभाग्य या कोइन्सीडेन्स की बात है कि गुण्डा ऑर्डिनेन्स बनाया गया, इसमें मोटे तौर पर 9 क्लॉजेज हैं उनका डिविजन किया जाय और गुण्डों की परिभाषा की है, (बी) में गुण्डों की डेफिनिशन है, इसमें 15 प्रकार के, बारीकी से देखने से पता चलेगा, गुण्डे बताये गये हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्य या कोइन्सीडेंस की बात है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल का भी नंबर 15 है।

व्यवस्था का प्रश्न

असंसदीय और अभद्र अभिव्यक्ति

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपत्ति करता हूं। क्यों ? इसको कार्यवाही से हटाया जाय। सिवाय इसके और कुछ नहीं कि यह सीधा आक्षेप नही लेकिन परोक्ष तो है। सीधा आक्षेप लगाना जरूरी नहीं होता है। बाई सिम्बोल, बाई साइन्स, बाई एक्सप्रेशन, बाई स्पोकन वर्ड्स बाइ रिटन ऑर्डर्स, ये सब आते हैं। ये भी उतने ही खतरनाक समझे जाते हैं जितने कि सीधे कहे हुए वर्ड्स माने जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : For my satisfaction. आपका क्या इसमें अन्तर्निहित है ? आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ? क्या ये शब्द अनपार्लियामैन्ट्री हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : डिफेमेटरी हैं, इसलिए अनपार्लियामेन्ट्री हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसी व्याख्या होनी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 15 नम्बर के गुण्डों से इसकी कहां क्या रिलेवेन्सी है ?

Page No 64

(64)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
किस पॉइन्ट को, किस बात को आप बताना चाहते हैं ?

At what conclusion you want to come by this argument ?

श्री उपाध्यक्ष : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य इस आसन पर विराजमान थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। उन्होंने जो बताया था कि मैं कहलाना चाहता था। यह उन्होंने बात कही यह उनके किसी आर्गुमेन्ट को मजबूत करने के लिए आवश्यक हो, ऐसा मैं नहीं मानता ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जो अधूरापन था वह पूरा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस भाषा का प्रयोग किया है न तो वह भाषा और न ही वे शब्द मुझे डिफेमेट्री लगे। न असंसदीय लगे। उसका इन्टरप्रिटेशन किस रेफरेन्स में, किस पृष्ठभूमि में लिया जाय, वह तो अलग अलग और वह व्यक्तिगत है। आपने कहा उसमें उस तरह की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : यह डाइरेक्ट सिमिली है।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री राजेन्द्र भारतीया : इससे बढ़ कर डिफेमेट्री रिमार्क और कोई नहीं हो सकता।

श्री मनोहरलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री राजेन्द्र भारतीया : राजस्थान मंत्रिमंडल के लिये इससे बढ़ कर और कोई डिफेमेट्री रिमार्क्स नहीं हो सकते। सब सुनने वाले समझ जावेंगे।

श्री मनोहरलाल : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा उन्होंने जो कहा है उसका आशय बता दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कोई आदमी मोटा होता है और उसको भैंसे से जोड़ने की बात करें तो वह आदमी उसी साल में कुमला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से तो इसका कोई तालमेल बैठेगा नहीं, यहां तो अपेक्षा नहीं करिये।

श्री केदारनाथ : इसको ह्युमर मान लिया जाय।

परिनियत संकल्प पर अग्रेतर विचार

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऑर्डिनेन्स के रूप में लाया गया है। क्या किसी डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ने कोई आज तक ऐसी आज्ञा दी, किसी मंत्री ने आज तक इसके लाने के बाद आज्ञा दी ? आज तक किसी एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार का एक्सटर्नमेन्ट का ऑर्डर दिया हो तो बता दीजिये ? नहीं दिया। केवल यह आतंक फैलाने के लिये ही लाया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में पहले ऑबजेक्शन किया था तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि विद्यार्थियों के लिये विशेषतौर से बनाया गया है। किस सन्दर्भ में ? दो बातें

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

राज्य सरकार के सामने होनी चाहिये, यह इससे सिद्ध हो गया है, विद्यार्थियों का दमन करना और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का इससे दमन करना। एक बात तो उन्होंने मंजूर कर ली किसी फार्म में की The cat is out of bag. इस ऑर्डिनेन्स के बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा काण्ड हुआ। क्या गुण्डा एक्ट में कोई कार्यवाही की गयी। किसी विद्यार्थी को मारपीट के लिये गिरफ्तार किया गया? जयप्रकाश जी के आन्दोलन में जाने के लिये; भाषण में सुनने जाने के लिये कानून का दुरुपयोग कर लिया। क्या हिंसा का वातावरण इसके आने के बाद खत्म हो गया? यदि नहीं तो केवल छात्रों के ऊपर यह तलवार लटका दी। बिहार में आन्दोलन चल रहा है, दिल्ली में चलने वाला है, राजस्थान में भी आने वाला है। जयप्रकाशजी राजस्थान में भी आने वाले हैं, उनके आन्दोलन में भाग लिया तो इस कानून के अन्तर्गत 6 महीने तो तुम्हारी पढ़ाई बरबाद कर देंगे। जोधपुर विश्वविद्यालय से एक्सटर्नमेन्ट कर दिया, छः महिने के लिये पढ़ाई बन्द हो जावेगी। हिन्दुस्तान के कानून देखे हैं मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार का रिगोरस और रिवेन्जफुल कानून और कोई जगह नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी स्थिति आयी थी तो सन् 1932 में यूनाइटेड प्रोविन्सेज में गुण्डा एक्ट 1932 में बनाया गया। आज काले अंग्रेज यहां है। गोरे अंग्रेज तो चले गये। दमन की प्रवृत्ति इसके द्वारा उनसे अधिक रूप में हैं। उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविन्सेज एक्ट, 1932 में पहला प्रोविजन यह रखा इसको वहां लागू किया जावेगा जिसके लिये नोटिफिकेशन निकाला जावेगा समय समय पर। आम अधिकार नहीं दे दिये जब चाहे अत्याचार करो। दूसरा यह रखा, सेक्शन 5 क्लॉज 1 उसमें यह रखा कि किसी व्यक्ति को गुण्डा डिक्लेयर करना होगा, एक्सटर्नमेन्ट करना होगा तो

"After issue of the warrant under section 4, the local Government shall forthwith cause the report of the District Magistrate with all material facts and circumstances in their possession relevant to the same to be placed before two advising judges, of whom one shall be the District and Sessions Judge of Cawnpore and the other a Sessions Judge or Additional Sessions Judge of the Cawnpore Sessions Division."

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयम् इस बात को जानते हैं मीसा के अन्दर तीन जज डी. आई. आर. में भी ज्युडिशियरी से स्क्रूटिनी होती है। हमारी राजस्थान सरकार ने सारी चीज को खत्म कर, कानून के राज को खत्म कर जंगल का कानून लगा दिया। एडवाइजरी कौंसिल की बैठक बैठी थी हमसे कहा गया कि सुझाव दीजिये, हम मानेंगे। मैं आप को सुझाव देना चाहता हूं। ऑर्डिनेन्स समाप्त हमारे कहने से नहीं होंगे। आपकी अपनी हठधर्मी रखेंगे। होम कमिश्नर को अपील

Page No 66

(66

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
का ज्युरिस्डिक्शन रखा है। ज्युडिशियल स्क्रुटिनी के कोई पावर्स नहीं हैं, कोई प्रोविजन नहीं है। राजस्थान सरकार ने एक लॉ-लेस कानून बनाने और जंगल का राज कायम करने की कोशिश की है।

मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय इस पर विचार करें। मैंने 1932 का कानून पढ़ कर सुनाया है। डिस्ट्रिक्ट जज बैठकर यह निश्चित करते थे कि यह गुण्डा है या नहीं। चूरू की घटना हुई है। पुलिस ने मारपीट की हैं। जिलाधीश कहता है कि जिस जनता ने कांच तोड़े है, उनकी कांच निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि कांच आप नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिर के जितने बाल हैं, उनको नोंच लिया जायेगा। तो उन्होंने कहा कि बाल अपनी बीबी के नोंच लेना।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करूं। अब इलेक्शन की मीटिंग हो। जिलाधीश कहेगा कि इस मीटिंग को समाप्त करना है। जयपुर जिले के कार्यकर्त्ताओं को बांसवाड़ा भेज दिया जाएगा। नागौर की विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अन्य जिलों में भेज दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उनको यह भी अधिकार है। कितना अधिकार है, वह इसमें कहा गया है।

"require such person to notify his movements, or to report himslf, 'or to do both, in such manner, at such time and to such authority or person as may be specified in the order;"

यानी वह कहां बैठें, कहां पढ़े लिखें इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज्ञा देगा। वह कह दें कि थाने में मुर्गा बनाकर बिठाना है तो उनको मुर्गा बनाकर बिठाया जायेगा। इसमें यह भी होगा कि एक पर्टीक्युलर पार्टी की टोपी लगाकर कोई चल रहा है तो वह यह नहीं कर सकता है। वह किसी पार्टी का झण्डा लेकर चल रहा है तो वह कह सकते हैं कि तुम झण्डा लेकर नहीं चल सकते हो। जयप्रकाशनारायण जिन्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हिलमैन थे। पटना और बिहार के बहुत बड़े नेता के कारण धारा 144 लगाने की आज्ञा दी थी। सन 1944 में 144 की बैन लगी थी, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने यह फैसला दिया था कि आप यह नहीं कर सकते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आज हिन्दुस्तान को फिर दमन चक्र चलाकर उसी प्रकार से समाप्त करना चाहते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एक्साइज है, आप्यूम के केसेज हैं इसके लिए कोई प्रावधान बनाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति तो तब होती है जब कहते है कि ...

"is generally repurted to be a rowdy or a person who is desperate and dangerous to the community;"

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अब कम्युनिस्ट पार्टी ने आन्दोलन किया जिसके पास भूमि है, उसके पास से भूमि हथियाओ। इस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी की जो नीति है, वह हमारी नीति नहीं है। इसमें यह लिखा गया है—

"or whose movements or acts are causing or are calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property."

इसके अन्दर कोई भी जायेगा तो इसका मतलब है कि गुण्डा डिक्लेयर कर दिया जायेगा। कोई यह कहे कि यह स्टॉक पड़ा हुआ है। डी. एस. ओ. नहीं निकलवायेगा। उसके लिए अगर कोई कहेगा तो वह गुण्डा हो जायेगा। अब जहां पर अकाल है वहां कोई प्रदर्शन लेकर जाता है तो वह गुण्डा हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जगह जगह यह कह रहे हैं डिस्पेरेट हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह रिलेटिव टर्म है और पर्टीक्यूलर शासन में यह कहने का एक अधिकार मात्र है। मैं निवेदन करूंगा; इसको लेकर भी 56-57 का बाम्बे प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है—

"is generally repurted to be a rowdy or a person who is desperate and dangerous to the community"

और कहीं मुझे नहीं मिला है। हो सकता है कहीं और हो। कोई इस टेम्रामेन्ट का हो जाता है तो उसको आप एक्सटर्नमेन्ट कर दोगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा यह निवेदन करना है, इस सम्बन्ध में, इस ऑर्डिनेंस को लाना आवश्यक नहीं था। इस गुण्डा एक्ट को ऑर्डिनेन्स के रूप में लाये और अब उसको कानून के रूप में पारित करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह जुडिसियरी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। अपोजीशन के ऊपर हमला है। राजस्थान के विद्यार्थी आन्दोलन पर हमला है। जन आन्दोलनों पर हमला है। जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन पर हमला है। सभी प्रकार के अन्दोलनों पर घातक हमला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अभी भी समझ ले और इस गुण्डा एक्ट को वापिस ले लें। और वापिस लेकर अगर वह कोई कानून बनाना ही चाहती है तो वह राज्य सरकार की दुर्भावना से राजनीतिक दुर्भावना से नहीं होगा। जिस प्रकार से राज्य सरकार इसको करने जा रही है यह घातक है। हमारे संविधान की हत्या है। जनतन्त्र की हत्या है। यह लॉ-लैस कानून है। जंगल का कानून है। इसलिए जो इसके बारे में प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं बोलूंगा।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री दीपंकर (लाडनूं) का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा

(श्री दीपंकर)

है। अभी लोढा साहब ने अनजाने में एक बात कह दी है गुण्डा एक्ट के साथ जोड़ते हुए, वह मेरे पर लागू होती है। उन्होंने यह कहा कि उनके पास एक खत आया है। वैसे मैंने इस बारे में सरकार के पास ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में इस पर विशेष रूप में चर्चा होगी। मंगलपुरा गांव लाडनूं का हिस्सा है। वह गांव खाली है। वहां पर भयंकर आन्तक है। और यह आदमी बहुत बदमाश है जिसने पुलिस के साथ मिल कर, एक औरत के बच्चा हो रहा था, आधा बाहर था आधा अन्दर, उसको मरवाया। गांव वालों ने पुलिस से झगड़ा किया, इसलिए गांव वालों को 307 में गिरफ्तार करा गया। इससे मेरा लेना देना नहीं है। इस आदमी ने सार्वजनिक प्रोपर्टी पर कब्जा किया है। पंचायत एक्ट की धारा 27 (2) के तहत सार्वजनिक कब्जे से हटा कर एक जगह पर रख दें और नीलामी के थ्रू करायें। लेकिन उसको छिपा कर पुलिस के साथ मिल कर एक मुकदमा बनाया। उसमें मुझे मुलजिम बना लें, जांच करना चाहें तो लोढ़ा साहब मुलजिम बन जायं—मैं खुली छुट देता हूं। लोढ़ा साहब, मेरे खर्च पर मंगलपुर जांय। वहां पर जाकर सूचना, पत्र लिखने वाले आदमी के अलावा, फैमिली के अलावा डेढ़ सौ आदमी हैं, उनमें से कोई औरत, बच्चा बूढ़ा, विद्यार्थी यह कह दे कि यह आदमी इस लायक है, इसका लिखना सत्य है तो लोढ़ा साहब कहें वह सजा मुझे मिलनी चाहिए, अन्यथा लोढ़ा साहब राजनैतिक नाराजगी के कारण—हालांकि पत्र उनके पास आ जाय, मेरे पास भी उनके खिलाफ बहुत से आते हैं, बहुत से माननीय सदस्यों के पास आते हैं लेकिन सदन में चर्चा करके हल्केपन से पेश नहीं आना चाहिए। मैंने कोई गुण्डागर्दी नहीं की है, मेरा घटना से संबंध नहीं है। कोई पंचायत नहीं है। 12 तारीख की घटना है, जिलाधीश के यहां 12 को मीटिंग थी, पानी के बंटवारे के सिलसिले में, एम. एल. ए. जिसमें थे, मैं वहां था, 13 तारीख को एफ. आई. आर. दर्ज होती है, उस समय मैं जयपुर में होता हूं। सारी कनडीशन आपको बतायी है, ध्यानाकर्षण के रूप में दो-तीन बात बतायी हैं। सरकार का इस पर रिप्लाई आयेगा। लेकिन आपकी जिस तरह की मनोवृत्ति बन गई है, एक तरह से आप प्रिजुडिस हो गये हैं मेरे से, मैं समझता हूं कि आप प्रिजुडिस न रहें और घटना के तथ्य हैं, उनको लेकर, और इस हाउस में सही मायने में सामने रखें तो अच्छी बात है। यदि उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहूं तो इस वक्त यह कह सकता हूं और चैलेंज करता हूं कि जो पत्र देने वाला व्यक्ति है वह गुण्डागर्दी करने में शुमार है, उसका पूरा परिवार परिभाषा में आता है। मैं समझता हूं कि आपने पत्र पढ़ दिया, इसलिए थोड़ा बहुत दोष आप पर लागू हो गया है, हम पर नहीं हुआ है। मुझे इतना ही कहना है, इससे ज्यादा नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

परिनियत संकल्प पर अग्रेतर विचार

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने इस अध्यादेश को अस्वीकार किये जाने का जो

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

संकल्प रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। वैसे आप जानते हैं, अध्यादेश के बारे में मैं खुद हमेशा इसका विरोध करता हूं। आज जब आपकी दलीलें मैंने सुनी ओपन माइन्ड से, इस नतीजे पर पहुंचा, आपकी दलीलें हैं उसमें तथ्य नहीं हैं ......

श्री गुमानमल लोढा : समर्थन करना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : समर्थन नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गुण्डा एक्ट पहले जब अखबारों में आया था उस वक्त कुछ ऐसा आभास मिला, राज्य सरकार की ओढ थिंकिंग आ गई, उसमें ऐसा लगा, मुझे भी अटपटा लगा, कुछ जातियां हैं, वह कुछ जातियों के होस्टल चलते हैं, उनमें लड़के रहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया जाय। इसका मतलब यह है सिविल ला के अनुसार कब्जा करें तो कम्पेनसेशन देना पड़ेगा, अच्छी तरह मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पुलिस व मजिस्ट्रेट कब्जा करे दखल तो छूट हो जाय क्योंकि विश्वविद्यालय में पुलिस जा नहीं सकती। लड़कों के मामले में, विद्यार्थियों के मामले में वाइस चान्सलर ऑथोरिटी है, वही निर्णय करते हैं। उसमें कुछ ऐसा था कि इस बिना पर विद्यालय और विश्वविद्यालय के मामलों में भी दखल दे सकती है—इस तरह की कुछ बातें आई। इसलिए मेरी धारणा कुछ और तरह की हो गई। मैंने इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने के बाद पढ़ा और माननीय सदस्यों की दलील सुनी। एक बात पर हम सब सहमत होंगे, मेरे ख्याल में, आप विरोध नहीं करेंगे, इसमें जो अपराध वर्णित किये गये हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है या घटे हैं। और आप जानते हैं, किसी शहर की जनसंख्या एक लाख है, तो इसमें से चालीस हजार से ज्यादा माली मान लें, ब्राह्मण मान लें, वह वहां के लोग होते है, बाकी बाहर के लोग आते रहते हैं। पहले एक दूसरे को जानते थे, इतनी बेकारी भी नहीं थी, शिक्षित और अशिक्षितों में। समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था। लड़कियों की छेड़खानी करने की, मारपीट करने की घटनायें नहीं होती थीं। पुलिस वाले भी जानते थे। इसलिए बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन बम्बई में भी चालीस साल पहले बनाना पड़ा। आज अपने शहरों में महाराष्ट्र, बम्बई और बड़े शहर हैं। तो यह प्रवृत्ति उस वक्त नहीं थी, क्योंकि शहर छोटे थे, आपस में एक दूसरे को जानते थे, जन जीवन इतना जटिल नहीं हुआ था, नई नई समस्यायें नहीं थीं। नये नये महकमे खुलते हैं, उद्योग धन्धे खुलते हैं, मिलें खुलती है तो उससे देश के अर्थ में मान लें, शक्ल बदल गई है। आज एक दूसरे को जानते नहीं, पड़ौसी तक को जानते नहीं। इस तरह की समाज व्यवस्था में यह सारी स्वाभाविक बातें हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह कम्युनिस्ट चीन जब आजाद हुआ, उस वक्त शंघाई संसार भर में गुण्डा का प्रदेश था और उनमें सामंजस्य करता था, जो काम अदालत और पुलिस महकमा नहीं कर सकता, वह गुण्डे करा सकते थे। दुनिया के विकसित देशों में, न्यूयार्क में एक बस्ती है, वहां रात को कोई जा नहीं सकता था, आज भी नहीं जा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

सकता है। लन्दन की एक रिपोर्ट पढ़ी, तीन चार साल पहले, अंधेरा होने पर ट्रक लेकर, कार लेकर कोई जा नहीं सकता था। पहले यह प्रवृत्ति नहीं थी, अब विकसित हुई है। जैसे जैसे आबादी इकट्ठी होने लगी, यह मनोवृत्ति पैदा हुई और अपराधों में वृद्धि हुई है-इससे इन्कार नहीं है। सत्तर, चालीस साल पहले औरत, लड़की के सामने कोई फोश लफ्ज कह देता तो दस आदमी डांटने को तैयार हो जाते। आज लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ होती है, आप और हम जैसे व्यक्ति, जो अनुभवी हैं और समाज में प्रभाव रखते हैं, वह डर से कुछ कह नहीं सकते। आज लड़की घर नहीं रहती है, आज पढ़ने जाती है, सिनेमा में जाती है। सिनेमा में दस बीस आदमी की पार्टी होती है। एक से झगड़ा कर लीजिये तो भाग कर पच्चीस आ जायेंगे। कोई इज्जतदार आदमी के साथ मार-पीट, धक्का मुक्की हो सकती है एक अकेले इज्जदार आदमी के साथ। कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर मेले होते हैं, सिनेमा होते हैं, सार्वजनिक मेले होते हैं, वहां पर इस तरह की घटना घटती है, इस तरह की घटना चलती हैं तो कोई अकेला व्यक्ति अगर थोड़ा जोर से बोल कर दे तो भय सा लगता है, क्या पता, क्या हो जाय-इससे आप और हम इन्कार नहीं कर सकते कि हम थोड़ा दब कर चलते हैं। खुद सरकार के कानून हैं, वह तीन चीजों की हिफाजत करते हैं, व्यक्ति के शरीर को, उसके धन-दौलत की, और उसकी इज्जत की। कितनी बार देखते हैं कि दस बीस आदमी तय कर लें, किसी को डरा दें, धमका दें, गला पकड़ लें तो यह शर्म की बात है। सबके सब नाक नीचे करके रवाना हो जाते हैं। लेकिन बस में बैठ जायं, दस आदमी बस में बैठ जायं और वह दस आदमी बस में बैठे आदमियों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि इन चीजों में पिछले दस वर्षों में वृद्धि नहीं हुई है। बराबर वृद्धि हुई है। प्रश्न यह है कि क्या इस बुराई को रोकने का प्रयत्न सरकार को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई आप में से, हम में से यह नहीं कह सकता है, इस तरह जो बुरी प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है, खास तौर से बड़े शहरों में, उस पर रोक नहीं लगाई जाय। इससे इन्कार नहीं कर सकते। अब प्रश्न है कि रोक लगाने का तरीका क्या अपनाया जाय, इस सम्बन्ध में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कोई सुझाव नहीं दिया कि इसमें यह तरीका अपनाना चाहिए या दूसरा तरीका अपनाना चाहिए-यह नहीं कहा। केवल इसका विरोध किया। यह कहा, मीसा पास हुआ था उस वक्त फलां ने ऐसा कहा था। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून पास हुआ था, उस समय ऐसा कहा था। आप शिकायत करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, मीसा का उपयोग राज्य सरकार पूरी तरह नहीं कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि मीसा का दुरुपयोग किया। तो मैं कह सकता हूं नम्रतापूर्वक, राजस्थान में, मीसा प्रिवेंटिव डिटेंशन या गुण्डा एक्ट है-इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है और बहुत ही कम केसेज सामने आये हैं। नई चीज, नया कानून बनता है, जैसे नया स्कूटर लाते हैं तो क्या पता कब खतरा आ जाय, गिर पड़ें एक्सीडेंट हो जाए, घर में बिजली हैं हाथ लग जाय, तो खतरे की बात छोड़ दीजिए। आम तौर से जो चीज है उसकी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तरफ कोशिश, करनी चाहिए। माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसके लिए साधारण कानून हैं। एक्साइज है, ओपियम है, गैम्बिलंग है, इसके लिए इंडियन पेनल कोड की धारा 107, 108 व 110 है। माननीय सदस्य आप वकील हैं, मैंने तो काफी पहले वकालत की है, 107 का सीमित दायरा है, समाज में विद्रोह करे उसके लिए 107 काम में नहीं आता है। मेरे और तीसरे व्यक्ति में आपस में शांति बनी रहे, इसके लिए है। 109 है वह व्यक्ति आवारा के लिए है जिसके पास अपना कोई खाने-पीने के लिए पैसा नहीं हो तो उसको पुलिस पकड़कर रख सकती है। 110 उसके लिए है जो खतनाक व्यक्ति है जो डकैती करे या अपराध करे तो उनको रोकने का अधिकार है लेकिन इस में और बात है। आई. पी. सी. तो है ही। गुंडे की परिभाषा में हैं, गुंडा वह है जो औरतें बेचने का इम्मोरल धंधा करे उसमें उसको दो बार सजा हो जाए...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप सेक्शन को पढ़ो।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं सब पढ़ूंगा। आबकारी कानून में जिसको दो बार जेल हो जाए और गैम्बलिंग एक्ट के तहत जिसको दो बार जेल हो जाए, लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में 3 बार शिकायतें आ जायं, इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करने में पिछले 6 महीने में कम से कम 3 शिकायतें आ जायं और उसके बाद में जिला मजिस्ट्रेट को यह तसल्ली हो जाए..........

श्री गुमानमल लोढ़ा : लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ और झगड़े करने वाले का कहां से लाए ?

"Is generally reputed to be rowdy"

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I agree with you:

श्री केदारनाथ : हैबीच्यूअल की डेफीनेशन दें।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : उसके बाद में जिला मजिस्ट्रेट को यह तसल्ली हो जाए कि दो दो बार सजा हुइ इसमें सजा नहीं है सिवाय....

श्री मनोहरलाल : सेक्शन 110 से कौनसा आफेंस बच गया है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आपका नंबर आएगा तो आप कहना कि मैंने बेवकूफी की बात कही है। मैं कानून पर सीरियस बहस कर रहा हूं। सिवाय 8 के जितने हैं या तो दो बार सजा रखी है या तीन तीन शिकायतें आई हों पिछले 6 महीने में, जिला मजिस्ट्रेट उसके बाद सैटिसफाई हो जाए कि एक व्यक्ति इतनी गुंडागर्दी कर चुका है और आगे करेगा तो उसमें यह भी होना लाजमी हैं कि कोई गवाह नहीं। तीन बार कह चुके हैं, सजा दो बार हो चुकी है इतनी चीज फुलफिल करता है उसके बाद इतना काफी नहीं है ? गुन्डा है तो उससे भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद में भी यह करेगा। उसके बाद यदि गवाह देने वाला नहीं मिलेगा तो ऐसी हालत में जिला मजिस्ट्रेट है वह

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

बाहर जाने के आदेश दे सकते हैं। जिसको दो दो बार सजा हो जाए, पिछले 6 महीने में कम से कम 3-3 बार शिकायतें हों, गवाह कोई आने को तैयार नहीं उसके लिए रखा है। उसके बाद भी उसको नोटिस दिया जायगा, जाब्ते की कार्यवाही की जाएगी। 103 में चालान किया, अदालत के बाहर निकला, गवाह को झापड़ लगा दी, जो लोग ऐसा करते हैं तो फिर? हम कहते हैं कि ऐसी बुराई पर रोक लगाओ। आप इससे बेहतर तरीका बतायें। उसको उस जिले के बाहर भेज सकते हैं। गंगानगर वालों को बाहर भेज दिया तो दूसरे जिलों में काम सिखा देगें। तो इस कानून के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं कि यह काला कानून है, ऐसी इसमें बात नहीं है। एक दो बातें जरूर हैं जैसे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, होम कमिश्नर को नहीं होना चाहिए। मैं भी महसूस करता हूं कि होम कमिश्नर बिल्कुल सत्ता के नजदीक के व्यक्ति हैं, रोज लाठी चार्ज हो रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं तो आई. जी. और होम कमिश्नर सत्ता के करीब प्रभाव में, रात दिन असर में रहने की वजह से सिफारिश नहीं करें, यह काम जुडिशियरी को सौंप दिया जाए।

दूसरी बात है सब-क्लाज 8 में गुन्डे की परिभाषा वेग है, इसमें आपने यह नहीं रखा है कि तीन बार शिकायत हुई हो या एफ. आई. आर. में उसका नाम हो और राउडी है। इसलिए इसको ओमिट किया जाना चाहिये क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। आप नहीं चाहेंगे कि यह सब कुछ होता रहे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : मैं मुख्य मन्त्री को सबसे पहले बधाई दूंगा कि उन्होंने माना है, हमारे शासन काल में गुन्डा गर्दी बढी है, गुन्डे बढे हैं। राजाओं के जमाने में और ब्रिटिश काल में इस तरह का कोई कानून नहीं था। आपके शासन काल में गुन्डे भरे पड़े हैं, इस गुन्डागर्दी के लिए आपका शासन जिम्मेदार है और आप जिम्मेदार हैं। आप बुराइयों को समाप्त नही करना चाहते, बुराई करने वालों को समाप्त करना चाहते हैं। आप चोर को मारना चाहते हैं चोर की मां को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। गुन्डे कहां से पैदा होते हैं। इन सब की जड़ में आर्थिक कारण हैं। इसकी जड़ में आपका शिक्षा विभाग है। अगर पढ़े लिखे बेरोजगार न हों तो गुन्डागर्दी न हो। पढ़े लिखे लोग जो विज्ञान पढ़ते हैं, जो शिक्षित हैं, उनको रोजगार नहीं मिले तो मुख्य मन्त्री बता दें कि वे क्या करें? भूखे मरें? अनपढ़ आदमी भगवान के नाम पर और भाग्य के नाम पर चुप रह सकता है, जिसको ज्ञान नहीं, जिसके पास बुद्धि नहीं है जो बुद्धूराम हैं, वे इस बात को बरदाश्त कर सकते हैं कि भाग्य और भगवान ने हमें भूखा बनाया है लेकिन जिसको समझ है, जो जानते है कि मेरी भुखमरी के जिम्मेदार और बेरोजगारी के जिम्मेदार ये 184 विधायक हैं, राजस्थान का मन्त्रिमण्डल हैं, वह इस बात को कत्तई बरदाश्त नहीं करेगा कि भगवान के नाम पर या भाग्य के नाम पर भूखा बैठा रहे? वह मांग करेगा कि रोजगार दो या कुर्सी छोड़ो। आप उसको गुन्डा कहेंगे?

(श्री मनोहरलाल)

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बात मजाक की है; हैरान करने वाली बात है। कामां कस्बे में एक छोटा सा गांव है जो कामां से दो फर्लांग दूर है—नागला हरचन्द। आपको हैरानी होगी कि 25 साल के शासन काल में वह नागला न पंचायत क्षेत्र में हैं न नगरपालिका क्षेत्र में है, वहां की आबादी करीब 500 है। वहां के लोग चीनी के लिए चिल्लाते हैं, नगरपालिका कहती है कि हम राशन कार्ड नहीं बनाते हैं। सारे के सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, चीनी का राशन कार्ड नहीं, गल्ले का राशन कार्ड नहीं, उनकी तस्दीक कोई नहीं करता, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाता। वहां सरपंच नहीं। रोजाना कामां कस्बे से तहसील में आते हैं हमारे पास आते हैं कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। थानेदार कहता है कि क्या गुण्डागर्दी मचाते हो, नागला हरचन्द के लोग कामां में आकर बदमाशी करते हैं, उनको रोजाना थाने में बिठा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग कहते हैं कि नागला के लोग यहां नगर पालिका में क्यों आते हैं, तहसील में जाते हैं तो तहसील वाले कहते हैं कि यह लोग यहां पर क्यों आते हैं-हम इनका राशन कार्ड नहीं बनायेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर वह लोग क्या करें, कहां जायें? आप उनको राशन कार्ड बनाते नहीं इसलिये उनको अनाज, चीनी नहीं मिलती वह लोग क्या करेंगे आखिर? उनके पास सिवाय झगड़ा करने के कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब यहां पर दीपंकरजी और माननीय सदस्य श्री गुमानमल जी लोढ़ा साहब का जो झगड़ा है वह तो मियां बीबी का झगड़ा है उसको भी आप तो गुण्डा एक्ट में ले आयेंगे। और मैं तो कहूंगा कि यह राज्य सरकार खुद ही गुण्डा पैदा करती है और सरकार ही झगड़ा कराने के लिये जिम्मेदार है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि राज्य सरकार ने शराब की दूकानें वहां खोल दी हैं जो कि पब्लिक प्लेस है जैसे कोई बस स्टेण्ड है कोई मन्दिर या मस्जिद है। तो यह सभी जानते हैं कि शराब पीकर लोग क्या करेंगे सिवाय दंगे के। अगर आप इन्हें बन्द करना चाहते हैं तो इन समाज की बुराइयों को हटाइये। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का चाहे इस गुण्डा एक्ट को बनाने में अच्छा इरादा हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि इसका उपयोग हमेशा राज्य सरकार अपने हित में करेगी। उपाध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मन्त्री जी से एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई कानून ही बनाना चाहते हैं तो मुख्य मन्त्री जी को मैं सुझाव दूंगा कि वह भारत के प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी को जाकर यह कहें कि आप राजस्थान के लिये एक ऐसा कानून बनावें जिससे कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और सरकार इस बात की गारन्टी दे कि बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जायेगा। अगर ऐसे कानून बनेंगे तो कोई गुण्डागर्दी नहीं होगी वह तो आप कर नहीं रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आखिर यह गुण्डा कानून बनाने की राज्य सरकार को नौबत कैसे आई? इनको कौन पैदा कर रहा है? गुण्डे बनने के कारण क्या हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आज लोग गुण्डागर्दी कर रहे हैं उसमें

Page No 74

(74)

(श्री मनोहरलाल)

अगर आप भरतपुर के इलाके की बात करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ही गुण्डा गर्दी को पनपाने वाली है। आज भरतपुर में शराब की दूकानों के लिये आपने जो लाइसेन्स दिये हैं वह दिये है भरतपुर की जामा मस्जिद के पास, गंगामन्दिर के नीचे। वहां पर लोग शराब पीकर जो महिलायें निकलती हैं उन पर छींटा कसी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक स्थानों पर, जहां कि हमारी मां बहनें निकलती हैं आपने शराब की दूकानों के लाइसेन्स दिये हैं, आपने स्कूलों और कॉलिजों के पास में शराब की दूकानें खुलवाई हैं जहां कि लड़कियां पढ़ने आती हैं वहां पर लोग शराब पीकर खुलेआम गुण्डागर्दी करते हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह गुण्डागर्दी कराने वाला राज्य सरकार के सिवाय कोई नहीं है। आज हरियाणा में नशा बन्दी लागू नहीं है वहां हरियाणा सरकार ने लोगों को शराब के लाइसेन्स दिये हैं दूकान खोलने के किसी मन्दिर के पास नहीं, किसी बस स्टेण्ड के पास नहीं, किसी रेलवे स्टेशन के पास नहीं लेकिन वह दिये गये हैं गांव से दूर जंगल में। ताकि लोग शराब पीकर वहां गांव में दंगा नहीं कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने तो सारी की सारी मस्जिदों, मन्दिरों और बस स्टेण्ड तथा स्कूल और कॉलेजों के पास ही मयखाने बना रखे हैं। अब जब कि राज्य सरकार खुद ही गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन दे रही है तो गुण्डे तो गुण्डागर्दी करेंगे ही। इसके अलावा मैं गुण्डागर्दी के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर के एस. पी. साहब से मिलता रहता हूं, वैसे मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं, यहां पर नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, वैसे एक ही एस. पी. साहब से नहीं कईयों से मिलता हूं, तो मैंने एस. पी. साहब से पूछा कि आपके थाने में जब कभी जाता हूं तो मैं आपके थाने में गुण्डों को बैठे देखता हूं तो एस.पी साहब ने मुझे बताया कि साहब पुलिस वालों से तो गुण्डे ही बातचीत करेंगे। पुलिस के थानों में आपको सिवाय गुण्डों के चोर उच्चकों के कौन मिल सकता है। शरीफ लोग तो हमारे पास आते नहीं और गुण्डों के सिवाय हमारा काम भी तो नहीं चल सकता है।]

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपके इलाके में गुण्डे ज्यादा ही हैं। आपका इलाका ऐसा ही है।

श्री मनोहरलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है वह बहुत ही गलत कहा है और अगर राजस्थान सरकार के मन में हमारे इलाके के प्रति इतना ही भेद-भाव पूर्ण रवैया है तो हम तो राज्य सरकार से कई बार इस बारे में मांग कर चुके हैं कि हमारे इलाके का एक बृजमण्डल बना दिया जावे। मैं यहां पर विभाजन की बात नहीं करता लेकिन मैं तो यहां पर पुनर्गठन की बात करता हूं। आप हमारे इलाके के बारे में ऐसी बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिये हमारा वह पवित्र इलाका है जहां कि भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। आप लोग हमारे प्रति ऐसे ओछे ख्याल रखते हैं इससे ज्यादा बढ़ कर शर्म की बात क्या हो सकती है। जहां तक हमारे इलाके का प्रश्न है वह बहुत ही पवित्र है क्योंकि वहां पर गंगा जमुना का पवित्र संगम है। आप मेरे बारे में चाहे जो कुछ

(श्री मनोहरलाल)
बुरा भला कह दें लेकिन आप हमारे वृज के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आप मुझे बुरा भला जो कहेंगे मैं आपको उसका उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ही गुण्डा पैदा करने वाली सरकार है। इसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वह यह है कि भरतपुर में हमारे जो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स है वह हमेशा गाली गलौच करते रहते है। जब उनको मैंने कहा कि आपको गाली गलौच नहीं करना चाहिये तो उन्होंने कहा कि मैं चांटा मारूंगा, तो मैंने कहा कि अगर किसी ने आपको चांटा मारा तो आप सह नहीं सकोगे। इस तरह एक हैड़ मास्टर है वहां खो गांव में जो हैड मास्टर है वह भी गाली गलोच करता है जिससे कि वहां पर जो लड़कियां पढती थी उन्होंने वहां पर पढ़ना बन्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस हैड मास्टर की मैंने शिकायत इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स श्री मजरूह साहब से की तो उन्होंने कहा कि वह गुण्डा है तो मैं गुण्डों का सरदार हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का वहां का वातावरण है कि इन्सपेक्टर के सामने ही बच्चे पेशाब कर रहे थे कोई शिष्टाचार की पढ़ाई हो नहीं रही थी और ऐसे शिक्षा अधिकारियों से आप उम्मीद भी क्या करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बात मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज जो आप कानून बनाने जा रहे हैं वह बनायेंगे तो सही यह मैं जानता हूं उसमें एक बात अच्छी जो मैंने पाई वह यह है कि उसमें ऐसा है कि अगर कोई लड़का या आदमी लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ करेगा तो उसको गुण्डा एक्ट में पकड़ लिया जायेगा। यह बात ठीक है। मैं समझता हूं यह आपने अच्छा किया क्योंकि लड़कियों और औरतों के साथ जो लोग छेड़-छाड़ करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही गुण्डा एक्ट के अनुसार होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार का इसमें कोई मेला-फाइड इन्टेशन नहीं है तो मैं इस क्लॉज की मूल भावना का स्वागत् करूंगा। क्योंकि लड़कियां और औरतें हमारी मां और बहनों की तरह हैं अगर कोई उनको छेड़ता है तो वह गुण्डा है इसके साथ-साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें आपको महिलाओं और लड़कियों के लिये सेविंग क्लॉज रखना चाहिये था? क्योंकि लड़कियां तो कभी भी किसी लड़के को छेड़ती नहीं और हमेशा पुरुष ही औरतों को छेड़ते हैं तो इसमें जो आपने लड़कियों और औरतों के लिये कोई एक्जेम्पशन का क्लॉज नहीं रखा वह तो रखना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में जितने भी क्लॉजेज हैं एक दो, तीन, चार, पांच, सात से लेकर आगे जितने भी है 14 तक, इसमें क्लॉज 6 है उसमें आपने सिर्फ लड़कियों और औरतों को मुक्त किया है जैसे आपने × × × हैं उनको तो मुक्त कर दिया लेकिन और क्लॉजेज में महिलाओं को मुक्त क्यों नहीं किया...

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। आप अपने भाषण को कन्ट्रोल कीजिये, किसी का नाम नहीं लें। इसको जो ××× का नाम लिया है इसको एक्सपन्ज करने के आदेश देता हूं।

श्री मनोहरलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो क्लॉज के बारे में बात कर रहा था। तो मेरा निवेदन यह है कि बाकी क्लॉजेज में

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री मनोहरलाल)

लड़कियों और महिलाओं को, जो कि पुरुषों से कभी छेड़-छाड़ नहीं करती हैं, कम से कम मुक्त किया जाना चाहिये। इसके अलावा इसमें नाबालिग बच्चों के लिये जो कि 16 साल से नीचे हैं उनको भी इन्क्लूड नहीं किया जाना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार उन लोगों के खिलाफ में कानून नहीं बनाना चाहती है जो लोग चोरों को प्रश्रय देना चाहते हैं, जो लोग तस्करों को प्रश्रय देते हैं। जो सरकारी अधिकारी दिन-रात अपने दफ्तरों में रिश्वतें लेते हैं, जो दिन-रात झगड़ा करते हैं वे क्योंकि इन बिलों को ड्राफ्ट करते हैं वह अपने को और इन लोगों को बचा लेते हैं। यह लोग गुण्डों के नेता हैं उनको इस कानून के बाहर रखा है। इसमें शब्द हैं गुण्डों का मुखिया। चीफ ऑफ गुण्डाज। लीडर गुण्डों का। लीडर बदनाम है। इसलिए नेताओं से मेरा निवेदन है कि अपने नाम को बचाओ गुण्डों के साथ जुड़ने से बचाओ। आप चाहेंगे कि हमारा नाम न जुड़े। चीफ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि XXX के तहत भी 'चीफ' लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं इसको एक्सपन्ज करने के आदेश देता हूं। कुछ आपको अपनी भाषा पर भी कन्ट्रोल रखना चाहिये।

श्री मनोहरलाल : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का पूरा सम्मान करता हूं। आपने चीफ निकाल लिया, हैड भी निकाल लिया, डाइरेक्टर भी निकाल लिया, गुण्डों का चालान कर दें लेकिन "गुण्डों का नेता" आपको बड़ा अच्छा लगता है। इसमें कई ऐसी कमियां हैं। जो नेता शब्द है इसमें उसे इसमें से निकाल देना चाहिये। शिक्षा में सुधार करके युवकों को एक दिशा देनी चाहिये ताकि वे राष्ट्र के लिये उपयोगी काम कर सकें।

मैं और निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में उपाध्यक्ष महोदय, मुझे देखने का मौका मिला है कि पांच-छः हजार आदमी रोजाना जयपुर में रहते हैं उनका क्या काम है? क्यों वे राजधानी में हैं। केवल ट्रान्सफर्स के लिये घूमते हैं। उनका ट्रान्सफर करना, उनको निकालना, उनको जमाना, उनको उखाड़ना, लिस्टें भिजवाना। 12-12 ट्रान्सफर्स एक आदमी के एक साल में हुए हैं। ट्रान्सफर्स के लिये चिल्लायें तो गुण्डे कहलाते हैं। ऐसे गुण्डों पर नियन्त्रण होना चाहिये कि जिनका जयपुर की राजधानी में ट्रान्सफर का एक धन्धा हो गया, एक बिजनेस हो गया है। अधिकारियों से, नेताओं से, मन्त्रियों से मिल कर, सारे लोगों से मिल कर ट्रान्सफर्स के धन्धे में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी इसमें बन्धित करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको समाप्त करना चाहिये।

श्री मनोहरलाल : मैं माननीय विश्नोई जी के विचारों का स्वागत करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको फिर पढ़ने की कृपा करें। इन धाराओं में कोई

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री मनोहरलाल)
बात नहीं बची है। एक धारा जोड़ने से महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में काम चल जावेगा।

दूसरा निवेदन कर दूं। सेक्शन 75 आई. पी. सी., इसको समाप्त कर देना चाहिये। उसमें लिखा है कि दूसरा अपराध करने पर उसको दुगुनी सजा दी जावेगी। आप उसको अमल कर सकते हैं। कहीं भी आप 106 में, 110 में, 108 में जहां कहीं भी चाहें, अमल कर सकते हैं। "इफ देट बॉडी" ये दो शब्द जोड़ दें, सेक्शन 75, 12 और 17 के अलावा भी उन पर तो लागू होती है, लेकिन सेक्शन 75 आई.पी.सी. वह सारे कानूनों के साथ लागू होगी। 106, 107 108, 110 के प्रावधानों के साथ पढ़ी जावेगी। अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। सेक्शन 75 आई. पी. सी. है। इसकी साफ मंशा है कि राजनैतिक विरोधियों को समाप्त करना चाहते हैं, आप बेरोजगारी को मिटाना नहीं चाहते हैं, आप बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हैं, युवकों की जो मांग है, उसको दबाना चाहते हैं, युवकों की जबान को बन्द करना चाहते है।

अन्त में, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसको बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसमें से कम से कम 21 साल के नीचे के जो युवक हैं, महिलाये हैं, लड़कियां हैं उनको इसकी सजा से मुक्त कर दें। दूसरे जो कानून पहले बने हुए हैं वे इस सम्बन्ध में काफी हैं।

एक बात और है, उपाध्यक्ष महोदय। इस कानून को लाने से पहले इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने से पहले, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कभी इस सदन में यह नहीं कहा, आज तक नहीं माना, जब भी कोई सदन में प्रस्ताव आया, पुलिस डिपार्टमेंन्ट पर कोई बहस हुई, होम डिपार्टमेन्ट की बहस हुई, कि गुण्डागर्दी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। हमेशा ही यह कहा कि अपराध हमारे शासन काल में कम हुए हैं। लोगों ने गुण्डागर्दी छोड़ दी है। लेकिन अब कौनसा कारण आ गया इसको लाने का? क्या राजस्थान में गुण्डागर्दी बढ़ रही है? जयप्रकाशजी आने वाले हैं इसलिये उनका आप पर कोई भूत सवार है? हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट से लेकर, राजस्थान तक सर्वोदय के बारे में एक भूत सवार है और इस कारण से ही, जयप्रकाश के आन्दोलन को समाप्त करने और प्रधान मंत्री को यह दिखाने के लिये कि जयप्रकाशजी का राजस्थान में कोई अवसर नहीं है, इसलिये यह ऑर्डिनेन्स लाया गया है।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि इस अध्यादेश को रद्द किया जाय और मैं यह मांग करता हूं कि इसको निरस्त कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा काला कानून नहीं आया है और मुझे यह समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार किन कारणों

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
से प्रेरित होकर इसको लागू करना चाहती है।

हमारे माननीय विश्नोईजी ने एक बात कह दी कि इसके अन्दर 7 उप-खण्ड हैं जिनमें गुण्डों को डिफाइन किया गया है, क्या आप चाहते हो कि ये हों ? मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई नहीं चाहेगा। 1 से 7 खण्ड दिये हुए हैं, उन सब के लिये कानून बने हुए है, और बनाने की जरूरत नहीं। उनके अन्तर्गत ही दंडित किये जा सकते हैं। यदि राज्य सरकार आज यह करना चाहे तो मैं बोलना बन्द करूं। यह उनकी मंशा नहीं है। उनकी बदनीयत है। उनका उपयोग कब-कब किसके खिलाफ किया है ? विरोधियों को कुचलने के लिये ही किया है। आज किसको पकड़ा जाता है ? देश के लिये जो खतरा है ? कौन ? भानुकुमार ? मैं दो महीने जेल के आदर्श कारागार में रहा हूं। देश के लिये खतरा हूं ? यह कहूंगा यह विक्टीमाइजेशन नहीं तो और क्या है ? मानलीजिये, मैं अपराधी हूं, अपराध किया है तो ये जो सरकार की अदालतें हैं वे किस लिये हैं ? क्या इन अदालतों को लकवा मार गया है ? क्या काम नहीं कर सकती हैं ? राजनैतिक दबाव डाल कर, जिलाधीश और पुलिस, इन दोनों पर दबाब डाल कर 31 में गिरफ्तार करवा के भेज दें, कोई सुनवाई नहीं और अजमेर जेल में पड़ा रहे ......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जेल का नहीं है, बाहर भेजने का है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बाहर भेजे ...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपकी तरफ से सुझाव तो ट्रान्सफर वाला बढ़िया रहा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं उदयपुर में रहता हूं तो मुझे मध्य भारत में भेजा जाय यह दबाव है। इस प्रकार का प्रतिशोधात्मक रवैया नहीं चलेगा। यह किसके हाथ में दिया जा रहा है ? पुलिस के हाथ में, एक्जीक्यूटिव के हाथ में, कमिश्नर के पास अपील होगी। वह उसका प्रतिशोधात्मक शिकार बनता है उसकी कलेक्टर क्या सुनवाई करेगा ? उसको कम से कम एक जज तो सुने लेकिन एक्जीक्यूटिव के हाथ में पावर्स दिए जा रहे हैं। और क्या पुलिस न्याय करती है ? क्या न्याय किया पुलिस ने ? यह सारे राजस्थान से केसेज आ रहे हैं। अभी परसों जाखम बान्ध पर थानेदार ने मजदूरों से पैसा मांगा और मजदूरों के पैसा नहीं देने पर थानेदार ने पिटाई कर दी। उदयपुर का पुलिस काण्ड हुआ, चूरू का पुलिस काण्ड भी इसी प्रकार का है। पुलिस जिसको चाहे अन्दर धर दे और जब पुलिस को इस प्रकार के तानाशाही फरमान मिल जाय तो राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को दबाने के लिए यह उनके पास अच्छा कानून है जिसके अन्दर है "हिंसात्मक कार्यों या बल-प्रदर्शन द्वारा विधिपालक लोगों को अभित्रसित करने का अभ्यासी पाया गया हो अथवा साधारणतः झगड़ालू विख्यात हो या वह व्यक्ति जो दुःसाहसिक और समाज के लिए खतरनाक हो"—अब इसका फैसला कौन करेगा कि झगड़ालू है ? आज समाज की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कानून बनाये जाते हैं—आज के युग में जो यह कहता है कि उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा है

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

इसलिए भुगतने दो, वह किसी चीज को लेकर जिलाधीश के सामने अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। वह अपना विरोध किसी भी प्रकार प्रकट नहीं कर सकता है। जिलाधीश महोदय के पास गया और उन्होंने कह दिया कि तुम झगड़ालू हो, तुम्हें इस कानून के अन्तर्गत दण्ड दिया जायगा तो अपनी व्यवस्थाओं के रखने के बजाय वह उसे गुण्डा एक्ट में धर देगा।

समाज के अन्दर इस प्रकार के बलात्कार, अधिकारों पर एनक्रोचमेंट और अपने प्रयासों को छिपाने का इससे बढ़कर और क्या काला कानून हो सकता है।

सभी ने अपनी-अपनी बातें कह दी हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक बात कहूंगा इसमें दो धारायें हटानी चाहिए। दूसरे इस गुण्डा एक्ट में तस्करों का नाम नहीं हैं, स्मगलरों का नाम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मीसा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मीसा से कौन सा नहीं बचा है। केवल अपोजीशन को क्रश करने की जो मनोवृत्ति है यह उसी का उदाहरण है। आज अन्य स्थानों पर, जैसा कोट किया गया है, गुण्डा एक्ट सभी जगह लागू नहीं किया है। इसमें है, समय-समय पर राज्य सरकार नोटिफाई करे, तो कुछ जगह किया गया है।

आज गुण्डा एक्ट में पकड़े गए हैं तो विद्यार्थियों के नेता पकड़े गए हैं। एक्जीक्यूटिव को खुली छूट दे देना और जनता को कह देना कि आप जाओ और पुलिस के हाथों में खेलो, मैं नहीं समझता हूं, यह अपोजीशन को कुचलने की मनोवृत्ति नहीं है। जो पावर्स सत्ताधारी दल के पास है उनका वह खुला दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? इसका हम घोर विरोध करेंगे...

श्री गोपाल जोशी : ऑन ए पॉइंट ऑफ इनफॉरमेशन। सारा XXXXXX की परिभाषा में आता है क्या? आप मान रहे है अपोजीशन को क्रश करने के लिए...

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आपकी किताब में तो XXXXXXX में ही आते हैं... (व्यवधानः अश्रव्य) XXX को ही XXX मानते हैं....

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसा है, राज्य, सरकार का जो व्यवहार है वह इसी प्रकार का है....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट। इसमें जो XXXXXXXX आया है, सारे XXX XXXX मानते है, इसको एक्सपंज करदें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : विरोधी आज आपके इस कानून के अन्तर्गत अपने आपको सुरक्षित नहीं मानते हैं....

श्री गोपाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैने यह नहीं कहा है कि XXXX मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) Silence please !

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपका जो व्यवहार हैं वह दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है। किराये भाड़े में वृद्धि के विरोध में आन्दोलन किया गया, सारे देश में चला, बहुत लोग गिरफ्तार हुये, सब छूट गए। छूटने के एक दो-महीने के बाद राजनैतिक प्रतिशोध का शिकार करने के लिए उन लोगों को फिर गिरफ्तार कर लिया। आज उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो गिरफ्तार हुए वह किस बात की ओर इंगित करता है। जिस दिन आन्दोलन हुआ उस दिन कुछ नहीं। उसके दो महीने बाद राजनीति के सत्ताधारी लोगों को यह ख्याल आया कि उनको किसी प्रकार शिकंजे में फंसाना चाहिये। अब इस प्रकार का गुण्डा कानून बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है।

मेरा निवेदन है समाज सुधारने के नाम पर आप कितने ही कानून बना लें उससे गुण्डागर्दी रुकेगी नहीं। आपको इसको रोकने के लिए अथक प्रयास करना होगा और समाज में जो विषमता है, समाज में जो अन्याय है, समाज में जो सोशियल अनजस्टिस है उसको जड़ से मिटाने के लिए जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप इस कानून के अन्तर्गत कुछ नहीं कर सकते हैं।

मैं नहीं समझता इस कानून की कोई आवश्यकता है। इसके अन्दर कम से कम जो दो धारा दी हुई हैं उसको एक्सपंज किया जाय। अपील करने का अधिकार न्यायाधीश के पास दिया जाय। अभी तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जब खण्डशः विचार होगा तब ही कहूंगा। अभी इतना ही कहता हूं इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उद्देश्य इस कानून के अन्दर लिए गए हैं वे निराधार हैं केवल उन उद्देश्यों की आड़ में 2-3 और उप-खण्ड जोड़कर विरोधियों को कुचलने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस संकल्प के माध्यम से इस ऑर्डिनेन्स को निरस्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगा यह जो गुण्डा एक्ट लागू हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतने कौनसे गुण्डे राजस्थान में पैदा हो गए हैं। हो सकता है कुछ बड़े-बड़े शहरों में प्रभाव वाले लोग हैं। जो यह काम करते हैं। लेकिन न यह शोभा की बात सरकार के लिए है और न जनता के लिए है। इसलिए गुण्डा बिल लाकर प्रावधान किया जा रहा है, इसलिए मेरी मान्यता है, इस बिल को लागू करना अशोभनीय है।

दूसरी जो व्यवस्था की है इस बिल में, उन गुण्डों को दूसरे जिलों में ट्रान्सफर किया जायगा। मैं यह भी निवेदन कर दूं हमारे यहाँ जब अहमदाबाद में झगड़े हुये, हिन्दू-मुस्लिम रॉइट्स हुये तो वहाँ के गुण्डे भागकर हमारे टोंक में आ गए और सारे वातावरण को दूषित कर दिया। हिन्दू-मुस्लिम रॉइट्स कर दिए। हो सकता है बाहर के गुण्डे हमारे जिले में ही एक्सपोर्ट कर डालें तो हमारे लिए समस्या विकट हो जाएगी। जयपुर जिले के गुण्डे भी अगर

(श्री अजीतसिंह)

टोंक में चले गए तो बड़ी भारी समस्या हमारे लिए वहां खड़ी हो जाएगी। अगर गुण्डागर्दी को रोकना चाहते हैं तो कोई सुधार की व्यवस्था कीजिए। यह कौनसी व्यवस्था लागू कर दी कि बड़े शहरों के गुण्डे छोटे मोटे जिलों व तहसीलों में भेज रहे हैं। इससे छोटे जिलों की समस्यायें विकट हो जायेंगी। छोटी तहसीलों में गुण्डे जाने लगे तो वहां का सारा वातावरण ही दूषित हो जाएगा इसलिए मैं गृहमन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस बिल में दूसरे प्रावधान करें और ऐसी व्यवस्था न करें कि सारा राजस्थान भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाए और फिर हम उसको सम्भाल न पायें। दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जहां इसको सजा देने का प्रावधान किया है उसको भी मैं ठीक नहीं समझता क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो मन्शा है, यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की वह भी विलोपित हो जाती है। किसी के साथ अन्याय होगा, और कार्यपालिका के द्वारा दण्डित होगा और परेशान किया जायेगा तो न्यायपालिका में नहीं जा पायेगा। उसकी अपील कमिश्नर के पास कर दीं तो कमिश्नर, पुलिस और कलेक्टर यह तो सभी कार्यपालिका के अधीन आते हैं। इसके लिए गृह मन्त्री जी ने पुलिस को पहले ही डण्डा दे रखा है वह काफी है कोई गुण्डागर्दी करता है तो डण्डे लगा दो, वह सीधा हो जायगा। लेकिन यह जो कानून आप ला रहे हैं इससे तो परेशानियां पैदा हो जायेंगी और जिस पर कलेक्टर की नाराजगी हुई उसको 6 महीने के लिए देश निकाला हो जायेगा। इसलिए मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता कि यह पास कराया जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश पर एक संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, उस पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व मैं यह निवेदन करूंगा कि आज देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, राजस्थान में जो परिस्थितियां हैं और ऐसे समय में इसको लाया गया है कि उसको एक दृष्टि से हमें देख लेना चाहिए। आज एक तरफ बंगला देश में एकतंत्रीय शासन प्रणाली है उसको हमारे नेताओं ने आशीर्वाद दिया, बधाई दी। राजस्थान में 12 साल से पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव नहीं हो रहे हैं और भयंकर रूप से बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अकाल से पीड़ित लोग हैं, वह इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और ऐसी परेशानियों के मुकाबले में जनतंत्र को कायम रखने में, इन सब व्यवस्थाओं को उभारने के लिए जब प्रदेश का जनमानस आन्दोलित हो रहा है और वह इसके लिए कुछ क्रांति की बात करता है, ऐसे समय पर इस अध्यादेश को लाना इस बात को इंगित करता है कि हमारे प्रदेश में जो समस्यायें हैं बेरोजगारी की, गरीबी की,

(श्री मूलचन्द सामरिया)

भुखमरी की और भ्रष्टाचार आदि की उस पर सरकार आज यह अध्यादेश जारी करके और इसको विधान सभा में पेश करके अपने आपको इन समस्याओं के सामने आत्मसमर्पित कर रही है, अपने आपको असमर्थ पाती है इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए। बल्कि दूसरे तरीके से मैं निवेदन करूं कि इन समस्याओं से उत्पन्न जो हालात हो रहे हैं उनको आज तानाशाही तरीके से दबाने का प्रयास करने की नीयत से ही सरकार यह अध्यादेश ला रही है जिससे कि लोगों को मनमाने तरीके से सरकार दबा सके और उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी वह नहीं कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इण्डियन पीनल कोड में ट्रान्सपोर्टेशन ग्राफ लाइफ का प्रोवीजन था उसको भारत सरकार ने अभद्र, जंगली, पिछड़ा हुआ और अलोकतंत्रीय और बिल्कुल बारबेरियन समझ कर उसको डिलीट किया है और क्योंकि आज देश में मान्यतायें बदल गयी हैं, सरकार की मान्यतायें बदल गयी हैं, समाज के मापदण्ड बदल गये हैं और जो भी अपराध होते हैं उनमें से अधिकांश अपराधों की जननी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं और उस पर मैं आगे आपसे निवेदन करूंगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज बुरे से बुरे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए मीसा और डी. आई. आर. जैसे हथियार हमारे पास हैं तो फिर अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ कर निवेदन करना चाहूंगा। जो इसमें गुण्डा शब्द की परिभाषा की गयी है उसमें खासतौर से एक तो इसमें जो बड़े लीडर है उसको डिलीट किया जाये। क्योंकि इस शब्द के साथ लगा देने से इसकी गरिमा और इसकी जो इमेज है उसको बहुत बड़ा आघात पहुँचता है। लीडर और गुण्डा शब्द एक साथ रखना मैं बहुत आपत्तिजनक मानता हूं।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आई. पी. सी. में इम्मोरल ट्रैफिक के लिए सजा है और एक बार के बाद दूसरे टाइम में सजा हो उसके बाद एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाये जाते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं अपने संकल्प पर ही निवेदन करूं, मैं एक क्वेश्चन के रूप में पूछना चाहता हूं कि शराब या ओपीयम आदि की आदत डालने की जिम्मेदारी किसकी है ? उपाध्यक्ष महोदय, हम बार बार इस सदन में मांग करते हैं कि यह सरकार गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को, मजदूरों को करोड़ों रुपया शराब पर खर्च करने पर मजबूर कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनके बच्चों को पढ़ने से, अच्छा खाने पीने तक से महरूम रख रही है और ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर रही है कि वह मजबूरन ऐसा काम करें जो कि गुण्डागर्दी एक्ट की परिभाषा में आयें। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब सरकार शराब बिकवाती है, अफीम बिकवाती है और ऐसे अपराध खुद कराये तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी चीजों को समाप्त किया जाये। एक तरफ हमारे राजस्थान के शासक और हिन्दुस्तान के शासक महात्मा गांधी का नारा देते हैं और आज वह महात्मा गांधी की जय बोलते हैं लेकिन महात्मा गांधी ने यह कहा था कि किसी भी देश की

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सरकार को शराब के पैसे से हुकूमत चलाने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। यह अनैतिकता की दृष्टि से जो शराब लागू कर रखी है शायद यह गुण्डों को सबसे बड़ा जन्म देने का साधन है। इसको सरकार खतम कर देती है तो मैं समझता हूं कि जो दूसरे को रिलेटेड ऑफेन्सेज हैं वह अपने आप खतम हो सकते हैं। इसके बारे में जो क्लॉज 6 है वह बहुत ही स्वागत योग्य है और मेरा तो यह मानना है कि ऐसे गुण्डों को न केवल जिले से बाहर बल्कि जब एक व्यक्ति बहिन-बेटियों के ऊपर रिमार्क्स पास करता है जो कि अपमानजनक है, असहनीय है, ऐसे लोगों को जयपुर जिले से अलवर में भेजेंगे तो क्या उनकी आदतें बदल जायेंगी। क्या आप इस एक्ट के द्वारा यह साबित करना चाहते हैं कि एक जिले का रहने वाला आदमी जो अपने ही यहां की लड़कियों से छेड़ नहीं कर सकता है वह दूसरे जिले में जाकर कहीं भी बदतमीजी करे। क्या एक व्यक्ति जो जयपुर की सड़कों पर चलता हुआ किसी लड़की पर ऐसे रिमार्क्स पास करता है जो कि अपमानजनक हैं तो आप उचित समझेंगे कि वह व्यक्ति धौलपुर जिले में जाकर लड़कियों के साथ बदतमीजी से पेश आये और उसको छूट दी जाये? मैं समझता हूं कि इस कानून में इम्मोरल ट्रेफिक के बजाय दूसरे कानून में अमेण्डमेन्ट हो।....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कहते हैं कि दूसरे जिले में करेगा तो वह कैसे कर सकेगा जबकि वहां अकेला ही रहेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अकेले तो गुण्डे लोग ज्यादा बदमाशी करते हैं। उनमें फितरत होती है कि वह अकेले में भी रहकर ज्यादा लोगों को बिगाड़ सकें। वह दूसरी जगह भी अपनी गैंग बना कर लोगों को शामिल कर लेगा। हमारे प्रदेश में छोटे छोटे गांवों में लोग संयत रहते हैं और अपने गांव की बहन-बेटियों को अपनी बहन-बेटी समझता है ऐसे गुण्डों को देहातों में भेजने का यह कानून लाना चाहते हैं इसके द्वारा आप यह, जो इस जयपुर में होंगे, जिला हैडक्वार्टर पर ऐसे लोग होते हैं ज्यादातर उनको आप देहातों में एक्सपोर्ट करेंगे, देहात के सीधे साधे साधारण लोगों पर इस तरह के आप बदतमीज और गुण्डा एक्शन करने वालों को जबरदस्ती थोप देंगे, वहां अशांति पैदा कर देंगे। उन लोगों का जीवन भी दूभर करना चाहते हैं। फिर गुंडागर्दी को बाहर निकाल देने से मतलब क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय। क्या एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाने से उसकी गुण्डागर्दी की आदत मिट जाएगी अगर गुण्डागर्दी की आदत मिटानी है तो उसको जेल में भेज दिया जावे, मेहनत करवाई जावे उससे और अपनी मेहनत के आधार पर खुद कमा कर खावे, ज्यादा कमावे तो अपने परिवार वालों को दे। क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी परिवार में एक मात्र व्यक्ति है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ चुका है और वह गुंडागर्दी करता है और उसके पीछे परिवार के लोगों को भूखों मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई गुण्डागर्दी करता है तो उसको बाहर भेजने के बजाय सुधारगृह में रखें, उससे मेहनत करावें ताकि उसकी आदतें सुधर सकें और

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जब तक उसकी आदत नहीं सुधरे उसको बाहर नहीं भेजें। अन्यथा मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई तुक नहीं है कि मेरे घर में आग लगी तो उसको बाहर फेंक कर दूसरे के घर को जला दूं। सरकार इस तरह से गुण्डागर्दी का आग में सारे राजस्थान को जलाना चाहती है। इस तरह के कानून से मैं समझता हूं कि कोई गुण्डाइज्म खत्म होने वाला नहीं है बल्कि डीसेंट्रलाइजेशन आॅफ गुण्डाइज्म हो जाएगा। जो गुण्डागर्दी शहरों में होती है उसको रूरल एरिया में फैलाना चाहते हैं और इस तरह का यह एक प्रयास है। इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

इसके बाद है: "has been found habitual in intimidation of law abiding people by acts of violence or by show of force, or is generally reputed to be a rowdy or a person who is desparate and dangerous to the community; or"

इसके अन्दर आन्दोलन और दूसरे घेराव भी आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक कठिनाइयों के लिए किसी भी तरीके से वैधानिक तरीके से आन्दोलन करता है, घेराव करता है तो उनको भी गुण्डा माना जाएगा और उसको जिले के बाहर फेंक दिया जाता है उनके बच्चों को भूखों मरने के लिए मजबूर किया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ। इसी तरह से जो लोग करेंगे उनके लिए यह बहुत ही खतरनाक बात होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो क्लॉज 8 और 9 है यह तो डिलिट हो ही जाय। क्योंकि दोनों क्लॉज ऐसे हैं जो आज देश के अन्दर हालात हैं, जो बेरोजगार गरीब और युवक आक्रोश के सामने यह सरकार अपनी स्थिति सम्भाल नहीं पा रही है, यह सरकार उनको रोजगार नहीं दे सकती लेकिन उनको गुण्डा करार दे सकती है। एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए कॉलिज में जाता है, चाहे वह किसी गरीब का लड़का हो या अमीर का लड़का हो, वह कॉलिज में जाता है तो यह सपने देखता है कि मैं एम. बी. बी.एस. करके डॉक्टर बनूंगा, मैं फलां इंजीनियरिंग पास करके किसी जगह इन्जीनियर बनूंगा लेकिन वह बदकिस्मत जब कॉलिज से बाहर आता है तो ऐसे अशिक्षित लोगों के सामने जाकर झोली पसारता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। इन मिनिस्टरों के दरवाजों पर जाकर चक्कर लगाना पड़ता है, वह बेरोजगारी से परेशान होता है और परेशान होकर अपना संगठन बना कर अगर सरकार से मांग करेगा तो उसको वायलेंट एक्ट के मातहत गुण्डा करार दिया जाएगा और उनको गुण्डा करार देकर उसे जिले से बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से जितनी भी समस्यायें पैदा हुई हैं वह हमारी आर्थिक तरीके का जो भेदभाव है, गरीब और अमीर का अन्तर है, जो लोग परिस्थितियों से परेशान हैं, भुखमरी से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, जो भ्रष्टाचार की वजह से परेशान हैं, जो लोग अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं और जब इसी तरह से

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लोगों ने, देश की सारी जनता ने अपने न्यायिक अधिकारों के लिए, सरकार को दुरुस्त करने के लिए जयप्रकाश नारायण के झण्डे के नीचे नॉन वॉयलेंट और नॉन पोलेटिकल ओर्गनाइजेशन तैयार करके जब आन्दोलन करने की बात की, जब समग्र क्रान्ति की बात की, जब भ्रष्ट तरीकों को दूर करके चुनाव के तरीकों को बदलने की बात कही तो उन तमाम तरीकों से यह सरकार भयभीत होकर ऐसा कानून बनाना चाहती है। हम लोग सब चीजों का मुकाबला नहीं कर सकें, हम गरीबों को रोटी नहीं दे सकते लेकिन उनको गुण्डा करार दे सकते हैं। हम नंगों को वस्त्र नहीं दे सकते मगर उनको गुण्डा करार देकर जिले के बाहर भेज सकते हैं। हम मकान नहीं दे सकते हैं, अगर मकान के लिए आन्दोलन करते हैं तो इसमें हम उनको गुण्डा करार देकर बाहर भेज सकते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति यह एक तरह से दमन की पराकाष्टा होगी और एक तरीके से सरासर तानाशाही तरीके से इन आन्दोलनों को, जन समस्याओं को और जनता की मांगों को दबाने के लिए यह निरंकुश और ऐसा लूट-खसोट वाला कानून बनाना चाहती है जिसको किसी भी तरह से इधर उधर करके किसी भी तरह से किसी को भी फांस सकती है जब इसमें जितने भी ऑफेंस वर्णन किए हैं वह ऑफेंस अपने आप में ऐसे हैं जो दूसरे एक्ट के द्वारा कवर होते हैं। उनकी सजायें काफी हैं लेकिन मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि इस प्रकार का डीसेंट्रलाइजेशन गुण्डागर्दी का करेंगे और इस तरह से जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने फरमाया था कि सिनेमा या दूसरे ऐसे साधन हैं जिनकी वजह से यह गुण्डागर्दी फैलती है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए धारा 107, 109 है 110 है और इसके अलावा और भी साधन हैं, क्योंकि वह एक्शन प्रिवेंटिव होता है। इसलिए इस तरीके से गुण्डों को बाहर निकाल कर डीसेंट्रलाइज करना चाहते हैं और जो वास्तव में गुण्डे हैं उनको देहातों में भेज देना चाहते हैं ताकि वहां जो लोग हैं वे भी परेशान हों। उनको आज अपना भविष्य अन्धकार मय दिखता है। आज जो बेरोजगार हैं उनको अपना भविष्य अन्धकार मय दिखता है, वह आन्दोलन करेंगे तो उन सब को गुण्डा करार दिया जाकर आप जिले के बाहर भेज देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसके अलावा इसमें चन्दा लेने की भी बात है। कोई भी व्यक्ति चन्दा इकट्ठा करेगा बाई फोर्स, मैं पूछना चाहूंगा मान्यवर, क्या कोई भी राजनैतिक पार्टी जिसके हाथ में सत्ता है, आज की महंगी चुनाव प्रणाली जिसमें एक एम. एल. ए. को चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपया चाहिए, एक एम. पी. को दस लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए चाहिये, जो इतना रुपया खर्च करके आते हैं, जिस समय मान्यवर चुनाव होते हैं उस समय कितने नए-नए रास्ते बनाये जाते हैं, एक ढाबा चालू कर देते हैं, लोगों को रोजगार पर लगाकर प्रचार कराते हैं और वह लोग विधान सभा का और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं, जिन लोगों को दबाव देकर और प्रलोभन देकर उनसे चन्दा लेते हैं

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उन्होंने देखा कि क्या वह खुद अपने आप पर इसको लागू करेंगे जो कि चन्दा लेंगे। बल्कि इसका मतलब यह हुआ कि विरोधियों को, किसी भी राजनैतिक पार्टी को कुचलने के लिए एक हथियार के रूप में इसको काम में लिया जाएगा अन्यथा मैं समझता हूं कि कौन सी पार्टी है जो यह कह सकती है कि उनको खुशी से चन्दा देते हैं। आज जो आप अरबों रुपया, करोडों रुपया खर्च करते हैं, इलेक्शन में जो यह खर्चा होता है आखिर आप कहां से लाते हैं। क्या चन्दा खुशी से कोई देता है। जो भी चन्दा देते हैं उनके मन में डर होता है कि कहीं कोई एक्शन नहीं हो जाय और उस डर की वजह से चन्दा देते हैं। क्या यह सब क्लॉज 9 के द्वारा कवर नहीं होता लेकिन जब आप इस तरह का चन्दा बन्द करने की बात करते हैं तो दूसरी ओर जब जयप्रकाश जी चुनाव प्रणाली में सुधार की बात करते हैं, जब वे कहते हैं कि चुनाव प्रणाली सेल्फ डिफाइन हो, इसमें अच्छे आदमी आवें, इसमें सत्ता का दुरुपयोग करके लोग नहीं आवें, खर्चा नहीं हो, पैसे के आधार पर नहीं बल्कि अच्छे आदमी चुन कर आवें तो उस आन्दोलन को कुचलने के लिए चन्दा लेने पर पाबन्दी लगाने की बात करके चुनाव प्रणाली में सुधार की मांग करने वालों को कुचलना चाहते है और इसलिए इस तरह का कानून बनाया जाता है। अगर मैं निवेदन करूं कि सरकार खुद अपनी पार्टी के लिए दबाव डालकर चन्दा लेती है तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको आउट राइटली रिजेक्ट किया जाय और इसके लिए काला कानून तो क्या, काला शब्द भी इसके लिए बुरा है, तो यह उससे भी बुरा है और इसको रिजेक्ट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से सदन में राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अध्यादेश की आवाज गूंज रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शब्द मात्र को सुनते ही पुराने जमाने की तीस वर्ष पहले की सामन्तवादी बात मुझे याद आती है जब कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में काम करने वाले हमारे स्वतन्त्रता सनानी को एक रियायत से दूसरी रियासत में बाहर फेंक दिया जाता था.... आज वही पुनरावृत्ति आप इस कानून के तहत करने जा रहे हैं। इतने वर्षों के बाद जहां हमको डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहिए था वहां आप ऑटोक्रेटिक कदमों के ऊपर चलने लगे हैं। यह डेमोक्रेसी को कहां तक सुरक्षा देने वाला कानून आप बनाने जा रहे हैं यह हमको विचार करना चाहिए। एक तरफ आपने इस अध्यादेश के तहत अफीम का अवैध काम करने वालों को, जुआ खेलने वालों को; और इसी तरह से गन्दे प्रदर्शन करने वालों को और महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वालों को लिया है, यह बात तो अच्छी लगी मुझको भी परन्तु जब मैं आगे की धाराओं को देखता हूं, इसके आगे 7, 8 और 9 की धाराओं को पढ़ता हूं तो इसमें आपकी मन्शा साफ मालूम होती है, आप बैड इन्टेशन से यह चीज यहां लाये हैं। आपका नरोरा सम्मेलन हुआ और फिर कांग्रेस की तरफ से रावतभाटा सम्मेलन हुआ और यह

(श्री मोहरसिंह)

अध्यादेश आपने जारी किया अभी एक महीने पहले। आपको मालूम ही था कि विधान सभा शुरू होने वाली थी, कौनसी दिक्कत, ऐसी कौनसी परेशानी या तकलीफ इतनी जल्दी राजस्थान सरकार को होनी शुरू हो गई कि इस प्रकार का एक काला कानून लाया गया और अध्यादेश निकाला गया। इसके अन्दर जब मैं देखता हूं, इसके कारणों को कि क्यों यह बिल इस सदन में लाया गया, क्यों इस अध्यादेश को निकाला गया, आखिर क्या इसके कारण थे ? आज जगह-जगह आन्दोलन चल रहे हैं, जो जन-समस्याएं हैं, उनके लिए जनता आन्दोलन करती है वह हर तरह से दुखी है, और अपना दुख जाहिर करने के लिये जब सरकार के पास जाती है तो सरकार उनकी समस्याओं को सुनती नहीं है, उनको फेस नहीं करती है, जिसका कारण सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं। आज हम देखते हैं कि जगह-जगह कहीं-कहीं विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं, कहीं मजदूर बोनस के लिये और अपनी सुविधाओं के लिये लड़ रहे हैं, किसान लोग परेशान हैं आपकी नीतियों के कारण, सब लोग अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं और इसीलिए आन्दोलन होते हैं और उनका जवाब लाठी और गोलियों से देते हो। यह डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ आप करने जा रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के कारण लोग चाहते हैं कि अकाल राहत कार्य खोले जायं इसलिए आन्दोलन होते हैं, विद्यार्थी आन्दोलन करते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले परन्तु आपकी पुलिस उनकी निर्ममता से पिटाई करती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से सत्र आरम्भ हुआ है कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है जब कि सदन में पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की बात नहीं आई हो। कहीं किसानों का आन्दोलन, कहीं मजदूरों का आन्दोलन, तो कहीं हरिजनों का आन्दोलन। आप इसका जवाब लाठियों के प्रहार से, अश्रुगैस छोड़ कर और गोली चलाकर देते हो यह सारी बातें इस सदन में गूंजती रहती हैं। इसके बावजूद भी आप आज पुलिस को इस प्रकार से निरंकुश अधिकार इस काले कानून के जरिये, इस अध्यादेश के जरिये दिलाने जा रहे हो। वास्तव में सत्य यह है कि सरकार समस्याओं का मुकाबला तो कर नहीं सकती परन्तु लाठी चार्ज के बावजूद भी आप इस तरह से किसी को दबा नहीं सकते। आपने तो यह देखा कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। इस प्रकार से जनता की कोन्शियस को, उसकी चेतना शक्ति को, उनके कार्यकर्त्ताओं को और उनकी जागरण शक्ति को आप नेस्तनाबूद करके उसके आगे बढ़ाने के लिये यह काम कर रहे हैं। तरह-तरह से आप जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। इस तरह से जो काला कानून आप ला रहे हैं, मैं इसका पूरी तरह से विरोधी हूं। मेरे विचार से आर्थिक संकट आपकी गलत नीतियों के ही कारण इस देश में चल रहा है, देश की हालत बुरी से बुरी होती जा रही है, देश में भुखमरी का ताण्डव नृत्य आज जगह-जगह हो रहा है। हमारे महारावल साहब ने भुखमरी से हुई सात मौतों के बारे में सूचना दी थी, और आज श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने भी दो व्यक्तियों के भूख से मर जाने की बात सदन को बतलाई। यही स्थिति आज राज्य की दूसरी जगहों में डूंगरगढ़ और चूरू में भी

(श्री मोहरसिंह)

होने जा रही है, लोग छोड़े खा-खा कर जल्दी ही सिधारने वाले हैं। आप चाहते हैं कि कोई आगे न बढ़े, आपके खिलाफ नहीं बोले, आन्दोलन नहीं करे और गवर्नमेन्ट से किसी प्रकार की मांग नहीं करे, इसलिए इस काले कानून के जरिये आप लोगों को दबाना चाहते हो। गांवों में जाकर देखेंगे किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं और आये दिन हाउस में उनके विचारों का इजहार किया जाता है। मजदूर अपना बोनस चाहते हैं।....

(3-45 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, और तो सरकार से कुछ हुआ नहीं, उनकी समस्याओं को हल तो कर नहीं सकी, इससे कोई गवर्नमेन्ट का हित होने वाला नहीं है। अब गवर्नमेन्ट बिल्कुल ही बुनियादी तौर पर देश में ऑटोक्रेसी पैदा करना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई सही रास्ता नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में विरोध आवश्यक है। विरोधी पक्ष के मार्फत जनता का विरोध कमजोर हो जायगा तो आप लोग सो जाओगे। प्रजातन्त्र में अगर जनता में चेतना रहेगी, जागृति रहेगी तब ही आपका काम ठीक चल सकता है। आपके इस काले कानून से देश में अशान्ति बढ़ेगी। जो आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगा उसको आप गुण्डा करार दे देंगे और सीकर वाले को झुन्झुनू और भरतपुर वाले को सीकर भेज देंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप यह सही कदम नहीं उठा रहे हैं इससे डेमोक्रेसी कमजोर ही होगी, इससे ऑटोक्रेसी हावी हो जायगी और वह एक दिन सैनिक क्रान्ति में परिवर्तित हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस रास्ते पर आपको नहीं बढ़ना चाहिये कि किसी प्रकार से डेमोक्रेसी कमजोर हो जाय और ऑटोक्रेसी बढ़े और जो ताण्डव नृत्य आज दिखाई दे रहा है वह आपको खा जायगा। मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जनता में समझ आ जाएगी और वह आपको बख्शेगी नहीं। इसलिए मैं इस काले कानून को उचित नहीं समझता। लेकिन आप इसकी असलीयत को देखें, इसकी भावना को समझें। जनता आपकी नीतियों के खिलाफ नारे लगाती है, काले झण्डे दिखाती है। इससे कोई बिगाड़ पैदा नहीं होता लेकिन आप यह सब मिटाना चाहते हैं। आप यह नहीं सोचते कि जनता यह सब क्यों करती है? आप शान्ति चाहते हैं, शान्ति तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन शान्ति श्मशान की शान्ति नहीं चाहता। हमारे ऊपर अन्याय किया जाय और हम सिर झुकाये बैठे रहें इस प्रकार की श्मशानवत् शान्ति के हम विरोधी हैं। अन्याय का मुकाबला करना चाहते हैं। भुखमरी बढ़ रही है और पुलिस उस क्षेत्र में व्यवस्था के नाम पर लोगों को परेशान करती रहे। उसके विरुद्ध आवाज बुलन्द करते हैं, मजदूरों द्वारा कारखानेदारों के खिलाफ वेतन की कोई आवाज बुलन्द की जाती है, अगर कोई स्टेप उठाया जाता है तो, सभापति महोदय, उसके लिए हर तरह से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अगर इस तरह से मिलता है तो हम मानेंगे कि आप हम से कहें कि हम तुम्हारी मदद करते हैं और तुम हमारी मदद करो। राजस्थान सरकार की कोई बात नहीं मानती है मरकजी हुकूमत तो हम आपकी मदद करेंगे।

(श्री मोहरसिंह)

आप हम सब एक हैं, जहां रोटी का सवाल है वहां पर कहना पड़ेगा कि आज आपकी आर्थिक नीतियों के कारण देश के अन्दर भयंकर आर्थिक संकट आ चुका है, और इस आर्थिक संकट की वजह से पब्लिक परेशान हो चुकी है। दुःखी है जनता और उस दुःखी जनता को बजाय इलाज देने के, सभापति महोदय, हम यह काला कानून उनको देने जा रहे हैं। तुम आवाज उठाओगे भुखमरी के खिलाफ, मजदूर आवाज उठायेगा अपने वेतन के लिए, विद्यार्थी आवाज उठायेंगे शिक्षा में सुव्यवस्था के लिए तो उन्हें यह काले कानून का डण्डा मिलेगा। इस तरह की शान्ति के हम उपासक नहीं हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी शान्ति जिसमें इन्सान की जमीर खत्म कर दी जाय, जिसमें इन्सानी इखलाक को खत्म कर दिया जाय, (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) जिसमें इन्सानियत का खात्मा हो जाय, ऐसी शान्ति हमें गवारा नहीं है। इस प्रकार की शान्ति के हम उपासक नहीं हैं। हम इस प्रकार की शान्ति के उपासक हैं जहां पर जनता को मौका हो आन्दोलन करने का, अपनी समस्याओं को समझाने का। इस प्रकार की शान्ति के हम उपासक हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार के काले कानून को लाया गया है ...

श्री दीपंकर : आप तो क्रान्ति के उपासक हैं।

श्री मोहरसिंह : बिल्कुल क्रान्ति के उपासक हैं और हमेशा रहे हैं। हमने रजाओं और सामन्तों से राज्य छीनने के लिए क्रान्ति की है। उस वक्त भी मैं पीछे नहीं था। हमने आन्दोलन किए थे और जेल भी गए थे। आज भी हमारी सरकार जुल्म पर आमादा है तो हमें भी सब कुछ मन्जूर है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की डेमोक्रेसी के अन्दर इस प्रकार के गन्दे कानून से खेलना आग से खेलना है। इस प्रकार के खड्डे खोदकर महफूज न समझें। यह कहा गया है, ए इन्सान, तू दुनियां में यह मत समझ कि तेरे तमाम दुश्मन खत्म हो जायं। इसलिए आज डेमोक्रेसी में हमें बोलने का हक रहना चाहिये, हमें संगठन बनाने का हक रहना चाहिये (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) हमारे संगठन को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यह शान्ति हम नहीं चाहते हैं। यह कानून शान्ति का दुश्मन है। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) आज राजस्थान की पुलिस कौनसी लाठियां बरसाती नहीं आ रही हैं ? आज वह रक्षक की जगह भक्षक बन रही है। बन्दर के हाथ में तलवार देकर आप व्यवस्था कराना चाहते हैं। वह बतायेंगे जिलाधीश को कौन अच्छा है और कौन बुरा है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कौन शान्ति रखना चाहता है, कौन जबर्दस्ती चन्दा कर रहा है। यह सारी चीजें पुलिस भेजेगी और फिर जिलाधीश महोदय कहेंगे कि इसे जिले से और प्रान्त से बाहर कर दो। यह व्यवस्था हर तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी इस प्रकार के कदम से आगे नहीं बढ़ेगी। वह गलत कदम होगा। सभापति महोदय, मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि इस काले कानून को, मैं इसको काले की संज्ञा देता हूं, हर तरह से दूर करना चाहिए। यह हमारे बुनियादी अधिकारों पर जबर्दस्त

(श्री मोहरसिंह)
कुठाराघात है। यह कहते हुए मैं बहुत जबर्दस्त शब्दों के अन्दर इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास !

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, सबसे पहले इस बिल के विषय में जो भी विरोधी दल के सदस्य बोले हैं उनके द्वारा एक कन्फ्यूजन तो यह पैदा किया गया है कि जनरल लॉज के होते हुए, आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के होते हुए इस कानून के लाने की क्या जरूरत थी, स्पेशल लॉज बनाने की क्या जरूरत थी ? तो, सभापति महोदय, यह एक प्रिवेन्टिव मेजर है। यह इसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है, और यह बात अगर इस बिल के प्रावधानों को पढ़ने का कष्ट करें, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, और जो जनरल लॉ हैं उनके तहत प्रिवेन्टिव एक्शन कोई एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस नहीं ले सकती है। आज की हालत में उनके अन्दर कोई जुर्म किया है तो सजा मिल जायेगी यह बाद की बात है। जुर्म है नहीं...

श्री गुमानमल लोढ़ा : 107 ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : 107 है तो 107 का ऑपरेशन कितना इफेक्टिव है यह जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। आप बड़े वकील हैं यह मैं मानता हूं लेकिन 107 का ऑपरेशन और इसका ऑपरेशन बिल्कुल आलटूगेदर डिफरेन्ट है। सभापति महोदय, 'ही' और 'शी' का प्रश्न है तो 'He' includes 'she' लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार एक बात कही है इस कानून के प्रोवीजन्स की मेरिट्स पर विचार व्यक्त करने के बजाय एक बात की बार-बार यह पुनरावृत्ति की है कि इस कानून को लाने का मकसद राजनैतिक विरोधी लोगों को परेशान करना या राजनैतिक विरोध को समाप्त करना या पोलिटिकल विक्टेमाइजेशन करना है। यह गवर्नमेंट का मकसद है तो, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह कोई गिल्टी कान्शस अपोजिशन के माइण्ड के अन्दर प्रिक कर रहा है, क्योंकि आज तक मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत पोलिटिकल अपोनेन्ट्स को इस तरह से कानून बनाकर क्रश करे। मैं सभापति महोदय, पूछना चाहता हूं कि अगर केवल पोलिटिकल विक्टेमाइजेशन करना ही चाहते हैं और क्रश ही करना चाहते हैं तो इस कानून की क्या जरूरत है ? जो जनरल लॉज के तहत गवर्नमेंट को पावर्स हैं उनमें भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अन्दर वर्क करते हैं। बड़े आन्दोलन आज तक हुए हैं तो जुलूस निकालने में, डिमॉन्स्ट्रेशन करने पर उनके ऊपर कैसे पाबन्दी हो सकती है ? यह मूल अधिकार हैं। आप इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद, हरिदेव जोशी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद वह बात बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन जुलूस निकालें और पत्थर फेंके और अनकनेक्टेड लोगों की दुकानें जलायें, लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा करें, लोगों के साथ मारपीट करें और ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दें, पुलिस और जनता में कन्फ्रन्टेशन की हालत पैदा करें, आप एक

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

पोलिटिकल मिस्चीवियस गैंग को डिमॉन्स्ट्रेशन में भेजकर लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी करना चाहेंगे, उसके बाद फायरिंग की नौबत लायें, जो लोग उस स्थिति को उत्पन्न करें वह एक तरफ निकल जाय और साधारण नागरिक मारे जाय। उसके बाद जनता को लेकर खड़े हो जायें और प्रान्त के अन्दर जनता और सरकार में कन्फ्रन्टेशन खड़ा करें। यह आपका मकसद हो, तो आपको बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन इन घटनाओं को रोकने का राज्य सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो आपके लोकतान्त्रिक अधिकार हैं वह बेशक आपके पास बने रहें, लेकिन लोकतान्त्रिक अधिकारों के नाम से आप पब्लिक को टेग नहीं कर सकते, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के नाम से टेग कर सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं। कन्फ्रन्टेशन की सूरत पैदा करें, लॉलेसनेस की सूरत पैदा करें और उनके जरिये से आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहें और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्रश हो जाय........

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या कहना चाहते हैं ? आपकी शिक्षाओं को कबूल करें वही डेमोक्रेटिक है ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : तो गवर्नमेंट को प्रिवेन्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और बिल्कुल मुस्तैदी और सख्ती से काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, यहां पर यह कहा गया कि जयप्रकाशजी के आन्दोलन को लेकर यह किया गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ गई कि जहां तक बिल के मौलिक स्वरूप का सवाल है और जहां तक मेरी सामान्य बुद्धि काम करती है, मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार का इस बिल को लाने या इन्ट्रोड्यूस करने का पर्पज कोई पोलिटिकल पार्टी के लोगों, ईवन पोलिटिकल एजीटेशन, को डील विथ करने का है। लेकिन यह निश्चित बात है कि शायद यूनिवर्सिटीज के अन्दर और मोटे तौर पर, मुझे उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन डिफरेन्ट क्रिमिनल एक्टीविटीज यूनिवर्सिटीज में व दीगर होस्टल्स में दीगर-दीगर कारणों से होती है वह रुक नहीं पाती हैं और मर्डर्स तक होते हैं तो उनको डील विथ करने के लिए यह बिल लाया गया है मैं यह कह कर नहीं चलना चाहता हूं कि यह बिल्कुल परफेक्ट है या बिल के अन्दर कोई खामी नहीं है, लेकिन हम इसके क्लॉजेज के मेरिट्स पर विचार करें और यह सुझाव करें कि इसमें यह गलती है, वह तो एक बात है लेकिन इसको आल-टू-गैदर क्रिटिसाइज करके हवा बनाने की कोशिश करें कि विक्टीमाइजेशन के लिए लाया गया है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं दो तीन बातें निवेदन करूंगा, यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। और इसका जो नाम रखा गया है, वह भी अच्छा होता कि दूसरा नाम रख देते। गुण्डा शब्द का वर्गीकरण करें तो मैं समझता हूं कि यह डेरोगेटरी शब्द है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे Every person

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

is a sharif person until and unless otherwise proved. इसके अन्दर कुछ परिस्थितियों से और कुछ एवीडेंस से अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैटिस्फाई है तो उस व्यक्ति को नोटिस सर्व होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वह गुण्डा डिक्लेयर कर दें, यह सामान्य भाषा की बात भी समझ में नहीं आती है। यह तो हुकुमत की टर्म है। सरकार ने यह अच्छा नहीं किया है। इससे अननेसेसरी कन्फ्रन्टेशन पैदा होंगे। सभापति महोदय, इतने सारे 9 क्लॉजिज डालकर डिफाइन करने की खास आवश्यकता नहीं थी। गैम्ब-लिंग आदि करता हो या जिसका कन्विक्शन हो गया हो, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। कैसा यह एप्रिहेन्स है! क्लॉज 9 सबसे ज्यादा कन्फ्यूजिंग है।

"is habituated to commit affray or breach of peace, riot, or who is habituated to make forcible collection of subscription or threatening people for allege pecuniary gain for himself or for others........"

यह प्रीसीडिंग क्लॉज में भी हैबीचुएट को डिफाइन किया है।

"Thrice he must have been found to have committed offence."

इसके लिए यह आपने डिफाइन नहीं किया है कोर्ट में चालान पेश होने पर मानेंगे या पुलिस में रिपोर्ट होने पर मानेंगे या कोई सरकार के इण्टेलीजेन्स विभाग की रिपोर्ट होगी। आगे चलकर आपने एक क्लॉज रख दिया है।

"The appellant or his counsel shall not be entitled to inspect or to be informed of any record which was not disclosed to him at the inquiry, if any, held under sec. 3"

तो सैक्शन 3 के तहत इन्क्वायरी हो तब आप जो चीज उसे नहीं बताना चाहते, आप उसको नहीं बतायेंगे। आप उसको कॉन्स्टीट्यूशनल राइट देते हैं कि वह वकील के जरिये एग्जामिन कराये। लेकिन जो नोटिस सर्व किया उसकी यूजुअल इन्क्वायरी होगी वह बाद में भी नहीं दी जायेगी।

सभापति महोदय, यहां पर शक पैदा होता है। निश्चित रूप से पुलिस के पास क्या एवीडेंस होती है उसे किस प्रकार आप पेश करेंगे यह आपको डिफाइन करना होगा।

एक माननीय सदस्य : हैबीचुएटेड से क्या मतलब है?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : हैबिचुएटेड आप उसको मानेंगे, जैसे किसी बात को लेकर अनुचित ढंग से कुछ करे।

दूसरी बात यह है, जैसे राजस्थान में आपने स्मगलरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। उसी प्रकार आप एक

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
पर्टीक्युलर क्लास के लिए यह करना चाहते हैं।

"has been found habitually passing indecent remarks to or teasing women or girls; or...."

यह बड़ा खराब प्रॉवीजन है। वह हैबीचुअल है, इसका क्या प्रमाण है ? इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो सकता है। इसमें स्टूडेण्ट्स के खिलाफ सबसे ज्यादा चार्ज लग सकता है वह चार्ज युनिवर्सिटी लगा सकती है out of this clause आप समझते हैं कोई यूनिवर्सिटी इसका यूज नहीं करेगी। क्योंकि चार्ज के लिए एवीडेंस कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यह आराम से हो सकता है। अगर वह चाहें तो यह कह सकते हैं कि यह लड़कियों को छेड़ते हैं। यह आराम से हो सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बिल्कुल हो सकता है।

श्री सुरेन्द्रप्रासद व्यास : मैं इसमें सब-क्लॉज (1) को मानता हूं। दूसरी बात मैं, सभापति महोदय, यह मानता हूं कि यह कैसे करेंगे ? कैसे एक्जीक्यूट करेंगे ? क्योंकि जैसे कोई आ रहा है। किसी पार्टी का नेता है। मास एजीटेशन को टीच करने के लिए, पब्लिक को टीच करने वह आ रहा है। उसका तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन एक गुण्डा है; वह तो पुलिस में रिपोर्ट करने से रहा कि मैं गुण्डा हूं और यहां आया हूं। आज के शहर कोई वाटर टाइट तो हैं नहीं और आदमी 24 घण्टे गुण्डों की तरह से रहता भी नहीं है। लेकिन वह शहर में मौजूद है तो आप कैसे करेंगे। और सबसे ज्यादा तो, सभापति महोदय, मुझे यह ख्याल आ रहा है। एक बाप है, उसका लड़का नालायक है। कोई काम-धन्धा नहीं करता है। अपने घर में रहता है। गुण्डा है। घर में रहता है, खाना खाता है। उसे आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में निकाल दिया तो उसको खाना कौन खिलायेगा। आप बेसिक प्रिविलेजेज को डिनाई करते हैं। इस जगह तो उसका रेजीडेंस है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको कौन खाना खिलायेगा। घर वालों में रहेगा तो गुण्डागर्दी भी कम करेगा। वैसे भी, सभापति महोदय, अगर डिटेन करते हैं तो रोटी देते हैं। पर उसे कहें कि आप यहां नहीं रहेंगे। तो दूसरे जिले में उसका साधन क्या है !

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि इसका ऑब्जेक्ट और स्प्रिट तो ठीक है लेकिन यह सेक्शन 10 है और सेक्शन 11 है, फोर्सिबल रिमूवल। Section 11 will be operated in addition to Section 10 यह मुश्किल काम हो गया, सभापति महोदय, एक आदमी के खिलाफ एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद इन वायलेशन ऑफ देट ऑर्डर है वह आदमी तीन महीने उसी प्रिमिसेज में रहता है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर तीन महीने तक अनडिजायरेबल एक्टिविटी नहीं करता, कोई गुण्डागर्दी नहीं, कोई ऑफेन्स नहीं। बाद में डिस्ट्रेक हो जाता है। पहले बिल्कुल शराफत से रहता है। तो वायलेशन

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

ऑफ डेट ऑर्डर का ऑफेन्स है, चाहे वह ऑफेन्स किया या नहीं, चाहे गुण्डा हो या नहीं गुण्डा होने के कयास के आधार पर डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने का ऑर्डर होता है। यह कयास की बात है, सजा कयास की बात है। वैसे सजा के लिए प्रूफ होना चाहिए कि उसने एक्सटर्नमेण्ट का ऑर्डर वॉयलेट कर दिया। छः महीने की सजा दे दीजिये। This is too harsh यह जो फोर्सिबल रिमूवल की बात है। तो सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत जल्दबाजी के अन्दर पेश किया गया है। इसको सैकिंड थोट देना चाहिए। बार-बार पुलिस का हवाला है, यह पुलिस कुछ करने वाली नहीं है·······

श्री प्रद्युम्नसिंह : फोर्सिबल रिमूवल के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट तय करवा लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी जिले में ज्यादा क्राइम बढ़े तो जहां कम क्राइम हों वहां कर दें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : हाण्डा साहब का अमेंडमेंट हो सकता है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से एक्सटर्नमेंट किया जाय वह गंगानगर कर दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम पच्चीस जिलों को सर्व कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : कन्सन्ट्रेट कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करूं, सब कुछ होने के बाद इस बिल के अन्दर कई खामियां हैं और यह इतना पर्पज सर्व नहीं करेगा, कितनी ही इससे मिस-अन्डरस्टेंडिंग पैदा होंगी और कितनी ही इसके ऑपरेशन में हमें दिक्कतें आयेंगी, इसलिए इस बिल को मैं समझता हूं कि सरकार को दुबारा विचार करके पेश करना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बिल के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें बहुत ही अनावश्यक भय के बारे में मन में बैठा ली हैं, कुछ भ्रांतियां काम कर रही हैं। सभापति महोदय, इस बिल का मकसद बहुत लिमिटेड है और जीवन के बहुत लिमिटेड स्फीअर में यह ऑपरेट करता है। कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हुई हैं, प्रदेश के अन्दर जिनमें ऐसा लगने लगा कि हमको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। अन्य कानूनों से जब स्थिति नियंत्रण में न आवे और ऐसा लगे कि ·· ····

(4.13 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

आपको तत्काल कोई कदम उठाने की आवश्यकता है तब उस प्रकार का साधन और हथियार आपके पास होना चाहिए और इस दृष्टि से यह बिल लाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस बिल का मकसद, इस कानून का मकसद राजनैतिक विरोधियों को समाप्त करना है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह अपने आपमें बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से भी सहमत नहीं हूं कि अगर कोई प्रकार की अव्यवस्था, राजनैतिक अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की जायगी तो उसके लिए भी यह कानून है अथवा हमारी मन्शा है इसमें। इसमें

(श्री हरिदेव जोशी)

केवल, इस कानून को लाने की मन्शा गुण्डा-गर्दी को रोकने की ही है। और डकैती को रोकने के लिए दूसरे प्रकार की स्थिति होती है, किन्तु लड़कियों से छेड़-छाड़ करने की स्थिति विभिन्न प्रकार की होती है, आपस में मारपीट करने की स्थिति भिन्न प्रकार की होती है, दो प्रकार के ग्रुप बनाकर एक दूसरे को तबाह करने की स्थिति भिन्न प्रकार की होती है, गिरोह बनाकर किसी को लूटने, पीटने की मनोवृत्ति भिन्न प्रकार की होता है। दुर्भाग्यवश यह मनोवृत्ति है, समाज के कुछ तबकों के अंदर। किन्तु मैं स्पष्ट करूं, कहीं भी किसी भी तरह की भावना हमारे राजनैतिक दलों के खिलाफ इसे काम में लेने की नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है...

श्री मूलचन्द सामरिया : सेविंग क्लॉज लगा दो ऐसा It will not be used against any man of any political party साफ हो जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें केवल गुण्डों के लिए है और गुण्डा डिफाइण्ड है....

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : गुण्डा मेम्बर भी हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : गुण्डा डिफाइण्ड है, तो मेरी समझ में नहीं आता, क्या परेशानी है। गुण्डा डिफाइण्ड है, गुण्डा किसको कहते हैं, असामाजिक बहुत व्यापक शब्द था, गुण्डा लिमिटेड है, उसके एक्शन लिमिटेड हैं, और मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिसियन नहीं हैं....

एक माननीय सदस्य : हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : वह पॉलिटिसियन नहीं है—ऐसा मानकर चलता हूं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को परेशानी क्या है ?

श्री मोहर्रसिंह : पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डी. आई. आर. है।

श्री हरिदेव जोशी : पॉलिटिसियन के लिए डी. आई. आर. हो सकता है। मैं समझ सकता हूं दूसरे पॉलिटिसियन को फेस करने के लिए डी. आई. आर. का उपयोग हो सकता है—आप अच्छा कहें, बुरा कहें। यह मेरी समझ में आता है लेकिन पॉलिटिसियन को गुण्डा एक्ट के तहत गुण्डा करने की बात मैं कन्सीव करके नहीं चलता हूं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को दिमाग में से निकाल देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की धारा 2 के (ब) में गुण्डा को डिफाइन किया गया है। इस डेफिनेशन में कोई डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन है क्या ? किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है कि गुण्डा की डेफिनेशन के बारे में किसी को ऐतराज है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमने ऐतराज बताया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप सुन लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आ रहा हूं उस पर। अब गुण्डा को डेफिनेशन पर ऐतराज है तो क्लॉज बाई क्लॉज आ जाय उस वक्त डिस्कस कर लेंगे।

अब रह जाता है सवाल, गुण्डा की एक्टिविटीज को प्रिवेंटिव मेजर्स से रोकने की बात है। क्या माननीय सदस्य गुण्डा की

(श्री हरिदेव जोशी)

एक्टिविटीज को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में भी ऐतराज करते हैं ? मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी मन्सा तो किसी माननीय सदस्य की नहीं है। जब माननीय सदस्यों को गुण्डा की एक्टिविटी को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में ऐतराज नहीं है तो यह चीज पिन पॉइन्ट हो जाती है कि कहां पर पावर्स का मिसयूज किया जा सकता है। हमारी मन्शा पावर का कहीं मिसयूज करने की नहीं है। जहां तक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ट्रेजरी बेंचेज और ऑपोजीशन एक राय के है। ऐसा मुझे मालूम पड़ता है।

अब रह जाता है सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि किसी को भी राउडी कह कर उसको वह कर लेंगे, किसी की एक्टिविटी को झगड़ालू मान कर लेंगे, किसी को क्या कर लेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि हमें यह भी नहीं है कि हर एक को राउडिज्म में रहा हुआ कह देवें और अमुक प्रकार का वह होवे। जहां तक इस बिल का सवाल है, उसका मकसद माननीय सदस्यों को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि हम सारे प्रिकाशन लेने को तैयार हैं और लेंगे ताकि हमारी बात का आदर हो। अलबत्ता, मैं एक चीज जरूर चाहता हूं, और वह यह है कि इसको स्पष्ट समझ लेना चाहिए, न तो यह विद्यार्थियों के खिलाफ है, जो सही मायने में विद्यार्थी नहीं हैं, न यह राजनीतिज्ञों के खिलाफ है, जो कि सही मायने में राजनीतिज्ञ हैं, न अपोजीशन के मेम्बरों को डील करने के लिए है। मेरे पास इससे ज्यादा अधिक ताकतवर और हथियार हैं जो अपोजीशन को डील विद कर सकते हैं। और दूसरी चीज यह है, मैं ऐसा मानता हूं, जहां तक पॉलिटिकल उसका सवाल है, हम अपने आपको इतना कमजोर मान कर नहीं चलते हैं कि गुण्डा एक्ट से मीट विथ करने की जरूरत पड़े, हम पॉलिटिकली मीट कर सकते हैं।

अब रह जाता है सवाल, कोई एक आदमी इसका मिसयूज करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सेक्शन 2 के अन्दर गुण्डा की डेफिनेशन के अन्दर एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात के अन्दर जो हैबिचुअल ऑफेन्डर हैं, सात और नौ इनकी, जो हैबिचुअल ऑफेन्डर्स हैं, एक्टिविटीज के ऊपर एक प्रकार की पाबन्दी लगाने की बात होगी, जिनको दो दो बार सजा हो चुकी है, अमुक-अमुक सेक्शन के अन्दर, उसकी पाबन्दी को भी आप मना करते हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती....

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके विगत में न जाकर यह जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको पढ़ता हूं :

"The word 'habitual' or habituated' wherever used in relation to a person in this clause means a person who during a period within six months immediately preceding the commencement of an action under sec. 3 has been found on not less than three occasions to have committed the offences or acts, as the case may be, referred to in

(श्री हरिदेव जोशी)

sub-clauses (i), (vi), (vii) or (ix)."

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : इसमें कन्विकटेड नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके, बाद में सवाल रह जाता है सैक्शन 3 "एक्सटर्नमेंट" का। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे ? साधारण लॉ को कैसे ऑपरेट करते हैं अगर एक बार गुण्डा कोई गड़बड़ करता है तो He has to suffer for that. दूसरी चीज यह है कि यह एक्ट एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिवली गुण्डागर्दी को कैसे मीट करते हैं इस बात को समझने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग दुधारी बात करते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन वर्षों में गुण्डागर्दी बढ़ गई। उसको रोकने के लिए कुछ करते हैं तो कहते हैं कि काला कानून लाते हो। एक्शन नहीं लें तो कहते हैं कि हमारे यहां ऐसा हो रहा है, आप ध्यान नहीं देते। कुछ एक्शन लेते हैं तो कहते हैं कि काला कानून। आखिर यह मीसा नहीं है कि किसी आदमी को महीनों तक जेल में डाल दिया, कोई लीगल या दूसरी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो। इसके अन्दर तो बहुत साफ है कि अपने वकील से कन्सल्ट करने का अधिकार होगा और हरएक के लिए हाई कोर्ट तो खुली है। जब मीसा जैसे कसेज में, जिसमें स्क्रीनिंग होकर उसके बाद डिटेन करते हैं, उसमें भी हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सरकार के एक्शन को निरस्त करवा सकते हैं तो साधारण आदमी इसमें भी कर सकता है। तो जहां तक ऑबजेक्टस का सवाल है, मुझे डिफरेंस ऑफ ओपीनियन इस सदन में नहीं लगती। डिटेल्स में हो सकती है। इसलिए बजाय, यह प्रस्ताव करने के कि इसको क्लॉज बाई क्लाज नहीं लिया जाए, मैं माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि उसका टेक-अप कर लिया जाए और जिस किसी क्लाज में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो हम ओपन है, डिस्कस करके उसको पास करेंगे। इसलिए इसको क्लाज बाई क्लाज लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान गुंडा नियंत्रण अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 5 सन् 1975) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गुंडा नियंत्रण विधेयक, 1975, को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में रखा गया:--

"राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुंडे 9 प्रकार के बनाए हैं। अब ये गुंडे, तो बराबर गुंडागर्दी करते रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में चले गए और वहां पर जैसे किसी भाई ने कहा उनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि फिर ये गुंडे धीरे धीरे महागुण्डे हो जायेंगे और सरकार जैसे अन्य लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को विभूषित करती है वैसे पदमश्री या और प्रकार का खिताब उनके लिए बनाना पड़ेगा। यह सही है कि आज मुख्य मंत्री की भावना न हो पर इस खिताब के साथ जो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, कोर्ट में उसकी प्रतिलिपि ले जानी पड़ेगी कि जब कानून बनाया तो मुख्य मंत्री ने उनको कहा था कि राजनैतिक लोगों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं होगा कानून बन जाएगा फिर समय आने पर मुख्य मंत्री के पास जायेंगे कि समय दीजिए, हम पकड़े गये, कोर्ट में चलो और जिला मजिस्ट्रेट से कहो कि हमें न पकड़ो। तो फिर मुख्य मंत्री के भाषण की प्रतिलिपि का इसमें प्रावधान हो ताकि वह जिला मजिस्ट्रेट को दिखा सकें तब तो बात समझ में आएगी।

यह सही है कि विरोधी दल वाले आंदोलन करेंगे। रेल किराया बढ़ायेंगे, बस किराया बढ़ायेंगे, अनाज चीनी नहीं मिलेगी तो आन्दोलन करेंगे, लोग हमारे साथ आयेंगे और उस में यदि लोग आयेंगे तो उनको गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। कल जैसे पंचायत कानून पास हुआ। विरोधियों ने कहा कि रामनारायण जी को अर्थी निकालेंगे, राम राम सत् करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये गुंडे हैं, इससे बढ़कर क्या गुंडागर्दी है, आप उसको पकड़ लेंगे। इसका मतलब डेमोक्रसी में कोई अपनी बात को बताए ही नहीं। यह निश्चित-रूप से अप्रजातान्त्रिक है और भारत के संविधान में जो नागरिकों को मूलभूत अधिकार 8 प्रकार के दिए गए हैं उन पर कुठाराघात है। यह तो सही है कि पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिलता है, बेरोजगार इन्जीनियर्स हैं, आप उनको 150 देते हैं। इस पैसे में से सिनेमा जायेंगे, खायेंगे, पैंट पहनेंगे, बढ़िया बाल रखेंगे। Empty mind is devils home. खाली दिमाग शैतान का घर है। जब सरकार रोजगार नहीं देती तो खाली आदमी क्या करेगा ?

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सैंकड़ों की तादाद में इन्जीनियर्स बेरोजगार हैं, मैं उन्हें जानता हूं डाक्टर्स जो बेकार हैं बेचारे इधर-उधर घूम रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आज सैंकड़ों बी. ए., एम. ए. और एलएल. बी. पास बी. एससी. पढ़े हुए बेरोजगार लोग हैं जो कि आज रिक्शा चालक हो गये है। इसका कारण यह कि राज्य सरकार उनको नौकरी नहीं दे सकती है। अब आपने जब यह कानून बना दिया तो आप तो पुलिस वालों को यह आॅर्डर दे देंगे कि एक सप्ताह में इतने लोगों को पकड़ के रख दो। अब पुलिस वाले अपनी खाना पूर्ति के लिए किसी भी रिक्शा चालक को, बेरोजार पढ़े लिखे, को पकड़ कर अन्दर रख देगी। उसे तो ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि कोटा उसको पूरा करना पड़ेगा अब इसी प्रकार कोई व्यक्ति गाना गा रहा है और उधर से कोई महिला निकली आप तो उस लड़के को महिला को छेड़ने के बाबत में उसको और महिला को पकड़ कर थाने ले जायेंगे। इस प्रकार आप लड़कों की तो इज्जत खराब करोगे ही लेकिन महिलाओं की भी इसमें इज्जत जायेगी। अब इस कानून में आपने लिखा है कि उनके सुधार करने के लिये आप उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देंगे। अब जहां तक सुधार करने की बात

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
आप करते हैं यह तो जेल के सामने भी लिखा हुआ है यह सुधार-गृह है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज मुख्य मन्त्री जी के पास एम. एल.एज. वगैरहा यह कहने जाते हैं कि फलां डॉक्टर को आप यहां लगादो, मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में लगादो, फलां इन्जीनियर को आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में लगादो, यह ट्रान्सफर बाद में कराना तो भूल जायेंगे और एम. एल. एज. लोग मुख्य मन्त्री जी के पास यह कहने के लिए आयेंगे इन गुण्डों का ट्रान्सफर मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी से करा दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कांग्रेसी विधायक या दूसरे विधायक सचिवालय में ट्रान्सफर के लिए चक्कर काटते हैं वह मुख्य मन्त्री जी को यह कहेंगे कि महाराज, भाड़ में जायें इन डॉक्टरों और इन इन्जीनियर्स का ट्रान्सफर आप तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी से इन गुन्डों को ट्रान्सफर करो।

इसके अलावा आप जो गुन्डों को एक जगह से दूसरी जगह सुधारने के लिए भेजते हैं तो आप ऐसा भी करेंगे कि फलां एम. एल. ए. विरोधी दल का है वहां 2-4-5-6 गुन्डों को भेज दो और उन्हें कह दोगे कि फलां एम. एल. एज. कांग्रेस विरोधी हैं, राज्य सरकार की खिलाफत बहुत करता है, आप लोग जाकर उसका दिमाग ठीक कर दो और ऐसा करना कि वह सरकार के विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोले। आप तो कांग्रेस के जहां जहां पर विपक्ष करने वाले होंगे वहीं पर इन गुन्डों को भेज दोगे और कह दोगे कि अगर तुम्हें तुम्हारी सजा कम करानी हो तो जाकर उन एम.एल.ए. को ठीक कर दो ताकि वह कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा ही नहीं हो। इसी प्रकार मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके कहे अनुसार किसी को गुण्डा एक्ट में सजा नहीं करेगा या आप कहेंगे उसके अनुसार उस गुण्डे को एक पार्टीक्यूलर जगह पर ट्रान्सफर नहीं करेगा तो आप कहोगे अच्छा बेटा तुमने हमारे कहा हुआ माना नहीं इसलिये हम तुमको काले पानी भेज देंगे। हम तुमको ट्रान्सफर कर देंगे जैसलमेर बाड़मेर भेज देंगे। वहां पर सीमा पर बैठकर हवा खाओ। इसके अलावा आपने यहां गुण्डों के लिये यह भी कहा कि उसको एक जिले से दूसरे जिले में भेज देंगे। उसको वहां भेजने से क्या होगा। वहां जाकर भी तो वह गुण्डागर्दी ही करेगा। तो आपने जो यह नौ रत्न बनाये हैं गुण्डों में जो नौ रत्न पैदा किये हैं, उनको सुधारने के लिये आप जिस प्रकार हमारे यहां पर महिला सुधार सदन बने हुए हैं, उसी तरह गुण्डा सुधार सदन क्यों नहीं बनाते। उपाध्यक्ष महोदय, महाराज माधोसिंह जी के जमाने में अगर कोई औरत इधर उधर आवारा मिलती तो उसे जनानी ड्योढी में डाल दिया जाता था। वहां पर उसको सुधारा जाता था। वहां पर उन्हें काम दिया जाता था और उन्हें सुचारू रूप से रखा जाता था। उन्हें रोजगार दिया जाता था और, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक वह महिलायें वहां पर जनानी ड्योढ़ी में पल रही हैं। अभी भी वह मौजूद हैं। लेकिन आप जिन लोगों को गुण्डा एक्ट में रखोगे उन्हें आप कहीं दूसरी जगह दूसरे जिले में भेज देंगे तो वह लोग जहां जो न्यूसेन्स क्रियेट कर रहे थे, दूसरे जिले में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जाकर न्यूसेन्स करेंगे। वह लोग यहां पर कोई बन्दिश में तो रहते नहीं है। यहां पर लड़कियों को छेड़ते हैं, गुण्डागर्दी करते हैं वह दूसरी जगह जाकर गुण्डागर्दी करेंगे। यह तो आप न्यूसेन्स ट्रान्सफर कर रहे हैं। आपको करना तो ऐसा चाहिये था कि पुराने जमाने में जिस तरह से लोगों को अपनी बिरादरी से अलग कर दिया जाता था, उनका हुक्का पानी बन्द कर दिया जाता था, उनसे बोलचाल बन्द कर दी जाती थी और उस प्रकार से लोग सुधर जाते थे तो मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह की कोई कार्यवाही करते तो उचित होता। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब इन नौ-रत्नों की बात को छोड़कर आगे बढ़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि उस गुण्डे के लिए पुलिस द्वारा उसके घर पर नोटिस आयेगा। अब जब कि कोई पुलिस वाला घर पर आयेगा तो लोग पूछेंगे कि पुलिस वाला तुम्हारे घर पर क्यों आया तो वह कहेगा कि मुझे गुण्डा होने का नोटिस मिला है। उपाध्याक्ष महोदय, एक ऐसा जमाना था कि जब कभी कोई पुलिस वाला किसी के घर पर आता था लोग उसे बहुत ही अपमानजनक बात समझते थे। अब जैसे दीपंकरजी को कोई नोटिस मिले और उन्हें पूछे कि पुलिस वाला आपके घर पर क्या देने आया तो वह कहेंगे कि मुझे पुलिस ने गुण्डा करार कर दिया। अब यह कैसी बात हुई? मैं सिर्फ दीपंकरजी की ही बात नहीं कहता। मेरा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति के पास अगर नोटिस आता है तो वह तो यही कहेगा कि मुझे पुलिस ने गुण्डा करार कर दिया। अब अगर उस नोटिस को लेकर वह वकील के पास जाता है तो और वहां पर अगर कोई पांच-सात व्यक्ति बैठे हों जान पहचान वाले तो यही पूछेंगे कि काहे का नोटिस आपको मिला तो बेचारा गुण्डा है या नहीं, शर्म से डूब जायेगा अब कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य गुण्डा नहीं होता है तो गुण्डा हो जायेगा। अब गुण्डा कोई, क्वांरा हो तो उससे शादी कौन करे वह तो क्वांरा बाप हो गया। अब अगर कोई गुण्डे से शादी कर भी ले तो उसके लड़के लड़कियों से शादी ब्याह कौन करेगा। मैं समझता हूं कि लोग यही कहेंगे कि अरे यह तो गुण्डे के बेटे बेटी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सबका परिणाम समाज पर क्या पड़ेगा यह भी आपको सोचना चाहिये था। और इसके अलावा अगर आपका विचार गुण्डों को सर्टिफिकेट ही देना है तो फिर आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त को गुण्डों को बुलाकर सर्टिफिकेट भी देने होंगे। लेकिन मेरा इसमें यह निवेदन है कि अगर आप गुण्डे के लिए गुण्डे शब्द का ही प्रयोग करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। आप बदमाश को बदमाश कह कर ठीक नहीं कर सकते। आप उसे भाई चारे से ठीक कर सकेंगे। खराब आदमी अच्छा हो जायेगा, मुझे क्षमा करेंगे अगर आप मेरी बात माने तो लेकिन बुरा बुरा कह कर आप शरीफ व्यक्ति को भी खराब बना सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज मैं इस जयपुर शहर के सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको आपके पुलिस वालों ने और लोगों को गुण्डा करार कर दिया है लेकिन वह लोग ईमानदार हैं और अच्छे आदमी हैं। और जयपुर में उन सफेद पोश लोगों को भी जानता हूं जो दुनिया में शराफत का चोगा पहनकर ईमानदारी की डींग

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मारते हैं पर असलियत में उन घोषित गुण्डों से दस गुना ज्यादा खराब हैं। मैं कई गुण्डे कहे जाने वाले जयपुर के लोगों के सम्पर्क में आया हूं और ईमानदारी की छाप रखने वाले लोगों, जो असलियत में गुण्डे से भी ज्यादा खराब हैं, के सम्पर्क में आया हूं। इसके अलावा मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उन गुण्डों को आप दूसरे जिलों में भेज देंगे तो उनके खाने, पीने की व्यवस्था कौन करेगा। इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा आज तो आपने एक गुण्डे को छः माह की सजा दे दी और उसके बाद में आप जिस तरह पंचायतों के चुनाव नहीं कराकर समय बढ़ा रहे हैं। उसी तरह एक बार किसी को पकड़कर गुण्डा कह कर 6-6 माह बढ़ाते हुए दो साल तक हिरासत में रख दो तो क्या पता। आप ऐसा संशोधन भी इस बिल में ला सकते हैं इस 6 माह के पीरियड को दो साल पढ़ा जावे। ऐसा संशोधन कर दें। क्योंकि आपने पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव के लिये जो अवधि थी उसको बढ़ा दिया अब आज 13 वर्ष हो गये हैं कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं ऐसा करदें। क्योंकि कानून का दुरुपयोग राज्य सरकार भली तरह से कर सकती है। इसी तरह नगरपालिकाओं के चुनाव को आज दस-दस वर्ष हो जाते हैं आप नहीं कराते हैं। उनकी अवधि दो-दो वर्ष करके बढ़ाते रहते हैं। उसी प्रकार इसमें संशोधन कर उस गुण्डे को जेल में रखने की अवधि का कर देंगे तो फिर क्या होगा। इसके अलावा जो अपील करने का इसमें आपने जो प्रावधान किया है उसमें आगे यह भी है, उस गुण्डे की जमानत के बारे में। अब गुण्डे की जमानत भी कौन दे। पहले तो वह यों ही गरीब अब उसकी जमानत कौन दें। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार दफा 107 ऑलरेडी है जिसमें किसी व्यक्ति की जमानत उसके मकान वगैरह से ली जा सकती है उसी तरह इसमें अगर आप पाबन्द करने की रखते हैं वह तो बेकार है और ऑलरेडी अपने यहां पर दफा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है वही पर्याप्त है। जब ऑलरेडी कानून है तो आपको दूसरा कानून बनाने की जरूरत क्या थी। उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज 7 की उप-धारा 2 में कहा गया है कि बिना जांच किये ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में वारन्ट गिरफ्तारी का जारी किया जायेगा। गुण्डों का गिरफ्तारी का वारन्ट सीधा मजिस्ट्रेट जारी करेगा। जांच होगी। जांच होगी, जमानत होगी, वह कार्यवाही कुछ नहीं होने वाली है। मुख्य मन्त्री जी जो गृह मन्त्री हैं, उनके नोटिस में सीधे गुण्डे नजर आवेंगे।

मेरा निवेदन यह है कि जब वह जावेगा नहीं, जब नोटिस चला गया तो सीधा जेल में जावेगा। तब तक वह जेल में रहेगा जब तक बोंड नहीं भर देता, जमानत नहीं दे देता। वह जेल में पड़ा रहेगा। भाई, भतीजा, चाचा, पिताजी मेरी जमानत दे दो, वह कहेंगे, नहीं देते गुण्डे हो।

यह बिलकुल स्पष्ट है, सीधा गिरफ्तारी का वारन्ट होगा। वह जेल में तब तक रहेगा जब तक बोंड नहीं भर देता। आजीवन कारावास हो गया, इस तरह से तो पुरानी धारा में लिखा हुआ है जैसी भी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

स्थिति हो, बन्धपत्र न लिख दे, उक्त संहिता की धारा 119 से, 124 तक के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे यहां सरकार ने पुराने कानून का पालन किया है। कलेक्टर के पास काम न हो, जुडिशियरी को दे दिया काम आपने। आपको तो विरोधी पार्टी को ठीक करना है, रेल में चढ़ जायं तो सजा, बस में चढ़ जायं तो सजा आपकी जो भी खिलाफत करेगा उसको सजा। बस उसको जेल में ठूंस दो, जन भावना को दबाने के लिये, पोलिटिकल पार्टीज को दबाने के लिये, कांग्रेस का चुनाव में कोई विरोध न करे इस लिये आप इसको लाये हो।

धारा 9 में प्रॉविजन है : "जिला मजिस्ट्रेट अथवा आयुक्त धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश का किसी भी समय विखंडन कर सकेगा चाहे ऐसा आदेश धारा 6 के अधीन अपील में पुष्ट कर दिया गया हो अथवा नहीं।" कलेक्टर ने सजा की। अपील में गया कमिश्नर के पास। जिला मजिस्ट्रेट के पास आये तो वह कर सकता है। कितनी यह ड्राफ्ट की गलती है।

धारा 10 में यह कहा गया है "जो कोई भी व्यक्ति धारा 3, धारा 4, धारा 5 अथवा धारा 6 के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन साल तक की हो सकेगी किन्तु जो छः मास से कम नहीं होगी, दंडित किया जायगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा।" जो व्यक्ति इन धाराओं में दिये गये ब्यौरों का पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा तो उसको कठोर कारावास की सजा दी जावेगी। कठोर कारावास का मतलब, पांव में बेड़ियां। साधारण सजा नहीं। और देखिये, सरकार कहती है कि तीन साल की यह सजा होगी और यह सजा छः महीने से कम नहीं होगी। ऐसा भी कहीं कानून नहीं होगा। मजिस्ट्रेट को कह दिया कि तीन साल की सजा करो। जुर्माने से भी दंडित होगा। कौनसा कानून है पाबन्द कर दिया, छः महीने से कम नहीं। जुर्माना कितना होगा ? कुछ भी ब्यौरा नहीं। कितना हो सकता है ? कानून में लिखा है जुर्माना अदा न करने पर दण्डनीय होगा। कितनी रकम का जुर्माना होगा यह कोई स्पष्ट नहीं है।

इसके आगे यह कहा गया है कि पुलिस का व्यक्ति बिना वारन्ट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है। "किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी।" यह किसी कोर्ट में नहीं जावेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी कहेंगे, हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में जाना भी हंसी मजाक नहीं है। जाने का किराया क्या है ? कितना दुख पायेगा ? संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन होगा, उसकी स्वतन्त्रता के अधिकार का भी इससे हनन होगा। व्यक्ति को स्वतन्त्रता है कि वह कोई भी धन्धा कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन आपने बन्धन लगा दिया है।

यह बिलकुल डिफेक्टिव है, गलत ड्राफ्ट किया हुआ है। जल्दी में आप इसको पास करवा रहे हैं। सत्ता के मद में इसको पास कराने जा रहे हैं। भारत के संविधान में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये अधिकार है, यह उनके खिलाफ है, उसके अधिकारों के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

खिलाफ है। किसी न्यायालय में नहीं जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार किसी भी न्यायालय में जा सकता है। आपने संविधान के अधिकारों का भी उस पर बन्धन डाल कर हनन किया है। कोई हाई कोर्ट में चला गया तो फिर कहेंगे कि यह गलती हो गई। निश्चित रूप से हाई कोर्ट में जावेंगे। सदन यदि स्थगित हो जावेगा तो आप उस बीच में आर्डिनेन्स ले आवेंगे।

इसमें यह भी लिखा है "इस अधिनियम अथवा उसके अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा किये जाने के लिये आशयिक किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।" कोई किसी को गलत ढंग से जेल में ठूंस दे, उस पर जुर्माना लगा दें, मान-हानि का दावा कर दिया, चौपड़ पर पर पीटा, मान-हानि का दावा हो सकता है भाषण देने पर अमुक अमुक व्यक्ति को जेल में ठूंस दें, गुण्डा करार दे दें, उसकी लड़की की शादी न हो, लड़के की शादी न हो इसलिये कि उसको गुण्डा करार दे दिया गया और जेल में उसको ठूंस दिया गया। उसके सम्पूर्ण पारिवारिक जीवन को खराब कर दें और आप कहें कि उसके खिलाफ कोई न्यायालय में नहीं जावेगा। कोई व्यक्ति राज्य सरकार का विरोधी है तो कार्यवाही नहीं हो सकेगी। राजस्थान सरकार, कितनी प्यारी सरकार है राजस्थान की, वाह ! किसी के परिवार का सम्पूर्ण ही भविष्य खत्म हो जाय और उसको अधिकार नहीं कि वह आपके खिलाफ न्यायालय में जा सके। मेरे विधि विभाग के आला दिमाग वाले लोगों, धन्य हो आपका, आप धन्यवाद के पात्र हैं। यह बिल पास हो गया, कुछ दिन के भीतर विधान सभा चल रही है, तो इसके अधीन जो नियम बनाये जाने हैं वे बनाकर रखे जावेंगे 14 दिन के भीतर। आपने लिखा है : "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष. जबकि वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अधिक अवधि के लिए चाहे वह एक सत्र में या एक से अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी हो, रखे जायेंगे....14 दिन के भीतर 2 आपको सदन के पटल पर रखना होगा। वह तो आप रखेंगे ही। अब टेबिल पर रखें या कैसे रखें तो मेरा निवेदन करना यह है गृह मंत्री जी से कि इसको जल्दबाजी में पास न करें। किसी के परिवार को बिगाड़ने की चेष्टा न करें। स्वतन्त्रता के जो आन्दोलन होते हैं उस पर आप अंकुश न लगायें वरना मैं कहता हूं राजस्थान की सरकार है, कभी हमारी भी गवर्नमेंट आ गई, आज हम पर किया फिर कभी आपके खिलाफ भी इसका प्रयोग करेंगे तो कहेंगे बड़ी भूल हो गई भार्गव साहब 'आप तो गृह मंत्री हो गये। ठीक है, आज आप मद में हैं। 145 आपके साथ हैं जो चाहा पास करवा लिया और कह दिया हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता परन्तु हमने कोई संशोधन रखा तो उसको नहीं माना। इसमें क्या फर्क हो गया, आप भी एम. एल. ए. हैं, हम भी एम. एल. ए. हैं लेकिन आप मिनिस्टर बन गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिये निवेदन करना है ड्राफ्ट्समैन पर आप अन्धा विश्वास न करें। मेरी भी इसके प्रति सद्भावना हैं। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और मेरी भोंपू पर अवाज भी सुन रहे होंगे। काला कानून राजस्थान की जनता के लिए है और यह उसके पारिवारिक जीवन में भयंकर तूफान ला देगा। समाज की भावना गुण्डागर्दी रोकने की है तो उसके लिये बहुत सारे प्रोविजन्स हैं उनको ठीक करें ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उसके साथ हम सहमत हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा इसको पास करने से पहले जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक बिल जो है, इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। मूलतः यह गुण्डा एक्ट ठीक है, मैं यह मानता हूं परन्तु इसमें बहुत सी खामियां हैं जिनकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अच्छा है किसी कानून को बनाने से पहले जो समाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनका समाधान किसी कानून से खोजा जाता है तो किसी प्रकार की कमी न रहे, इसकी ओर ध्यान दिलाना जरूरी है और वक्त पड़े उनको ठीक कर देना चाहिये। आज समाज में इस तरह की हालत है। जिस तरह हम देखते हैं कि लोग बाग अगर किसी तरह की गलती करते हैं तो अलग से हमारे पास जाब्ता फौजदारी है, पुलिस मुकदमा करती है, गवाही देती है चालान करती है फिर भी आहिस्ता आहिस्ता समाज में यह भावना पनपेगी कि हम केवल नव युवकों के लिये कर रहे हैं। तो अधेड़ उम्र वालों की क्यों नहीं सोचें। आज समाज में बहुत से लोगों का काम यह नहीं है कि समाजिक परम्पराओं का पालन करें ......

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, आज का बिजनेस पूरा होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आज का बिजनेस पूरा होने तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज का बिजनेस पूरा होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री दीपंकर : इस तरह घुमक्कड़ जातियों में सभ्य घरों में और अच्छी बड़ी आबादी में कुछ लोग ऐसे देखे जा सकते हैं जिनकी कि हमने यहां पर गुण्डा की परिभाषा की है। उनमें उनका आचरण आता है और इस प्रकार के आचरण वाले व्यक्तियों को अगर हम किसी जरिये सही रास्ते पर ला सकें और जो समाज में अशान्ति पैदा करते हैं और एक तरह से व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, सरकारी काम काज में, हमारी समाजिक व्यवस्था में और जितने भी हमारे साधन हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे और दूसरे दूसरे संस्थान हैं उन सबकी व्यवस्था बनाये रखने में सहायक होने

(श्री दीपंकर)

चाहिये उसके बजाय ऐसे तत्व न लोगों को पढ़ने दें, न चलने दें और न लोगों को आराम से नींद लेने दें और यहां तक सार्वजनिक जायदाद जला दें, उन तमाम पर कन्ट्रोल जल्दी से किया जा सके उसके लिये इस प्रकार का कानून बहुत आवश्यक है।

इस प्रकार का एक कानून बंगाल में भी आया है। बंगाल में एक आदमी घर से निकलता है तो वह वापिस घर पर पहुंचेगा या नहीं, इसका उसको कोई पता नहीं रहता है। गुण्डे हर दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं इतने पैसे दो और नहीं देते हो तो बम फोड़ते हैं। हिन्दुस्तान के राज्यों में जब इस प्रकार की अव्यवस्था फैली तो राजस्थान में भी हम बहाना बनाते हैं। जनतान्त्रिक प्रणाली है, उसका सहारा लेते हैं और कहना चाहते हैं अमुक मंत्री को और अमुक सरकारी अधिकारी को ज्ञापन देना चाहते हैं तो तरीका यह होना चाहिये—सभ्य तरीके से समय देकर, तरीके से उनको बैठाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से यह बात बतलायें कि यह परिस्थितियां हैं, और किसी प्रकार कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता उठाया जा सकता है तो उठायें। इस तरह भी ध्यान दिये जाने का एक तरीका हो सकता है। उसे अपनाया जाना चाहिये। लोगों में इस प्रकार की चेतना भरनी चाहिये कि उत्पादन बढ़ाना चाहिये। हमारे यहां आर्थिक संकट है लेकिन होता यह है कि जो कमी है उसको दूर करने के लिए पैदावार नहीं बढ़ायें और हम हड़तालों के जरिये, प्रदर्शनों के जरिये, नारे लगाकर, इस प्रकार से लाउड स्पीकर के ऊपर सुनायें कि आधा घण्टे में जुलूस आ रहा है, दुकानदार अपनी दुकानें बन्द करें और अगर दुकानें बन्द नहीं की तो लूट ली जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवादित बात है दुकानें बन्द नहीं करने पर लूट ली जाती हैं और उसकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। लोग कहते हैं आज अमुक जिलाबन्दी है, आज अमुक तहसील बन्द है, आज अमुक प्रान्त बन्द है। किन्तु ये बन्द नैतिक प्रभाव से सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव लाने की दृष्टि से नहीं होते हैं। बन्द होता है इस प्रकार के भय से कि उनकी जान माल को खतरा है •••

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वह मजबूर कर देती हैं कि समाज में कोई न कोई व्यवस्था लाई जाय ताकि दुकानदार अपनी दुकानें खोलें, उद्योग वाले अपने उद्योग चलायें, विद्यार्थी पढ़ सकें। इस प्रकार जो सामाजिक स्थितियां हैं और नये मूल्य जो स्थिर हो रहे हैं उसमें हम बातचीत करके, विचार विमर्श करके, सभा अधिवेशन करके अपने विचारों को रख सकें तो हमको जनतान्त्रिक तरीके से मौका मिलेगा और किसी राजनैतिक दल को इससे डरने की कोई बात नहीं है। जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी तो यह केवल आरोप लगाने की बात नहीं है बल्कि इसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें जो गुण्डे की परिभाषा दी है उसमें जुआ खेलने का भी आया है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास भी ऐसा विभाग है जो प्रति दिन पैसे लेकर

(श्री दीपंकर)

एक जगह नहीं राजस्थान में हर छोटे बड़े शहरों के अन्दर कहीं थानेदार पैसे लेकर जुआ खिलाते हैं तो कहीं पर सर्किल आॅफिसर पैसे लेकर जुआ खिलाते हैं। इसी तरह से एक जुए का खेल है जिसको घड़ा कहते हैं। उसमें एक मटके के अन्दर 1 से लेकर 100 तक की गिनती के नम्बर डाल दिये जाते हैं। और उनको निकाला जाता है। जिसका आ जाता है उसको सारे पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह का काम जो सरकारी स्तर पर लोग करते हैं उनकी रोकथाम के लिए कि उनको नौकरी में नहीं रखा जायेगा या उनके लिए एक्शन लिया जायेगा या उनके लिए क्या किया जावेगा—इसमें परिभाषित नहीं है। परन्तु एक सरकारी नौकरी में रहते हुए इस तरह का लोग काम करते हैं तो उनकी रोकथाम का भी कोई न कोई उपाय हमें इसमें करना चाहिए था कि जो कि हम नहीं कर पाये हैं। तो आशा है इसकी तरफ भी कोई न कोई तवज्जोह देकर मंत्री महोदय कोई न कोई व्यवस्था करें।

जहां तक सिनेमा, बसों आदि जलाने का है हम इसके जरिये से जो कानून ला रहे हैं काफी लोगों को रोक पायेंगे और यह जो शंका की गई है, विरोधी पक्ष के साथियों के द्वारा कि किसी की शादी नहीं होगी, कोई कहेगा तुम्हारा बाप गुण्डा है। तो इसका क्या मतलब हुआ ? कतल करने वाले लोग भी तो लोगों के सामने आते हैं, मारपीट करने वाले लोग भी तो लोगों के सामने आते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कोई बुरा काम करता है तो समाज के सामने उसका चित्र आना चाहिए और जब तक समाज के सामने चित्र नहीं आयेगा तब तक समाज भयभीत नहीं होगा कि ऐसे काम करने वालों को ऐसी सजा मिलती है।

इसके अलावा मैं ऐसा समझता हूं कि जब हमने जिले का पूरा प्रशासन का काम जिलाधीश को दिया है तो क्या वजह है कि इस बात के लिए यह मान लिया जाय कि राजनैतिक दृष्टिकोण से ही इसका प्रयोग किया जावेगा और विरोधी पार्टियों के खिलाफ ही इसका प्रयोग होगा। ऐसी कोई बात नहीं है और आपके जितने भी आॅफेन्स के काम हैं, जितने भी चोरी के, डाके के, लूटपाट के और आगजनी के जितने भी किस्से होते हैं, मैं समझता हूं कि उसमें छोटे छोटे अधिकारी हैं, चाहे वह थानेदार हों, चाहे सर्किल आॅफिसर हो उनसे सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो हम ऊपर आते हैं और अपनी बात ऊपर वाले अधिकारियों के सामने रखते हैं। आई. जी. के पास आते हैं और होम कमिश्नर के पास आते हैं। तो वहां भी कोई न कोई व्यवस्था करके न्याय करते हैं। इसलिए हमें यह शंका नहीं करनी चाहिए कि अपीलें उनको नहीं देकर हम केवल न्यायाधीशों को ही दें और वह आम अपीलें सुनते हैं तो एक व्यवस्था का सवाल है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इस व्यवस्था में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है और तत्कालिक व्यवस्था के अधिकारी अवेलेबल हो सकते हैं या शीघ्र ही कदम उठाया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री दीपंकर)
उपाध्यक्ष महोदय, भार्गव साहब के मुकाबले में थोड़ा सा समय तो दे दें और मैं जब जनमत जानने के लिए भेज रहा हूं तो जो बातें हैं मुझे बोलने दी जायें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी और भी कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री दीपंकर : तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि अपील के बारे में हम जो शंका कर बैठे हैं कि कमिश्नर को देने से अन्याय हो जायेगा ऐसी बात हमें नहीं माननी चाहिए और यह जरूर इसमें समाविष्ट करना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इस तरह के आदी हो गए हैं। बहुत से गांव इस तरह के आदी हो गए हैं, और कुछ मोहल्ले इस तरह के आदी हो गए हैं, जो गुण्डा एक्ट की परिभाषा में हैं और इससे हम उन लोगों को कन्ट्रोल कर पायेंगे।

हमारे सामने एक ताजा ही सवाल है। अभी दूसरे माननीय सदस्यों ने सूचना दी है कि राजस्थान में जयप्रकाश जी आने वाले हैं। हमें खुशी है कि वह आयें। कोई भी नेता आये उसका स्वागत है परन्तु हमें यह भी सोचना है कि भरतपुर और अलवर में दस, बीस विद्यार्थी बैठ गये हैं और वह दुकानदारों से कह रहे हैं कि हमें 500 रुपया दो हमें जयप्रकाश जी को थैली देनी है ......

श्री मूलचन्द सामरिया : यह कतई गलत है और जो आरोप लगाया जा रहा है यह बदनाम करने की नीयत से लगाया जा रहा है ......

श्री दीपंकर : और किसी को दबाकर किसी से चन्दा लिया जाये चाहे वह कांग्रेस पार्टी वाले लें या कोई दूसरी पार्टी वाले लें तो यह अच्छा नहीं है। तो इसमें यह व्यवस्था हो तो मैं समझता हूं कि यह तत्कालिक व्यवस्था की जानी चाहिए और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इसके लिए कोई विचार की बात नहीं है। अब इसमें सिर्फ विचारने वाली बात यह है कि जितना भी डरा कर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ......

श्री मूलचन्द सामरिया : नहीं लिया जा रहा है। बारबार रिपीट कर रहे हैं।

श्री दीपंकर : एक तरह से कहने को कहा जाता है कि हम जयप्रकाश जी के नीचे आ गये उनके झण्डे के नीचे आ गये। कोई पार्टी नहीं रही। अपने को पार्टीविहीन, कानून-विहीन, उद्देश्य-विहीन और सब रास्ते छोड़ कर अजीब गुमराह रास्ते पर जहां कि प्रजातंत्र को समाप्त करने की ओर रास्ता है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो उसकी तरफ भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जबरदस्ती जो पैसा वसूल किया जाने वाला है ......

श्री मूलचन्द सामरिया : गलत है। बारबार रिपीट करके क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। क्या प्रूफ है?

श्री दीपंकर : हमारे पास इत्तला है। टेलीफोन आया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप इतने इम्पार्टेन्ट आदमी नहीं हैं कि आपको लोग इत्तला करें।

श्री दीपंकर : हम कह तो यही रहे हैं कि इस तरह से पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिये। अगर जय प्रकाश जी के नाम से जबरदस्ती चन्दा लेते हैं तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि गुण्डा एक्ट की परिभाषा में साफ है कि हम जबरदस्ती किसी से पैसा नहीं लेंगे और वह हो रहा है.......

श्री मूलचन्द सामरिया : नहीं हो रहा है। कतई गलत है।

श्री दीपंकर : ऐसा नहीं होने देना चाहिए और इस तरह का काम जो वहां हो रहा है वहां पर तो कल जयपुर में शुरू हो जायेगा और यहां के बाजारों के अन्दर इसी तरीके से बड़े बड़े दुकानदारों को डरा कर लाखों रुपया पहले भी वसूल किया गया और फिर वसूल किया जायेगा, जो कि नहीं वसूल किया जाना चाहिए। इसके ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए और अगर सरकार को शंका है तो अपने इन्टेलीजेन्स के जरिये पता लगायें। इसमें कोई शक नहीं कि विद्यार्थी वर्ग ऐसा वर्ग है कि जिसके ऊपर हमें दया करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह हमारे अर्ध परिपक्व समाज के अंग हैं और वह अपने और कामों के लिए चन्दा करते हैं अमूमन मोटरें आदि रोक लेते हैं, अमूमन दुकानदारों के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वह करते हैं। आज जयप्रकाश जी के नाम से हो रहा है.......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : यह काम कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो भी नियम बनेंगे तो उनके लिए राजनैतिक दलों को शंकायें नहीं होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

सरकार नियम बनाकर सामने रखेगी उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि इसका उद्देश्य क्या है और गुण्डे से क्या मतलब है और किस तरह की घटना से सम्बन्ध है और किस व्यवहार से संबंधित है इसलिए यह केवल शंका मात्र है कि इसका उपयोग राजनैतिक दृष्टिकोण से दूसरी पार्टियों का वर्चस्व समाप्त करने के लिए किया जायेगा और उनके यहां गुण्डे भेज दिये जायेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। समाज में पहले भी प्रायश्चित कराया जाता था। अगर कोई पाप करता था तो उसकी चिलम बन्द कर दी जाती, उसका हुक्का बन्द कर दिया जाता, उसके साथ कोई खाना नहीं खाते थे, उसको जात में नहीं रखा जाता था। यह प्रायश्चित कराने की भावना थी। आज भी अगर सरकार कोई इस तरह से व्यवस्था करती है कि जिसके जरिये समाज में जो नए गुण्डे पैदा हो रहे हैं वे गुण्डे सुधरे, उनकी रोकथाम के लिए कानून लाती है तो यह भी पुरानी परम्परा के अनुरूप है। आज के समाज की व्यवस्था के अनुरूप है। यह जरूर है कि जो इसमें कमियां हैं उनको दूर करने के लिए इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का मैं प्रस्ताव पेश करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें जो भी कमियां हैं मेहरबानी करके उनको दूर करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट ने जो यह कानून बनाया है, जो बिल लाया गया है वह बहुत समय पर लाया गया है और हर तरह से समाज के, राष्ट्र के लोग, दुकानदार,

(श्री दीपंकर)

प्रतिष्ठान, खेतिहर सबके सब शांति के साथ रह सकें इसका उनको एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा इसलिए, इस कानून के लिए मैं सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल सूंडा !

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे आपत्ति इस बात पर है कि जो एक नई क्लास फिर क्रियेट की जा रही है वह आज गुण्डा क्लास है । यह जो बिल रखा गया है इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, असामाजिक तत्व । जो काबू में नहीं आ सके उनके खिलाफ इसमें समाज विरोधी तत्व, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं आई । जब असामाजिक तत्व हैं तो उनके लिए इतना बड़ा हैवी बिल क्यों ? मुझे ऐसे शब्द से इसलिए गुरेज है कि पिछले दिनों एक मिशन चला था कि समाज से किन्हीं कारणों से विद्रोह करके जो बाहर चले जाते हैं उनको वापिस मूल धारा में लाया जावे । वह मिशन था डकोयट्स का । उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारे जब तक मुकदमें चले, किन्हीं भी कारणों से चलें, हमको डाकू नाम से नहीं पुकारा जावे । चोर डाकू ये ऐसी चीज है कि कोई भी समाज के अन्दर आज इस तरह का लेवल नहीं रखना चाहता है कि जिससे समाज के लोग उसको हिकारत की नजर से, नफरत की नजर से देखें । इसलिए मान्यवर, सबसे पहले मुझे आपत्ति इसके नाम से है इसलिए मैंने यह जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव रखा है ।

मान्यवर, यह स्थिति इसलिए आ गई कि जो हमारा समाज आज बना है उसमें अर्थ प्रधान हो गया । भारतीय संस्कृति हमारी जो थी उसमें आदमी के विचारों की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता था । समाज इतना कठोर था कि जो हल्की सी परम्पराओं को तोड़ता, जो समाज की मान्य परम्पराओं से दूर जाता, उसका लोग बहिष्कार कर देते थे और वे बहिष्कृत लोग अपने आपको सुधारने की चेष्टा करते थे और फिर मान्य लोगों की सहमति से समाज में लिया जाता था । मान्यवर, मैं आपको इसलिए यह कहता हूं कि अर्थाभाव आया इसमें एक आदमी ने अपने पैसे के हिसाब से गलत कार्यवाहियां शुरू की और किसी भी तरह से उस पर मुकदमा दायर किया गया तो उसने आया थानेदार से मिलकर, आया मजिस्ट्रेट से मिलकर, चाहे दूसरे किसी से मिलकर अपना छुटकारा पा लिया और वह समाज में सिर उठाकर घूमा । उसका नतीजा यह हुआ कि वह लोग जो समाज को परेशानी में डाल रहे थे अपनी एक्टीविटीज के कारण उन लोगों का समाज में ऐसा स्थान बन गया, चाहे किसी तरह की बदमाशी करके और कैसे भी किया लेकिन आज वह सिर ऊंचा करके इस समाज में घूम रहे हैं । लिहाजा, लोग उससे डरने लगे और उनकी एक्टीविटीज डवलप हो गई और यह प्रवृत्ति और बढ़ती गई । मान्यवर, मैं आपसे जिक्र इस बात का करना चाहता हूं कि मैं हिन्दू क्लास का उसमें पहले आता हूं । यह तो इतिहास बतलायेगा लेकिन हम जाट नाम से जाने जाते हैं । ज्यादातर समाज में किसी को कोई स्थान नहीं मिला, कोई नहीं माना गया तो वह जाट बन गया । हमारे में भी इतनी परम्परायें कठोर थीं कि जिस आदमी ने समाज की परम्पराओं को तोड़ा है उसको

Page No 110

(110)

(श्री झाबरमल सूण्डा)

निष्कासित कर दिया और मान्यवर आपको उदाहरण दूं आज गंवारिया नाम दिया जाता है। गंवारिया का मतलब है कि जो गंवार हैं, जो समाज की मान्यताओं को तोड़ता है और समाज से अलग है। गंवारिया कौम जाट का ही सरकास्ट है। उसमें पूनिया हैं, गोदारा है उनका हमारा सम्पर्क नहीं, शादी विवाह नहीं करते। तो समाज की कठोर परम्परायें थीं। तब लोगों को समाज खुद दण्ड दिया करता था और इस तरह से ऐसी एक्टीविटीज करने वालों को समाज से अन्यत्र बहिष्कृत कर दिया जाता था। आज हमारा समाज अर्थ प्रधान हो गया। उन लोगों को समाज के टुकड़े करने की स्वतन्त्रता हो गई; उनको बड़ा अच्छा सम्मान मिला है। दिल्ली तक इस बात की गूंज होती है। जो समाज विरोधी काम करेंगे उनका स्टेटस भले ही कुछ भी हो हमको एक्शन लेना पड़ेगा और यही कारण है कि मीसा के तहत उन लोगों को, तस्करों को पकड़ा और उनका मामला चला। तस्कर अर्थ व्यवस्था खण्डित कर रहे थे इसलिए कि वह समाज को खण्डित करना चाहते थे। तो मान्यवर मैं यह चाहता हूं कि ऐसा एक्ट जरूर आना चाहिए क्यों कि आज हमारा जो न्याय मिलने का प्रॉसीजर है उसमें बेल तो तुरन्त हो जाती है और बेल होते ही उसको अपने हथियार चलाने का मौका मिल जाता है। अब जब कि ज्यूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग अलग हो गई तो सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं रह गया जिससे किसी आदमी के खिलाफ तुरन्त एक्शन लेकर उसको अन्दर बन्द कर सके इसमें मजिस्ट्रेट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्जीक्यूटिव ऑथोरिटी होता है। एक्जीक्यूटिव ऑथोरिटी को यह पावर देने के लिए, यह एम्पावर करने के लिए यह किया है ताकि समाज को एम्बेलेंस पैदा करने वाले लोगों को हम दूर कर सकें। मैं इसलिए इससे सहमत हूं। परन्तु यह निष्कासन शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसके लिए मुझे बड़ा ऐतराज है। एक आदमी एक गुण्डा कौन बन जाएगा, असामाजिक तत्व कौन बन जाएगा उसने ऐसा कारण पैदा किया हो, ऐसे काम किये हों जिसमें वह दण्ड भुगत चुका हो या हिस्ट्रीशीटर, एब्सकोंडर ऐसा बन गया हो जिसका रिकार्ड थाने में होता होगा। ऐसे लोग जो हों वह आप जानते हैं समाज में उनका दिमाग समाज के साथ-साथ चलने का नहीं होता। वह अपनी हैकड़ी में समाज में रहते हैं, वह अपने तौर तरीके से समाज में जमे रहना चाहते हैं। मान्यवर, एक जिले से दूसरे जिले में तब्दीली तो वहां भी इसी तरह की कार्यवाही करेगा। इसलिए या तो ऐसी जगह हो जहां कि दूसरे समाज का जन-जीवन प्रभावित नहीं होता हो। जैसा इंग्लैंड ने किया था इंग्लैण्ड में जितने भी खराब आदमी थे जिनको राष्ट्र के खिलाफ मानते थे उनको दूसरी जगह भगा दिया गया और उन्हीं लोगों ने जाकर अमेरिका बसाया। जिन लोगों को गुण्डा करार दिया गया था उन्हीं लोगों ने एक इतना बड़ा राष्ट्र बनाया। एक राष्ट्र को क्षति पहुँचाने वाला जिनको माना गया उन्हीं ने एक देश का निर्माण किया। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है आज वही संसार का समृद्ध देश कहलाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री झाबरमल सूण्डा)

एक-दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं। तो या तो ऐसे आदमियों को ऐसी जगह रखा जाय जहां कि समाज से कोई वास्ता नहीं हो या फिर छः महीने की अवधि देकर के उनके खिलाफ एक मसाला बनाया जाय यह आपने गलती की, यह गलती की, यह गलती की। या तो संवैधानिक कोई ऐसी अड़चन रही, मैं समझता हूं कि सीधे-सीधे सजा नहीं दे सकते थे इसलिए रिकार्ड इकट्ठा करना पड़ेगा निष्कासन के कौन 2 से कारण थे जिनके आधार पर तीन साल की सजा और जुर्माना दे सकें। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि या तो उनको कस्टडी में रखा जावे और कस्टडी में नहीं तो कोई निर्जन स्थान हो वहां रखा जाय और अगर ये दोनों बातें नहीं हो तो सीधे-सीधे इम्प्रीजनमेन्ट दे दिया जावे। जिसने दो दफा जेल भुगत ली उसको तीसरी बार जेल भुगतने में भी कोई ऐतराज नहीं होगा। इसलिए संविधान की कोई त्रुटि नहीं हो तो मैं यह चाहूंगा कि निष्कासन की बात समाप्त करके तीन चार छः-सात क्लॉज हटा दिया जाय और सीधा ही इम्प्रीजनमेंट दे दिया जावे ताकि उसको अड़चन पैदा करने का मौका ही नहीं मिले।

मान्यवर, ऐसी ये बातें हैं जिन पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं हो सकता इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को विधेयक बनाने से पहले जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री निरंजननाथ आचार्य !

(अनुपस्थित)

श्री केसरीमल !

(अनुपस्थित)

श्री गुरदयालसिंह संधु !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार ने गुण्डों को नियन्त्रण में लाने के लिये इस बिल को पेश किया है, अगर इसको पास कर दिया जाता है इसको हम मानकर चलें तो इसके जो परिणाम होंगे वह बहुत ही भयंकर होंगे और उन पर हमको बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज के पहले भी इस प्रकार के कानून लागू किये गये थे जो जरायम पेशा लोगों के लिये लागू होते थे। उस कानून को भी जब कांग्रेस सरकार आई तो निरस्त कर दिया और उस कानून को सामाजिक स्टेण्डर्ड से नीचे समझ कर वापिस ले लिया। अब दुबारा इस कानून को लागू करके समाज में एक इस प्रकार का कुरोस खड़ा कर देंगे; लोग असामाजिक तरीकों के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। मान्यवर, जब आप किसी को दूसरे जिले में भेज देंगे तो वह वहां पर क्या करेगा, कैसे रहेगा, कहां रहेगा और किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करेगा। निश्चय ही वह गलत तरीके अपनायेगा। इसके लिये इस बिल में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बताई गई है इसके लिये

(श्री अजीतसिंह)

व्यवस्था की जाय तो उपयुक्त होगा। इसलिए इस मसले पर इस विधेयक में दुबारा पुनर्विचार किया जाय। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से नारी सुधार केन्द्र खोले गये हैं उसी प्रकार से गुण्डा सुधार केन्द्र खोले जांय तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से इसमें अपील के अधिकार से भी उनको वंचित किया जा रहा है। इसलिए उनके इस अधिकार पर भी विचार किया जाय। अगर वह माफी की प्रार्थना करे तो उसको माफी दी जा सके इसके लिये भी प्रावधान होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय तो इस पर गम्भीरता से विचार हो जायेगा।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया "राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जायेगी")]

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक जो पेश किया गया है उसे मैंने प्रवर समिति के सुपुर्द निर्दिष्ट करने हेतु प्रस्ताव पेश करने का मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि इसमें जो गुण्डा शब्द प्रयोग में लाया गया है यह बोलने में और व्यवहार में इसका अर्थ जो होता है वह बहुत ही दूषित होता है। अतः मेरा मात्र सुझाव यही है कि यदि 'गुण्डा' शब्द के स्थान पर 'समाज विरोधी तत्व' का इस्तेमाल किया जाता तो अधिक उपयुक्त रहता। अतः इस विधेयक का नाम समाज विरोधी तत्व नियन्त्रण विधेयक रखा जाय तो ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूं। यदि इस बिल पर गहराई से, अध्ययन करें तो हमको प्रतीत होगा कि इसकी आवश्यकता आज के इस परिवर्तित समाज के लिए बहुत ही अधिक थी। आज कल समाज विरोधी तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं और उनकी कुप्रवृत्तियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं इससे समाज में बड़ा भय और आतंक फैल रहा है। इसलिए ऐसे तत्वों को रोकने के लिए पुराने नियम और कानून जो थे वे इतने अधिक सफल नहीं हो रहे थे इसलिए ऐसी स्थिति में इस कानून की अत्यन्त ही आवश्यकता समाज में थी, ऐसा मैं महसूस करती हूं, क्योंकि यदि समाज के हर व्यक्ति को अपने मनमाने तरीके से काम करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय और किसी प्रकार के नियम नहीं रखे जायेंगे तो हमारी सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्थित होकर छिन्न भिन्न हो जाएगी और होती चली जायगी। तो मान्यवर, आज के प्रगतिशील और उन्नतिशील जो समाज है उसमें हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी तरक्की करना चाहता है। जब व्यक्ति इसके लिए कोई स्वस्थ तरीके नहीं अपनाकर अपने मनमाने तरीकों को पूरा करने में सफल नहीं होता है, तो कौनसा काम नैतिक है और कौनसा काम अनैतिक है, इसका उसको खयाल ही नहीं रहता है और वह असामाजिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, वह गलत प्रवृतियों की ओर अग्रसर होने लगता है। और वह भौतिक सुख में अपने को समेट लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में, मान्यवर, समाज में नियमों का

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

उल्लंघन होने लगता है। अब प्रश्न यह है कि कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जब और भी कई अन्य प्रकार के कानून मौजूद थे तो, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उन कानूनों में पेची-दगियां थीं, बहुतसी ऐसी उलझनें थीं जिससे समाज विरोधी तत्वों को आसानी से रोका नहीं जा सकता था। कई कानून तो ऐसे हैं जो हमारे सामने कानून के एक पृष्ठ मात्र रह गए हैं। उदाहरण के लिए शारदा एक्ट है। कितने ही बाल-विवाह होते हैं और उनके खिलाफ कौन गवाह देता है। अक्षय तृतीया के दिन हजारों की संख्या में बाल विवाह सम्पन्न होते हैं और इस प्रकार के कुकर्म करने वालों को आज कौन पकड़ रहा है अथवा कौन इसकी गवाही देने जाता है। तो मान्यवर, यही हाल समाज विरोधी तत्वों के बारे में भी है। जो लोग आदतन अपराधी हैं, हैबिच्युअल ऑफेण्डर्स हैं उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस विधेयक को लाना अत्यन्त आवश्यक था। इससे समाज की कुरीतियां दूर होंगी और कई बुराइयां हटेंगी। आज राजस्थान में अपराध तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। यदि हम अपराधों के आंकड़ों को देखें तो हमको मालूम होगा कि राजस्थान में अपराध ज्योमेट्रिकली बढ़े हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका उल्लेख आया कि अपराधों में निरन्तर वृद्धि हुई है। आज चलती हुई महिलाओं पर बुरे रिमार्क कसना, पढ़ने जाती हुई बालिकाओं पर रिमार्क कसना, फोर्स से चन्दा इकट्ठा करना और भी इस प्रकार की कई असा-माजिक प्रवृत्तियां हैं, जिनका घटना आम बात हो गई है। इस प्रकार के असामाजिक तत्व समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सरकार इस विधेयक के द्वारा रोकना चाहती है। आज कई सदस्यों ने यह भी कहा कि इस विधे-यक के आधार पर कई व्यक्तियों का जीवन समाप्त हो जाएगा परन्तु इस प्रकार के भाव व्यक्त करने मात्र से हम व्यक्ति की बुराइयों को रोक नहीं सकते वह गलत रास्ते पर आसानी से चलता जाएगा जिसको हमको रोकना है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमको कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। परन्तु यह ही एक अन्तिम उपाय नहीं है उपचार के साथ उसका निरोध भी आवश्-यक है, इसलिए हमको निरोधात्मक उपाय भी काम में लाने चाहिए। समाज में ऐसे कई विरोधी तत्व हैं जिनकी वजह से आज हमारा समाज विध्वंस की ओर जा रहा है उन बुराइयों को रोकने के लिए, उनका निरोध करने के लिए इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक था। आदतन जो लोग अपराधी प्रवृत्तियों के हैं, जो हैबिच्युअल ऑफेण्डर्स हैं जो कि हमेशा कानून की दृष्टि से बच निकलते हैं, वे लोग अब इस बिल के आधार पर नहीं बच सकेंगे। ऐसी हालत में हम उनका विरोध भी कर सकेंगे। समाज की जो व्याधियां हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं उनमें यदि हम निरोधात्मक, उपाय या प्रीकॉशनरी मेजर्स अपनायें और उनको काम में लें तो समाज के समक्ष एक अच्छा रास्ता होगा। इसके साथ यह बात भी मैं कहना चाहती हूं कि जो आदतन अपराधी बन गये हैं या वह किशोर जिनका जीवन किन्हीं

114

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

कुचक्रों के माध्यम में या कई प्रकार की स्थितियों के माध्यम से उन किशोरों के जीवन को तबाह किया जा रहा है, उनके जीवन को बचा सकेंगे। क्योंकि इस बिल के तहत यह बात भी कही गई है कि उस व्यक्ति को जिले के बाहर भेजा जायगा। जब किसी को अपराधी वातावरण से दूर किया जा सकता है खासतौर से किशोरावस्था के व्यक्ति हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं उनको एक प्रकार के घृणित वातावरण से दूर कर दिया जायगा तो उनके जीवन में इस प्रकार की बुराइयां नहीं आ सकेंगी। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य के लिए, एक विकासशील राज्य के लिए इस प्रकार का कानून आना आवश्यक था और आना चाहिए था। मेरा मात्र विरोध यह था कि इसमें "गुण्डा" शब्द के स्थान पर "समाज-विरोधी तत्व" रखा जाय। मैं इसका स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री प्रद्युम्नसिंह से) आप बोलना चाहेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : गुमानमल साहब आप बोलना चाहेंगे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल में बहस के दौरान कुछ मुद्दे सामने उभर कर आये हैं। एक तो यह कहा गया है कि जो आज समाज के अन्दर आन्दोलन चल रहे हैं, और उन आन्दोलनों के सम्बन्ध में कहीं कहीं पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं उनको रोकने के लिए है यद्यपि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने आपको इससे डिसएसोशियेट किया है कि इसका इरादा यह नहीं है, लेकिन कुछ सदस्यों ने ऐसे विचार प्रकट किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि दूसरी ओर यह बात कही गई है कि हमारे पास वर्तमान कानून है वह इस प्रकार की ऐजेन्सी, प्रिवेन्टिव एक्शन लेने में सक्षम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हिन्दुस्तान के अन्दर आज जितने आन्दोलन हो रहे हैं उससे बड़े बड़े आन्दोलन पहले हुए हैं और अंग्रेजों के जमाने में जिस समय बाहर के लोग थे, उन लोगों का इस देश से कोई लगाव नहीं था, उन लोगों को इस देश को आगे बढ़ाने की चिन्ता नहीं थी, न कोई इस देश के साथ में उनकी भावना थी, केवल शासन करने के लिए, शोषण करने के लिए आये थे, जिस समय इनका 1942 का बड़ा आन्दोलन हुआ जिसमें सारे देश में कहीं पर टेलीफोन के तार काटने, बम फेंकने और सारी सब प्रकार की प्रवृत्तियां हुईं, जिसमें उस समय के हमारे देश के कर्मठ नेताओं ने अग्रणी होकर प्रोत्साहित किया, और अंग्रेजों को बाहर फेंकने के लिए यहां पर सारी कार्यवाहियां की गई, उस समय उन साम्राज्यवादियों ने यह नहीं समझा कि हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए, नाम उसका कानून हो, लेकिन बिना कानून का कानून हो, लॉलेस लॉ हो यानी जंगल का कानून हो। फिर आज कैसी स्थिति पैदा हो गई ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम राजनैतिक रूप से सक्षम हैं, पोलिटिकल चैलेन्ज को एक्सेप्ट करके उसका निवारण करेंगे। एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि उसके लिए आवश्यक है कि ऐसा कानून

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बनाया जाय। तो, माननीय उपाध्यक्ष, इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धाराएं 107, 151 और 110 में और अन्य सी-आर. पी. सी. और आई. पी. सी. की धाराओं में जितने इस प्रकार के लोग होते हैं उन सबके लिए प्रावधान है। हिस्ट्री-शीटर्स बनाये जाते हैं और हिस्ट्रीशीटर्स को उचित समय में आने के लिए डाईरेक्शन दिये जा सकते हैं। उनको कहा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन को अटेण्ड करें और अपनी एक्टीविटीज की रिपोर्ट करें। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं जिनके विरुद्ध कन्वीक्शन्स कई प्रकार के हैं उनको रुकावट नहीं आती है। तो मुझे लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से चाहे कानून में घोषणा हो, चाहे कितने प्रकार से कहा जाय कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एक हथियार के रूप में उपयोग में नहीं लाया जायेगा, लेकिन कानून बनाने के बाद में उपयोग लाने वाला व्यक्ति कौन होगा? मंत्री, मंत्रि-मण्डल, शासन, जिलाधीश, पुलिस का इन्सपेक्टर, हैड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल कौन होगा? किस समय कौन होगा हम जब एक कानून बनाते हैं एक दिन के लिए तो नहीं बनाते हैं हमेशा के लिए बनाते हैं, और आने वाली पीढ़ी उसको देखती है कि यह किसने बनाया है। सन् 1932 में जो कानून बना था उसमें इस बात का प्रावधान रखा गया था कि एडवाइ-जरी बोर्ड रखेंगे जो एडवाइस करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि यह व्यक्ति गुण्डों की लिस्ट में आता है, इसको एक्स्टर्नमेंट के आॅर्डर दिये जायं या नहीं दिये जायं। आज यह कहें कि हमें इस बात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस एक्शन को एक्जीक्यूटिव एक्शन रखना चाहते हैं, पुलिस एक्शन रखना चाहते हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह अधि-नायकवाद है। अधिनायकवाद में और क्या होता है? डिक्टेटरशिप में और क्या होता है? बंगला देश में क्या स्थिति आज बनी है? उसमें जो कि फासिस्ट गवर्नमेंट थी मुसोलिनी की और हिटलर की और इसमें क्या फर्क है? जहां अधिनायकवादी गवर्नमेंट होती है वहां क्या होता है? जो एडमिनि-स्ट्रेशन में लगे हुए लोग हैं उनका निर्णय फाइनल होता है। जो चैक्स एण्ड बैलेन्सेज से जो हमारा कॉन्स्टीट्यूशन बना हुआ है और जो कि एक जनतान्त्रिक पद्धति में होना चाहिए वह चैक्स एण्ड बैलेन्सेज समाप्त हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जनतन्त्रीय सरकार में सरकार कई प्रकार की हो सकती हैं। मद्रास में डी. एम. के. की सरकार है और केरल में मिली जुली सरकार है और अन्य स्थानों पर कांग्रेस की सरकारें हैं। अब ऐसी स्थिति के अन्दर यदि हम ऐसा कानून बनायें तो कहीं पर रावण को पूजा जाता है और कहीं पर रावण को मारा जाता है कहीं पर द्रविड़ यह समझते हैं कि वे मूल निवासी हैं और जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है वह गलत है। तो इन परिस्थितियों में कानून बनाना चाहते हैं चाहे हमारा प्रान्त एक ही हो लेकिन कानून ऐसा होना चाहिये जो सब प्रदेशों के अन्दर ठीक हो सके। इसमें आपने इंडियन एवीडेंस एक्ट, जो कि एक बुनियादी एक्ट है, के बारे में प्रावधान कर दिया कि भारतीय साक्षी अधि-नियम लागू नहीं होगा। इसमें ऐसा है कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

किसी व्यक्ति को ग्रार्डिनेन्स के तहत किसी इन्सपेक्टर ने बुलाया, किसी एस. पी. ने बुलाया ग्रौर चार थप्पड़ लगा दिये ग्रौर कहा कि तुम कबूल करलो कि तुमने फलां जुर्म किया है। वह कोर्ट में तो लागू नहीं होगा लेकिन यहां पर जिस समय कलेक्टर से कहेगा कि इसको देश निकाला देते हैं, इसको जिले में बाहर जाने का हुक्म देते हैं तो उसके खिलाफ एस. पी. की एवीडेन्स हो जायगी। लेकिन इन्डियन एवीडेन्स एक्ट जो कि मूल भूत कानून है जिसके ऊपर कानून की व्यवस्था चल रही है उसको तो ग्रापने एक्स्टर्न कर दिया ग्रौर जुडीशियरी को का एक्स्टर्न कर दिया, उसका कोई प्रावधान नहीं रखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्राज्ञा देगा ग्रौर मजिस्ट्रेट उसको कन्फर्म कर दे, यह एक तरह की छूट देदी है एक्जीक्यूटिव को कि वह सारे कानून को बाई पास करके सजा दे दे। ग्रापने इसमें लिखा है कि ऐसा व्यक्ति हो जो कि वायलेंस बराबर करता है वॉयलेन्स करता है तो सब्स्टेन्टिव एवीडेन्स होती है, केस बनता है जिसमे सजा हो। या न हो ग्रौर ग्रापके कानून के हिसाब से बरी हो गया ग्रौर बरी होने के बाद में चूंकि ग्रापके पुलिस स्टेशन में जो रपट दर्ज होती है उसमे लिखा है कि जुर्म किया है तो भले ही मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया है लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा कि एवीडेन्स में खामी रह गई इसलिये बरी हो गया है लेकिन मैं मानता हूं कि इसने जुर्म किया है इसमें लिखा है कि जो ग्रादमी 6 महीने में तीन बार इस प्रकार के जुर्म करता हुग्रा पाया गया ग्रौर मजिस्ट्रेट कहता है कि जुर्म साबित नहीं है ग्रौर उसको बरी कर देता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं नहीं मानता हूं ग्रौर वह उसके एक्स्टर्नमेंट का ग्रॉर्डर दे देगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जुडीशियरी को बाईपास करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार एक्जीक्यूटिव के पास हो जायगा।

ग्रब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर यह भी कहा गया कि चन्दा लिया जाता है, चन्दा जबरदस्ती लिया जाता है उपाध्यक्ष महोदय, कोई जबर्दस्ती चन्दा करे तो उसके लिए उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। ग्रगर कोई जबरदस्ती चन्दा करे तो क्या उसको जिले से निकाल दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है कि कि हमारा लक्ष्य क्या है. वह देखना चाहिये। जबरदस्ती चन्दा कौन करता है। ग्राज इस सम्बन्ध में ग्रार्डिनेन्स ग्राप सदन में लाये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन मुद्दों पर विचार किया जाये। क्लॉज 8, 9 है, वह इतनी व्यापक है कि उसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों को लिया जा सकता है। ग्रापने क्लॉज 9 में रखा है तो वह तो ग्राई.पी.सी में भी सजा दी जा सकती है। उनको ले सकते हैं। मैं ग्रापको निवेदन करूं, ग्रापके जो ताम्रपत्र होल्डर हैं, जिनको 332 ग्रौर 353 में सजा हो चुकी है, उनका यहां पर एक्सटर्नमेंट हो सकता है। ग्रगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो जिनको 353 में सजा हो चुकी है, वह सब 16 में ग्रागये हैं। ग्राप गुण्डागर्दी में पाबन्द हो गये हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि यह एक मखौल होगा। ग्रब जैसे एक्साइज हैं, ये एक्ट है ग्रौर ईव टीजिंग, इम्मोरल ट्रैफिक इन वीमेन हैं, इनको रखा है। इसमें हमें कोई ग्रापत्ति नहीं है। ग्रापने उनके खिलाफ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कार्यवाही करने की कोशिश की है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन है कि ये 1, 7, 8, और 9 हैं, ये बहुत घातक हैं। इसमें होम कमिश्नर को अधिकृत किया है। मेरा निवेदन है कि होम कमिश्नर और कलेक्टर में कोई अन्तर नहीं होता है। कोई एण्टी नेशनल है, आप डी. आई. आर. में एक्शन लेते हैं। तो उसकी सुनवाई भी डिविज़नल बोर्ड में होती है। तस्कर हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : डिटेंशन करने के बाद बोर्ड बैठता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मैं निवेदन करूंगा कि सही रूप में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये जिससे कि अधिकारों का उपयोग किया जा सके। अब कोई पाकिस्तान का स्पाई आ जाता है तो उसको भी बाद में हाईकोर्ट में एग्जामिन करेंगे। चाइनीज आये तो उसको भी एग्जामिन करें। लेकिन ऐसे व्यक्ति को निकाल दें, जिसका कि कोई साधन नहीं है तो यह बहुत बर्बरतापूर्ण कानून है। ऐसा कानून तो तो ब्रिटिश काल में भी नहीं बना है। आप यह कहते हैं कि ऐसा कानून महाराष्ट्र में बन गया है। तो वहां की परिस्थितियां अलग हैं। अगर वहां पर कोई डैरोगेटरी लेजिलेशन बन गया है तो वह यहां की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, धारा 7, 8, 9 को डिलीट करना चाहिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई ; उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुझे कुछ शब्द ही कहने हैं।

जब यहां पर मुख्य मंत्री महोदय ने एक्सप्लेन कर दिया है कि हम ऐसे आदमियों के खिलाफ काम में लेने वाले नहीं हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको किसी साधारण व्यवस्थाओं में रोक नहीं सकते हैं। और इसके लिए माननीय जनसंघ के नेता ने कहा है उसके लिए पुलिस के जरिये से चेक एण्ड बैलेंस है। पहले का मामला ही हो सकता हैं। यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। अपील गवर्नमेंट आँथोरिटी को ही रहे। तो मैं समझता हूं कि ऐसा अनुबन्ध रख दिया जाये। उसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो मैं यह चाहता हूँ, यह सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न नहीं है। इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी शंकायें व्यक्त की गई हैं, वह दूर हो जायेंगी। बाकी उसमें इतना चेक-अप है। इतना होते हुये फिर ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी इस बिल के पास करने से खतरा पैदा हो जाएगा ऐसी मन्शा नहीं लगती है। यह सब प्रिवेण्टिव ही बनाया जा रहा है। प्रिवेण्टिव मैथड है, उसके बारे में है। जो इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके बारे में सभी की एक राय है। बाकी शंकायें फालतू हैं। जो अनडिजायरेबल एलीमेण्ट हैं, उनकी एक्टीविटीज को रोकने के लिए यह प्रिवेण्टिव मैथड है। बाकी और कोई मंशा लगती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे ध्यान नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर हवामहल से आने वाले और लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे जनमत जानने के लिये। उन्होंने वही बातें कही हैं जो पहले संकल्प को प्रस्तुत करने के समय में कहीं थी। उन्होंने प्रवर समिति को भेजने के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं कही है। उनके मन में यह आशंका बन रही है कि इस एक्ट का उपयोग विरोधी पार्टियों और विद्यार्थियों के विरुद्ध किया जायगा। उनको यह आशका है। लेकिन इस एक्ट की यह मंशा नहीं है। जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, जो गुण्डा है, जो गुन्डा व्यक्तियों को संरक्षण देना चाहते हैं: उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा है। निर्दोष व्यक्तियों को इसमें फंसाने की कोई मंशा नहीं है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा कि धारा 3 के अन्तर्गत स्पष्ट लिखा है कि गुण्डा किसे माना है। नोटिस मिलने के बाद जिलाधीश महोदय, उसको पूरी सुनवाई का मौका देंगे। वह अपने कानूनी सलाहकार से सलाह मशविरा कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह कहना न्यायसंगत नहीं लगता है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा अन्य प्रान्तों में भी नहीं है। मैं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के डिवीजनल कमिश्नर को अपील का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से बाम्बे एक्ट है। अपील का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इसलिए इस प्रकार के अन्य प्रान्तों में उस कानून में अपील का अधिकार प्रान्तीय सरकार ने डिवीजनल कमिश्नर को दिया है, कहीं राज्य सरकार को दिया गया है। उन अधिकारों का मिसयूज होने का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जो जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव आया है या इसको एक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाय और इस बिल को खण्डशः विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: A yes have it. I claim division.

श्री रामनारायण चौधरी : Noes have it.

(मत-विभाजन-सूचक-घण्टी)

श्री केदारनाथ : यह इनहरेन्ट ताकत है कांग्रेस की।

श्री गुमानमल लोढ़ा : खतरे की घण्टी पर आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गुन्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Noes have it.

श्री खेतसिंह श्री रामनारायण चौधरी : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक को विचारार्थ लेने के पक्ष में जो माननीय सदस्य हों वह अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(विधेयक के पक्ष वाले माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

तशरीफ रखिये।

जो विपक्ष में हों वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(विधेयक के विपक्ष वाले माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

श्री गुमानमल लोढ़ा : Quality, not quantity ;

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकृत।

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पीटिये तालियां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : What a disgusting clapping.

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 2 माननीय मंत्री !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, "खण्ड 2 के उप-खण्ड (ख) के भाग (1) में शब्द 'नेता' के स्थान पर शब्द 'मुखिया' पढ़ा जावे।"

मैं यह अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं

"उप-खण्ड (ख) के भाग (VIII) को विलोपित किया जाय।" जैसा खण्ड 8 के बारे में माननीय सदस्यों को शंका हो रही थी कि अनोमोलीज बहुत है, और मिसयूज होने का सवाल है इसलिए इसको विलोपित करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 9। 7।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 'तथा भाग (IX) को भाग (VIII) पुनः संख्यांकित किया जावे।' 9 है वह 8 हो जायेगा और "उप-खण्ड (ख) के पुनः संख्यांकित भाग (viii) के स्थान पर निम्न भाग प्रतिस्थापित किया जावे।

"जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शान्ति भंग करने या बलवा करने का

Page No 120

(120)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चन्दे का संग्रहण करने का या जो अपने या अन्य के अवैध आर्थिक फायदे के लिए लोगों को धमकी देने का अभ्यासी हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति को संत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो।"

इसको इस तरह अमेंडमेंड रूप में पढ़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष: आप में से ?

श्री खेतसिंह: बात हो गई। कुछ नहीं कहना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह अमेंडमेंट दिया गया है, जो मूलभूत रूप से क्लॉज (बी) का (8 था, उसको डिलीट किया गया है उसका स्वागत है। लेकिन जो सब क्लॉज (9) को रिटेन कर लिया गया है, यद्यपि उसमें संशोधन किया गया है, उससे इतना अवश्य होगा कि हेविचुअल और एडिक्टेड अभ्यासी जिसकी डेफिनेशन क्लाज में दी गई है, वह सारे के सारे क्लॉज पर लागू हो जायगी, वहां तक ठीक है लेकिन एक्स्प्लेशन क्लॉज में जो यह लिखा गया है :

"The word 'habitual' or 'habituated' wherever used in relation to a person in this clause means a person who during a period within six months immediately preceding the commencement of an action under section 3, has been found on not less than three occasions to have committed the offences or acts ....."

यह एक्स्प्लेनेशन क्लॉज के अन्दर 'found by whom' यह तो प्रोभीशन बड़ा खटकने वाला है, इसके कारण से यह एक्स्प्लेनेशन का मतलब है वह खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है Found by Police Officer who would make compliant या अर्थ यह है, Found by District Magistrate.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: इसमें मुख्य प्रश्न है, हेबिच्युएटेड के लिए अभ्यासी आ गया। 9 वही है, जैसा चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढा: 9 के साथ एक्स्प्लेनेशन लगा हुआ हैं। एक्स्प्लेनेशन 9 के साथ भी लगा हुआ है,दोनों को मिला कर पढ़ना होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि Found by whom एबसेंट होने के कारण अर्थ यह होगा, एक व्यक्ति जिलाधीश के पास जाकर रिपोर्ट करेगा, अमुक आदमी वह है, उसने पिछले छः महीने में तीन बार मेरे साथ में इनडीसेन्ट रिमार्क पास किये हैं, वह मेरे मकान पर, या दूकान पर, या गोदाम पर इनटिमिडेशन करने के लिए आया है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी रिपोर्ट जिलाधीश पर्याप्त समझ लेता है और सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होने के नाते उसको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद होम कमिश्नर अपील में डेट कर देगा, कलेक्टर है वह दूसरी पार्टी को हीयरिंग अवश्य करेगा, लेकिन इण्डियन एवीडेंस एक्ट इसमें से निकाल दिया गया है इसलिए वह तुलनात्मक साक्षी का विवेचन नहीं कर सकेगा, और एवीडेंस एक्ट के अनुसार जो क्रास

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक्जामिनेशन होता है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसको देखने के बाद आप एक्जामिनेशन करने की बात है, वह उपलब्ध नहीं होगी। इसका मतलब यह होगा कि क्लॉज 7 रह गया, और क्लॉज 9 रह गया, 8 निकलने के बाद 9, 8 बन गया। अब इसमें दो भयंकर तरीके से दुरुपयोग होने की सम्भावना रहेगी, एक तो मौका नहीं रहेगा, इस कारण से विलोपित करने का अमेंडमेंट है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ एक्सप्लेनेशन के अन्दर "Found by a competent court" यह नहीं लिखा। Found on the basis of any thing यह होना चाहिए यह नहीं लिखा। इस प्रकार जिलाधीश को अनब्रिडल्ड और अनकेटर्ड पावर दे दी गई हैं, किसी बात को मानने के लिए, और इसका दुरुपयोग होगा। यह जो लेजिस्लेशन है यह एक प्रतिगामी लेजिस्लेशन है और जनता की लिबर्टी और जनता के फण्डामेंटल राइट के खिलाफ होगा, इस कारण से इस क्लॉज में इन सशोधनों की आवश्यकता है। जहां तक उस संशोधन का प्रश्न है मैं उसका विरोध नहीं करता।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अच्छे लेजिस्लेशन की तारीफ यह होती है कि उसमें किसी किस्म की दिक्कत आगे पैदा न हो। जो लेजिस्लेशन इस किस्म का हो जिसको 10 तरीके से इन्टरप्रेट किया जा सकता है; वह निहायत रद्दी समझा जाता है। आपने शब्द शामिल कर दिए, has been found उससे न तो पता चलता है कि what shall be the basis of finding कौन उसको फाइन्ड करेगा? आपने कहा जिला मजिस्ट्रेट करेगा। पर वह तो कोई भी कर सकता है और जिला मजिस्ट्रेट किस आधार पर करेगा? एक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अनेक उदाहरण हैं जब पुलिस ऑफिसर किसी से दुश्मनी रखता है, वह 5-6 दिन के फासले पर फर्जी रिपोर्ट कराकर कि इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की इस तरह की 3 रिपोर्ट्स लेकर जाता है और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के साथ उसको पेश कर दिया जिला मजिस्ट्रेट को, तो यह उसका कण्डक्ट है, इसलिए एक्शन लिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट उसी को करेक्ट मानकर किसी स्टेज पर आदेश दे देता है कि He has been found इसके खिलाफ यह एक्शन लिया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे विपक्ष की तरफ से कहा गया, 7, 8 और 9 अगर डिलीट कर देंगे तो वह कन्फ्यूजन की बात नहीं रहेगी, वह फैक्ट्स की बात होगी। हमें पूरा भरोसा है कि दिक्कत महसूस नहीं होगी और दुरुपयोग होने की संभावना नहीं रहेगी। तो उस अमेंडमेंट को जो आपने मंजूर फरमाया है, यह उसका स्वागत करते है लेकिन साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कुछ क्लेरीफिकेशन इस तरह से हो कि इसका दुरुपयोग न हो सके उसके लिए आपके पास कोई आधार नहीं है, इसलिए इनको डिलीट किया जाय। अगर जरूरी समझें तो फिर संशोधन ला सकते हैं। हम इसके खिलाफ कुछ कर सकें या जो लोग इसमें परेशान हों वे कर सकें उनके लिए कोई इलाज नहीं है। तो ये तीन क्लॉजेज आप डिलीट कर दें, फिर आपको जरूरत महसूस हो कि इन क्लाजेज से ही काम चलेगा तो फिर संशोधन ला सकते हैं। आप विपक्ष की भावना को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहते हैं,

Page No 122

(122)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
यह सही नहीं है। मुख्य मंत्री फिर विचार करें। और सही रवैया अख्तयार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जो क्लाज 8 डिलीट किया है, यह तो स्वागत योग्य है, मेरी पार्टी इसका स्वागत करती है लेकिन क्लॉज 7 की प्रेजन्स बहुत गंभीर है: "has been found habitual intimidation of Law abding people by acts of violence or by show of force' यह फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है केवल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर का बिल है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी है, गुण्डागर्दी को कन्ट्रोल करने के लिए, इस किस्म के समाज विरोधी तत्वों को कन्ट्रोल करने के लिए जो समाज के लिए टेरर है, इन्टेंशन तो क्लीयर है क्लॉज तीन के अन्दर

"that witnesses are not willing to come forward to give evidence against him by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property;"

अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी है तो बात समझ में आती है लेकिन पुलिस के कैरेक्टर को देखते हुए और पुलिस जिस प्रकार से फंक्शन करती है, मैं समझता हूं कि वह मुख्य मन्त्री की जानकारी में है और उनको प्रेक्टीकल एक्सपीरियंस है। आप उनको लिबर्टी नहीं देते, उस आदमी को डिफाइन नहीं करते कि हू विल रिपोर्ट, पुलिस इटसेल्फ मे रिपोर्ट, पुलिस मे मेक रिपोर्ट्स। वह अपने रोजनामचे में लिख देते हैं, 5-6 बार लिख दिया फिर घोटाला हो जाएगा। ऐसे आदमियों को आप कवर करना चाहते हैं जिन्होंने लोगों को बाजार में पीट कर टेरर क्रीएट किया है, जिनसे समाज त्रस्त है। फिर आपने सैक्शन 9 में तरमीम की है हैबीचूएटेड को हैबीचूअल रखा बाकी सारे आइटम्ज मोजूद हैं: एसि, ब्रीच ऑफ पीस, फोर्सबुल कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन, थ्रेटनिंग पीपुल फॉर इल्लीगल पिक्यूनियरी गेन, सारे वेग टर्म्स हैं सपोज्ड हैं, इनसे आपका इन्कुरेशन सॉल्व नहीं होता है, आपको इसकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी उसके लिए आपके पास एपरेटस है पुलिस। आपने कहा है कि कन्विक्शन अंडर दी सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक। यह कान्क्रीट चीज है इसमें इम्मोरल एक्ट में इन्वाल्वड हुआ है लेकिन बाकी सारी चीजें यूरोपियन हैं। कई पोलिटिकल मूवमेंट्स चले जैसे-जमीन की नीलाम का मूवमेंट हुआ, हमारा प्रेक्टीकल अनुभव है, पुलिस ने हमारे रेकार्ड्स क्रीएट किए, गुरदयालसिंहजी को नंबर 10 में रखा। सारे केसेज को कलेक्ट किया जो आंदोलन में चले गए, जो नीलामी के दौरान आंदोलन में गए। मुझे और प्रोफेसर साहब को इस दौर से गुजरना पड़ा। एक मर्डर एबेटमेंट के लोजिक में सारे केसेज हमारे पोलिटिकल मूवमेंट्स के दौरान चले उनका तखमीना बनाकर भूतपूर्व मंत्री के सामने पेश किया गया। हमारे खिलाफ 452, 325 और 307 के केसेज हुए, सब के सब पेश किए कि वे ऑफिस में घुस गए और रेकार्ड फाड़ दिया। तो इन तीन क्लॉजिज 7, 8 व 9 को डिलीट करें। एक्सप्लेनेशन के साथ तो कुछ पर्पज सर्व होगा और एक

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

एडवाइजरी बोर्ड बना दें। इसी सदन के कोई सदस्य, जो लॉ में एक्सपर्ट हों उसका सदस्य हो, एक जुडीश्यरी का सदस्य, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी उसके सदस्य हों, वह एडवाइजरी कैपेसिटी में काम करे, अगर इसमें अपील के प्रावधान चाहते हैं या एवीडेंस एक्ट को इसमें से निकालना चाहते हैं तो उसके बाद पोजीशन यह है कि आप एडवाजरी कमेटी बना दें, बाकी इस रूप में इस बिल का समर्थन मेरा दल नहीं करेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थितियों को देखना है कि आज के हालात में ··

श्री उपाध्यक्ष : संशोधनों पर बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेंट पर ही बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज के हालात को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि पुलिस डन्डे के जोर पर ही सरकार चल रही है। अब ऐसे हालात में, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती है। आप इस एक्ट के अनुसार पुलिस को बहुत ही जबर्दस्त पावर्स देने जा रहे हैं। इसमें तो, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस किसी भी व्यक्ति को एक ही धारा में चार तरह के चार्ज लगा सकती है और अगर बाकी को छोड़ भी दें तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसमें जैसे कि इसने मुझे छेड़ दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इस प्रकार का कोई भी चार्ज पुलिस हरएक व्यक्ति पर लगा सकती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को आपने कोई मौका ही नहीं दिया कि वह अपने बारे में कुछ सफाई पेश करे। इसके अलावा में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें यह कैसे पता पड़ेगा कि वह आदमी दोषी है या नहीं, उसके रीजन्स दोषी होने के क्या थे ? यह दोषी पाया गया तो किस आधार पर ? यह सभी बातें कौन तय करेगा ? चूंकि इसमें आपने यह सभी पावर्स कलेक्टर को दे दी हैं। अब वही जांच करने वाला और वही तय करने वाला तो फिर कैसे पता चलेगा ? यह सभी पावर्स आपने कलेक्टर को दे दिये। इसके बाद में एक्ट में जो वी क्लाज है 9 और बाद में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वह बहुत ही वेग है। इसमें आपने असीमित अधिकार पुलिस को दे दिये हैं। और इस प्रकार के अधिकार आप अगर पुलिस को दे देते है तो आप जनता के साथ बहुत बडा अन्याय करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के दोषी होने के लिए मापदण्ड क्या होगा और उस मापदण्ड को निर्धारण करने वाला कौन होगा ? उसके रीजन्स क्या होंगे ? अब यह कैसे पता पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति दोषी है या नहीं ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिये उस व्यक्ति को, जिसे आप गुण्डा करार करने पर उतारू हो, पहले शो काज नोटिस देना चाहिये। उसमें यह लिखा होना चाहिये कि इन-इन कारणों से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आप गुण्डा एक्ट के तहत गुन्डा हो। इसके लिए आप अपना इतने समय में स्पष्टीकरण दें। अगर वह उतने समय में स्पष्टीकरण नहीं दे तो ही आपको उसके खिलाफ में कार्यवाही करनी होगी अन्यथा तो आप किसी भी व्यक्ति को कभी भी गुण्डा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। सजा दे सकते हैं।

(124)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई !

श्री **पूनमचन्द बिश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक्सप्लेनेशन के बारे में कहा है उसमें यह शब्द आते हैं—

"... who during a period within six months immediately preceding the commencement of an action under section 3, has been found on not less than three occasions to have committed the offences or acts, ..."

अब जैसा कि उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट होनी चाहिये, अगर रिपोर्ट होगी तो उसकी फाईन्डिग कौन करेगा ? पुलिस में रिपोर्ट कौन करेगा ? इसके लिए रिपोर्ट होनी चाहिये। इसके लिए मैं तो यह समझता हूं कि अभी जो वास्तव में एक्सप्लेनेशन की भाषा है वह सभी परिस्थितियों के अनुकूल उचित है। सिर्फ खाली रिपोर्ट करने का है, आपने पर्टिक्यूलर ऑथोरिटी का बता दिया कि इसके खिलाफ में रिपोर्ट है और मान लीजिए वह किन्हीं गलत कारणों से अगर एक व्यक्ति किसी से झगड़ा होने से या और किसी कारण से घर पर बैठे हुए एक महिने या पांच छः महिनों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में तीन रिपोर्ट ही नहीं बल्कि पांच छः रिपोर्ट कर देता है तो वह व्यक्ति उन रिपोर्टों के आधार पर ही गुण्डा होना तय हो जायेगा। तो मेरा कहना यह है कि यह सही नहीं है। खाली रिपोर्ट से तो काम चलना ठीक नहीं। It shall have to be found that he has acted in such manner. इसलिए सिर्फ रिपोर्ट हो उसके अलावा भी यह देखने की बात है कि तथ्य क्या थे। कोई उस व्यक्ति के खिलाफ में सबूत थे या नहीं ? कहीं रिपोर्ट झूठी तो किसी ने नहीं कर दी या हो सकता है कि किसी से झगड़ा हुआ हो, दोनों पार्टिया आपस में झगड़ने वाली हों। तो इसके लिए किसी नतीजे पर पहुंचने के पहले अथोरिटीज के पास पूरे सबूत होने चाहिये। खाली रिपोर्ट के शब्द से तो बहुत ही खतरनाक हो जायेगा। रिपोर्ट खाली होगी तो अथोरिटीज यह लिख देंगे कि यह रिपोर्ट आपके खिलाफ में तीन बार आई और आप गुण्डा फाउन्ड हुए हो। इसलिए भाषा में यह शब्द हों कि किसी को भी गुण्डा डिक्लेयर करने के पहले अथोरिटीज का सेटिसफाई हो जाना चाहिये। वरना यह तीन दफा किसी के खिलाफ में रिपोर्ट की, उससे भरपाई से तो काम चलने वाला नहीं। इसको प्रेसक्राईब करना खतरे से खाली नहीं हैं।

उसमें यह भी हो सकता है कि रिपोर्ट आई, पहले कोई चालान हुआ हो, या कोई कॉग्नीजीबल ऑफेन्स हुआ हो, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट हो, या कोई दफा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही मजिस्ट्रेट के सामने हुई हो तो ठीक है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह ज्यादा सेफ हालत में है। दूसरे, अगर आप इसमें 3, 4, 5 रिपोर्ट का आप प्रेसक्राइब कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति कानून की खाना पूर्ति कर देगा। वह ठीक नहीं है। इसलिए अभी जो भाषा है वही रखी जाय।

Page No 125

(125)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वह निवेदन है कि इस बिल पर कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने जो आपत्ति जाहिर की है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, right to property, right to freedom of expression, right to move freely in the country, उन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अगर यह कदम उठाया जाता है तो जरूर उठाया जाना चाहिये। यह एक अच्छा कदम है। क्योंकि मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अगर आप कोई कानून बनाते हैं और उसकी वजह से हमें अगर कष्ट उठाना पड़ता है तो जरूर उठाया जाना चाहिए। इसमें दो मत नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों के खिलाफ में कुछ करता है, मिस लीड करता है तो यह जो दिया गया है वह उचित है। जैसा कि दफा 8 में रखा गया है वह उचित है मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए यह होना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में शंका व्यक्त की है मुझे ऐसा लगता है कि वह ठीक नहीं है। इस लिहाज से कि जब सैक्शन दो बी के एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ को डिलीट कर दिया है और 9 है अब आठ हो जावेगा। वह सभी इसकी श्रेणी में आ जाते हैं तो एक्शन होगा। वैसे तो भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है। मैं उनसे थोड़ा अधिक उस पर प्रकाश डालूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर एक्शन लेने की बात कही गई है वहां यह कहा गया है "(1) Where it appears to the District Magistrate:—

(a) that any persons is a goonda; and"

फिर बी के एक, दो में आगे यह कहा गया है फिर (c) में है:—

"(c) that witnesses are not willing to come forward to give evidence against him by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property."

जब इसमें यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सभी बातों को देखेगा, और जब उसको सन्तोष हो जायेगा कि उस गुण्डे की कोई जमानत देने नहीं आ रहा है और उस गुण्डे से अमुक व्यक्ति को या व्यक्तियों को जान का खतरा है, प्रोपर्टी का खतरा है तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा।

"the District Magistrate shall, by notice in writing, in form him of the general nature of the material allegations against him in respect of above clauses (a), (b) and (c) and give him a reasonable opportunity of tendering an explanation regarding them."

(श्री हरिदेव जोशी)

तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको नोटिस देगा और यह कहेगा कि आपके खिलाफ में इस इस प्रकार की शिकायतें आई हैं इसका आप क्या जवाब दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : Whether he can produce evidence also ?

श्री हरिदेव जोशी : आप सुनिये तो इसके बाद में है, उपाध्यक्ष महोदय।

"(2) The person against whom an order under this section is proposed to be made shall have the right to consult and be defended by a counsel of his choice and shall be given a reasonable opportunity of examining himself, if he so desires, and also of examining any other witnesses or to produce any relevant document that he may wish to produce in support of his explanation, unless, for reasons to be recorded in writing, the District Magistrate is of opinion that the request is made for the purpose of vexation or delay"

उपाध्यक्ष महोदय, उसको अपने बारे में कहने का पूरा अधिकार दिया गया है। वह अपने वकील को खडा कर सकता है अगर कोई डॉक्यूमेन्ट पेश करना चाहे तो कर सकता है। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह कहा कि आपके खिलाफ में दस तारीख को इस तरह का गुण्डा एक्ट करने की शिकायत है तो वह कह सकता है कि मेरे पास डाक्यूमेन्ट्री एवीडेन्स है कि मैं उस दिन तो विधान सभा की कार्यवाही स्पीकर गैलेरी में बैठे देख रहा था। आप मेरी बाबत यह जो चार्जेज लगा रहे हैं वह गलत है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन डॉक्यूमेन्ट्री एवीडेन्सेज के बाद भी उसके खिलाफ में एक्शन लेते हैं तो यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओन-हिज-ओन रेसपोन्सिबिलिटी से एक्शन गलत लेता है तो वह रेस्पोन्सिबल होगा। ऐसा गलत कार्य करना मैं समझता हूं कि वह करेगा, मुझे यह उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यह संदेह जाहिर किया है उसका समाधान हो गया है और कोई कारण नहीं रहा है। समरी ट्रायल की अपोच्युनिटी मिलती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, एवीडेन्स देने का मौका मिलता है, वकील खड़ा करने का मौका मिलता है। यहां पर बगैर किसी एक्शन के इनिशियेट करने से पहले सफाई देने का मौका मिलता है। डाकूमेंटस देने का मौका मिलता है, एवीडेन्स देने का मौका मिलता है इससे बढ़कर चीज और क्या चाहेंगे। माननीय सदस्य यह मानते हैं कि सोसाइटी में इस प्रकार के लोग हैं जो गड़बड़ पैदा करें, विष पैदा करें, उसका ऑपरेशन न करें तो इसका मतलब यह है कि विष फैल कर सारे शरीर को खराब करेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि वे इसको पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि खण्ड 2 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को....

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारे संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप फर्माइये।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरा संशोधन पहले है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना संशोधन मूव करना चाहते है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा रिप्लाई हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने रिप्लाई भी दे दिया है। अब यही समझा जायगा कि आप मूव नहीं करना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : यदि संतोष हो जाय तो विथड्रॉ भी करलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उप खण्ड 2 2 (VIII) के सम्बन्ध में विलोपित करने के बाद कर लेंगे....

श्री हरिदेव जोशी : वह उप भाग (VIII) विलोप्ति हो चुका है। आपने अपनी बात संशोधन के बारे में कह दी और मैंने रिप्लाई दे दिया।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : पहले आपकी ओर से मूव हुआ वह लिखा जायगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वोट पर आ गया है उसके बाद पुराना पड़ गया है। फिर तो रे रिजेक्ट समझे जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी का संशोधन स्वीकृत हो चुका है, उनके अमेन्डमेन्ट के बारे में क्या प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैंने एमेन्डमेन्ट किया है वह यह किया है :

"eighter by himse'f or as a member or leader of a gang habitually commits, or attempts to commit, or abets the commission of offences ...",

मैंने यह कहा है "भाग (ख) के उप-भाग (1) में प्रयुक्त शब्द 'या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है' को विलोपित किया जाय" इतना सा स्ट्रेस करना चाहता हूं कि एवेटमैन्ट को भी लेना चाहते हैं। इसको डिलीट कर दिया जाय यह मैंने रखा है। वे गुन्डे घसीटे जायं वे तो घसीटे जायं लेकिन तुम यह कहते हो, प्रोत्साहन देते हो, तो वो भी घसीटा जावेगा। It is mischlievous. I press for it.

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा संशोधन यह है : "भाग (ख) के उप-भाग (viii) और (ix) विलोपित किया जाए। भाग (क) के उप भाग (vii) के पश्चात् में एक नवीन उप भाग (vii) जोड़ा जावे, अर्थात्: (viii) 'न्यायाधीश' से जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है।", मेरा न्यायाधीश के बारे में एडीशन करने का है। ज्युडिशियल चेक होना चाहिये। इसके बिना ओब्लीगेटरी पावर्स रहते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह तो बाद में आजावेगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एडीशनल चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो खण्ड 2 में संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किए गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, मय संशोधन के, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2, मय संशोधन के, स्वीकृत किया गया ।

प्रभारी मन्त्री जी !

खण्ड 3

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खण्ड 3 में मेरा निम्न संशोधन है:

"उप खण्ड (ख) के भाग (ii) में अभिव्यक्ति "उप-खण्ड (i) से (vii) तथा (ix)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-खण्ड (i) से (viii), प्रतिस्थापित की जावे ।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह हे कि प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 3 में माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, मय संशोधन के, स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4, 5 स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 एवं खण्ड 5 स्वीकार किए गए ।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 6

श्री मोहम्मद गफ्फारअली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : खण्ड 6 में मेरा संशोधन यह है: "उप-खण्ड (i) में प्रयुक्त शब्द 'आयुक्त' के स्थान पर शब्द 'जिला एवं सत्र न्यायाधीश' प्रति स्थापित कर दिये जायं ।" उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दलील यह है कि आपने एक एक्जीक्यूटिव आॅर्डर पास कर दिया । उसमें यह दिक्कत तो आ नहीं सकती। अपील में वह जा सकता है, सेशन जज सुन सकता है । पुलिस की रिपोर्ट हो, जो कुछ भी हो, आॅर्डर होने के बाद सेशन जज को अपीलेट पावर दे देते हैं या एडवाइजरी बोर्ड कायम कर देते हैं तो आपकी दिक्कत कम हो जायगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि एक छोटा सा बोर्ड बना दें, वह अपील सुन लें, जिस शख्स के विरुद्ध आपने आॅर्डर दिया है। जिससे वह चेक अप हो जावेगा। जनता में यह विश्वास होना चाहिए कि कानून का दुरुपयोग नहीं होगा । और ज्युडिशियल की मदाखलत रहे । यह नहीं रहती है तो फिर एक्जीक्यूटिव के रूप में ही सब काम होगा । आज का मुख्य मन्त्री एक ख्यालात का है । कल दूसरा मुख्य मन्त्री आ जाता है । वह आॅर्डर दे देता है । इस लिए आप कानून में ऐसी व्यवस्था मत कीजिए बल्कि ऐसा कानून बनाइये कि जिसमें लोगों को विश्वास पैदा हो और कोई कठिनाई न हो । अपील करवा कर स्टे करवा देंगे तो मकसद हल हो जावेगा। बोर्ड स्टे करेगा नहीं । आपकी सुन लें और हम को सुन लें । फिर उसके बाद निर्णय दें । पावर को गलत इस्तेमाल किया गया है तो मामला खत्म हो जावेगा । बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट कर देते है तो आपका मकसद कायम रहेगा । जिसको आपने निकाल दिया है उसका भी आपका भरोसा रहेगा । आपका बहुमत रहेगा लेकिन कान्फीडेन्स रहेगा । यह सुझाव आप मानने को तैयार नहीं है तो जुदा बात है वरना मैं यह गुजारिश करूंगा सेशन जज का इसमें होना चाहिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 में मेरा संशोधन है कि "उप-खण्ड (i) में प्रयुक्त शब्द 'आयुक्त' के स्थान पर शब्द 'जिला न्यायाधीश' प्रतिस्थापित किया जावे ।" उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि एक्जीक्यूटिव एक्शन या पुलिस एक्शन के रूप में यदि इस कानून को रखना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इसकी स्क्रूटिनी हो, तो इसका अर्थ स्पष्ट है सरकार की मन्शा यह है कि कैसा भी मैटेरियल आये और चाहे कैसी भी कहा सुनी हो, एवीडेन्स हो, दुर्भावना से चाहे वह राजनैतिक हो पुलिस कह दे तो वह ब्रह्मवाक्य बन जायगा । हमारा निवेदन है स्क्रूटिनी हो और जिला न्यायाधीश यह निर्णय ले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो आज्ञा दी है वह उचित है या अनुचित है । मैं नहीं समझता हूं सरकार को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए । हां, यदि आपत्ति है तो इसका मतलब है, आप को यह कह रहे हैं कि हम तो गुण्डागर्दी को रोकना चाहते हैं । जैसे जिन निक्सन साहब कहते थे वार फोर पीस, हाइड्रोजन बम फोर पीस और यदि पाकिस्तान को वैपन देते हैं तो वे कहते हैं न्यूक्लियर वीपन प्रोवाइड कर रहे हैं ।

Page No 130

(130)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उनकी मन्शा बेनकाब कर देता है। उसी प्रकार आपकी नियत साफ नहीं है। आज सदन में अच्छी अच्छी बातें कहकर इसे पास करवाना चाहते है पर कल आन्दोलन के समय या चुनाव के समय पुलिस एक्शन के नाते यह बात करना चाहते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी लज्जास्पद स्थिति है शासक दल के लिए, अंग्रेजों के जमाने का सन् 1932 का यू. पी. का गजट पढ़ कर सुनाता हूं, 19 सितम्बर, 1932 का उन्होंने एक एक्ट बनाया, ऐसा ही एक्ट बंगाल में, कलकत्ता में बना हुआ था, इस समय कानपुर में बडी गुण्डागर्दी हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा :

"The Commission to enquire into the communal riots at Cawnpore found that one factor was the presence of a large number of goondas. The existing law has proved inadequate to control these men. It is, therefore, proposed to introduce a Bill on the lines of the Goondas Act of Bengal which applies to goondas who habitually visit or frequent Calcutta".

अब, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो अंग्रेजों की फिरंगी सरकार थी उसमें यह प्रोविजन रखा। उस समय न सविधान था, न फन्डामेन्टल राइट थे और न हम आजाद थे। बाद में भी सुभाष ने आजादी की लड़ाई लड़ी। सन 1932 में जो कानून बनाया इसमें क्लॉज फाइव रखा है....

"After issue of the warrant under section 4, the local Government shall forthwith cause the report of the District Magistrate with all material facts and circumstances in their possession relevant to the same to be placed before two advising judges, of whom one shall be the District and Sessions Judge of Cawnpore and the other a Session Judge or Additional Session Judge of Cawnpore Sessions Division."

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां तो बिलकुल उल्टा मामला चल रहा है। हम कहते है आगे बढ़ने की बात, हम कहते हैं आजादी की बात और जा रहे हैं पीछे, 1923 के पीछे जा रहे हैं कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, जहां कहीं लार्ड क्लॉइव होगा वह खुश हो रहा होगा और सोच रहा होगा कि हमने जितने दकियानूसी कानून बनाये उससे ज्यादा दकियानूसी कानून आज स्वतन्त्र भारत में बनाये जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी प्रकार की दुर्भावना पैदा न हो, इसलिए इसकी स्क्रूटनी किसी स्तर पर होनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दे और होम कमिश्नर ऑर्डर दे दे तो यह एक अधिनायकवाद का तरीका है। बंगाल में जो हो रहा है उसका रिहर्सल है। इसलिए निवेदन है कि इसको एक एडवाइजरी बोर्ड के रूप में रख लें फाइनल ऑर्डर गवर्नमेंट दे दे लेकिन कम से कम जुडिशियल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
का एलीमेंट तो रखे। मैं समझता हूं नादिरशाही का तरीका आज के समय में उपयुक्त नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा किसी भी कानून में पब्लिक को यह कान्फीडेन्स होना चाहिये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह लीगल हो रहा है, हमारे देश में और हमारे प्रान्त में रूल ऑफ लॉ है। इस पर यदि आप जनता का विश्वास उठाना चाहते हैं तो यह आयुक्त को दे दें। वैसे पुलिस की कार्यवाही के बाद, कलेक्टर की कार्यवाही के बाद जो कुछ लीगल हुआ है या नहीं हुआ है इसको विचारने के लिये सैशन जज की आवश्यकता है। इसके लिये अपील डिस्ट्रिक्ट एन्ड सैशन जज को होनी चाहिये। इससे इररेगुलरिटी पर कुछ कन्ट्रोल हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इन्टरवीन कर रहे हैं। अपील के तहत अगर यह मंशा थी और मान्यवर अगर यह बिल कांग्रेस पार्टी में पेश होता तो आपसे ...

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है मेरा सुझाव है उस पर विचार कर लेते हैं और मीन व्हाइल इस बिल को डेफर कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज 6 में कोई संशोधन नहीं है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस अमेन्डमेंट से ही आगे ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि खण्ड 6 को डेफर किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 को डेफर किया गया।

श्री केदारनाथ : ऐसा जल्दबाजी में हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 के खण्ड (7) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (7) स्वीकार किया गया।

खण्ड (8)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है जब आप एक बहुत इम्पार्टेन्ट प्रोविजन को अमेण्ड कर रहे हैं तो ऐसा न हो जाय पास तो दूसरे तरीके से हो जाय और फिर खामी दूसरे तरीके की ही रह जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष महोदय, मुनासिब हो तो 15 मिनिट के लिये हाउस को एडजोर्न कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरा बिल है अपने पास।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूसरा ले लीजिये, इसको बाद में ले लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री केदारनाथ : इसको मूव कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है उसके अनुसार मैं ऐसा समझता हूं क्योंकि खण्ड 6 में संशोधन राज्य सरकार की ओर से पेश किया जायगा, जो अभी ड्राफ्ट हो जाता है इस बीच में दूसरा बिल ले लेते हैं। इस बिल को डेफर करके दूसरी कार्यवाही ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है जैसा कि माननीय प्रभारी मंत्री जी ने सुझाव दिया है इस बिल को अभी डेफर कर दिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को अभी डेफर किया गया।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975

[(1) श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री रामकिशन, श्री केदारनाथ, श्री मोहम्मद गफ्फार अली, श्री गुमानमल लोढ़ा, श्री मनोहरलाल, श्री भानुकुमार, श्री अजीतसिंह श्री मूलचन्द सामरिया, श्री मीठालाल, श्री मालाराम, श्री सुरेशचन्द्र सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया:—"यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 23 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।]

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ! क्या आप राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 के ऊपर जो आपका संकल्प है उसको प्रेस करना चाहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष : आपको विचारार्थ के समय अवसर देंगे। देख लीजिए आपका डिस्क्रिशन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जो आज्ञा देंगे मुझे स्वीकार्य है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आसन का ऐसा परम भक्त कभी नहीं देखा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय विचारार्थ के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रार्थना मुझे यह करनी है माननीय मन्त्री जी से कि आपने पिछले बजट सत्र के बाद फिर से बीच में…

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

बिना सदन को विश्वास में लिए हुए राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया और उसमें आपने यह कहा है with a view to mobilize याने मन्थन हो रहा है। राजस्थान की जनता का मक्खन मक्खन ऊपर आ जाये। additional resources to meet the expenditure. मन्त्रियों के नल और बिजली में कमी नहीं है, मोटर गाड़ियों के पेट्रोल में कमी नहीं है। बाकायदा वैसे के वैसे ही काम चल रहा है। On account of acute scarcity conditions. याने बड़ा भारी अन्याय हो रहा है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

" in the State, the Government decided, among other things to increase—

(i) the surcharge on entertainment tax from 10 paise to 20 paise in case of admission fee of less than Rs. 2 and from 20 paise to 30 paise on the addmissicn fee of Rs. 2 or above, and

(ii) the surcharge on stamps from 10 paise to 20 paise."

और फिर लिख दिया कि चूंकि विधान सभा इस समय नहीं चल रही थी। मेरी प्रार्थना है कि आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। आपको परमात्मा ने अधिकार दिया है टैक्स बढ़ाने का, खूब आप बढ़ाइये लेकिन बढ़ाइहैं तब जब कि असेम्बली सेशन में हो और वह भी बजट सत्र में। बीच में ऐसी कौनसी नौबत आ गई? यह तो आप फिर भी कह सकते थे कि राजस्थान में अकाल है और खर्चा बढ़ गया है इसलिए उनको मीट करने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं। आप वाहवाही यों लूटना चाहते हैं। 26 करोड़ के टैक्स बढ़ाने थे वह बीच में आपने बढ़ा दिये आर्डीनेन्स के जरिये और अब 3 तारीख को आप बजट प्रस्तुत करेंगे तो ट्यूब लाइट और हूंडे लाकर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि देखिये मैं कितना बढ़िया वित्त मन्त्री हूं मैंने राजस्थान की जनता के ऊपर एक पैसे के भी टैक्स नहीं लगाये हैं। यही आपने पहले भी घोषणा की थी और हमने भी कहा था कि बड़े सुन्दर वित्त मन्त्री हैं लेकिन बीच में जो टैक्स लगा दिये वह भी तो जनता को देने पड़ेंगे कपट द्वारे से। फिर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप फिर वाहवाही लूटेंगे, 3 तारीख को और उसके बाद फिर टैक्स लगा देंगे आर्डिनेन्सेस के जरिये। आपको अधिकार हैं लेकिन कपट द्वार से नहीं। आपने पानी मंहगा कर दिया, किसानों के लिए बिजली मंहगी कर दी। मैं यहां पर यह कहूंगा कि सिनेमा देखने वालों पर बढ़ाया है लेकिन मैं समझता हूं कि आपको इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिये। आपको बजट सत्र में ही केवल बढ़ाना चाहिये था।

आपने एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को बढ़ा दिया पर यह टैक्स लगाने से आपने किस की आय पर कब्जा किया है। सिनेमा वाले तो जनता से ले लेंगे और जनता जो सिनेमा देखेगी वह तो देखेगी ही। आप चाहे 10 पैसे न लगाकर 40 पैसे लगा दें तो भी देखेगी। जिसको सिनेमा देखना है और जिसको आदत है वह तो देखेगा ही। यहां पर निवेदन करना यह है कि जिस ढंग से बढ़ाया है उसके लिए हमारा विरोध है—यह मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी आपसे प्रार्थना है कि इसमें माननीय मन्त्री महोदय ने जो सरचार्ज बढ़ाया और मैं तो केवल जयपुर के बारे में ही कह सकता हूं दूसरी जगह का पता नहीं कि सन् 1953 में हमारे यहां शहर में 3 सिनेमा थे तो एक रुपये पर 5 पैसे एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का था और मान प्रकाश था और मान प्रकाश के मैनेजर चरनबाबू गली गली में घूमकर कहते थे कि आज सिनेमा देख जाओ और पैसे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कल दे देना। तो मेरा निवेदन करना यह है कि यह सारी परिस्थितियां थी उस समय और मेरा प्रार्थना करना यह है कि आपने म्युनिसिपैलिटी का एन्टरटेन्टमेन्ट टैक्स का औसत बढ़ाया था और उसके परिणामस्वरूप एक रुपये में 63 पैसा आप मनोरंजन कर में से लेते हैं, शो टैक्स का 10 रुपया आप और लेते हैं और यह 10 पर्सेन्ट सरचार्ज लगाया है इससे आपकी आय और बढ़ जायेगी। उस समय हमारे यहां शहर में 3 सिनेमा थे और आज 9 हैं तो एक रुपये में 63 पैसा आप लेते हैं, शो टैक्स आप लेते हैं, सरचार्ज और बढ़ा दिया इससे आपकी आय और बढ़ गई है। जब जयपुर शहर से ही इस समय आप 75 लाख रुपया एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से लेते हैं और सरचार्ज और बढ़ा दिया तो आपकी आय और बढ़ गई। लेकिन म्युनिसिपैलिटी को जो आपने 10 पैसा बढ़ाया तो मैं समझता हूं कि एक रुपये का टिकिट लेते नहीं हैं और उसके ऊपर होते ही 10 पर्सेन्ट सरचार्ज तो म्युनिसिपैलिटी को भी आप क्या बढ़ी हुई आय में से देंगे? 75 लाख में से 3 लाख आप देते थे और 1½ लाख रुपया पानी का उसमें से काट लेने थे। उसके बाद में पानी का बन्द हो गया तो वापिस 3 लाख रह गये और पिछली आय को आपने ड्योढ़ा कर दिया और उसके हिसाब से 4½ लाख हो गए। लेकिन अब जो आपकी आय और बढ़ गयी है सरचार्ज के लगाने से 10 पर्सेन्ट आपने और बढ़ा दिया अभाव की स्थिति बताकर तो म्युनिसिपैलिटी की आय को आप कितना बढ़ाकर देंगे यह भी आप बतायें। तो माननीय मंत्री जी यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

तीसरा प्रश्न यह है कि आपने घोषणा की थी कि मैं तो किसी भी फिल्म को करमुक्त नहीं करूंगा, किसी भी प्रदर्शनी को नहीं करूंगा तो फिल्म वाली डिटेल तो आज की तारीख में मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जो अभी क्राफ्ट एग्जीबीशन लग रही है–आप चाहे सिनेमा हो प्रदर्शनी हो, चाहे सर्कस हो सब पर एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लिया जाता था। लेकिन यह जो क्राफ्ट एग्जीबीशन लग रही है इसमें आपने कोई भी एन्टरटेनमेन्ट टैक्स नहीं लिया। एग्जीबीशन के अन्दर चाहे पायल चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो उसके ऊपर भी टिकट है और उनके ऊपर भी आपने एन्टरटेनमेन्ट टैक्स नहीं लगाया। अगर आप यह लगा देते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो आपने अभी 10 पर्सेन्ट का सरचार्ज लग गया यह सारा का सारा पैसा इस क्राफ्ट एग्जीबीशन से निकल आता और राजस्थान की जनता को यह सरचार्ज नहीं देना पड़ता जो अब वह सिनेमा देखने के जाते समय देते हैं। अब समझ में नहीं आता कि किस प्रभाव में आकर यह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स क्राफ्ट एग्जीबीशन में माफ किया। इसलिए मेरी यही प्रार्थना करना है कि चोर दरवाजे से टैक्स लगाया है मैं उसका विरोध करता हूं। अब आगे से जो भी टैक्स लगाना है तो एक ही दिन लगायें। 3 तारीख को तो आप भले बन जाते हैं कि मैंने एक भी पैसे का टैक्स नहीं लगाया और बाद में टैक्स लगाते हैं। इसकी निन्दा करता हुआ आप म्युनिसिपैलिटी को इसमें से कितना हिस्सा देंगे यह बतायें। म्युनिसिपैलिटी आपके पराधीन रहती है और गुलाम

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रहती हैं। गुलाम इसलिए कहता हूं कि सरकार ने मण्डी टैक्स और लगाया है मण्डी टैक्स जयपुर में कर दिया। जो सब्जी मण्डी हो तो मण्डीमें, अनाज मण्डी हो तो मण्डी में और जो जानवरों का ठेका होता था नेशनल बॉलबियरिंग कम्पनी के पास में वह भी मण्डी में। अनाज पर टैक्स लगाते हो तो वह मण्डी कमेटी में। सब्जी मण्डी का ठेका हो जाया करता था जमीनों का वह भी मण्डी कमेटी के पास चला गया। दुकानें जो नगरपरिषद् की थीं लाखों करोड़ों रुपये की जौहरी बाजार में उनका ठेका हुआ करता था उसकी मासिक आय भी मण्डी कमेटी में और जो जानवरों का हटवाड़ा होता है दो तीन लाख का ठेका हुआ करता था वह मण्डी कमेटी में चला जाएगा। तो मेरा निवेदन करना है कि म्युनिसिपैलिटी को जो लाखों रुपयों की आय थी वह पाँच छः लाख रुपये की वार्षिक-आय चली गई। राजस्थान सरकार ने जो दस लाख रुपया राजकीय भवनों का, हाऊस टैक्स का बकाया था वह माफ कर दिया, लाखों रुपयों का म्युनिसिपैलिटी को नुकसान हो गया, मनोरंजन कर की जो आय लाखों करोडों की है उसमें आप उनको कौडियां भी न दें इसलिए कि म्युनिसिपैलिटियां, ये स्वायत्त शासी संस्थायें आपकी गुलाम रहें। वह आपके दरवाजे पर जायेंगी कि हमको आय दो। हमको सड़कें बनानी हैं, हमको सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन जब चुनी हुई नगरपरिषद् आएगी तो आखिरकार वह क्या करेगी। नगरपालिकाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था अप्रेल, 73 या 74 में उन्होंने इस प्रकार का सर्वसम्मत निश्चय किया था कि मनोरंजन कर जो सिनेमा से ही विशेष कर वसूल होता है राज्य सरकार पूरा का पूरा उनको दे और यदि पूरा न करे तो केवल कुछ जो चार इंस्पेक्टरों का खर्चा होता है उसको आप काट लीजिए। आपके मंत्रिमण्डल को चलाने के लिए खर्चा होता है उसको ले लीजिए और जो 75 लाख की आय है उसमें से कम से कम दस लाख रुपये काट लीजिए, 15 लाख काट लें, मैं समझता हूं कि आधा परधा काट लें और जो नगरपरिषद् की आय पर आपने एनक्रोचमेंट कर रखा है स्वायत्तशासी संस्थायें आपका मुंह देखती हैं, राजस्थान के वित्त मंत्री का मुंह निहारती रहें, उनकी चमचागिरी करें अपनी आमदनी के लिए। इसलिए मैं इन सारी बातों को रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने टैक्स बढ़ाया है उसका विरोध करना चाहूंगा और इसलिए इस बिल को पास करने से पूर्व यदि इन सारी बातों के प्रकाश में यदि जनमत जानने के लिए प्रसारित करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री मालारामजी !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंहजी !

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमलजी लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं सदन की भावना को देखते हुए इस बिल के ऊपर अधिक समय नहीं लूंगा । इतना ही कहूंगा कि बजट सत्र में गत समय जो माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने यहां पर आश्वासन दिया था और यह कहा था कि इस वर्ष कोई टैक्स नहीं होगा मैं समझता हूं कि वह विश्वास जो उन्होंने दिलाया था उस विश्वास के ऊपर राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा धक्का लगा है । आर्डीनेन्स के द्वारा इन टैक्सों को लाया गया यह उचित नहीं था, न्यायसंगत नहीं था और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुकूल भी नहीं था । इसलिए मैं समझता हूं कि इसको कभी न दोहराया जाय इस बात का आश्वासन माननीय मन्त्री जी दें और अकाल पीड़ित जनता जो पहले से ही पीड़ित है उस पर करों का बोझ बढ़ाया जाय उसका औचित्य समझ में नहीं आ सका । केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सभापति महोदय, मेरा नाम तो था लेकिन आया नहीं है । सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है उसे अगर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब मुनासिब समझें तो मैं समझता हूं कि यह जो एण्टरटेनमेंट टैक्स लगाया है वह छोटे जो टिकिट हैं दो रुपये से कम के उन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए । इसलिए कि जो गरीब मजदूर हैं उसके लिए और कोई एण्टरटेनमेंट का साधन होता नहीं है । वह बड़े 2 क्लबों में नहीं जा सकता और कोई तफरीह करने का साधन नहीं है । सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है, बच्चों का पेट पालता है और आठ आने रुपये का टिकिट खरीदता है । उस पर आप बोझा डालते चले जाते हैं तो उसकी वह एण्टरटेनमेंट की जो बात है वह खत्म हो जाती है । तो मेरी सिर्फ गुजारिश यही है कि यह आप इसमें जो दो रुपये से कम के टिकिट हैं उन पर कोई टैक्स मत लगाइये उसके बजाय दो रुपये से ज्यादा के टिकिट पर दस पैसा और बढ़ा दें, और इजाफा कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री सभापति : श्री मनोहरलालजी ।

श्री मनोहरलाल : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी जहां बार बार टैक्स के लिए सदन में आते हैं वहां हम उनसे निवेदन करते हैं, वित्त मन्त्री महोदय साथ ही एक ऐसी सूचना लाया करें, एक विधेयक लाया करें कि कर चोरों को इनाम दिया जाय 26 जनवरी को । सभापति महोदय, मैं सेल्स टैक्स के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं...

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या प्रपोज करते हैं यह भी बता दें ।

श्री मनोहरलाल : कर चोरों के लिए वित्त मन्त्री महोदय हर साल 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या अपनी वर्ष गांठ पर वह मैडल दें, परमवीर चक्र, चक्र चोर कर दो, उनको कर चोर महापति दे दो, यह उनको दे दिया करो । मैं उनको वाणिज्य कर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । भारत सरकार ने और भारत की सरकार के आय कर विभाग ने खास तौर से और मन्त्री महोदय को मालूम होगा कि उन्होंने यह फैसला किया है कि जो उनको आय कर देते हैं उनके रिटर्न को वे उसी रूप में मान लेते हैं । उन पर विश्वास करते हैं छोटे कर-

(श्री मनोहरलाल)

दाताओं पर कि भाई आप जो रिटर्न भरोगे उसको स्वीकार करेंगे, उतना ही मान लेंगे। यह जो उन्होंने तय किया कि आय कर विभाग जो भी रिटर्न आएगा उसको मान लेगा उससे उनकी आय बढ़ी है और चोरों की संख्या भी कम हुई है। और अधिकारियों का भी समय बचा है। जो छोटे 2 रिटर्न में समय लगता था, लोग परेशान होते थे तो मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हालांकि यह सिलसिला दूसरा है, मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करूंगा कि आपके करों के बारे में जो आपके अधिकारी फैसला करते हैं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपके पैटी डीलर्स हैं, राजस्थान के छोटे दुकानदार हैं, तीस हजार उनकी सालाना इन्कम है जो सैल्स टैक्स देते हैं या पच्चीस हजार की इन्कम वाले पैटी डीलर्स हैं, आप उनके रिटर्न जैसे वह फाइल करें, उनको विश्वासपूर्वक मान लें। इसके दो लाभ होंगे। एक तो आपके जितने अधिकारी हैं उनका समय बचता है। दूसरा जो रुपया रिश्वत के रूप में जाता है, मैं भरतपुर जिले के बारे में निवेदन करता हूँ सभापति महोदय, वित्त मन्त्री को कहना चाहता हूँ कि मुझे भरतपुर जिले का मालूम है, जो पैटी डीलर्स हैं वे करीब साढे छः हजार हैं जिनका करीब पन्द्रह लाख रुपया रिश्वत के रूप में जाता है। वित्त मन्त्री महोदय पूछना चाहेंगे कि कैसे जाता है। मैं छोटी दुकान करता हूँ, मेरे पास में नोटिस गया, मैंने रिटर्न फाइल किया वह विश्वास नहीं करते, वकील करना पड़ता है और सौ रुपया देना पड़ता है, ए. सी. टी. ओ. को और तीस रुपये देने पड़ते हैं, बाबूओं के और पांच रुपये और इस तरह से 135 रुपया इन पैटी डीलर्स से लिया जाता है। क्या करते हैं पैटी डीलर्स उसके बदले में कि चार सौ रुपये की चोरी करते हैं। जो बड़े डीलर्स हैं, जो वाकई में बड़ी चोरियां करते हैं उनको पकड़ने के लिए आपके पास समय नहीं रहता। इसलिए आप यह करें कि पैटी डीलर्स पर आप यकीन कीजिए। आप मान लीजिए उसके रिटर्न को। और फिर आपके पास इन्स्पेक्टर हैं वे जाकर चैक कर सकते हैं और चोरी पकड़ी जावे तो पेनल्टी लगा दें, और कुछ कर दें। शायद वित्त मन्त्री महोदय की जानकारी में न हो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह ऐसा करें तो पैटी डीलर्स को राहत मिलेगी, आपके अधिकारियों का समय बचेगा और वह बड़े कर चोरों को पकड़ सकेंगे। इसके साथ ही साथ आप अगर देखना चाहें तो केन्द्रीय सरकार के आय कर विभाग के तजुर्बे को देख लें। उन्होंने पैटी इन्कम टैक्स पे करने वालों पर विश्वास किया है तो उनको समय अधिक मिला है तो अब वे बड़े छापे डालते हैं, उनके कर की आय में वृद्धि हुई है और दूसरी बातें कम हुई हैं। इसके अलावा एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कर प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि मैं डीग में देखता हूं, कामां में देखता हूं, भरतपुर में देखता हूं, मवेशियों पर टैक्स लगाया पांच परसैन्ट। दो हजार का बैल है उस पर टैक्स होना चाहिए सौ रुपया लेकिन वह मवेशी का मालिक क्या करेगा कि उसकी कीमत बतायेगा दो सौ रुपया और दस रुपये भी टैक्स के नहीं देगा। सौ रुपये का बैल, सौ रुपये की भैंस लिखायेगा और टैक्स से बच जाएगा। आप अगर पर हैड लगायें। आपको परबतसर के मेलों की जानकारी

Page No 138

(138)

(श्री मनोहरलाल)

होगी वहां पर जो कर लिया जाता है वह पर हैड लिया जाता है। कीमत से कर लगाने से लोगों को कर चोरी करने की आदत होती है क्योंकि आपने इसको कीमत से बांध दिया है, पर हैड नहीं बांधा है। आपने जो कर लगाये हैं वह मवेशियों के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी कीमत के आधार पर लगाये हैं जिससे पूरी वसूली नहीं हो पाती है। जो भी मवेशी होते हैं, जैसे—बैल हैं, घोड़े हैं, कीमत की वसूली की जगह पर मवेशी लगाते तो ठीक रहता। कोई बैल दो हजार का है, या पन्द्रह सौ का है तो वे दो सौ का लिखाते हैं और इस तरह से आप करों की चोरी करना सिखाते हो। कहीं भी, पशु मेले में यही होता है, भरतपुर का पशु मेला हो, चाहे डीग का हो, चाहे कामां का हो, सब जगह यही होता आया है। इसका नतीजा यह होता है कि मवेशियों से बिक्री कर कतई वसूल नहीं होता और करों की उनके मालिक चोरियां करते हैं, काश्तकार चोरियां करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि करों का आधार निश्चित करते समय कम से कम यह तो देख लें कि करदाता की कर देने की क्षमता भी है या नहीं अथवा उसकी कितनी क्षमता है। आपके अधिकारी ही उनको भ्रष्टाचार सिखाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कर लगाने से पहले यह सोच लें कि सारी की सारी जनता को आप चोर मानकर चलें, आपका जो प्रासेस है, वह डिफेक्टिव है, इसलिए जो आपने प्रस्ताव किया है उसको, उसके लिए भेजा जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति जी, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बजट के टाइम पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं कर रहे हैं और इस समय आप जो टैक्स लगा रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार की घोषणा का विरोध करेंगे। और इस अध्यादेश के द्वारा टैक्स लगा रहे हैं यह आप बैंकडोर एन्ट्री कर रहे हैं इसलिए मैं इसको निन्दनीय मानता हूं। It may be termed as legalised dacoity. इसलिए मेहरबानी करके कैसी भी इसकी प्रतिक्रिया हो, किसी भी हालत में यह अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आप बजट के टाइम पर लगाइये जिससे आप सदन को कॉन्फीडेन्स में ले सकें। इसलिए इस समय इस अध्यादेश के द्वारा किसी प्रकार का टैक्स लगाना कतई अनुचित है और यह शर्म की बात है। और मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं अभी जो माननीय गफ्फार अली जी ने फर्माया है लॉएस्ट श्रेणी पर एक्जेम्प्ट करके हाईएस्ट श्रेणी पर कर में आप वृद्धि कर सकते हैं इसलिए आप लोअर श्रेणी के टिकिटों को एक्जम्प्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सून्डा !

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया है उस पर जो संशोधन रखे गये हैं वह मुझे स्वीकार नहीं है, संशोधन रखते वक्त....

Page No 139

(139)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो हमको भी आशा नहीं थी, यह तो गुजारिश थी, गरीबों पर आप रहम करते तो ठीक था।

श्री मूलचन्द सामरिया : वित्त मन्त्री जी बहुत कन्जूस हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे खुशी है, सभापति महोदय, कि माननीय सदस्य वित्त मन्त्री को कन्जूस मानते हैं। यह अच्छी बात है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक वित्त मन्त्री को कन्जूस ही होना चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : लेकिन यह तो खून चूसना हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : जब आप फर्मा रहे थे तो मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अब मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझको सुनें। तो, सभापति महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं, जो अर्ज करना चाहता हूं कि सदन को विश्वास में लेकर टैक्स नहीं लगाया यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितने भी टैक्स लगाये जाते हैं उनके लिए सदन को बाद में विश्वास में लिया जाता है। पहले विश्वास में लेकर कोई टैक्स लगाया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले टैक्स लगाये जाते हैं और फिर सदन को विश्वास में लिया जाता है।

माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उन्हें मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। (व्यवधान) मैं अर्ज कर रहा हूं अगर माननीय सदस्य सुनना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब आप फर्मा रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि सदन को विश्वास में लेने से पहले ही टैक्स लगाये जाते हैं। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी वित्त मन्त्री, चाहे भारत का वित्त मन्त्री हो, चाहे किसी भी राज्य का, यह वायदा नहीं कर सकता कि वह बाद में टैक्स नहीं लगायेगा। जिस प्रकार की बाद में परिस्थितियां पैदा होती हैं उन्हीं के अनुसार उनको देखते हुए ही टैक्स लगाने पड़ते हैं। बजट प्रस्तुत होने के बाद भी अगर परिस्थतियां हमारे प्रदेश की ऐसी हैं जिनके कारणों से टैक्स लगाना जरूरी था, इन सारी बातों में तो मैं नहीं जाना चाहता। बजट के समय जब चर्चा होगी और माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तब मैं भी अपने विचार प्रगट करूंगा। अभी जो मोशन मेरे अगेन्स्ट में माननीय सदस्यों ने रखा है उसके बारे में निर्णय होने वाला है इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय जो सिद्धान्त अपनाये गये हैं उनके बारे में, मैं अपने विचार प्रगट करूंगा। इसके बारे में मैं विस्तार से कहूंगा।

एक बात यह कही गई कि यह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स आपने म्युनिसिपेलिटीज से छीन लिया। परन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पेश करते समय मैंने ज्यादा पैसों का प्रावधान किया था और उस समय जो एक्ट में संशोधन किया गया था उस समय यह पाबन्दी नहीं की गई थी कि यह टैक्स लेने से पहले म्युनिसिपेलिटीज को जो पैसा मिल रहा था उससे ज्यादा मिलेगा इस वक्त इस बात की दलील देना उचित नहीं

(श्री चन्दनमल बैद)

है। सभापति महोदय, आज म्युनिसिपैलिटीज के बहुत से फन्क्शन्स हैं, उनके पास पानी का काम है और भी कई दूसरे काम हैं। अगर किसी आमदनी को हम उनसे ले रहे हैं तो उनको दे भी रहे हैं। सड़क निर्माण करने का काम भी म्युनिसिपैलिटीज का है। हम बहुत से काम कर रहे हैं। हमने जो कोई भी टैक्स लिये, बहुत पहले लिये हुए थे। अगर वे उनके हाथ में होते तो इस समय जो आमदनी हो रही है उसका एक चौथाई भी आमदनी म्युनिसिपैलिटीज को नहीं प्राप्त हो रही थी, उनके सोर्सेज को हमने बढ़ाया है, कम नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही हुआ है।

एक बात यह कही गई कि अकाल पीड़ित लोगों पर टैक्स नहीं लगाये जायें। यह किस प्रकार की अजीब दलील है। क्या अकाल पीड़ित लोग सिनेमा देखने नहीं जाते हैं ? या इसको यूं कहेंगे कि अकाल पीड़ित लोग हैं इसलिए अकाल राहत के काम को छोड़कर सिनेमा देखने के लिए चले गये और उन पर टैक्स लगा दिया ? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या परेशानी है ? 10 पैसे जहां थे वहां 20 पैसे किये गये हैं और जहां पहले से 20 पैसे थे उसकी जगह हमने 30 पैसे किये हैं और ग्रेडेड एन्टरटेनमेन्ट टैक्स जो है वह अब भी ग्रेडेड ही है। और आज जो ज्यादा कीमत का टिकिट है उन पर आज भी ग्रेडेड रूप में ज्यादा एन्टरटेनमेंट टैक्स लेते हैं पर्सेन्टेज के हिसाब से। जैसाकि मैंने पहले कहा था 10 पैसे और 20 पैसे सरचार्ज ले रहे थे। हमारा यह प्रयत्न है कि अभावग्रस्त स्थितियां हमारे यहां बनती रहती हैं इसलिए हम लोगों को, जो सम्पन्न लोग हैं, चाहिए कि जो अभावग्रस्त होते हैं उनके लिए कन्ट्री-ब्यूट करें। तो इसलिए बढ़ाकर 10 पैसों की जगह 20 पैसे और 20 की जगह 30 पैसे किये जा रहे हैं।

एक बात यह कही गई है कि मैंने यह कहा है, हम किसी प्रदर्शनी को एक्जेम्पशन नहीं देंगे। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि सिनेमा के शोज को एक्जेम्पशन नहीं देंगे। तीन साल निकल गये उनमें से एक साल में 'हिन्दुस्तान की कसम' फिल्म को राजस्थान में प्रदर्शन पर एक्जेम्पशन दिया गया है और किसी के कहने पर एक्जेम्पशन नहीं दिया गया है। फुटबाल मैचेंज, वॉलीबॉल मैच, टेनिस मैच, क्रिकेट मैचेज और दूसरे वेराइटी एन्टरटेनमेंट्स हैं, ड्रामाज हैं उनको एक्जेम्पशन मिलता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिले। हमारे यहां पर कला वगैरह की प्रदर्शनियां होती हैं उनको एन्टरटेनमेंट टैक्स की छूट दी है तो अच्छा काम किया है, बुरा काम नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, कर-चोरी के बारे में मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि कर-चोरी के बारे में सरकार सतर्क है और इस तरह के आदेश हैं कि कर चोरी के लिए जितने लूपहोल्स हों, लीकेजेज हों, उनको रोकें। पिछले साल हमने जितना टैक्सेशन का पैसा वसूल किया था उसके मुकाबले में इस साल 20 पर्सेन्ट से ज्यादा हम टैक्स वसूल करेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि हम लूपहोल्स को, लीकेजेज को और कर-चोरियों को रोक रहे

(श्री चन्दनमल वैद)

है। यह नहीं कहता हूं कि सारी जगहों पर रोक दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा बहुतसी जगहें ऐसी हो सकती हैं कि जहां कर-चोरियां हो रही हों। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन कर-चोरियों को और सख्ती के साथ रोका जायगा, और जितना टैक्स का पैसा हम वसूल कर सकते हैं वह करेंगे। कोई आनाकानी करने का या ढिलाई देने का प्रयत्न नहीं किया जायगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि जो मेरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं बोलना चाहता हूं थर्ड रीडिंग पर।

श्री सभापति : अभी विचारार्थ ले रहे हैं।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल वैद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : I would like to speak on third reading.

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण ग्रेडेड टैक्सेशन पर दिया, वह मेरा विचार है कि उन्होंने जिस प्रकार के टैक्सेज लगाये हैं उसके अनुरूप नहीं हैं। दो रुपये से नीचे के टैक्स कौन लोग खरीदते हैं और उनकी पेईंग कैपेसिटी क्या है? टैक्स लगाने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट सिद्धांत होना चाहिए, और प्रजातान्त्रिक सरकार, जो अपने आपको समाजवादी कहती है, सिद्धान्त यह होना चाहिए कि पेईंग कैपेसिटी के ऊपर, देने की शक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाय। दो रुपये से नीचे की क्लास के टिकट खरीदने वाले लोग रिक्शा वाले है, फैक्ट्री के मजदूर हैं या गरीब लोग है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद उनके जीवन के अन्दर एन्टरटैनमेंट का और कोई भी साधन नहीं रहता है। मुझे इस बात से ऐतराज नहीं होगा अगर बॉलकनीज के ऊपर, बॉक्सेज के ऊपर या लक्जरी गेलेरीज के ऊपर माननीय वित्त मन्त्रीजी 30 पैसे से भी अधिक टैक्स लगायें और दो रुपये से नीचे के टिकिट वाली क्लासेज पर टैक्स नहीं बढ़ाये और उस अमाउन्ट को केलकुलेट करके कम्पेन्सेट कर लें। लेकिन उस क्लास पर टैक्स लगाना, जिसकी पेईंग कैपेसिटी नहीं है, मैं समझता हूं कि उस तरीके के अनुरूप नहीं है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नं. 2, स्टाम्प्स के ऊपर जो उन्होंने सरचार्ज लगाया है वह एक रुपये के स्टाम्प से लेकर 100 रुपये के स्टाम्प्स पर सब पर युनिफार्मली लगा दिया है। मैं जानता हूँ कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में एक रुपये के स्टाम्प्स पर हजारों भूमिहीन किसान जो है वह एप्लीकेशन्स देते हैं। छोटी-मोटी दरख्वास्तें आठ आने और एक रुपये के स्टाम्प पर बहुत होती है। अगर आप 5 रुपये के स्टाम्प के ऊपर वाले या 10 रुपये के स्टाम्प के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन में काम आते है सरचार्ज बढायें और अपनी टोटल फाइनेन्स एक्सचेकर को एट पार रख लें तो कोई ऐतराज की बात नहीं होती है। तो यह ग्रेडेड नहीं है जो आपने टैक्स लगाये है। यदि आप इसको ग्रेडेड कहें तो ठीक नहीं है। आप टैक्स पेईंग कैपेसिटी के रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक स्पष्टीकरण चाहा है कि एन्टरटेनमैंट टैक्स जो लगा रहे हैं वह ग्रेडेड नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह था कि यह तो सरचार्ज लगा रहे हैं। हमने जो एन्टरटेनमैन्ट टैक्स लगाया है वह ग्रेडेड रूप से लगाया है। उसका मैं आपको बताऊं कि 50 पैसे का जो टिकिट है उस पर 35 पर्सेन्ट टक्स है, एक रुपये के टिकिट पर 50 पर्सेन्ट टैक्स है, दो रुपये के टिकिट पर 60 पैसा एन्टरटैनमेंट टैक्स है और दो रुपये के ऊपर के टिकट पर 70 पर्सेन्ट एन्टरटैनमेंट टैक्स है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना छोटा टिकट है उतना ही पर्सेन्टेज कम है, जितना बड़ा टिकट है उतना ही पर्सेन्टेज ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जो सरचार्ज लगा रहे हैं वह ग्रेडेड है। दो रुपये से कम का टिकिट था उस पर 10 पैसे सरचार्ज था उसको 20 पैसे कर दिया है और दो रुपये के ऊपर के टिकट पर जो सरचार्ज 20 पैसे थे उसको 30 पैसे कर दिया गया है तो हमने केवल 10 पैसे सरचार्ज ही बढाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे कहने का मतलब यह है कि दो रुपये से ज्यादा टिकिट पर आप सरचार्ज ज्यादा नहीं लगा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें इसको ग्रेडेड करने से कॉम्प्लीकेशन्स पैदा करना होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मानने में असमर्थ हूं। अतएवं मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया गया।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975

राजस्थान बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1975। (श्री भार्गव से) इसके संकल्प को आप प्रेस करना चाहते हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दोनों ही कर सकता हूँ। यदि आप आज्ञा दे दें तो न करूं।

श्री सभापति : विचारार्थ लिया जाय ।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने इसमें यह प्रावधान रखा है ऑर्डिनेन्स के द्वारा कि जिन उद्योगों को राजस्थान में गत वर्ष जो सहूलियतें और जो रियायतें दी जा रही थीं वह उनको बराबर दी जायं । उन्होंने कहा है कि—

"As a measure of accelerating industrial development of the State at a time when even advance States in the country are offering liberal concessions and facilities to encourage setting up of new industries and expansion of the existing ones, the State Government decided to continue during the 5th Five Year Plan the concessions and facilities provided during the 4th Five Year Plan."

यह बात कह कर वह एक अध्यादेश यहां पर लाये । मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने यह जो घोषणा की है कि हम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना चाहता है । तो मैं माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार अन्य प्रान्तों की तरह से यहां पर सहयोग और सहूलियत नहीं दे रही है चाहे वह जमीन की हो, पानी की हो, चाहे वह प्रार्थना-पत्र पर विचार करने की हो । आज बिक्री कर के बारे में राजस्थान सरकार को जो कुछ भी मिलता है इसमें राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता ही रही है । यह राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता ही रही है कि तेलशोधक कारखाना, जो कि राजस्थान में लगने वाला था, मथुरा में लग गया । माउन्ट आबू में पुलिस अकादमी थी वह भी अब यहां नहीं है । मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी थे तो उन्होंने उनको भवनों की सुविधा के लिए कहा था, पानी की सुविधा के लिए कहा था । उन्होंने उनको कहा था कि हम ये सुविधाएं देंगे । बरकत साहब आये लेकिन उनको ये तीनों सुविधाएं नहीं मिली । जोशी जी आये । वह भी वहां जाकर आ गये । वह पुलिस अकादमी आज हैदराबाद चली गई है । पुलिस अकादमी का दफ्तर यहां पर था, तो राजस्थान के तीनों मुख्य मंत्रियों ने सहूलियत देने की बात कही थी लेकिन उनको कोई सहूलियत नहीं दी गई है । नहीं दी तो वह हैदराबाद चली गई है । अन्य प्रान्तों ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा । राजस्थान के मुख्य मन्त्री उनको पानी नहीं दे सके, न उनको भूमि दे सके, उसके कारण से आज, सभापति महोदय, माउन्ट आबू में साढ़े तीन हजार लोग, जिनको काम मिला हुआ था, धन्धा मिला हुआ था, उस दफ्तर के आधार पर काम मिला हुआ था, बेकार हो गये हैं । आप इस एक्ट को पास करने जा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि राजस्थान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
सरकार ने, राजस्थान के जो प्राकृतिक साधना हैं, का लाभ नहीं उठाया है। प्राकृतिक साधनों का उपयोग राजस्थान में नहीं किया गया है। भारतवर्ष मे कहीं सबसे ज्यादा प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, तो वह अकेले राजस्थान में ही है अगर राजस्थान सरकार उनका भली प्रकार उपयोग करती तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात हो सकती थी। इसका उदाहरण राक फॉस्फेट है। मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि जापान से हमारा समझौता हो गया है। जापान ने एग्रीमेन्ट कर लिया है। इससे विश्व में हमारा नाम हो सकता है दुनिया कहेंगी, वाह वाह रे राजस्थान ! तो मेरा निवेदन है, एक ही नहीं कई खनिज उद्योग हैं। मेरा निवेदन है कि जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको आप सुविधाएं नही दे रहे हैं। न बिजली दे पाते हैं, न पानी देते हैं, और न कच्चे माल की सुविधाए देते हैं। इसके कारण यह होता है कि राजस्थान के उद्योगपति कलकत्ता और बम्बई में उद्योग जाकर लगायेंगे। कलकत्ता और बम्बई में वह राजस्थानी कपड़े पहन कर घूमते हैं। लोग उनसे पूछते हैं, कहां के रहने वाले हो ? वह कहते हैं, राजस्थान के। वह पूछते हैं कि फिर वहां पर धन्धा क्यों नहीं लगाया तो कहते है कि सरकार ने सहूलियत नहीं दी।

राजस्थान के उद्योगपति हरियाणा में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जा रहे है क्योंकि यह तीनों सरकारें, जो वहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन दे रही हैं। जितने उद्योग स्थापित होते हैं, भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ दिनों के बाद उनके लाइसेंस समाप्त हो जायेंगे। पिछले दिनों अखबारों में यह आया है कि राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता के कारण लैप्स हो गये हैं। इससे राजस्थान का गौरव गिरता है। आखिरकार मैं समझता हूं कि आप इसके अंग हैं। राजस्थान की गवर्नमेंन्ट इसका अंग है। हम सब राजस्थान के अंग हैं। हम जो 184 सदस्य हैं, इस एक राजस्थान के अंग हैं। राजस्थान को कोई गौरव प्राप्त होता है तो हम सबको भी गौरव प्राप्त होता है। आप अगर दिल्ली में गौरव प्राप्त करते हैं तो हम सबको गौरव प्राप्त होता है। हमको हर्ष होता है। आपकी गलत बातें होंगी तो राजस्थान विधान सभा में हमको हक हो जाता है उनका विरोध करने का।

अगर कोई उद्योगपति आता है, अपना उद्योग लगाना चाहता है तो आपको भूमि देनी है पानी देना है, कच्चा माल देना है। आप इन सारी बातों को एक ही दिन में टेबल पर बैठ कर जिसे राउण्ड टेबिल कान्फ्रेंस कहते हैं, करके सारी सुविधाए दे सकते हैं। वह मन्त्रियों के पास जायें। राजस्थान के मुख्यमन्त्री के पास जायें। आप भीतर बैठे हैं, उद्योगपति बाहर खड़े हैं। आपको उनसे मिलने का समय नहीं है। समय उनको दें नहीं, सम्मान आप उनको दें नहीं तो कौन उद्योगपति आकर राजस्थान में अपना उद्योग लगायेगा व्यापारी अपना उद्योग यहां पर लगाने के लिए क्यों आयेगा ? व्यापारी वहां पर उद्योग लगाता है जहां पर उसको सम्मान मिलता है, जहां पर वह सुविधा पाता है। वहां पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वह जाता है। उसको दुख होता है। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आप उसको सम्मान दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो चतुर्थ प्लान में दे रहे थे, वह फिफ्थ प्लान में दे रहे हैं। यह और है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि आप उनको सुविधाएं दें। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो बिक्री कर है, हमारे राजस्थान में इसकी प्रणाली जटिल है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, और पंजाब में बिक्री कर की प्रणाली आसान है। यहां के बिक्री कर के रेट ज्यादा है। वहां के अच्छे हैं। वहां पर बिक्री कर लाने का तरीका भी ठीक नहीं है। राजस्थान के लोग इसीलिए उद्योग नहीं जमा पाते हैं। राजस्थान सरकार अपनी बिक्री कर प्रणाली का सरलीकरण करे। आज इसके कारण यह है कि कारखाना तो रखेंगे राजस्थान में और हैडक्वार्टर होगा कलकत्ता में, बम्बई में। माल पैदा होगा राजस्थान में। जो बिक्री-कर आपको मिलना चाहिए वह आपको मिल नहीं पाता है। बिक्री कर प्रणाली के आधार पर जो माल बिकेगा, उसकी सुविधा वह उठाते हैं जब कि माल पैदा हुआ राजस्थान में। यह आपकी अकर्मण्यता के कारण है। बिक्री कर की जटिलता के कारण है। आपके राजस्थान में इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन है। आपने उसका किस प्रकार से पुनर्गठन कर रखा है। इसके बारे में कहें कि आपने काटजू साहब को ही क्यों बना रखा है? क्यों उन्हीं को यह पद दे रखा है? मैं निवेदन करूंगा, इस प्रकार से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आखिरकार आपको यह देखना चाहिए कि उसमें किस क्षमता के लोग जाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि सस्ते भावों के अन्दर सुविधा दें, बिक्री-कर प्रणाली को सुधारें और राजस्थान मिनरल एण्ड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है इसका पुनर्गठन किया जाय। राजस्थान मिनरल एण्ड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में अच्छे-अच्छे लोगों को लें, इसमें नौजवानों को लें। प्रभाव में आकर ऐसे लोगों को न लें जो काम न करें और केवल पद सुशोभित करें। जो मूल भावना है, वह यह है कि आप सहूलियत देना चाहते हैं। इसलिए मैंने तीन सुझाव दिये हैं। हो सकता है कि आप भाषण में ना-ना करें, यह कहें यह सहूलियत दी है, वह सहूलियत दी है, यह बिक्री कर प्रणाली अच्छी है, यह सुविधा दी जाती है, कॉर्पोरेशन का गठन अच्छा है। और इस प्रकार मेरी हर बात को काटें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी तीनों बातों पर विचार करें और इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री केसरीमल !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री मालाराम !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द !

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशचन्द्र !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये वह बिल के पक्ष में हैं, बिल के विपक्ष में हो ऐसी····

(7.30 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

बात नहीं है। लेकिन इस बिल से उन्हें यह शंका हुई है कि जो हमारे यहां पर उद्योग लगाये जा रहे हैं, उनको जो चौथी पंचवर्षीय योजना में सुविधायें प्राप्त थीं, वे सुविधायें पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रदान नहीं करेंगे। इसके सिलसिले में प्रावधान किया जा रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो सुविधा प्राप्त कराई, वह पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त रहें-यह बिल में प्रावधान किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस सदन के सब माननीय सदस्य सहमत हैं कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो और हमारे यहां और ज्यादा उद्योग लगाये जायं····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप दोनों मिलकर हमें सहमत नहीं करायें। आप इण्डस्ट्रियलिस्ट्स पर बिक्री टैक्स कम कर दें इससे कम्युनिस्ट पार्टी सहमत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अब मुझे मालूम हुआ कि सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस बिल की भावनाओं से सहमत नहीं हैं लेकिन उन्होंने उचित समझा कि इस बिल का विरोध न करें। मैं निवेदन करता हूं इस आशा के साथ कि जो माननीय सदस्य इस बिल पर बोले हैं, उन्होंने बिल की भावनाओं का समर्थन किया है, इस वास्ते मैं प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव पेश किया है उनको अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2। माननीय मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है खण्ड 2 को विलोपित किया जाय, क्लॉज 2 को इसलिए डिलीट करवाना चाहता हूं क्योंकि इसमें जो सुविधायें दी गई, ग्रॉलरेडी जो सुविधायें प्राप्त हैं इन्स्टियलिस्ट्स को उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। मैं चाहता हूं कि वह रेस्ट्रिक्ट न रहें, ग्रौर जो सुविधा मिली हुई हैं वह वैसी रहें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है (विराम) खण्ड 2 को विलोपित करने का प्रस्ताव है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को विलोपित करने सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय मन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 को विलोपित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 3.

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय खण्ड 3, चूंकि खण्ड 2 विलोपित हो गया, इसलिए इसमें, 3 में प्रिन्सिपल एक्ट का हवाला देना जरूरी हो गया। इस वास्ते "ग्रभिव्यक्ति 'In the principal Act' के स्थान पर ग्रभिव्यक्ति 'In the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act XXIX of 1954) as it stood immediately before the 27th day of September, 1974, hereinafter referred to as the principal Act' प्रति स्थापित की जावे।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में माननीय प्रभारी मन्त्री ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 में संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 एवं 5 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 एवं 5 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, ग्रधिनियम सूत्र; प्रस्तावना एवं नाम ग्रादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1; ग्रधिनियम सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम ग्रादि स्वीकार किये गये।

पारित करने का।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर, (संशोधन) विधेयक, 1975 संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : No, उपाध्यक्ष महोदय, I want to speak on the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक समय सदन का नहीं लूंगा लेकिन मैं अपनी पार्टी की राय इस सम्बन्ध में रिकार्ड कराना चाहूंगा। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि राजस्थान के अन्दर इंडस्ट्रियल विकास हो। लेकिन इन्डस्ट्रीज में डिफरेंशियेट करके मैं चलता हूं। एक तो गुड्स बेस्ड इन्डस्ट्री हैं, जो आम लोगों की जरूरत की चीजें पैदा करती हैं। मान लीजिये, ब्लेंकेट फैक्ट्री है, मोटा कपड़ा पैदा करने वाली है, जूते बनाने वाली मिल (फैक्ट्री) है या जो आम लोगों के कन्जम्पशन की चीजें हैं। एक वह इन्डस्ट्री है जो लक्जरीज को प्रड्यूस करने वाली है, जो रेडियो बनाता हैं, ट्रान्जिस्टर बनाती हैं, रेफ्रिजरेटर बनाती है। मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं पार्टी की तरफ से कि उस रॉ-मैटिरियल पर, जो लक्जरीज क्रियेट करने के काम में आता है, उस पर टैक्स को बढ़ा दीजिये, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उस रॉ-मैटिरियल पर, जो नैसेसिटीज को क्रियेट करने के काम में आता है, उस पर टैक्स आप रिड्यूस करिये। यह मेरी अर्ज है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो सुविधायें दी जा रही हैं वह बुरी नहीं है सुविधायें दी जानी चाहिये। लेकिन उनका फर्माना यह है कि जरूरत की चीजें जो पैदा करती हैं उनके रॉ-मैटिरियल पर टैक्स कम होना चाहिए, और बाकी पर ज्यादा होना चाहिए। आपका जो उद्देश्य है वह सेल्स टैक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जो सेल्स टैक्स का इम्पोजीशन करते हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं करते हैं। लक्जरीज को जो क्रियेट करते हैं, बनाते हैं, उन पर सेल्स टैक्स अधिक होता है, कम्फर्ट्स की जो चीजें क्रियेट करते हैं, उन पर सेल्स टैक्स कुछ कम होता है और नैसेसिटीज, असेंसियलिटीज की चीजें जो मैन्युफेक्चर करते हैं, उन पर सेल्स टैक्स कम होता है। जो उद्देश्य आप रॉ-मैटिरियल से पूरा करना चाहते हैं, वह मैन्युफेक्चर्ड गुड्स पर सेल्स टैक्स लगा कर पूरा कर लेते हैं। आपकी जो भावना है, क्या उस भावना की यह पूर्ति नहीं है ?....

श्री मूलचन्द सामरिया : कोई फर्क नहीं होना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975, संशोधित रूप में, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत (संशोधन)
विधेयक, 1975

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 !

श्री भानुकुमार शास्त्री : विचारार्थ के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भार्गव साहब नहीं बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे शादी में जाना है। मैं जाऊंगा तो यह नहीं कहूंगा कि मैं विधान सभा में बैठा था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं चारों तरफ चक्कर लगाकर देख आया कि आप जाने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप रिकार्ड तोड़ दीजिये, नहीं बोलने का।

श्री चन्दनमल बैद : बोलने का।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे इस सम्बन्ध में इतनी बात कहनी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर, जो गांवों की जमीन है, उनको एक्वायर करने के नाते या आबादी में परिवर्तित करने के नाते, उनको अधिकार दिया है। दूसरे इसमें यह है कि यह पद्धति, जमीन एक्वायर करने की पद्धति है उसको इस बिल के नाते आसान करना चाहते हैं। और तीसरे, जिसकी जमीन एक्वायर की जायगी उसको रकम आसानी से मिल जाय इस प्रकार की व्यवस्था की गई है यह व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसलिए की है कि राज्य सरकार ने गांवों में बसे हुए भूमिहीन किसान अनुसूचित जाति व जन जाति, इन तीनों प्रकार के लोगों को जो जमीन वहां पर पड़ी हुई, उसको एक्वायर करके 26 जनवरी, 1975 तक राज्य सरकार बांटना चाहती है। राज्य सरकार यह जमीन लोगों में बांटे। यह जो उनकी भावना थी बांटने की यहां तक तो मैं कद्र करता हूं और एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वह जमीन जिसको आपने लोगों से एक्वायर करने का अधिकार लिया, वह अच्छी जमीन जिन लोगों में आप बांटना चाहते थे, वह लोगों को नहीं मिली। आपने उन भूमिहीन लोगों के साथ आपने मजाक किया। बढ़िया जमीन गांवों में पड़ी हुई है तो वह आपने उनको नहीं दी और जिस जमीन को आप एक्वायर करके देना चाहते थे उसके सम्बन्ध में आप अपने उत्तर में बता दें कि कौन-कौन से गांवों में राज्य सरकार ने या कलेक्टर ने किन-किन जमीनों को एक्वायर किया और एक्वायर करके कहां-कहां भूमिहीन लोगों को जमीन दी गई? मैं समझता हूं कि इस प्रकार का एक भी एरिया नहीं है कि कहीं पर आपने जमीन एक्वायर की हो और भूमिहीन लोगों में बांटी हो। यदि वह कारगुजारी 26 जनवरी, 1975 तक न हुई तो फिर क्यों आपने अध्यादेश जल्दी में निकाला? अध्यादेश के मार्फत आप लोगों को बढ़िया जमीन देना चाहते थे लेकिन बढ़िया भूमि-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लोगों को नहीं मिली और उससे जो समतल भूमि मिली हुई थी वह भी नहीं दी गई। कई स्थानों पर यह हुआ कि लोगों ने वरसों से जो बाड़े बना रखे थे उनमें जो मकान बने हुये थे वर्षों से, केवल बाड़ों को रेग्यूलेराइज किया गया और भूमिहीनों के नाम पर जो जमीन थी वह उनके कब्जे से चली गई।

दूसरा पक्ष यह है कि मैंने परसों भी सदन के पटल पर जमुआ रामगढ़ के मूल पट्टे पेश किए, किस अधिकारी ने वह जमीन दी है, अधिकारी का केवल नाम लिखा हुआ है, सील नहीं और जिस व्यक्ति को आवंटित की गई है उसके हस्ताक्षर नहीं। ऐसा पट्टा तो कोई भी बाजार से खरीदकर छपवाकर लोगों में बांट दें तो लोगों को पट्टे मिले नहीं। हुआ यह है कि जहां खड्डे पड़े हुए थे वह नाले वाली जमीन भूमिहीनों को दो गई, वहां पानी की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार के लोगों को पट्टे दिए गए। उनको यह नहीं बताया गया कि कौनसा खसरा नम्बर है। तो यह भावना तो बहुत बढ़िया है लेकिन इस भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि 26 जनवरी तक बालो, वह भावना एग्जीक्यूट नहीं हुई और लोगों के पास जो पट्टे मोजूद हैं उनकी वैलिडिटी नहीं रही। कौनसा अधिकारी है जिसके मार्फत वह उनको एक्जीक्यूट करवा सकेंगे, जमीन का कब्जा ले सकेंगे ? जिन लोगों को पट्टे दिए हैं तो नाले की जमीन से हटाकर आबादी में परिवर्तित करवाकर कलेक्टर से यह काम करवायें। बढ़िया जमीन पर बसायें, गांव की समतल जमीन दें। स्वायत्त शासन मन्त्री हैं, जैसे मुख्य मन्त्री ने घोषणा की है नगरों में बसे हुए लोग चाहे कच्ची बस्तियों में हों, चाहे भूमिहीन हों, उनको भी शहरों में जमीन दी जाएगी, ऐसे शहर के लोगों को भूमिहीन, अनुसूचित जाति और गरीब लोगों को भी पट्टा देंगे। इसलिए बिल को पास करने से पहले जनमत जानने के लिए प्रसारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल सूंडा।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 में जनमत जानने के लिए मैंने अपना संशोधन दिया है। मन्त्री महोदय, जो भूमि और आबादी में मिलाने के लिए संशोधन लाए हैं, यह खुशी की बात है और उससे उन गांवों की समस्या हल होगी जहां बसाने के लिए कोई आबादी की जमीन नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एक तो गांवों के अन्दर जितने लोग बसे हुए हैं उन पर पंचायत अधिनियम में पट्टा लेने का प्रावधान रखा पर आज उन जमीनों पर जो पुराने आबाद हैं या खाली आबादी है उनका कोई प्लान नक्शा न होने के कारण लोगों ने फाल्स एलॉटमेंट्स करवाए हैं। एक-एक आदमी ने 10-10 पट्टे ले लिए और भूमिहीनों को एक इंच भी नहीं मिली।

दूसरी समस्या यह है कि हमारे पहले के कानून के अन्दर यह पाबन्दी नहीं कि

(श्री लूणाराम)

एक परिवार के पास में उस आबादी में कितने पट्टे होने चाहियें। यह भी पाबन्दी नहीं है कि एक पट्टा कितने वर्ग गज तक हो सकता है। इस प्रकार एक निश्चित व्यवस्था हमारे पुराने कानून में न होने के कारण अनावश्यक रूप से एक आदमी को बहुत ज्यादा जमीन आबादी में मिली है और एक आदमी भूमिहीन रह गया। तो जब तक उन चीजों पर पाबन्दी नहीं होगी कि पट्टा एक निश्चित सीमा तक होना चाहिये और एक परिवार के पास कम से कम और अधिक से अधिक इतनी मात्रा में पट्टे की जमीन होनी चाहिये, जब तक इसकी कानून में व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक चाहे हम कितने ही बीघा आबादी में परिवर्तित करें तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जरूर करें।

जो आबादी भूमि है, हम एक प्रकार से नक्शा बनाकर चलें। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तो गांवों की सुन्दरता पर इसका विपरित असर पड़ रहा है। आज गांवों में चलने के लिए छोटी गलियां हैं, खेलने के लिए मैदान नहीं, सार्वजनिक संस्थायें जैसे स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं। यह सब यहां लोगों ने मनमाने रूप से अनाधिकृत कब्जा करके किया है। उसका परिणाम यह है कि अगर यही चलता रहा, उन पर नियन्त्रण नहीं रहा तो थोड़े दिनों में गांवों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सार्वजनिक गलियां भी रुक जायेगी। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए और जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक चाहे कितनी ही जमीन लेते रहें इससे कोई मन्शा पूरी नहीं होगी।

आज जो यह ढंग हो रहा है कि पंचायतों को किसी प्रकार का सरकारी सहयोग न मिलने के कारण ही सब कुछ हो रहा है। कोई पंचायत कारगर कदम उठाना चहती है तो सहयोग न मिलने के कारण कुछ नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों का ऑडिट होता है ऑडिट वाले आकर उसमें पचास तरह की खामियां निकालते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ खामियां तो ऐसी हैं कि आपने नक्शे पहले क्यों नहीं बनाये और दूसरे जैसे कि आपने प्लान क्यों नहीं पेश किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो खामियां निकालते हैं जिससे कि काफी काम पंचायतों का सुचारु रूप से चलना बन्द हो जाता है। क्योंकि गांव वाले जो पंच, सरपंच हैं वह ज्यादा लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, वे लोग डरते हैं और इस डर के मारे कि कहीं वह लोग फंस नहीं जायें काम करते डरते हैं। इससे आज गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पैसों की भी कमी के कारण नक्शे वगैरह नहीं बन पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऑडिट वाले इस प्रकार की समस्यायें खड़ी कर देते हैं। इस लिये मेरा आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस प्रकार की ऑडिट की छोटी-मोटी खामियों से पंचायतों को छूट मिलनी चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि अभी राज्य सरकार ने भूमिहीनों को और हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को पट्टे देने के लिये एक अभियान चलाया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह पट्टे देने की बात जहां तक है वह अच्छी बात है उसका तो मैं स्वागत् करता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : वह तो वोट लेने के लिये दिये हैं।

श्री लूणाराम : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह काम अगर पंचायतों के मार्फत कराया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन पहले भी कई बार राज्य सरकार ने आदेश दिये थे कि भूमिहीनों को जमीन अलॉट की जावे पर इन सरकारी अधिकारियों के सहयोग नहीं देने की वजह से यह अभियान पंचायतों के मार्फत सफल नहीं हुआ। आज यह काम राज्य सरकार के अधिकारियों ने करके इस काम की वाहवाही लूटी है। इसके अलावा एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो पट्टे दिये गये हैं इसमें राज्य सरकार का यह निर्णय था कि भूमिहीनों को 30 फीट बाई 45 फीट जमीन के पट्टे आवासीय भू-खण्ड के लिये दिये जायं लेकिन अगर राज्य सरकार की वास्तव में भूमिहीनों को पट्टे देने की बात ही थी तो उन्हें जो यह पट्टे दिये गये हैं उसमें जमीन कम है यह 30 बाई 45 फीट की भूमि तो बहुत ही कम है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह 30 बाई 45 फीट के आवासीय भू-खण्ड शहरों के अन्दर चाहे पर्याप्त होंगे लेकिन गांव में यह जमीन बहुत ही कम है। इसका कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, गांव का जो कोई छोटा-मोटा किसान होता है चाहे वह हरिजन हो, चाहे वह कोई और उसके पास एक ऊंट और एक दो जानवर होते ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऊंट जो है वह 15 फीट लम्बा होता है और पांच फीट ऊंची उसकी नकेल होती है इस तरह वह 20 फीट हो जाता है और अगर वह ऊंट लौटे तो तीस फीट की जगह घेर लेता है तो वह आपने जो जमीन पट्टे के अन्दर दी वह तो एक ऊंट ही घेर लेता है ऐसी हालत में आपको मेरा निवेदन है कि यह जमीन ज्यादा देनी चाहिये थी। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पट्टे दिये गये हैं वह उन्हें आबादी में देने चाहिये थे, वह उन्हें वहां तो दिये नहीं और दूसरी जगह उनके पुराने कब्जे में दिये गये हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, यह 30 बाई 45 फीट की जमीन दी है एक परिवार में अगर एक बाप के चार या पांच बच्चे हों तो वह अपनी भूमि को अपने बच्चों में किस प्रकार बांटेगा ? वह अपने मकान का अगर बंटवारा करेगा तो उसके बच्चों के क्या हाथ आयेगा ? मैं समझता हूं कि कुछ भी हाथ नहीं आयेगा। इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों को यह हिदायत भी दी कि हरिजनों को जो पट्टे दिये गये हैं वह अगर उनके कब्जे की जमीन के अन्दर हो दिया जाय तो पुराने मकान की सारी बाउण्ड्री को छोड़ना नये नम्बरों में दिखाना होगा पर वह भी नहीं दिखायी गयी है। इससे, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कई तरह के विवाद भी खड़े हो गये हैं और इसके अलावा गांवों का विकास भी सही ढंग से नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जो अभियान चलाया गया था वह इतना जल्दबाजी में चलाया गया कि उसमें काफी खामियां रह गईं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय, से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी दुबारा जांच करके दुरुस्ती करके पट्टे दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं दूसरे लोगों के क्षेत्रों की बात तो नहीं करता लेकिन हमारे यहां पर तो काफी लड़ाइयां और मुकदमें बाजी लम्बे समय पश्चात् होगी। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा

(श्री लूणाराम)

कि हरिजनों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो पट्टे दिये गये हैं वह आबादी की सफेद जमीन में पट्टे क्यों नहीं दिये गये। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि वहां कई लोग ऐसे थे जो बेचारे वर्षों से उस जमीन पर कब्जा किये हुए बैठे थे और वह कृषि जमीन थी उनको अगर वहीं जमीन दे दी जाती तो काफी सहूलियत उन लोगों को होती लेकिन उन्हें वहां से बेदखल किया गया है और दूसरी जगह जमीनें दी है। इसके अलावा वहां पर जो जमीन है उसको नापा भी नहीं गया है और कई प्रकार की खामियां उसमें रही हैं जिनकी दुरुस्ती करना काफी जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री लूणाराम: अभी समाप्त कर ही रहा हूं।

इसके अलावा वहां पर हरिजनों को जमीन मुफ्त में दी गई पर कोई मुआवजा सरकार ने नहीं दिया जो जमीन आबादी में बदली उसका पंचायत को मुआवजा देना होगा पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसके अलावा इस अभियान के दौरान कई मनचले लोगों ने पंचायत की जमीन पर, आबादी लैण्ड पर कब्जा भी कर लिया और पंचायतों को उस जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया है इसके लिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों को दी गई जमीन का सरकार से पंचायतों को मुआवजा दिलाया जाय। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां जो आबादी की जमीन है उसकी पैमाइश कराई जावे और उसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावे। ऐसा करने से गांवों का विकास अच्छी तरह हो सकेगा। इसके अलावा वहां पर सार्वजनिक संस्थाओं के लिये भी जगह रखी जाती चाहिये और उसके पट्टे भी दिये जाने चाहिये। इसके अलावा जिन लोगों ने दो या तीन पट्टे ले लिये हैं, आवासीय भूमि खण्ड के उनको केन्सिल किया जावे। और इसके लिए एक सीमा निश्चित की जावे कि एक व्यक्ति इतनी सीमा तक जमीन अपने पास रख सकेगा। बस इतना ही निवेदन करके मैं मेरा संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भानुकुमार शास्त्री ! (बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया: मैं तो लास्ट में बोलूंगा।

माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री लूणाराम जी ने प्रस्ताव रखा था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1975 सदन में लाया गया है और जिस पर आज विचार किया जायेगा वह तो एक ऐसा विधेयक है, मान्यवर, जिसमें कोई प्रकार के विवाद की तो गुंजायश ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नरोरा में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने देश में सभी मुख्य मन्त्रियों को बुलाया था और बैठकर सभी ने यह निर्णय लिया कि देश में जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शिड्यूल्ड

(श्री रामनारायण चौधरी)

कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और आर्थिक स्थिति और समाज की दृष्टि से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है और जिनके रहने के लिये जमीन नहीं है उन्हें आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जायं। उस प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिये हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने यह प्रोग्राम बनाया कि 26 जनवरी तक इन पिछड़े वर्ग के लोगों को राजस्थान भर में पट्टे दिये जायं। इसमें भूमिहीन जिसमें एग्रीकल्चरल लैण्डलेस और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग थे, हरिजन थे उनको आवास के भू-खण्ड उपलब्ध कराये जायं। नरौरा अधिवेशन में 15 फरवरी, 75 अन्तिम तारीख रखी गयी थी उससे पूर्व इस कार्यक्रम को पूरा करना था। परन्तु हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 15 फरवरी के बजाय 26 जनवरी, 1975 अन्तिम तिथि निश्चित की थी। राज्य सरकार के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न था कि लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके पास आवासीय भू-खंड नहीं हैं, उनको किसी प्रकार इस प्रोग्राम के अन्तर्गत लाया जाय। जो कार्यक्रम राज्य सरकार ने दिया उसको पूरा करने के लिये राजस्थान पंचायत अधिनियम में संशोधन करना जरूरी समझा गया वह इसलिये, मान्यवर, कि राजस्थान में सब जगह ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं थी जो सरकारी थी या सरकार एक अध्यादेश से ग्रहण कर सकती थी और जिसका वितरण आवंटन जरूरतमन्द लोगों को कर सकती थी। इसलिये यह विचार किया गया कि इस सम्बन्ध में कानूनी व्यवस्था भी ऐसी हो कि जो विलम्बकारी न हो, अविलम्ब भूमि अवाप्त की जा सके, इसलिये उसके मकसद को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने विचार कर राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट एक्ट में जो भूमि अवाप्त करने की व्यवस्था थी उन्हीं के आधार पर उन्हीं गाइड लाइन्स के आधार पर राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट एक्ट में अध्यादेश निकाला गया और उसका स्थान लेने के लिये यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया।

मान्यवर, इस विधेयक में जो व्यवस्था की गयी है उसमें कोई बात ऐसी विवादास्पद नहीं है जिसके बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता हो क्योंकि माननीय सदस्यों ने भी विशेष बात नहीं उठायी है। फिर भी हवामहल, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात उठायी है कि क्या मंत्रीजी जबाब दे सकते हैं मेरी बात का, एक उदाहरण बतायें, कि यह जो संशोधन विधेयक लाये हैं इसके अन्तर्गत इसका प्रयोग करते हुए क्या आपने कहीं भी, राजस्थान के किसी जिले में, राजस्थान के किसी गांव में कोई भूमि अवाप्त की है। आपने जो दलील दी, उसकी मैं सराहना करता हूं कि आपने एक बारीक बात पकड़ने की कोशिश की। लेकिन, मान्यवर, आपके मार्फत मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक द्वारा राजस्थान के नौ जिलों में 7,34,887 वर्ग गज भूमि अवाप्त करनी पड़ी है।

अलवर	73	वर्ग गज
बीकानेर	2,850	"
बूंदी	11,150	"
चित्तौड़	1,260	"
गंगानगर	10,588	"
जयपुर	50,890	"

Page No 155

(155)

(श्री रामनारायण चौधरी)

झालावाड़	10,150	वर्गगज
सवाईमाधोपुर	55,955	,,
सीकर	15,000	,,

इस तरह कुल 7, 34,887 वर्ग गज जमीन सरकार को अवाप्त करनी पड़ी यह व्यवस्था नहीं करनी पड़ती और विलम्बकारी वह व्यवस्था होती तो भूमि अवाप्त नहीं की जा सकती थी। जो उद्देश्य हमारे सामने था समाज के पिछड़े हुए तबके के पीछे हमारा जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था उसको पूरा किया जाना था और इसलिये यह संशोधन विधेयक लाया गया और यह लाकर यह व्यवस्था की गयी।

इस प्रोग्राम के तहत मान्यवर, माननीय सदस्य जो हवामहल, जयपुर से आते हैं, ने जिक्र किया कि इस प्रकार की भूमि दे दी गई जो या गड्ढे में थी, गांवों से दूर थी अथवा ऐसी जमीन दे दी गयी जो ऊबड़ खाबड़ थी। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, इस बात का प्रयत्न किया गया है कि गांव के नजदीक ऐसी समतल भूमि जिससे उस व्यक्ति का अधिक खर्चा न हो, उसको उपलब्ध हो और वैसी भूमि उसको उपलब्ध कराने की कोशिश की गयी। राज्य सरकार के पास कहीं से भी ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को जमीन अवाप्त करने के लिये कुछ गाइड लाइन्स दी थीं। यह भी आदेश दिये थे.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके द्वारा स्वीकृत प्लाट्स की साइज क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : 150 वर्ग गज।

मान्यवर, अधिकारियों को यह भी आदेश दिये कि जहां तक हो सके सिंचित भूमि की अवाप्ति नहीं की जाय। "Land belonging to scheduled castes and marginal farmers should also not be acquired.

असिंचित की की जाय। यह भी आदेश दिये गये कि उन काश्तकारों से भूमि अवाप्त न की जाय जिनके पास पांच एकड़ से कम है।

"That no part of a khasra number should be acquired if the total area of a khasra number is five bighas or less"

जिसके पास पांच बीघा से कम है ऐसे काश्तकारों की जमीन भी एक्वायर न की जाय। इस प्रकार की हिदायतें राज्य सरकार ने दी थी कि किसी काश्तकार को कोई तकलीफ न महसूस हो, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि एक्वीजीशन के मामलों को लेकर, अलॉटमेंट के मामलों को लेकर कहीं कोई इक्की-दुक्की शिकायत आयी हो, मैं नहीं कह सकता, वरना कहीं से कोई विशेष शिकायत नहीं आयी। प्रत्येक जिले में हजारों भू-खण्ड आवंटित हुए हैं। सम्पूर्ण राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को 3,17,180 भू-खण्ड, मान्यवर, दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लोगों, को 1,39,097 भू-खण्ड, भूमिहीन श्रमिकों को 9,706, 5,97,363

(श्री रामनारायण चौधरी)
ग्रामीण क्षेत्रों में भू-खण्ड आवंटित हुए हैं। तो माननीय सदस्य, हवामहल से आने वाले ने आशंका व्यक्त की थी कि क्या इस संशोधन विधेयक से पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिसके द्वारा यह भूमि अवाप्त की जा सकती थी। राजस्थान लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1953 के अन्तर्गत जो प्रक्रिया भूमि अवाप्त करने की है वह लम्बी है और विलम्बकारी है और यह मकसद था उसको वह पूरा करने वाली नहीं थी इसलिए विशेष व्यवस्था की गयी। यह विशेष व्यवस्था हां ऐसी बात नहीं है। जहां-जहां नगर विकास न्यास हैं उन्हीं लाइन्स के आधार पर व्यवस्था पंचायत एक्ट में करके इस मकसद को पूरा किया गया है। मैं समझता हूं, मेरे निवेदन कर देने के बाद माननीय सदस्य, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को किसी प्रकार की आशंका नहीं रही होगी और मान्यवर मैं आपकी मार्फत उनको अनुरोध करना चाहता हूं कि जो संशोधन प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनको वापिस लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो मैंने अनुरोध किया है उसमें गिराने की बात नहीं है, वापिस लेने की बात है....

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने गिराने का नाम नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री लूणाराम : मैं भी वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापिस लिए गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) बिल 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन), बिल, 1975 को पारित किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं बोलना चहाता हूं....

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे लिये बराबर हैं, कोई बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के भाषण के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई और जो माननीय सदस्य लूणारामजी की शंकायें थीं वह मेरे मन में प्रचण्ड हो गई। माननीय

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
मंत्री महोदय ने बताया आंकड़ों में 7 लाख 34 हजार 887 स्क्वायर गज भूमि 9 जिलों में एक्वायर की इस हिसाब से गंगानगर जिले के अन्दर 10 हजार 588 स्क्वायर गज भूमि अवाप्त की गई। मानननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 30 इन्टू 45 फोट यानि 150 वर्ग गज के प्लॉट प्रति व्यक्ति दिया। इस प्रकार केवल 100 प्लॉट बनते है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कि गंगानगर जिले में धरती एक्वायर करके दिये गये ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रति व्यक्ति है या प्रति परिवार

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रति व्यक्ति हो चाहे प्रति परिवार हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल 100 परिवारों को भूमि अवाप्त करके जिसमें 15 लाख या 18 लाख की आबादी है और चार लाख की खेतीहर मजदूर और हरिजन निवासी हैं और सारे भारतवर्ष में गंगानगर ही एक जिला है जिसमें हरिजनों की आबादी सबसे अधिक है और एक माननीय लूणारामजी का जिला है जिसमें आदिवासी सबसे अधिक हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो भूमि अवाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ी उन बड़ों की जानकारी....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुझे मुकम्मिल जानकारी है और मेरी पार्टी इस सम्बन्ध में बड़ी सचेत है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था जो जमीन दी गई है उसके आंकड़े मेरे पास हैं। 3.5 लाख के आंकड़े हैं, 1.5 लाख हरिजन आदिवासी और बैकवर्ड क्लास है बाकी 80 हजार एग्रीकल्चर लेबर को दिये हैं। सारे आंकड़े मेरे पास हैं। मैं अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, यह उपलब्धि उस जिले में है जहां सन् 52 से लेकर आज तक रिजर्व सीट है, भारतवर्ष में सबसे अधिक हरिजनों की संख्या है। वस्तुस्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदव, कि ...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय की कार्यावधि में जो जो दिये हैं वह है...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं उसी अवधि में समाप्त करूंगा।

यह भू-पतियों का जिला है। फिरोजपुर के बाद गंगानगर में सबसे बड़े भू-पति हैं। ऐसे जिले के अन्दर यह बहुत गंभीर स्थिति है। आप गांव के गांव देखिये एक व्यक्ति के मकान है तहसील अनूपगढ़ में एक मुरब्बे की जमीन पर और उस पूरे गांव में एक भू-पति है। सारी आबादी की जमीन खाली पड़ी है। उसके 30-30, 40-40 प्लॉट हैं। आपने लैण्ड एक्वीजीशन के अधिकार दिये जिसके अन्तर्गत आप एक्ट बनाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कार्य किया ? केवल 100 परिवारों के लिये इतने बड़े जिले के अन्दर तहसीलदार ने लैण्ड एक्वीजीशन किया। वस्तुस्थिति यह है कि जिन गांवों के अन्दर गलियां और चौक थे उनको अलॉट कर दिये। बड़े भू-पति जिनके पास 100-100 मुरब्बा जमीन है उसका पॉइन्ट जीरो जीरो वन का भी आंकड़ा नहीं निकला फिर गली बन्द कर दी। मास्टर प्लान के तहत भाखरा, गंग कैनाल के चौक अलॉट कर दिये। तहसीलदार ने बड़े भू-पतियों के हाथ नहीं लगाया, उसको छेड़ा नहीं और ऐसी स्थिति

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

हुई है रिचबेरसिंह और नारायणसिंह सबसे बड़े भू-पति हैं, कलेक्टर ने जवाब दे दिया कि इस गांव में भूमि नहीं मिलेगी। सारा का सारा गांव लच्छीराम सेठ के कर दिया। यह प्रचण्ड व्यक्ति है। उसके चक के अन्दर हरिजनों को प्लॉट नहीं दिये और आखिर गिरे कहां 20-20, 30-30 फीट नीचे खड्डे में जाकर जहां सड़क से मिट्टी उठाई जाती है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर की स्थिति यह है कि गांवों के अन्दर आबादी की जमीनों के अन्दर भू-पतियों ने खेतीहर मजदूरों और हरिजनों को बैठा रखा है। रात में दो बजे पानी की बारी आती है तो उनको जाने नहीं देते हैं और कहा जाता है निकाल दूंगा, उनकी औरतें साग नहीं तोड़ सकती हैं। अगर रहना है तो मेरी बेगार देनी होगी। आप एन्क्वायरी कर लीजिये। मैं 57 जे. बी. का उदाहरण देता हूं वहां पर एक भू-पति है जिनके परिवार के अन्दर 60 मुरब्बा जमीन है वहां एलान किया हुआ है कि अगर कोई खेत में घुस जाय तो 100 रु. जुर्माना कर दें, गन्ना तोड़ लें तो जुर्माना कर दें। मजिस्टेरियल पावर्स उन लोगों ने अपने हाथ में ले रखी है। एक व्यक्ति ने 28 किलो ज्वार बेच दिया तो उससे एक हजार का प्रो-नोट लिखवा लिया। मजिस्टेरियल पावर्स अपने हाथों में ले रखी हैं। वहां की एक कहानी है जो मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताई है।

आपकी पुलिस दुकानदार को पकड़ कर ले जाय और उसकी बिला वजह पिटाई कर दे। उपाध्यक्ष महोदय, मस्सू नामक एक व्यक्ति ने पुलिस को कुछ देने से इन्कार कर दिया तो उसको पकड़ कर ले गये थाने में और थानेदार ने उसको थाने में मुर्गा बनाकर रखा था। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसके खिलाफ कोई एफ. आई. आर. दर्ज हुई, क्या इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी जो इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ में किया गया? मैंने वहां के थानेदार से पूछा, आप जमींदार के नौकर हैं या सरकार के? बिना किसी एफ. आइ. आर. के, बिना किसी शिकायत के जमींदार के कहने पर उसके साथ यह व्यवहार किया गया। एक छोटे बच्चे ने गन्ना तोड़ लिया और एक गन्ने को तोड़कर चार टुकड़े कर लिये तो प्रति गन्ना 10 रु. जुर्माना, चार टुकड़ों के 40 रुपयों का जुर्माना उस पर ठोक दिया। मजिस्टेरियल पावर्स को अपने हाथों में ले रखा है।

मंत्री महोदय आत्म सन्तोष और आत्म शान्ति प्राप्त करने के लिये प्लॉट दे दिये लेकिन एक बात अवश्य है मैं आपके फैसले की तारीफ करता हूं। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने कलेक्टर की स्पेशल मीटिंग बुलाकर आदेश दिये कि विशेष कार्य के रूप में इसे करेंगे लेकिन इस बात की तारीफ नहीं कर सकता, आपने वर्क को मोबिलाइज नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपने कोई फार्म छपवाया? क्या भूमिहीन लोगों को लेकर आपने कोई आन्दोलन किया? क्या किसी भ्रष्ट पटवारी के खिलाफ आपने कोई घेराव करवाया? क्या किसी तहसीलदार का घेराव किया? आपके निर्णय और निश्चय में फर्क नहीं है आपकी कार्यवाही से माननीय चूणारामजी जैसे समाज सेवी व्यक्ति, और समझे हुई वर्कर, जो ग्राम क्षेत्र में काम

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

करने वाले हैं, ग्राज ग्रपने दिल को छलने के समान समझ रहे हैं, इससे ज्यादा ग्रौर क्या हो सकता है ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भू-ग्रावंटन किया गया है, सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करूंगा, इसमें से ज्यादातर गैर मुमकिन जमीन गलियों की, खड्ढों की, खोचरों की, नालों की ऐसी जगहों पर की गई है कि केवल खानापूर्ति की जाय ग्रौर मैं इस बात को ग्रपने कुछ उदाहरण के साथ पुष्टि करना चाहूंगा।

ठीक है, नरौरा में एक डिसिजन ले लिया गया, पुष्टि कर ली होगी यह माना जाता है कि कोई काम न करना हो तो कमेटी बना दी जाय ग्रौर उसकी ग्रनुकूल रिपोर्ट ग्रावे तो काम हो सकता है। चुनाव में जो लोग शिक्षित हैं वे लोग साथ नहीं देंगे लेकिन गरीब लोगों की भावना को यदि ग्रापने मार दिया तो फिर ग्राप सत्ता में नहीं ग्रा सकेंगे।

गरीब हरिजनों को, ग्रादिवासियों को पट्टे देने की बात की थी। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, ग्राप स्वयं निर्णय कीजिए कि 30 बाई 45 में मिनिस्टर का गैराज नहीं बन सकता है तो एक हरिजन के जिसके दस पांच लड़के हों ग्रौर घर में पूरा परिवार हो उसके लिए 30 बाई 45 की साइज का प्लॉट कैसे पूरा होगा ? कितने कमरे बनेंगे, कहां रसोई होगी, कहां मेहमान ग्रायेंगे ? यह प्रेक्टिकल बात नहीं थी बल्कि एक तरह का चकमा दिया गया है। लोगों को उत्साहित करके उनकी भावनाग्रों का नाजायज फायदा उठाना चाहते थे। उनके हक में ग्राप कुछ करना चाहते थे ऐसा नहीं है ग्रौर न ग्रापकी फीलिंग थी कि उनकी दशा को ठीक कर दें। ग्रापका तो यह प्रयत्न रहता है कि यह हमेशा गिरे रहें, न इनके पास ग्रावास हो, न वह सेल्फ सफिशियेन्ट हों ग्रौर वह इस तरह से मजबूर रहें कि सरकार का मुंह हमेशा ताकते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, श्मशान की भूमि, गड्ढे ग्रौर तलाई की जमीनों का ग्रापने ग्रलॉटमेन्ट किया ग्रौर उसका नतीजा यह है कि हमारे तहसील दौसा में बरावा गांव है जहां लैण्ड रेकार्ड ग्रॉफिसर ग्रौर पटवारी जाता है ग्रौर उनके लाख कहने पर भी कि उन्हें कोई ग्रच्छी जमीन बता दी जाये, कोई समतल जमीन हो जो उनके मकान के करीब हो वह तो नहीं दी ग्रौर उसके बदले में यह ग्रलॉट कर रहे हैं। फिर उनको वहां पर बताई जहां कि गड्ढे थे जिसमें एक भी रहने के लिए के मकान नहीं बन सकते थे ग्रौर वह लोग उन पट्टों को लेकर एस. डी. एम., दौसा के पास पहुंचे ग्रौर उनसे कहा कि क्या इनके शहद लगाकर चाटें, इन गड्ढों को हम ग्रपनी चार पीढ़ियों में भी नहीं भर सकते। वहां पर जमीन ऐसी नहीं है कि जहां मकान बन सकें। ऐसी हरकत वहां पर पटवारी ने की ग्रौर उसकी शिकायत की तो दो तीन बार मैं भी उनके साथ गया लेकिन उनका किसी तरह से भी उपचार नहीं हुग्रा ग्रौर उसके पीछे पटवारी की ऐसी भावना थी। एक विशेष व्यक्ति के लिए क्या कहना जबकि सारी सरकार ही ऐसी है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, काली पहाड़ी में गैर मुमकिन तलाई को एलॉट

(श्री मूलचन्द सामरिया)

किया। वहां पर मुकदमेंबाजी हुई और केस दर्ज हुए और जिनको वहाँ पर पट्टे और प्लॉट दिये थे उन्होंने लिखकर दे दिया कि हम इनका क्या करेंगे। क्या इसमें हमें अपने बच्चों को तलाई में डुबोना है?

एक चावण गांव है उसमें एक हरिजन का एक भू-खण्ड पर बहुत दिनों से कब्जा था और उसका मुकदमा चल रहा था। तो तहसीलदार ने कहा कि इसमें से 30 बाई 45 की जमीन ले लें और बाकी जमीन को तुम्हें छोड़नी पड़ेगी और तहसीलदार एक का पट्टा देकर आ गये। हरिजन ने कहा कि हमारा तो पट्टा कैंसिल कर दो हमें पट्टा नहीं चाहिए, इतनी सी जमीन लेकर क्या करेंगे और उस पर हमारा कब्जा रहने दें और यदि मुकदमा चलता है तो हम उस पर कभी तो कब्जा कर लेगें या उसके लिए कभी तो अधिकार प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होने दिया गया। ऐसे बहुत से कैसेज हैं। मेरा आरोप है कि इस मामले में हरिजनों की भावनाओं को उभारने का प्रयत्न किया है। वहां पॉलिटीकल वर्कर्स के द्वारा भी नाजायज तरीके से काम किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दौसा पंचायत समिति की गाड़ी के बारे में कहना चाहता हूं; वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अन्दर कांग्रेस के सरपंच हैं लेकिन उन्होंने इस गाड़ी के दुरुपयोग के बारे में उसके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया और यह लिखा है कि क्योंकि गाड़ी का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किया है प्रधान ने और उनका जाना आवश्यक नहीं था फिर भी वे इसलिए गये हैं कि राजनैतिक गेन मिले। ऐसा था। हम कभी तो कमला जी के पास तो कभी महावर जी के पास पहुंचे। मेरी शिकायत यह है कि क्या दौसा का मैं रिप्रेजेन्टेशन नहीं करता हूं? आज सत्ता कांग्रेस की है लेकिन आप अपने वर्कर को बुलाकर एक तरफा फैसला करें, यह उचित नहीं है। हमने शिकायतें कीं लेकिन कोई एक्शन नहीं है और हम मिलने भी जायें तो आप गाड़ी लेकर नेताओं के घरों पर जायें और हम टाइम मागें तो टाइम नहीं मिले और हम किसी के लिए कुछ कहें तो एक्शन भी नहीं लें। यह दुर्भाग्य की बात है। हरिजनों को लाभान्वित करने की बात तो कोसों दूर रह गयी। हमने शिकायत की तो यह कह दिया कि हमारे पास कोई खास शिकायत नहीं आई। तो मैं निवेदन करूंगा कि शमशान, गड्डे और तलाई में लेने के लिए हरिजनों को आपने मजबूर कर दिया है.....

श्री मुन्शीलाल महावर (राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कह रहें हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दौसा सब-डिवीजन में इतनी बढ़िया जमीनें दी गई हैं कि माननीय सदस्य को उसके लिए गौरव होना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को काफी जमीनें दी हैं। कुल मिलाकर केवल हमारे सब-डिवीजन में 4,100 पट्टे दिये गये हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसी तरह से किस्तूर चन्द नाम के गिरदावर हैं। वह ज्योंहि बिशनपुरा गये तो उनके खिलाफ रिश्वत की शिकायतें हुईं। उसके बाद दूसरी पंचायत सिंडोली में शिकायत हुई रिश्वत की, काली पहाड़ी गया वहां पर उनकी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

शिकायत हुई, कावलेश्वर गया वहां पर शिकायत हुई कि वह हरिजनों से पैसे मांगता है और वह पैसे नहीं देते हैं तो गलत जगह उनको देता है। वह शिकायत कमला जी के पास भी पहुंची और उन्होंने ऑर्डर किया कि उसको वहां से बदल दिया जाये लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मिनिस्टर के आदेशों के बावजूद और एस. डी. एम. के एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी पहले की तारीख डालकर जिस जगह वह गया नहीं वहां के पट्टे बनाकर दे दिये और लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह से वहां पर जो कुछ हुआ अगर हमारे पास जमीन ज्यादा थी कब्जे में तो उनको आपने बेदखल किया है उनको तो कम से कम वापिस दिला दें। यही काफी होगा। क्योंकि अलॉटमेन्ट वाली बात के चक्कर में वह नहीं पड़ना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय !

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था कि भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही सिर्फ उन्हीं जिलों में को गयी जहां कि आबादी की या सरकारी वह भूमि जो आवंटन की जा सकती थी, ऐसी भूमि जहां उपलब्ध नहीं थी उन्हीं स्थानों पर भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की गई। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि गंगानगर जैसे बड़े जिले के अन्दर जो अवाप्ति हुई है वह बहुत कम हुई है। तो यह सरकार को कोई शौक नहीं था कि भूमिधारियों की भूमि ली जाये और अवाप्त करके उसको अपने पास रिजर्व रखी जाये। जहां-जहां आवश्यकता हुई वहां-वहां भूमि अवाप्त की गई लेकिन गंगानगर के अन्दर आपने जो जनसंख्या का हवाला दिया तो गंगानगर के अन्दर कुल 35,504 बीघा का आवंटन हुआ है और ऐसे गांव जहां कि यह भूमि आबादी की या सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थी वहीं अवाप्त की गई है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि गांव की गलियों, चौक और श्मशान, गांव के पास में पड़ी हुई गड्ढे की भूमि का आवंटन हुआ है—मेरे से पूर्व माननीय राज्य मन्त्री महोदय ने भी बताया और जहां तक मेरी जानकारी है····

श्री मूलचन्द सामरिया : उनको पता ही नहीं। राज्य मन्त्री क्या जाने दौसा में क्या हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : तो जहां तक मेरी जानकारी है और कुछ जगह मैंने स्वयं ने देखा है ऐसी भूमि का····

श्री केदारनाथ : आप मूलचन्दजी के सामने नहीं बैठें साइड में बैठा कीजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने कमलाजी की बात कही उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता।

श्री रामनारायण चौधरी : किसी भी गांव के अन्दर ग्राम पंचायत क्षेत्र के श्मशान या गांव की गली या गांव का चक या आस-पास के गड्ढे किसी में भी कहीं पर भी भूमि आवंटित नहीं हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप गंगानगर और दौसा के अलॉटमेंट की जांच करायेंगे ?

श्री केदारनाथ : मैं निजी जानकारी के आधार पर अर्ज करता हूं कि गंगानगर में 4 एच. ई, 16 जेड, 13 जैड, 10 जैड, 23 जैड, 5 जैड, 3 टी, 5 ए, 1 ई, 4 एम. एल., 2 एम. एल., 5 जी, 6 टू 11, 3 ए, 7 एल. एल., पक्का सारना सब जगह यह हुआ है। यह मैं आपको निजी जानकारी देता हूं। जहां लोगों को जमीनों की आवश्यकता थी वहां पर नहीं देकर तीन-तीन मील दूर जाकर बसाया है और माननीय राज्य मन्त्री ने इसकी जांच करने का आश्वासन दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज कर दूं कि 1 जी से 90 जी.बी., 12 जी.बी, 13 जी.बी.; 12 और 13 जी.बी; को छोड़ कर एक-एक जमींदार के पास बड़े 2 भू-खण्ड हैं। महाराजा विजयपुरम ने पेरेलल प्लॉट काट कर बेचे हैं, कहीं एक्वीजिशन नहीं किया। शिवपुरी में मेरे खुद के गांव में इंक्वायरी कराई जावे चक 22 में कोई गली नहीं छोड़ी, कोई गड्डा नहीं छोड़ा, कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती और कोई गाड़ी गुजरेगी तो वह हरिजनों की झोंपड़ियों के ऊपर होकर गुजरेगी। आप कहें तो दो सौ गांवों के नाम बता दूं। आप गंगानगर में इंक्वायरी कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक विभाग का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि मुझे आज तक न तो माननीय सदस्य ने, न गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, न माननीय सदस्य सूरतगढ़ से आने वाले ने और न मूलचन्दजी ने कहीं भी किसी भी वक्त में टेलीफोन से या पत्र से या मिलने पर हम कई बार मिले हैं, टेलीफोन से बात हुई है, आज इस सदन में भी कई दिनों से बैठे हैं, कभी भी किसी भी गांव के आवन्टन के बारे में कभी भी मुंह नहीं खोला और आज जब यह बिल विचारार्थ आया तो अब आप यह कहें कि जांच करवा लीजिए तो जहां तक जांच का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी के पास जाकर आप पूछें कि आपके पेट में दर्द तो नहीं है तो यहां पर भी कई कह सकते हैं कि मेरे पेट में दर्द है और भी कइयों के दर्द होना शुरू हो सकता है अगर हर एक के पास जाकर पूछा जावे। तो इसका तो कोई अन्त नहीं है। लेकिन मैं आपको अधिकार के साथ में कह सकता हूं कि इतने बड़े आवंटन के अन्दर राजस्थान के अन्दर इतने आवंटन के काम के अन्दर एक फिक्स्ड प्रोग्राम के अनुसार····

श्री केदारनाथ : ऐसी मिसाल दी कि हमारा गुस्सा ही ठण्डा हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : जो अभियान चलाया गया और जो अभियान की उपलब्धि है, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान भारतवर्ष में पहला प्रान्त है जिसमें इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस उपलब्धि से मैंने इन्कार नहीं किया। किसी ने भी इन्कार नहीं किया है। आपके डिसिजन से कोई ऐतराज नहीं है। कलेक्टर को इन्फॉर्म किया है, मेरी डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है, प्रॉविशियल कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव किया है, आपको मुख्य मंत्री राजस्थान को एक प्रस्ताव भेजा है। न कोई व्यक्तिगत शिकायत की है, कलेक्टर को दिया है। ऐसे लिखाई पढ़ाई

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

की कमजोरी रही हो, सूचना देने में कोई कमजोरी रही हो, वह नहीं रही है, न कभी रहेगी। इसको आप कोट मत कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, किसी भी बात में कमी नहीं रही। माननीय हांडा साहब ने एक बात कही कि आपका प्रोग्राम काफी बढ़िया रहा, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया और इसकी क्रियान्विति भी हुई, बहुत अच्छा प्रबन्ध सरकार ने किया और सरकारी मशीनरी से भी कस कर काम लिया। मुख्य मंत्रीजी ने टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दिया और सरकारी मशीनरी से कस कर काम करा कर इसको पूरा कराया। मुख्य मंत्री जी ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही एक्टिव किया बल्कि हर एम. एल. ए., पंचायत समितियों के प्रधानों को, प्रमुखों को पत्र लिखे हैं और मुझे खुशी है इस बात की आपको सूचना देते हुए कि राजस्थान के प्रत्येक सरपंच ने, प्रधान ने और प्रमुख ने इसके अलॉटमेंट में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेकर इसको पूरा कराया ···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमको मां से कोई शिकायत नहीं है, स्टेप मदर से शिकायत है–जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उससे शिकायत है, आप इसकी जांच कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके अन्दर ब्यूरोक्रेसी कहीं पर भी हावी नहीं रही है और जन-प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग इसमें सब जगह लिया गया है। आपकी एक शिकायत रही और आपकी शिकायत के अन्दर माननीय मूलचन्द जी ने भी साथ दिया। आपने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो भाग लिया, उनकी बड़ी दिलचस्पी रही लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया जिससे वे भी भाग ले सकते ···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अलग-अलग जगह की अलग-अलग स्थिति रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप में और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं था इसलिए आप जहां सक्रिय थे····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारा और कांग्रेस का कम्पोजिशन में अलग 2 करेक्टर है और वह हर जगह प्रोजेक्ट हुआ है। सब पार्टियों ने साथ दिया और जिस तरह का मेरे यहां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का करेक्टर है, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता। मैं तो यही कहता हूं कि आप इन्क्वायरी कीजिए। नहीं करेंगे तो हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के सम्बन्ध में आन्दोलन के लिए तैयार हैं और हम आन्दोलन करेंगे। 21 मार्च को आने वाले हैं आपके सामने। आपके इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए राइट पॉलिसी के राइट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। आप इन्क्वायरी करा लीजिए। गंगानगर के अन्दर बहुत बड़ी इस मामले में गड़बड़ निकल आएगी। नहीं करेंगे तो हमारा तो दोनों तरह का स्ट्रगल है। हमारी प्रिंसिपल स्ट्रगल है, आपकी राइट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रगल है और उसके लिए हम लड़ेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जितनी बातें उठाई थी, मेरा ख्याल है कि मैंने उन सब बातों का उत्तर दे दिया है। मैं आपके द्वारा सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 पर अग्रेतर विचार

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक की जो धारा छः पर बहस चल रही थी तथा थोड़ी देर के लिए डेफर किया था, चूंकि छः में संशोधन करने जा रहे हैं उसकी वजह से खण्ड 2 जो पारित किया गया है और खण्ड 7 भी जो पारित किया गया था उस पर इसका असर पड़ेगा इसलिए मैं इन दोनों धाराओं को री-ओपन करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्डे 2 और 7 पर पुनर्विचार के लिए री-ओपन किया जाय ?

(स्वीकृत)

धारा 2 व 7 पुनर्विचार हेतु री-ओपन की गई।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खण्ड 2 के "उप-खण्ड (क) के भाग (II) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'आयुक्त' से गृह आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर अभिप्रेत है" के स्थान पर निम्न अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जावेगी :

"(ii) 'अधिकरण' से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकरण अभिप्रेत हैं।" कमिश्नर के बजाय अधिकरण हो यह अभिप्रेत है। यह उसमें संशोधन प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र भारतीय : English translation please.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्योंकि मैंने बिल हिन्दी में पेश किया है इसलिए मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 के खण्ड 2 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) मय संशोधन के स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2), मय संशोधन के, स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खण्ड 6 के "उप-खण्ड (1) व (3) में प्रयुक्त शब्द 'आयुक्त' के स्थान पर शब्द 'अधिकरण' प्रतिस्थापित किया जावे।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 6 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है, कि खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 7 के "उप-खण्ड (1) व उप-खण्ड (2) में प्रयुक्त 'आयुक्त' के स्थान पर शब्द 'अधिकरण' प्रतिस्थापित किया जावे।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 7 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 मय संशोधन के स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 8, माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 के खण्ड 8 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करता हूं :

"इस खण्ड में प्रयुक्त अभिव्यक्ति आयुक्त, स्वयं' के स्थान पर शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मन्त्री जी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 के खण्ड 8 में प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार किया जावे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 8 में मैंने निम्न संशोधन प्रस्तुत किया है :

"इस खण्ड में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" "विलोपित किया जाय।"

इसको मैं विलोपित करवाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी अधिकरणों या न्यायलयों अथवा कार्यपालिका में जहां-जहां भी आवश्यकता होती है, तो सैद्धान्तिकरूप से किसी एवीडेंस को मानने के लिये कि ऐवीडेन्स को लेना और नहीं लेना यह हमारे इण्डियन एवीडेन्स एक्ट में पहले से ही मौजूद है। पुलिस अधिकारी के सामने यदि कोई मारपीट के डर से अपराध कबूल भी कर ले तो इस बात को नही मानना, इसको एक्सक्लूड करने का पहले से ही प्रोवीजन है, इसको मैं एक्सक्लूड करवाना चाहता हूं और इसके कारण से जो शहादत आयेगी उसको इण्डियन एवीडेन्स एक्ट के तहत स्वीकार किया जायगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है। इसलिए इसको इण्डियन एवीडेन्स एक्ट की तरह से लागू किया जाय तो मैं समझता हूं इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, इसलिए संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया जावे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि धारा 8 के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों को बुलाया जावे तो उसको साक्ष्य का और वकील से परामर्श करने का अधिकार मिलता है और इण्डियन एवीडेन्स एक्ट के तहत इसमें अनावश्यक देरी होती है, इसलिए मैं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 की धारा 8 में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मंत्री जी ने राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 की धारा 8 में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकृत किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 की धारा 8, संशोधित रूप में, स्वीकार की जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8, संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 के खण्ड 9 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करता हूं—

"इस खण्ड में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'आयुक्त' के स्थान पर शब्द 'अधिकरण' प्रतिस्थापित किया जावे।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 के खण्ड 9 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकृत किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 का खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 के खण्ड 10 व 11 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 व 11 स्वीकृत किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 12

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है, "भाग (ख) में प्रयुक्त शब्द 'या सन्देह से' विलोपित किया जाय" इसमें मजिस्ट्रेट को कोग्निजेन्स लेने के लिये प्रावधान है—

"No Magistrate shall take cognizance of an offence punishable under section 10, except:—(b) upon information received from any person other than an officer-in-charge of the police station or upon his own knowledge or suspicion".

इसके सम्बन्ध में सस्पीशन वर्ड को मैं विलोपित कराना चाहता हूं।

क्योंकि केवल सस्पीशन के ऊपर ही किसी व्यक्ति को प्रोसीक्यूट करने का आज किसी भी कानून में प्रावधान नहीं है, शायद यह ड्राफ्टिंग की गलती से है या पता नहीं क्यों मन्त्री महोदय ने इसको रखने के लिये प्रयास किया है, यह संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है।

"....or upon his own knowledge or suspicion."

सस्पीशन शब्द को विलोपित करने के लिये मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि यह शायद गलती से आ गया है।

श्री खेतसिंह : आप चाहे कितना ही गलती से कहो, गवर्नमेन्ट ने इसको जानबूझ कर रखा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तब तो यह एक बड़ी मिस्टेक है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि सत्य, ज्ञान या सन्देह से कोई भी चाहे तो किसी पर सन्देह हो सकता है इस लिए कोई इसमें विशेष बात नहीं है। इस लिए इस संशोधन को अस्वीकृत किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खण्ड 12 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकृत किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 के खण्ड 12 को स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

(168)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 12 को स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13, 14, 15, व 16 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 13, 14, 15 व 16 को स्वीकार किया गया।

खण्ड (1) अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के लेजिस्लेशन होते हुए भी साधारणतया सारी पावर्स मजिस्ट्रेट को दे दी जाय यह उचित नहीं है, जहां पर ऐसी आवश्यकता हो उन एरियाज में ही ऐसे एक्ट लागू हों, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए।

इसलिए मैंने यह लिखा है संशोधन में, उप-खण्ड (2) को निम्नलिखित उप-खण्ड से प्रति स्थापित किया जाये;.

"इसका प्रसार राजस्थान राज्य के उन स्थानों पर और ऐसी अवधि के लिए होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की एक मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा विन्ध्य प्रदेश का एक एक्ट है इनमें यह रखा गया है—

"The Government may, if it is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, declare by separate notification that this Ordinance will apply to a particular area or part of the area."

तो इसी प्रकार से यू.पी. 1933 का एक्ट है जिसमें नोटिफिकेशन का प्रावधान किया गया है। यह इसलिए रखा जाता है कि इमर्जेन्सी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकम्स्टान्सेज हैं, की वजह से साधारण कानून, जो हमारे यहां पर है, उससे हटकर असाधारण तरीके से किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत मालूम होती है इसलिए बहुत ही सीमित अधिकार दिये जाने चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैंने यह अमेंडमेन्ट्स रखे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार तो नहीं करेंगे, परन्तु मैं अपना कर्तव्य करने के नाते दूसरे ऑर्डिनेन्स को देखकर और बताकर उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ब्लेन्केट पावर्स न देकर जब-जब आवश्यकता हो, नोटिफिकेशन के जरिये राज्य सरकार किसी एरिया में किसी समय के लिए इसको लागू कर सके। ऐसे अधिकार रखें जायेंगे तो यह अधिकार डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टीट्यूशनल होंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसके सम्बन्ध में जो दलील दी है किसी के सम्बन्ध में, तो वह तो एस्टेब्लिश्ड केसेज हैं हाई कोर्ट में और उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम है कि उत्तर प्रदेश का एक्ट 1970 में नया बन गया है और उस एक्ट के तहत यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है। आप 1933 की बात कर रहे हैं तो वह तो पुराना हो गया है और इसलिए वह दलील

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

इसमें लागू नहीं होती है। इसलिए जो संशोधन जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है और जैसा कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर सम्पूर्ण एरिया के लिए एक साथ लागू किया है, उसी तरह से राजस्थान के सम्पूर्ण राज्य में इसको हमने लागू किया है, किसी विशेष कॉर्नर में लागू नहीं किया है। यह मर्ज तो सब जगह मिलता है। यह बीमारी ऐसी नहीं है कि उसको अलग किया जा सके इसलिए सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाना चाहिए इसलिए मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (1) अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि को स्वीकार किया गया।

माननीय मन्त्रीजी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री केदारनाथ : We walk out in silence. ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस लेजिस्लेशन को हम सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : भूख लग गई है क्या ?

(जनसंघ, समाजवादी, साम्यवादी आदि विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975 को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 फरवरी, 1975 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8 बजकर 54 मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 1975 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(170)

परिशिष्ट I

(तारांकित प्रश्न संख्या 190 की सूची)

जिलाधीश एवं अध्यक्ष जिला नागरिक परिषद्, उदयपुर, जिला उदयपुर

क्रमांक .... दिनांक 4 अक्टूबर, 1965

पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे वक्त में जनता के मनोबल को ऊंचा रखने, हमारे सुरक्षा प्रयासों को सुदृढ़ करने, जवानों की सुविधा एवं उनके परिवारों के कल्याणार्थ जिला-स्तरीय नागरिक परिषद् का निम्न तौर पर गठन किया गया है:—

1.	श्री विमलचन्द्र मुकर्जी, जिलाधीश	अध्यक्ष
2.	श्री रोशनलाल शर्मा, जिला प्रमुख	उपाध्यक्ष
3.	श्री मदनलाल धुप्पड़, अध्यक्ष, म्यु. कौंसिल	सदस्य
4.	श्री हीरालाल देवपुरा, प्रधान संपादक	,,
5.	श्री विद्यासागर, प्रधान खैरवाड़ा	,,
6.	श्री नाथूलाल, प्रधान मावली	,,
7.	श्री रामचन्द्रसिंह, प्रधान धरियावद	,,
8.	श्री किशोरीलाल, प्रधान सलुम्बर	,,
9.	श्री गिरधारीलाल, कांग्रेस	,,
10.	श्री गोवर्धनसिंह मेहता, कांग्रेस	,,
11.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत, कांग्रेस	,,
12.	श्री आर. एस. गांधी, अतिरिक्त जिलाधीश	मेम्बर सेक्रेटरी

ह. वि. च. मुकर्जी;
जिलाधीश एवं अध्यक्ष;
नागरिक परिषद, उदयपुर।

उदयपुर जिले से 1965 में पाकिस्तानी अतिक्रमण के समय एकत्रित धनराशि व स्वर्ण की सूची

1.	मुख्य मन्त्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष	9,86,732.37
2.	जिला नागरिक परिषद्, उदयपुर	79,359.28
3.	स्वर्ण	शून्य

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए गए तारांकित प्रश्नोत्तर

बिजली की चोरी

192. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पास विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी यूनिट बिजली उपलब्ध है ? 31 दिसम्बर, 1974 को कितनी थी तथा उपलब्ध बिजली की दैनिक खपत कितनी है ?

(2) कृषि कुओं की दैनिक खपत क्या है ? राजस्व कितनी यूनिट बिजली का मिलता है; लॉसेज कितनी यूनिट के हैं क्या शेष बिजली की चोरी होती है ? यदि हां, तो कितनी यूनिट ?

(3) बिजली की चोरी रोकने के लिए मण्डल ने क्या-क्या उपाय किये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न स्रोतों से बिजली की उपलब्धि अणुशक्ति केन्द्र की उत्पादन शक्ति एवं सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता आदि अनेक कारणों पर निर्भर करती हैं। मोटे तौर से औसतन करीब 72 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्त होती है। दिनांक 31-12-74 को राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र बन्द था तथा विभिन्न परियोजनाओं की डिजाइन्ड/शिड्यूल्ड उपलब्धि के अनुसार उस दिन बिजली का उत्पादन करीब 40 लाख यूनिट था, परन्तु खपत 74.9 लाख यूनिट प्रतिदिन होने के कारण, चम्बल सिस्टम से और अधिक उत्पादन व सतपुड़ा और भाखरा से हिस्से से अधिक बिजली प्राप्त की गई।

(2) कृषि कुओं की दैनिक खपत का अन्दाजा लगाना और नाप रखना बडा कठिन है, क्योंकि यह मांग मौसम के अनुसार और किसान की आवश्यकता के मुताबिक बदलती रहती है। मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि करीब 45 लाख यूनिट बिजली कृषि कुओं के लिये चाहिये। जितनी यूनिट के बिल भेजे जाते हैं, उनका राजस्व प्राप्त होता है। यह कहना गलत होगा कि बिजली की चोरी नहीं होती, लेकिन कितने लॉसेज बिजली की चोरी से और कितने लॉसेज प्रसारण/वितरण के कारण हैं इसका अन्दाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि हर 0.4 के. वी. के फीडर पर पृथक्-पृथक् मीटर न लगाये जावें, जो व्यवहारिक नहीं हैं।

(3) बिजली की चोरी रोकने हेतु मण्डल ने विविध उपाय किये हैं जैसे—केन्द्रीय सतर्कता दस्ते का गठन, वृत्त सतर्कता दस्तों को सक्रिय करना आदि। अभी हाल ही में राज्य सरकार से एक पुलिस अधिकारी की सेवायें केन्द्रीय सतर्कता दस्ते को अधिक सक्रिय व प्रभावशाली बनाने के लिये ली गई हैं।

बालोतरा (बाड़मेर) में औद्योगिक क्षेत्र का विकास

193. श्रीमती मदनकौर (पंचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के नगर बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र को घोषित कब किया गया ?

(श्रीमती मदनकौर)

(2) औद्योगिक क्षेत्र के लिये कब और कितने बीघा जमीन आवंटित की गई ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में प्लॉट लेने की इच्छुक औद्योगिक इकाईयों को प्लॉट्स का आवंटन कर दिया गया ? यदि हां, तो कितनी इकाईयों को ? इन इकाईयों ने कब-कब प्रार्थना-पत्र आवंटन के लिये प्रस्तुत किए और आवंटन कब किया गया ?

(4) क्या इस औद्योगिक क्षेत्र को पानी, बिजली और सड़कों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो ये कार्य किस स्तर पर चल रहे हैं ?

(5) क्या इस क्षेत्र के विकास की योजना बनायी गई थी ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या इस औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों का किसी स्तर पर गम्भीरता से विचार हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय लिये गये और इनकी पालना कहां तक की गई ?

उत्तर

(1) बालोतरा नगर में दिनांक 30-10-72 को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया।

(2) बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र हेतु दिनांक 12-12-72 को कुल 308 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित की गई।

(3) जी हां। कुल 10 इकाईयों को भूखण्डों का आवंटन किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली और सड़कों की सुविधायें पहुंचाने का कार्य चल रहा है। प्लॉटों का निर्माण कार्य चालू करने हेतु जल आवश्यकता के लिये अस्थाई व्यवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्थाई व्यवस्था के लिये ग्राउण्ड वाटर विभाग को 35,500 रुपये की अग्रिम राशि जुलाई 1974 में भुगतान कर दी गई हैं। स्थाई वाटर सप्लाई के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। विद्युत् लाइनों हेतु भी राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को 2.50 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में अप्रेल, 74 में जमा करा दिये गये हैं।

(5) जी हां। क्षेत्र के विकास की योजना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(6) जी हां। राज्य सरकार स्तर पर राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा विकास कार्य क्रमों पर विचार किया गया है और समय-समय पर लिये गये निर्णयों के आधार पर ही इनको पालना की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

न्यायिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों को मकान की सुविधा

194. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किस-किस पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों को रिहायश की सुविधा दी जा रही है ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) क्या उक्त सेवा के अन्य अधिकारियों को भी रहने हेतु मकानों की सुविधा दी जावेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार न्यायिक सेवा को अधिक उपयोगी, गतिवान बनाने के लिए उक्त सुविधा प्रदान करना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार कोई शीघ्र कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय भवन आवंटन नियमावली के अन्तर्गत राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों के रिहायशी मकान आरक्षित (इयरमार्क) किये जाते हैं:—

1. मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जोधपुर।
2. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. समस्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
4. सिविल जज, डूंगरपुर।
5. उपखण्ड में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी।

(2) मकानों की कमी को देखते हुए फिलहाल यह सम्भव नहीं है।

(3) न्यायिक सेवा के महत्त्व को देखते हुए ही इस सेवा के अधिकारियों के लिए सरकारी मकान आरक्षित किये गए हैं, जिसका कि उल्लेख प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में किया गया है। फिलहाल आवासीय मकानों की कमी है, अतः इस पर विचार जब मकानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, तभी किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कठूमर-घोसराणा सड़क का निर्माण कार्य

195. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कठूमर-घोसराणा सड़क कौन से सन् में मन्जूर हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क अभी तक पूरी नहीं बन पाई है ?

(3) उक्त सड़क कुल कितने मील लम्बी है और अब तक कितने मील बन चुकी है तथा पूरी सड़क कब तक बन सकेगी ?

उत्तर

(1) कठूमर—घोसराणा सड़क की स्वीकृति 16-11-61 को दी गई थी।

(2) जी हां।

(3) 12 मील लम्बी सड़क है, जिसमें से 6 मील डामर कार्य तथा 2 मील में मैटलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्य प्रगति पर है, वित्तीय वर्ष 1975-76 में इस सड़क को पूरा करने का प्रस्ताव है।

राज्य के विभिन्न जिलों में योजनाओं पर व्यय की गई राशि

196. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में गत वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) स्वीकृत धनराशि में से कितनी-कितनी धनराशि उपयोग में लाई जा सकी और कितनी-कितनी धनराशि बिना उपयोग के कहां-कहां रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) बिना उपयोग के धनराशि रहने के क्या कारण रहे और उसके लिए कौन उत्तरदायी रहा व उस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अकाल राहत कार्य और किसान संघर्ष समिति द्वारा संचालित आन्दोलन

197. श्री मोहरसिंह (सादूलपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही नहीं है कि भयंकर अकाल के कारण काफी प्रतिशत जनता को एक वक्त खाना नसीब हो रहा है ?

(ख) क्या मुख्य मन्त्री महोदय का एलान कि 7 दिन में राहत कार्य खोल दिए जावेंगे, कार्य रूप में परिणित कर दिया गया है ?

(ग) अगर नहीं तो क्यों नहीं; अगर हां, तो कहां-कहां किस-किस जिले में क्या क्या कार्य खोले गये हैं ?

(घ) क्या इस सिलसिले में हजारों किसानों की किसान संघर्ष समितियों द्वारा संचालित आन्दोलन में की गई गिरफ्तारियां सरकार के ध्यान में हैं ?

(ङ) अगर हां, तो सरकार इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर तुरन्त क्या घोषणा करती हैं ?

उत्तर

(क) जी, नहीं।

(ख) जी हां। रोजगार देने हेतु ग्रामीण जिलों में विभिन्न सड़कों और सिंचाई योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) अभावग्रस्त जिलों में कार्य खोल दिए गए हैं वे निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं. 1	नाम जिला 2	कुल कार्य 3
1.	अजमेर	32
2.	अलवर	5
3.	बांसवाड़ा	31
4.	बाड़मेर	7
5.	भरतपुर	8
6.	भीलवाड़ा	4
7.	बीकानेर	—
8.	बून्दी	1

Page No 175

(175)

(अकाल सहायता मंत्री)

1	2	3
9.	चित्तौड़गढ़	24
10.	चूरू	5
11.	डूंगरपुर	18
12.	गंगानगर	1
13.	जयपुर	56
14.	जैसलमेर	3
15.	जालौर	30
16.	झालावाड़	—
17.	झुन्झुनू	9
18.	जोधपुर	4
19.	कोटा	1
20.	नागौर	5
21.	पाली	20
22.	सवाई माधोपुर	28
23.	सीकर	4
24.	सिरोही	7
25.	टोंक	43
26.	उदयपुर	19
	योग:	365

(घ) जी हां। जिला चूरू में किसान संघर्ष समिति ने दिनांक 6-1-1975 को आन्दोलन किया था।

(ङ) राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में कार्य खोले हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर परियोजना, माही, जाखम, मेजा, सेई आदि योजना पर भी अभावग्रस्त जिलों के श्रमिकों को काम पर लगाया जा रहा है।

बिरमानिया में रॉक फॉस्फेट का सर्वेक्षण

198. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में रॉक फॉस्फेट खनिज का भण्डार कहां-कहां प्राप्त हुआ है? स्थानों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) उक्त स्थानों में कितनी रॉक फॉस्फेट प्राप्त होने की सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है, रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त स्थानों में कितना रॉक-फॉस्फेट खनिज मिला एवं उक्त खनिज से गत तीन सालों में कितनी आय प्राप्त की? प्रत्येक साल के अलग-अलग आंकड़े सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें?

(4) जैसलमेर जिले के बिरमानिया में कितनी रॉक फॉस्फेट प्राप्त होने के सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) राज्य सरकार द्वारा बिरमानिया रॉक फास्फेट का प्रयोग जबकि उससे भी निम्न कोटि के रॉक फास्फेट को दूसरे देश प्रयोग करते हैं और लाभ उठाते हैं तो क्यों नहीं किया जाता है?

उत्तर

(1) राजस्थान में रॉक फास्फेट के भण्डार मुख्यतः निम्न स्थानों पर प्राप्त हुये हैं:—

झामर कोटड़ा, कानपुर, मटून, नीमचमाता, बूड़गांव, बेड़वास, डकनकोटड़ा,

(खनिज मंत्री)

करवाड़िया का गुड़ा एवं सीसारमा, उदयपुर जिले में।

(2) बिरमानियां, खोड़ा, लादूसिंह की ढ़ाणी एवं फतहगढ़, जिला जैसलमेर।

(3) सल्लोपाट, जिला बांसवाड़ा।

(4) केरपुरा, जिला सीकर एवं निवानिया, जिला उदयपुर (खनिज एपेटाइट) उक्त क्षेत्रों की प्राप्त रिपोर्टों व अन्य जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा तैयार की गई एक संक्षिप्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

रॉक फॉस्फेट का खनन केवल झामरकोटड़ा से हो रहा है जहां से गत तीन वर्षों का उत्पादन एवं आय निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	ग्रोस आय (ग्रोस रेवेन्यू)	उत्पादन
1972-73	2,87,22, 259 रु.	1,95, 486 टन
1973-74	3,20,91, 468 रु.	1,25, 931 टन
1974-75	7,20,10, 540 रु.	2,86, 305 टन

(दिसम्बर 74 के अन्त तक)

जैसलमेर जिले के बिरमानियां क्षेत्र में करीबन 43.40 लाख टन रॉक फॉस्फेट के अनुमानित भण्डार होने की सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है इस क्षेत्र का सर्वेक्षण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किया है रिपोर्ट विभाग को प्राप्त न होने से सदन में पेश करने में असमर्थता है।

(5) प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसलमेर जिले के बिरमानियां क्षेत्र का रॉक फॉस्फेट काफी निम्न श्रेणी का है एवं खनिज के साथ कारबोनेट रॉक्स (Carbonate rocks) एवं मेगेनिशियम कारबोनेट रॉक्स (Magnesium carbonate rocks) मिली हुई हैं। इनके बेनीफिशियेशन (Beneficiation) में तकनीकी कठिनाई है तथा भण्डार भी काफी छोटा है। अतः इसके लिए बेनीफिशियेशन प्लान्ट (Beneficiation plant) लगाना आर्थिक दृष्टि से अपने देश में अभी सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ जिले में छात्राओं का हायर सैकेण्डरी स्कूल

199. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) झालरापाटन नगर में सैकेण्डरी स्कूल लगभग 30 वर्ष से है और छात्रों की संख्या भी बहुत है। फिर भी इस स्कूल को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किया जाने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार झालावाड़ शहर में भी छात्राओं का सैकेण्ड्री स्कूल ही चला आ रहा है। जिसे हायर

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
सैकेण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ जिले में अभी तक छात्राओं का एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है ?

(4) उपरोक्त दोनों स्कूलों को कब तक हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल 4 मील की दूरी पर ही झालावाड़ में हायर सैकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज होने के कारण यहां हायर सैकेण्डरी स्कूल अलग से खोलने का औचित्य नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार सत्र 1975-76 में सैकेण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार नहीं रखती।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के निर्णयों के पश्चात तथा राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

इंजीनियरों की नियुक्ति

200. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 1-4-74 से अब तक कितने आवेदन-पत्र जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को एसिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स एवं ओवरसीयर्स के पद के लिए प्राप्त हुए। उनकी पूर्ण सूची मय आवेदक के नाम, आवेदन के दिनांक और उसके द्वारा इन्जीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अलग-अलग सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त आवेदकों में से जिनको नियुक्ति दी गई, उनके नाम, नियुक्ति का दिनांक एवं उनके द्वारा इन्जीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या उपरोक्त आवेदकों के चयन में कोई निश्चित आधार अपनाया गया ? यदि हां, तो उस आधार-पत्र को सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं अपनाया गया तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-74 से अब तक सहायक अभियन्ताओं के पद के लिए 3 एवं कनिष्ठ अभियन्ता अथवा अधिदर्शक के पद के लिए 51 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। उनकी सूची चाहे गये विवरण के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त आवेदकों में से किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न 1 की सूची

क्र. सं. 1	आवेदक के नाम 2	आवेदन के दिनांक 3	पद 4	इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा 5	श्रेणी एवं प्रतिशत 6
1	श्री बसन्तसिंह सिद्धू	19-4-74	अधिदर्शक	सिविल डिप्लोमा	II श्रेणी 49%
2	श्री नरशलाल	22-4-74	,,	,,	II श्रेणी 46%
3	श्री उमेशचन्द गर्ग	22-5-74	,,	,,	I श्रेणी 72% (मार्कशीट नहीं है)
4	श्री रामकिशन	27-5-74	,,	बी. ई. (यान्त्रिक)	I श्रेणी 64%
5	श्री अरविन्दकुमार माथुर	5-6-74	,,	सिविल डिप्लोमा	II श्रेणी (मार्कशीट नहीं है)
6	श्री सीताराम	—	,,	,,	II श्रेणी
7	श्री दयासिंह	13-6-74	,,	बी. ई. सिविल	II श्रेणी 56.2%
8	श्री जगदीशचन्द्र भाटी	—	,,	यांत्रिक डिप्लोमा	II श्रेणी 58.2%
9	श्री भंवरलाल	—	,,	डिप्लोमा सिविल	I श्रेणी (मार्कशीट नहीं है)
10	श्री जीवनसिंह चपलोत	11-7-74	,,	बी. ई. सिविल	I श्रणी 75.9% (मार्कशीट नहीं है)
11	श्री श्यामसुन्दर सारस्वत	—	,,	डिप्लोमा सिविल	II श्रेणी 61.66%
12	श्री सुभागमल	16-7-74	,,	डिप्लोमा (यांत्रिक)	II श्रेणी (मार्कशीट नहीं है)
13	श्री कानसिंह सोंलकी	9-9-74	,,	डिप्लोमा (यांत्रिक)	II श्रेणी 48%
14	श्री ओमसिंह	19-9-74	,,	सिविल डिप्लोमा	I श्रेणी 70%
15	श्री मधुसुदन गोयल	—	,,	डी. सी. एम.	II श्रेणी (मार्कशीट नहीं है)
16	श्री नरेन्द्रकुमार पचोलिया	24-9-74	,,	सिविल डिप्लोमा	III श्रेणी 52%
17	श्री अशोककुमार	24-9-74	,,	यांत्रिक डिप्लोमा	पूर्ण विवरण नहीं है

1	2	3	4	5	6
18	श्री नानकचन्द अरोड़ा	29-9-74	अधिदर्शक	डिप्लोमा सिविल	II श्रेणी 50%
19	श्री कृपाशंकर	17-9-74	,,	सिविल डिप्लोमा	I श्रेणी (मार्कशीट नहीं है)
20	श्री राजेन्द्रकुमार	25-9-74	,,	डिप्लोमा सिविल	I श्रेणी 60%
21	श्री मोतीलाल सैनी	1-11-74	,,	डिप्लोमा सिविल	II श्रेणी 57%
22	श्री दिनेशचन्द्र	18-11-74	जे. ई. एन.	बी. ई. सी.	I श्रेणी 64% (मार्कशीट नहीं है)
23	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव	18-11-74	अधिदर्शक	डिप्लोमा सिविल	I श्रेणी 64% (मार्कशीट नहीं है)
24	श्री सतीशकुमार त्यागी	9-12-74	,,	,,	I श्रेणी 66%
25	श्री सेवराज रेगर	23-9-74	,,	,,	II श्रेणी 54%
26	श्री विजयकुमार पाण्डेय	11-12-74	,,	,,	II श्रेणी 59%
27	श्री दिवानसिंह राय	31-12-74	,,	,,	II श्रेणी 57%
28	श्री ओमप्रकाश राठौड़	31-12-74	,,	,,	II श्रेणी 59%
29	श्री अयोध्याप्रसाद शर्मा	31-12-74	,,	,,	I श्रेणी 60%
30	श्री यादराम	12-12-74	,,	,,	II श्रेणी 59%
81	श्री रामलाल सोलंकी	24-12-74	,,	,,	II श्रेणी 50%
1	श्री पी. के. हिंगरानी	28-6-74	सहायक अभियन्ता	बी. एस. सी. इन सिविल इंजिनियरिंग	60%
2	श्री आर. एस. सोलंकी	शून्य	,,	बी. ई. सिविल	
3	श्री कमलकुमार	23-11-74	,,	बी. ई. सिविल	83.5%

बस स्टापों पर समय सारिणी व किराया सूची

201. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में परिवहन बस स्टापों के सभी स्थानों पर समय सारिणी व किराया सूची नहीं है? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जिले के केन्द्रों के अलावा अन्य बस स्टेण्डों पर चढ़ने वाले यात्रियों से परिचालक अधिक किराया वसूल करते हैं ? यदि नहीं तो किराया सूची के अभाव में यात्रियों को किराया सही होने का कैसे संतोष दिलाया जा सकता है और परिचालक द्वारा उचित किराया वसूल करने का सरकार के पास क्या प्रमाण है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राज्य के परिवहन बस स्टापों के सभी स्थानों पर समय सारिणी व किराया सूची नहीं है। मुख्य-मुख्य बस स्टैण्डों पर समय सारिणी व किराया सूची लगाई हुई है। जिन स्थानों पर ऐसा करना सम्भव है वहां इसकी यथाशीघ्र व्यवस्था किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।

(2) यह सही नहीं है। मौजूदा में अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुसार हर बस मालिक को किराया सूची लगाने की शर्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय लगाई जाती है व इसी के आधार पर किराया वसूल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इसको देखकर यह संतोष कर सकता है कि परिचालक उससे उचित किराया वसूल कर रहा है या नहीं। यदि किसी को कोई फर्क मालूम हो तो शिकायत पुस्तिका में इसका उल्लेख कर सकता है।

नसीराबाद में महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य

202. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद में महाविद्यालय के भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर द्वारा किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो भवन बनाया गया उसमें दरारें पड़ गई हैं क्योंकि मसाला पूरा नहीं लगाया गया ? यदि यह सत्य है तो इस कार्य के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि महाविद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु स्थाई नलकूप बनवाकर व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था करदी जायगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भवन में स्ट्रक्चरल दरारें नहीं पड़ी हैं, वल्कि भवन, कमरे एवं बरामदों

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
पर किये प्लास्टर की ऊपरी सतह पर मामूली दरारें आ गई हैं।

(3) स्थाई नलकूप द्वारा पानी पीने की व्यवस्था कराये जाने की योजना इस विभाग की जानकारी में नहीं है ?

आयुर्वेद औषधालयों की क्रमोन्नति

203. श्री चेतराम (टोडा भीम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने 1974 में कुछ तृतीय श्रेणी (सी ग्रेड) के आयुर्वेद औषधालयों को द्वितीय श्रेणी (बी ग्रेड) में क्रमोन्नत किया है ? यदि हां, तो उनके नाम व पते जिलेवार बतलाने की कृपा करें।

(2) उक्त क्रमोन्नत औषधालयों में समुचित व्यवस्था एवं सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(3) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नति के आदेश के पश्चात् कुछ औषधालयों को क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है और उसके बदले में दूसरे औषधालयों को किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों एवं किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) किसी भी औषधालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है अतः व्यवस्था एवं सामग्री उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी नहीं।

राज्य में नये उद्योग लगाने हेतु आशय-पत्र

204. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केन्द्र से नये उद्योग लगाने हेतु 1973-74 में कितने आशय-पत्र (लाइसेन्स) राज्य खनिज एवं उद्योग विकास निगम को प्राप्त हुए और कितने उद्योग 1973 व 74 में कहां 2 लगे तथा कितने आशय-पत्र (लाइसेन्स) रद्द हुये और क्यों ? कृपया ब्यौरेवार बताने का कष्ट करें।

(2) अलवर के स्कूटर कारखाने की क्या प्रगति है ? कब तक स्कूटर बनने चालू हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को 1973 में एक आशय-पत्र व 1974 में 5 औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त हुये। इनमें से स्कूटर फैक्ट्री जिसका लाइसेन्स 1974 में मिला था अलवर में लगाया जा रहा है।

निगम को मिला हुआ कोई आशय-पत्र या इण्डस्ट्रियल लाइसेन्स रद्द नहीं हुआ।

(2) स्कूटर कारखाने का भवन बन कर तैयार हो गया है। अधिकतर मशीन प्राप्त हो गई हैं। प्रोटोटाइप भारत सरकार के अहमद नगर स्थित संस्थान ने पास कर दिया है। इस कारखाने में उत्पादन (ट्रायल प्रोडक्शन) 1975 के मध्य तक प्रारम्भ होने की आशा है।

खूड़-मण्ढा सड़क का निर्माण कार्य

205. श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खूड़-मण्ढा (जिला सीकर) बाई-पास सड़क बन रही है ? यदि हां, तो यह कौन-कौन से ग्रामों में होकर जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या खूड़-मण्ढा बाई-पास में किसानों की जमीनें अवाप्त की गई हैं ? यदि हां, तो ग्राम खूड़ से बीड़ौली तक किन-किन किसानों की जमीनें इस सड़क में अवाप्त की गई हैं या की जावेंगी ? सूची मय खसरा नम्बर दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खूड़-मण्ढा बाई-पास कोई सड़क नहीं बन रही है। अलबत्ता खूड़-माण्डोता तक सड़क निर्माण कराया जा रहा है।

(2) खूड़ से माण्डोता सड़क पर केवल खूड़ व माण्डोता दो ग्रामों के काश्तकारों की जमीन अवाप्त को जा रही है, जिनकी सूची (अ) मय खसरा नम्बर संलग्न है।

सूची—अ

खूड़ एवं माण्डोता ग्राम में अवाप्त की जाने वाली भूमि की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	काश्तकार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
1	2	3	4	5	
1.	खूड़	डालु, हुकमा पि. रूपा जाट सा. देह वगैरह	376	2	7
2.	,,	सिवाय चक	377	0	5
3.	,,	बिरदीचन्द पुत्र गंगाराम ब्राह्मण सा. देह	378	0	7
4.	,,	लक्ष्मीनारायण पु. नत्थूराम ब्राह्मण सा. देह	379	0	12
5.	,,	किशनलाल, दुर्गाप्रसाद, भूरामल, चतुरभुज राधेश्याम, श्यामसुन्दर पि. हनुमान बक्स ब्राह्मण सा. देह	380	0	12
6.	,,	बन्सीधर पुत्र बीला ब्राह्मण सा. देह	381	0	8
7.	,,	मूलचन्द पुत्र शिवदयाल ब्राह्मण सा. देह	405	2	2

Page No 183

1	2	3	4	5	
8.	खूड़	ईशरा पुत्र लधा जाट सा. देह	406	3	6
9.	”	गंगू पुत्र धोगा कौम गूजर सा. देह	483	2	0
10.	”	वेगा पुत्र बालू जाट सा. देह	484	1	1
11.	”	धोग पुत्र बक्सा जाति कुम्हार सा. देह	486	2	1
12.	”	रतन, तुलसा पि. ईसरा जाट सा. देह	487	2	10
13.	”	—उपरोक्त—	488	2	10
14.	मण्डोता	मकबूजा सरकार	401	5	3
15.	”	मालू, नानु, दौला पि. नन्दा जाट सा. देह	402	1	18
16.	”	भोमा पुत्र श्योजी, गुमाना पुत्र केसा जाट सा. देह	403	1	3
17.	”	लालू पुत्र चुन्ना अहीर सा. देह	404	10	14
18.	”	चुन्ना, नानू पि. सालगा अहीर सा. देह	420	3	10
19.	”	बूदा, पु. सिवा पि. बोकल अहीर सा. देह	426/2	1	18
20.	”	भानू, नामू, धौला, पि. नन्दा जाट सा. देह	431	1	0
21.	”	पन्ना, पैया, मोटा पि. भुदा जाट	432	1	2
22.	”	हनुमान, सीतो, करणा पि. लधा अहीर सा. देह	509/1	4	17
23.	”	बालकिशनदास चेला केशवदास स्वामी सा. देह	510	1	4
24.	”	सरकार	512	0	2
25.	”	रामकिशोर पुत्र शिवप्रसाद ब्राह्मण सा. बानूड़ा	513/1	0	19
26.	”	करणराम पुत्र रामलाल अहीर सा. देह	514	0	16
27.	”	मकबूजा सरकार	518	3	13
28.	”	मकबूजा सरकार	593	1	6
29.	”	जोरू पुत्र बोदू खाती सा. देह	594	1	13
30.	”	मकबूजा सरकार	541	0	2
31.	”	रामदेवा पुत्र पेमा जाट सा. देह	597	0	10

ग्राम सारथल एवं हरनावदा शाहजी की पेयजल योजना

206. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील छीपा बड़ौद के ग्राम सारथल एवं हरनावदा शाहजी की पेयजल योजना की जन सहयोग की राशि कब जमा कराई गई थी ?

(2) क्या सत्य है कि अभी इन जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों और इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) ग्राम सारथल की अंशदान की राशि 3870/- रुपये दिनांक 3-8-73 को जमा हो चुकी है तथा ग्राम हरनावदा शाहजी की अंशदान की राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। नई योजनाओं के लिए धन राशि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी। अब इन योजनाओं की स्वीकृति के लिये जिला आयोजना समिति की बैठक में प्रस्ताव पास किया जा चुका है अतः इन योजनाओं पर कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर शहर में आये सरकार के मेहमानों पर खर्चा

207. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में सन् 1970 से अब तक राज्य सरकार के कितने मेहमान आये ?

(2) जो मेहमान जयपुर में आये उनमें से कितने मेहमानों को ट्यूरिज्म के डाइरेक्टर ने सिटी पैलेस में चार रुपये फी मेहमान का सरफा किया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे लोगों का पैसा अदा किया गया जो कि मेहमान की तारीफ में नहीं आते ?

(4) विदेशी मेहमानों को तोहफे के तौर पर दिये जाने के लिए कितनी राशि सर्फ करके राजस्थान सरकार के मेहमानों के लिए पोशाकें और दूसरी चीजें खरीदी गई और उनका आधार क्या था ?

(5) क्या यह सच है कि यह तोहफेजात बिला टेण्डर हासिल किये खरीदे गये जबकि राजस्थान एम्पोरियम इस कार्य के लिये चल रहा है ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1970 से दिसम्बर, 1974 तक 1282 राजकीय मेहमान (State Guests) जयपुर आये।

(2) जयपुर में आने वाले जिन राजकीय अतिथियों व उनके दल के सदस्यों पर निदेशक पर्यटन ने राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार सिटी पैलेस दिखाने के लिए चार रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा किया

(पर्यटन मंत्री)

उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी-नहीं।

(4) विदेश से आने वाले राजकीय अतिथियों को सद्भावना के आधार पर, अप्रेल, 1970 से दिसम्बर, 1974 तक कुल रुपये 19,085.22 की पोशाकें इत्यादि दी गई।

(5) ज्यादातर तोहफे राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम से ही लिये गये लेकिन कुछ विशेष कलाकृतियां अन्य स्थानों से भी खरीदी गई चूंकि यह तोहफे अल्प सूचना पर उपलब्ध कराने होते हैं इसलिये कुछ मौकों पर इनके लिये टेन्डर भेजना संभव नहीं हुआ लेकिन बाद में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई।

पर्यटन विभाग

राज्य सरकार के 219 मेहमानों की सूची जिन्हें पर्यटन विभाग द्वारा सिटि पैलेस में चार रुपया प्रति मेहमान के प्रवेश कराया गया

क्र. सं.	नाम पार्टी	दिनांक भ्रमण	कुल
1	2	3	4
1.	श्री वी. वी. गिरी (राष्ट्रपति)	17-1-70	6
2.	श्री पी. के. जे. मैनन, अतिरिक्त आयोजना आयुक्त, दिल्ली	21-10-70	3
3.	बंगला देश कार्यवाहक राष्ट्रपति की धर्मपत्नि व पार्टी	23-12-71	10
4.	महामहीम श्री इब्राहीम खदोदी	10-3-72	8
5.	रशियन डेलीगेशन	19-3-72	16
6.	महामहीम श्री नइदश दलटचे व पार्टी राजदूत बल्गेरिया	25-3-72	8
7.	बंगला देश डेलीगेशन	5-6-72	12
8.	बंगला देश डेलीगेशन	11/12-6-72	30
9.	खाद्य आयुक्त श्री बन्सल, दिल्ली	4-10-72	4
10.	वेस्ट जर्मनी डेलीगेशन	6-5-73	1
11.	जैम्बीयन नोमीनियन्स	22-12-73	4
12.	श्री प्रिंस व पार्टी, वित्त आयुक्त, दिल्ली	25-12-74	3
13.	श्री कोल व पार्टी, वित्त आयुक्त, दिल्ली	26-12-74	3
14.	मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश	20-12-74	1
15.	श्री एस. सी. जोर्ज, यूनियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स	8-5-74	4
16.	स्पीकर ऑफ दी उड़ीसा विधान सभा	6-3-74	2
17.	श्री टी. के. घोष जर्नलिस्ट	27-9-74	5

1	2	3	4
18.	डॉ जी. होफ्नर, निदेशक साउथ-ईस्ट एशिया म्युजियम, बर्लिन	4-10-74	1
19.	प्रोफेसर एफ. जे. डी. हैन, निदेशक, पुलिस म्यूजियम	16-12-74	3
20.	पार्लियामैन्ट्री कमेटी	5-2-74	15
21.	डेनिश एग्रीकल्चर डेलीगेशन	8-4-72	6
22.	एडीटर हिन्दुस्तान टाइम्स व पार्टी	6-6-74	7
23.	श्रीमती डी. सिलोनी (इटली)	18-7-74	1
24.	श्री जेड. आर. हन्सारी, यूनियन डिप्टी मिनिस्टर, इण्डीस्ट्रीयल डवलपमैन्ट	9-7-74	5
25.	श्री मोयन गोल्ड	12-9-74	1
26.	श्री दैंगल व पार्टी	28-9-74	15
27.	श्री डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेन्स, देहली	26-9-74	5
28.	डॉ. हरगोबिन्द खुराना	27-10-74	2
29.	हाई कमिश्नर मलेशिया	5-11-74	1
30.	मिनिस्टर ऑफ ट्यूरिज्म एच. पी.	15-1-75	7
31.	प्लानिंग कमीशन ऑफ बंगला देश	4-1-75	3
32.	श्री रेड्डी (मिनिस्टर एवं पार्टी)	18-1-75	12
33.	श्री यान मित्रिका डिप्टी प्राईमिनिस्टर पोलण्ड	19-1-75	14
		योग...	219

चूरू जिले में चरागाह, जोहड़ों की खुदायी का भुगतान

208. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी चूरू द्वारा वर्ष 72–73 के अकाल में चरागाह सुधार के लिए पायतन जोहड़ में स्थायी घास उगाने के लिए खाइयां खुदवाई गई थीं ? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितने-कितने पायतनों में कितने-कितने एकड़ों में खाइयां खुदवाई गई और इस कार्य में कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) क्या यह भी सही है कि उनमें से कई चारागाह व जोहड़ो की खुदाई का भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे जोहड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री लूणाराम)

(3) क्या यह सही है कि ऐसे चारागाह सुधार के लिए खुदवाई गई खाइयों में वर्षा होने पर घास का बीज नहीं डाला गया जिससे घास नहीं उगाई जा सकी ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार लगाया गया सारा धन बर्बाद गया और घास नहीं उगाये जाने से चरागाह भी नष्ट हो गये ? यदि हां, तो यह जिम्मेदारी किसकी थी ? और उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(5) जो भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, वर्ष 72–73 में केवल ग्राम जैतासर (तहसील श्री डूंगरगढ़) में जोहड़ का कार्य कराया गया था।

(2) जी नहीं। इस कार्य के लिये जिलाधीश, चूरू ने 28,116 रुपये 71 पैसे का भुगतान कर दिया था—

(3) जी नहीं।

(4) यह सही नहीं है। खाइयां खोदने से पशुओं का आना जाना चरागाह में बन्द हो गया इससे चरागाह सुरक्षित हो गया। मिट्टी का कटाव रुका इससे भूमि में अधिक देर तक नमी बनी रहेगी।

(5) अतिरिक्त सहायता आयुक्त ने दिनांक 24-1-74 को इस मामले में जांच की। उनकी जांच के अनुसार जो कार्य रेवेन्यू ऐजेन्सी द्वारा हुआ उसमें कुल खर्चा 28116) रु. 71 पैसे बनता है जिसका भुगतान कर दिया गया। लेकिन जांच में नाप तोल हुई उससे प्रतीत हुआ 9443) रु. 68 पैसे का अधिक भुगतान कर दिया गया। इसी जोहड़ में जो भू-संरक्षण विभाग द्वारा कार्य कराया गया उसका खर्चा कृषि विभाग ने 11179) रु. 64 पैसे बताया। लेकिन मौके पर जांच पर वह कार्य केवल 6439) रु. का बनता था। इस सम्बन्ध में जैतासर गाँव वालों ने अतिरिक्त सहायता आयुक्त को जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें बताया है कि गांव के मजदूरों को कुल भुगतान 28160) रु. का हुआ जो नाप तोल हुई है उसमें 18000) रु. का बनता है। राजस्व विभाग द्वारा जो 10160) रु. की मजदूरी मजदूरों को दी गई है वह वापिस वसूली करने काबिल है। इसी प्रकार भू-संरक्षण के आधार पर कुल काम 6439) रु. बनता है। इस काम की मजदूरी ज्यादा दिए गए 10160) रु. में से काट ली जावे तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। अतः पूरा भुगतान कर दिया गया है।

अलवर जिले में अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियुक्तियां

209. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (बानसूर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में पिछले दो साल में किस-किस तृतीय श्रेणी अध्यापक (पुरुष व महिला) की नियुक्ति की गई है ? कृपया सन् 1973 व 1974 में की गई नियुक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर की गई हैं ? यदि हां, तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
वरिष्ठता की सूची मय प्रार्थियों के प्राप्त अंकों के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पुरुष आशार्थियों की नियुक्ति तृतीय वेतन श्रृंखला में की गई हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) नियुक्तियाँ आदेशानुसार वरिष्ठता के आधार पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले आशार्थियों को की गई है। वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिवहन निगम की बसों में फर्स्ट एड बॉक्स एवं शिकायत पुस्तिका

210. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की बसों में फर्स्ट एड बॉक्स बिना दवा-पट्टी के केवल खोखा मात्र टंगा रहता है ? फर्स्ट एड बॉक्स उचित दवाओं सहित बस में लगाये रखने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या सम्बन्धित कर्मचारी इस जिम्मेदारी को नियमित रूप में नहीं निभा पा रहे हैं ? अगर हां, तो आज तक कितने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि परिवहन बसों में शिकायत पुस्तिका के डिब्बे लगे हुए हैं परन्तु शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती ? अगर हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार ने इसके खिलाफ क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि निगम की बसों में स्टेपनी और टूल बॉक्स नहीं रखे जाते हैं ? यदि हां, तो बसों में स्टेपनी और टूल बॉक्स नहीं रखने का क्या कारण है ? यात्रियों को होने वाली इस तकलीफ को दूर करने का सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

(4) क्या यह सही है कि बसों की सफाई उचित रीति से समय पर नहीं होती है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ? सफाई व्यवस्था का जिम्मा जिस कर्मचारी को दिया गया है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) निगम की बसों में लगे हुए फर्स्ट एड बॉक्स जब खाली हो जाते हैं तो उन्हें पुन: मुख्यालय में भराने की व्यवस्था है। पुन: भराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित बस के परिचालक की रहती है। किन्तु एक बस का हमेशा एक ही परिचालक नहीं रहता अत: फर्स्ट एड बॉक्स खाली हो जाने पर पुन: समय पर नहीं भरे जाते। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। अब इस व्यवस्था में शीघ्र सुधार किया जायेगा।

(2) निगम की बसों में लगे हुए डिब्बे शिकायत पुस्तिका के नहीं होते। ये डिब्बे

(यातायात मंत्री)
शिकायत कर्त्ता द्वारा अपनी शिकायत डालने के लिए होते हैं। शिकायत पुस्तिका अलग से परिचालक के पास रहती है एवं परिचालकों को शिकायत पुस्तिका मांगने पर शिकायत कर्त्ता को देने के आदेश निगम द्वारा प्रसारित किए हुए हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। परन्तु कभी-कभी बसों की कमी के कारण उचित सफाई नहीं हो पाती है। मार्ग पर जाने वाली प्रत्येक बस कार्यशाला में पूरी तरह साफ करने के उपरान्त ही मार्ग पर जाने के लिये भेजी जाती है। इस व्यवस्था में और भी सुधार किया जा रहा है।

गांव दानपुर (बांसवाड़ा) में पुलिस थाना भवन बनाने हेतु काश्तकारों से ली गई भूमि

211. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के गांव दानपुर में पुलिस थाना भवन बनाने के लिए दानपुर के काश्तकारों से उनकी काश्त की भूमि ली गई थी और उनको जमीन के बजाय दूसरी जमीन दी गई है ?

(2) यदि नहीं, तो जो पुलिस थाने के भवन बनाने के लिए जमीन ली, वह कितने काश्तकारों की थी ? उनके नाम और प्रत्येक व्यक्ति से कितने बीघा जमीन ली गई, सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि थाने की बाउण्डरी व परकोटा बनाने वास्ते जमीन अभी बचत पड़ी हुई है—और जिन काश्तकारों ने अपनी जमीन दी उन्होंने वापस लेने की मांग की थी और वह जमीन उनको न देते हुए किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को पुलिस विभाग ने काश्त करने के लिए दी है ? यदि हां, तो जिन किसानों ने अपनी जमीन दी है उनको वापस लौटाने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम दानपुर में पुलिस थाना भवन बनाने के लिए वहां के कुछ काश्तकारों से जमीन एक्वायर की गई थी, जिसके लिए उन्हें नकद मुआवज़ा भुगतान किया गया था।

(2) यह जमीन कुल मिलाकर चार काश्तकार सर्व श्री आत्माराम, दलपतसिंह, बिट्ठल एवं भैरूसिंह से क्रमश: 4 बीघा 2 बिस्वा, 2 बीघा 5 बिस्वा, 3 बीघा 1 बिस्वा व 2 बीघा 9 बिस्वा एक्वायर की गई थी।

(3) थाने की बाउण्डरी बनाने के बाद 3 बीघा जमीन जो बचत में रही वह श्री कालेखां को पुलिस अधीक्षक द्वारा इस शर्त पर दी गई कि यह थाने के अहाते में निशुल्क कुआ तैयार कर सुपुर्द करेगा। श्री कालेखां ने कुआ थाने की हद में बनवा दिया है। अत: श्री कालेखां को जमीन नियमानुसार स्थानांन्तरित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिन किसानों से उक्त भूमि अवाप्त की गई थी उन्हें चूंकि नकद मुआवज़ा किया जा चुका है अत: उक्त 3 बीघा जमीन लौटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

ठेकेदार से बकाया राशि की वसूली

212. श्री गुरदयालसिंह संधू (करणपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कुलदीपसिंह ठेकेदार व उनके भाइयों के जिम्मे पी, डब्ल्यू. डी. विभाग की कितनी रकम बकाया है ? इसकी वसूली के लिये की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सच हैं कि कुलदीपसिंह व उसके भाइयों के जिम्मे जो भी बकाया रकम है उसकी वसूली में मुख्य अभियन्ता का सहयोग कुलदीपसिंह को प्राप्त था ?

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार वसूली न होने का जिम्मा कुछ छोटे-छोटे अधिकारियों पर थोप कर बड़े-बड़े अधिकारियों को बचाने पर तुली हुई है ?

(घ) क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) मैसर्स कुलदीपसिंह एण्ड कम्पनी, कुलवन्तसिंह एण्ड कम्पनी तथा जसपालसिंह एण्ड कम्पनी से वसूल की गयी राशि एवम् उक्त ठेकेदारों को देय राशि का समायोजन कर बकाया राशि का विवरण सूची (अ) में अंकित है।

ठेकेदारों ने कुछ मामलों में न्यायालय में दावे कर रखे हैं। कुछ मामलों में विभागीय जांच तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जांच कर रहा है, अतः न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने एवम् जांच पूर्ण होने पर पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) यह सही नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची अ)

क्रमांक	नाम ठेकेदार	ठेकेदार से जनवरी 1975 तक वसूल योग्य धनराशि	जनवरी 1975 तक ठेकेदारों से वसूल की गई तथा समायोजन की गई धनराशि	31-1-75 तक ठेकेदारों से वसूल योग्य धनराशि
1.	मैसर्स कुलदीपसिंह एण्ड कम्पनी	14,84,837.00	1,50,596.00	13,34,241.00
2.	मैसर्स कुलवन्तसिंह एण्ड कम्पनी	3,42,132.00	1,74,426.00	1,67,706.00
3.	मैसर्स जसपालसिंह एण्ड कम्पनी	4,10,798.00	76,497.00	3,34,301.00

जयपुर से फागी तक सी. टी. एस. की व्यवस्था

213. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर-डिग्गी-मालपुरा मार्ग पर कब-कब रोडवेज की बसें आती एवं जाती हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बसें समय पर नहीं आती हैं और यात्रियों को कई घन्टों तक इन्तजार करना पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस अव्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है ?

(4) यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जयपुर से फागी तक सी. टी. एस. भी लगाने का विचार रखती है ?

(5) क्या यात्रियों की संख्या देखते हुए सरकार और बसें बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर-डिग्गी-मालपुरा मार्ग पर संचालित निगम बसों की समय सारिणी सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) निगम बसों के यथा समय संचालन हेतु सतत् प्रयत्नशील है ।

(4) ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(5) यात्रियों की उपलब्धि के आधार पर इस मार्ग पर कुछ और बसें बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

पुनरावृत्त समय सारिणी जयपुर-डिग्गी-मालपुरा मार्ग की

जयपुर	सांगानेर	फागी	डिग्गी	मालपुरा
1	2	3	4	5
05-00	05-45	06-45	07-45	08-30
06-00	06-45	07-45	08-45	09-30
06-45	07-30	08-30	09-30	10-15
07-30	08-15	09-15	10-15	11-00
08-30	09-15	10-45	11-15	12-00

(192)

1	2	3	4	5
9-300	10-15	11-15	12-15	13-00
10-30	11-15	12-15	13-15	14-00
11-15	12-00	13-00	14-00	14-45
12-00	12-45	13-45	14-45	15-30
13-00	13-45	14-45	15-45	16-30
14-00	14-45	15-45	16-45	17-30
15-00	15-45	16-45	17-45	18-30
16-15	17-00	18-00	19-00	19-45
17-30	18-15	19-15	—	—
18-15	19-00	20-00	21-00	21-45

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

पुनरावृत्त समय सारिणी मालपुरा-डिग्गी-फागी-सांगानेर मार्ग

मालपुरा	डिग्गी	फागी	सांगानेर	जयपुर
—	—	07-30	08-30	09-15
06-30	07-15	08-15	09-15	10-00
07-30	08-15	09-15	10-15	11-00
08-15	09-00	10-00	11-00	11-45
09-00	09-45	10-45	11-45	12-30
10-00	10-45	11-45	12-45	13-30
11-00	11-45	12-46	13-45	14-30
12-00	12-45	13-45	14-45	15-30
13-30	14-15	15-15	16-15	17-00
14-45	15-30	16-30	17-30	18-15
15-45	16-30	17-30	18-30	19-15
16-45	17-30	18-30	19-30	20-15
17-45	18-30	19-30	20-30	21-15
18-30	19-15	20-15	21-15	22-00
19-45	20-30	21-30	22-30	23-15

अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य

213. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने जिले व कितने गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं? अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि राज्य सरकार को सहायतार्थ दी है?

(2) राजस्थान में कितने अकाल राहत कार्य कहां-कहां चल रहे हैं? इन कार्यों में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं?

(3) अकाल-ग्रस्त गांवों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) राजस्थान में 24 जिले एवं 19,859 ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने 10 करोड़ 24 लाख रुपये योजना मद से अग्रिम के रूप में दिये हैं।

(2) 365 अकाल राहत कार्य 24 जिलों में चल रहे हैं। जिनमें 86,676 श्रमिक रोजाना कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर परियोजना पर 5,336 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, मेजा पर 1,217; जाखम पर 957; माही पर 1,069 श्रमिक कार्य कर रहे है।

(3) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बेरोजगार स्नातकों को सहायता

215. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तरों को सहायता देने के लिए वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 में कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है?

(2) कुल कितने प्रार्थना-पत्र विभाग को प्राप्त हुए व कितनों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई।

(3) जयपुर जिले के कितने स्नातक एवं स्नातकोत्तर आवेदकों को उक्त राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को क्रमश: 150 रु. एवं 250 रु. मासिक वृत्तिका के रूप में सहायता देने का प्रावधान रखा गया है जो निम्न प्रकार है।

वर्ष	प्रावधान
1973-74	12,08,736 (वास्तविक व्यय)
1974-75	15,80,900 (आवंटित राशि)

(श्री समाज कल्याण मन्त्री)

(2) सूचना निम्न प्रकार है:—

	वर्ष	
	1973-74	1974-75
कुल प्राप्त नये प्रार्थना-पत्र	457	539
कुल स्वीकृत प्रार्थना-पत्र	439	474
आवंटित राशि	12,08,736 (वास्तविक व्यय)	15,80,900 आवंटित राशि

(3) जयपुर जिले में वर्ष 1973-74 व 1974-75 में अब तक क्रमश: 117 व 97 नये स्नातक एवं स्नातकोत्तर आवेदकों को वृत्तिका स्वीकृत की गई है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

यात्री कर की बकाया राशि

216. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि यात्री कर की लाखों रुपयों की रकम वसूली योग्य बकाया है? अगर हां, तो किस-किस में कितनी बकाया रकम कब से वसूली करना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर की इतनी बड़ी रकम अभी तक वसूल क्यों नहीं की गई हैं? अब तक उक्त रकम कब तक वसूल कर ली जावेगी?

(3) क्या यह भी सत्य है कि गाड़ियों पर सड़क कर की बड़ी भारी रकम वसूली करना शेष है? अगर हां, तो कुल कितनी रकम वसूली करना शेष है? अब तक की उक्त रकम कब तक वसूल कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) यात्री कर की बकाया 30-6-74 तक 1,11,74,359 रुपये हैं। आसामीवार बकाया की सूचियां विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त कर एकत्रित करने में काफी समय लगेगा। जिलेवार सूची सलंग्न है।

(2) उक्त राशि सन् 1967-68 से जून 1974 तक की बकाया है जिसकी वसूली के लिए पहले वाणिज्य कर विभाग के द्वारा कार्यवाही होनी थी। अब 1-7-74 से यह कार्य परिवहन विभाग में आने पर यह वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है। मार्च 1975 में इसकी वसूली के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

(3) मोटर गाड़ी कर की बकाया की सही स्थिति अभी बताया जाना संभव नहीं है, वैसे चेकिंग के आधार पर ऐसा अनुमान है कि मोटर गाड़ी कर की भारी रकम बकाया नहीं है। बकाया की स्थिति संकलन के लिये एक सर्वे पार्टी लगाई गई है सर्वे पार्टी द्वारा नोटिस जारी करके सत्यापन एवं वसूली/समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। मार्च, 1975 में मोटर गाड़ी कर की वसूली का भी विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है।

(195)

DISTRICTWISE ARREARS LIST UNDER R. P. G T. HEAD UP TO JUNE, 1974

Ajmer	1,23,376
Beawar	49,968
Alwar	6,73,255
Bharatpur	7,09,201
Jaipur 'C'	22,22,714
Sikar	5,00,167
TOTAL AJMER-JAIPUR RANGE ..	42,78,681
Bikaner	2,65,433
Ganganagar	7,16,091
Hanumangarh	4,46,826
Jodhpur 'B'	5,43,454
Nagaur	7,05,644
Pali	1,88,127
Sirohi	1,68,779
TOTAL JODHPUR RANGE ..	30,34,354
Bhilwara	4,61,982
Chittorgarh	5,12,354
Kota 'B'	11,14,550
Gangapur	6,69,907
Udaipur 'B'	11,02,531
TOTAL KOTA-UDAIPUR RANGE ..	38,61,324
TOTAL RAJASTHAN ..	1,11,74,359

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची)

वर्ष 1974-75 में खोले गये नवीन औषधालय

आयुर्वेदिक

1.	सामरिया	बांसवाड़ा तहसील	बांसवाड़ा
2.	डूमोली	कुम्भलगढ़ तहसील	उदयपुर
3.	बढवर	खेतड़ी तहसील	झुन्झुनूं
4.	प्रसलिरी	झुन्झुनूं तहसील	झुन्झुनूं
5.	सियालारिया	शेरगढ़ तहसील	जोधपुर
6.	टेपू	ग्रासोप तहसील	जोधपुर
7.	ग्राडियासारा	ग्रासीन्द तहसील	भीलवाड़ा
8.	ग्रम्योलिपाटा	छीपा बड़ौद तहसील	कोटा
9.	सरवाड़	जमुग्रा रामगढ़ तहसील	जयपुर
10.	मागतपरला	गोविन्दगढ़ तहसील	जयपुर
11.	ग्रनन्तपुरा	गोविन्दगढ़ तहसील	जयपुर
12.	दूदू बाग	दूदू तहसील	जयपुर
13.	लक्षुसर	बीकानेर तहसील	बीकानेर
14.	बावरिया	बीकानेर तहसील	बीकानेर
15.	गोगागेट	बीकानेर तहसील	बीकानेर
16.	कोलासर	बीकानेर तहसील	बीकानेर
17.	नोखेरा	नहरी क्षेत्र	बीकानेर
18.	स्तारशरा	नहरी क्षेत्र	बीकानेर
19.	मोहनसारिया	नहरी क्षेत्र	गंगानगर
20.	जोरावरपुरा	नहरी क्षेत्र	गंगानगर
21.	बाबूवाली	नहरी क्षेत्र	गंगानगर
22.	चापड़ा खुर्द	बैराठ तहसील	जयपुर

यूनानी

1.	किसनिया	कोटसी तहसील	भीलवाड़ा
2.	रूपाबास	भरतपुर तहसील	भरतपुर
3.	दुदिया	बाड़मेर तहसील	बाड़मेर

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की सूची

क्रम संख्या	इकाई का नाम
1.	गांधी आइरन इन्डस्ट्रीज जय पाटन
2.	जवाहर आइरन वर्क्स, मोदी
3.	जनता आइरन वर्क्स, झालावाड़
4.	पंवार सीमेंन्ट उद्योग, झालावाड़
5.	महालक्ष्मी इन्डस्ट्रीज चउ मेला
6.	रमेश मेकेनिकल वर्क्सशॉप, झालावाड़
7.	एन्थन आइरन एण्ड स्टील मेन्यु. इन्ड. जे-पाटन.
8.	अजन्ता आइरन वर्क्स, ,,
9.	नन्दकिशोर, झालावाड़
10.	ताराचन्द चर्मदार ,,
11.	गजानन्द ,,
12.	मोहन आइरन वर्कशॉप, झालावाड़
13.	चीता ब्राण्ड बीड़ी वर्क्स, नं. 7 झालावाड़
14	तंवर सोफा कम बैड. वर्क्स, ,,
15.	नन्दराम जी पुत्र कजोड़ जी मोदी ,,
16.	लालचन्द हजारीलाल मोची ,,
17.	कैलाश दास मीना, भवानीमंडी
18.	शंकर इन्ड. भवानीमंडी
19.	नन्दलाल, मदनलाल मोची, झालावाड़
20.	सैयद उस्मान अली पनोसर मार्ट, झालावाड़
21.	इमामुद्दीन पुत्र मोठूजी पिंजारा, झालावाड़
22.	रुस्तम अली कृषिकेटर्स, झालरापाटन
23.	कोका जी पुत्र गंदीलाल जी मोची, झालावाड़
14.	नारायण पुत्र नूराजी रैंगर, झालावाड़
25.	मेनुराम जी पुत्र गोसा जी रैंगर, झालावाड़
26.	इंटेलीजेन्ट खराद वर्क्स, झालावाड़
27.	रामलाल पुत्र गगालाल जी, झालावाड़
28.	नन्दलाल पुत्र रामनाथ जी रैंगर, झालावाड़

क्रम संख्या	इकाई का नाम
29.	विश्वकर्मा रिपेयरिंग वर्क्स, खानपुर
30.	विश्वकर्मा लाइम्र, इकलेरा
31.	मेनूराम जगन्नाथ जी, लोहा उद्योग, मीरवा
32.	श्री चन्द आइरन इन्ड., पाटन
33.	शदरी दवाखाना, झालावाड़
34.	बंशीलाल जी आइरन वर्क्स, मनोहरथाना
35.	हजारीलाल विश्वकर्मा आइरन वर्क्स ,,
36.	जगन्नाथ जी आइरन वर्क्स ,,
37.	औषधि निर्माण उद्योग, रतलाई
38.	प्रभू जी आइरन वर्क्स, मनोहरथाना
39.	जगदीश आइरन वर्क्स ,,
40.	अब्दुल हमीर लोहा उद्योग, गंगधार
41.	लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ जी लोहा उद्योग, पीरावा
42.	मूगोलाल पुत्र बद्रीचन्द लुहार सुनेल
43.	बिरजूलाल पुत्र धन्नालाल जी लूहार उद्योग- सुनेल
44.	नाथूलाल पुत्र लाल जी लुहार उद्योग सुनेल
45.	लक्की आइरन वर्क्स, झालरापाटन
46.	लालचन्द चुन्नीलाल मिस्त्री, चउमेला
47.	सूरजमल पुत्र बांधालाल जी लुहार उद्योग, झालावाड़
48.	भारत कृषि मन्त्रालय, उद्योग झालावाड़
49.	मांगीलाल पुत्र जुझारसिंह, गंगधार
50.	रतनलाल जगन्नाथ लुहार उद्योग चउमेला
51.	राणासागर उद्योग, गंगधार
52.	कोचरमल जूता उद्योग ,,
53.	भुवन जूती उद्योग, ,,
54.	केलास जूती उद्योग ,,
55.	रामेश्वर प्रसाद नाथूलाल मिस्त्रीं, चउमेला
56.	गंगाराम जूट उद्योग, गंगधर
57.	नाथूलाल बूट उद्योग, गंगधर
58.	फेब्रिकेटर अलीमुद्दीन शयेद हुसैन, इकलेरा
59.	उपकार नसिंग एण्ड बुककर्मिसिंग, खानपुर
60.	बजरंग रेडियोज, जयपाटन
61.	एम फ्लोर एण्ड ऑयल मिल, जयपाटन

क्रम संख्या	इकाई का नाम
62.	डी. एम. सोडा पाटन इण्डस्ट्री, जयपाटन
63.	चिरंजीलाल पुत्र मुन्नालाल मोची झालावाड़
64.	रामावतार पुत्र केसरीलाल मोची, ,,
65.	फेमस आइरन वर्क्स, जयपाटन
66.	विशाल आइरन वर्क्स, ,,
67.	गुरुनानक मेटल वर्क्स, ,,
68.	मांगीलाल पुत्र बद्रीलाल जी ,,
69.	राज मेटल वर्क्स ,,
70.	रतनलाल पुत्र मिश्रीलाल जी खसेरा ,,
71.	रयानी मेटल वर्क्स, जयपाटन
72.	मुरली मेटल वर्क्स, ,,
73.	श्याम मैटल वर्क्स ,,
74.	अमृत मैटल वर्क्स, जयपाटन
75.	राजेश मैटल वर्क्स, ,,
76.	राजराना दाल एण्ड फ्लोर मिल, भवानीमण्डी
77.	गणेश आॅयल मिल, मनोहरथाना
78.	विश्वकर्मा इण्ड, चउमेला
79.	राज आइस क्रीम फैक्ट्री, भवानीमंडी
80.	मीनीकला उद्योग, झालावाड़
81.	झालावाड़ कोल वर्क्स, झालावाड़
82.	छतरलाल पुत्र खेमानी, चमड़ा उद्योग, बकानी
83.	उद्धा पुत्र खोलाजी, चमड़ा उद्योग, बकानी
84.	रामनारायण पुत्र छीतरलाल, चमड़ा उद्योग, बकानी
85.	चन्दा पुत्र चतरा, चमड़ा उद्योग, बकानी
86.	रमेशचन्द पुत्र मांगीलाल कम्बल वर्क्स, रतलाई
87.	रामनारायण पुत्र पन्नालाल जूती उद्योग तोपड़िया
88.	बरदा पुत्र मुन्ना चमड़ा उद्योग, बकानी
89.	कन्हैयालाल पुत्र छीतरलाल चमड़ा उद्योग, बकानी
90.	कालू फैक्ट्री वर्क्स, रतलाई
91.	बोलाराम पुत्र देवदत्त, कम्बल वर्क्स, रतलाई
92.	विश्वकर्मा फर्नीचर उद्योग, रतलाई
93.	जानकीलाल कम्बल उद्योग, रतलाई
94.	देवीलाल पुत्र पन्नालाल बाला बूट एण्ड जूती उद्योग, विलेज—तोपदीया

क्रम संख्या	इकाई का नाम
95.	रामचन्द्र बलदेव चमार उद्योग, बकानी
96.	नेशनल सीमेन्ट उद्योग, झालावाड़
97.	अन्नपूर्णा सोप फैक्ट्री, ,,
98.	फिदा हुसन नरसी जूती उद्योग, बकानी
99.	रामप्रसाद पुत्र नजानीजी कृषि लकड़ी उद्योग, मोदी
100.	प्रतीक होजरी, झालावाड़
101.	सूरजमल मोची, जूती उद्योग, जयपाटन
102.	मानकचन्द मोची, जूती उद्योग, जयपाटन
103.	बाबूलाल मारवाड़ी, जूती उद्योग, ,,
104.	कन्हैयालाल मोची, जूती उद्योग, ,,
105.	देवबल्ला पुत्र दुन्नीलाल मोची जूती उद्योग, जयपाटन
106.	जगदीश सोडा कुटीर उद्योग, मसरोली
107.	सफीक मोहम्मद टायर रेट्रेडिंग वर्कशॉप, खानपुर
108	रहमान पुत्र रहीम बक्स, चूड़ी, उद्योग, बकानी
109.	मांगीलाल पुत्र रामजी, लाख चूड़ी उद्योग, बकानी
110.	फिदा हुसैन पुत्र पीरबक्स लाख चूड़ी उद्योग, बकानी
111.	नरसिंह जूती उद्योग, गारनाबाद
112	कृष्ण पुत्र भैरू चमार, ,,
113.	पांचू पुत्र नारायन जूती उद्योग, गारनाबाद
114.	नबज साइज फर्नीचर फैक्ट्री, झालावाड़
115.	स्टार फेन्सी रेडीमेन्ट उद्योग, जयपाटन
116.	गोरधन लाल पुत्र दुन्नीलाल तेल घानी उद्योग, बकानी
117.	जनता मन केप्स फैक्ट्री, झालावाड़
118.	मांगीलाल जूती उद्योग, मोदी
119.	मांगीलाल जूती उद्योग, उमरोधा
120.	दुलीलाल जूती उद्योग, ,,
121.	कंवरलाल जूती उद्योग, ,,
122.	अमरलाल जूती उद्योग, ,,
123.	घनश्याम जूती उद्योग, मोदी
124.	कालूराम जूती उद्योग, ,,
125.	किशनलाल जूती उद्योग, ,,
126.	शिवलाल जूती उद्योग, ,,
127.	लाला जूती उद्योग, ,,

क्रम संख्या	इकाई का नाम	
128.	बाला जूती उद्योग,	रोड़ी
129.	रघुनाथ जूती उद्योग,	,,
130.	चम्पालाल जूती, उद्योग	,,
131.	प्यारसीराम जूती उद्योग	,,
132.	नाथू जूती उद्योग,	,,
133.	कंवरलाल जूती उद्योग,	,,
134.	रतनलाल जूती उद्योग,	,,
135.	ओंकार जूती उद्योग,	,,
136.	नारायनलाल जूती उद्योग,	,,
137.	उदा जूती उद्योग,	,,
138.	पन्ना जूती उद्योग,	,,

२०५

शुद्धि-पत्र

बृहस्पतिवार, दिनांक 27 फरवरी, 1975

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	4
1.	3	ऊपर प्रथम से पूर्व	(श्री प्रद्यु्म्मनसिंह)	(श्री प्रद्युम्नसिंह)
2.	7	ऊपर से 5	(अनुपस्थिति,	(अनुपस्थित,
3.	13	नीचे से 3	सम्भावाना	संभावना
4.	19	नीचे से 15	समाधी	समाधि
5.	21	नीचे से 8	जुझर्सिंह	जुझारसिंह
6.	22	ऊपर से 4	योगेन्द्रहाथ	योगेन्द्रनाथ
7.	30	नीचे से 16	ने	—
8.	30	नीचे से 16	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय ने
9.	49 से 58	शीर्षक में	तारांकित प्रश्नोत्ततर-27 फरवरी, 1975-तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर-27 फरवरी, 1975-अतारांकित प्रश्नोत्तर
10.	51	ऊपर से 6	हुई	हुए
11.	56	नीचे से 11	मूल्य	मुख्य
12.	70	नीचे से 3	भोमाराम	अजीतसिंह
13.	78	ऊपर से 10	लॉ	लो
14.	78	नीचे से 13	देने	देने की
15.	95	ऊपर से 5	जो	जा
16.	95	नीचे से 14	की	—
17.	99	ऊपर से 8	निकाला	से निकाला
18.	165	ऊपर से 16	ववा	क्या
19.	175	ऊपर से 17	को	का
20.	178	नीचे से 14	को	को कि
21.	192	ऊपर से 5	गुण्डा	गुण्डा
22.	198	ऊपर ने 8	पार्टीक्यूलर	पर्टिक्यूलर
23.	198	ऊपर से 10	हमारे	हमारा
24.	226	ऊपर से 15	यह ही	यही
25.	230	ऊपर से 13	जो	—
26.	233	नीचे से 6	लेजिलेशन	लेजिस्लेशन
27.	237	नीचे से 12	श्री खेतसिंह	श्री खेतसिंह एवं

203

1	2	3	4	5
28.	238	ऊपर से 17	सद्यस्यों	सदस्यों
29.	239	ऊपर से 7	अमेडमेंड	अमेंडेड
30.	243	ऊपर से 9	abding	abiding
31.	244	ऊपर से 9	फोर्सबुल	फोर्सीबल
32.	246	नीचे से 17	मापदड	मापदण्ड
33.	247	ऊपर से 4	नहोदय	महोदय
34.	247	ऊपर से 5	कहां	कहा
35.	247	ऊपर से 9	te y	tely
36.	249	ऊपर से 10	ग्रोटेक्शन	प्रोटेक्शन
37.	250	ऊपर से 6	appeais	appears
38.	250	ऊपर से 8	persons	person
39.	252	ऊपर से 18	अपोच्युनिटी	अपॉच्युनिटी
40.	252	ऊपर से 24	डाकूमेन्टस	डॉक्यूमेन्ट्स
41.	254	ऊपर से 3	रे	—
42.	254	ऊपर से 10	"eighter	"either
43.	256	ऊपर से 8	हे	है
44	258	नीचे से 4	जिन	—
45.	264	नीचे से 19	भागेव	भार्गव
46.	271	ऊपर से 18	उप	उस
47.	271	ऊपर से 20	हुं	हूं
48.	278	ऊपर से 13	परिस्थतियां	परिस्थितियां
49.	286	ऊपर से 2	चाहती	चाहता
50.	290	ऊपर से 7	बिक्र	बिक्री
51.	290	नीचे से 8	दीपकंकर	दीपंकर
52.	293	ऊपर से 6	इणस्टियलिस्ट्स	इण्डस्ट्रियलिस्ट्स
53.	301	नीचे से 14	पिपरित	विपरीत
54.	311	ऊपर से 12	हां	हो
55.	313	ऊपर से 7	के	का
56.	313	ऊपर से 13	परिवार	परिवार ?
57.	314	ऊपर से 8	महोदव	महोदय
58.	318	नीचे से 16	के	—
59.	320	नीचे से 14	रहें	रहे